लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 17, शुक्रवार, 2 अगस्त, 1996/11 श्रावण 1918 (शक)

विषय				कालम
निधन-संबंधी उल्लेख				
प्रश्नों के मौखिक उत्तर				
तारांकित प्रश्न संख्या	321	-से-	324	2-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर				
तारांकित प्रश्न संख्या :	325	-से-	340	25-47
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2581	-से-	2768	47-216
सभा पटल पर रखे गए पत्र				217-225
राज्य सभा से संदेश				225-226
श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 — राज्य सभा द्वारा यथापारित — सभा पटल पर रखा गया				226
स्थायी समितियां—एक समीक्षा				226
नियम 377 के अधीन मामले				256-260
(एक) विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के लिये दिये जा रहे अनुदान में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता				256-257
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'				
(दो) बाड़मेर और जैसलमेर टी.वी. टावरों को शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता				257-258
कर्नल सोनाराम चौधरी				
(तीन) बिहार के किसानों द्वारा 1989 तक लिये गये कृषि ऋण को माफ करने की आवश्यकता				258
प्रो. अजित कुमार मेहता				
(चार) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सभी विकास खंडों में दूरभाष सुविधा, उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता				258
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद				
(पाँच) उड़ीसा में गन्ना उत्पादकों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने और गाँव मथुर में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता				258-259
श्री भक्त चरण दास				
(छह) जोधपुर, राजस्थान में बेहतर संचार सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता				259
श्री अशोक गहलोत				

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(सात) दियारा, बिहार में एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता 260

श्री रमेन्द्र कुमार

माध्यस्थम और सुलह (तीसरा) अध्यादेश 1996 के बारे में सांविधिक संकल्प वापस लिया गया और

माध्यस्थम और सुलह विधेयक पारित 260-266

श्री रमाकांत डी. खलप 260-262

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा 262-265

खंड 2 से 86 और 441 266

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची—पारित

खंड 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री रमाकांत डी. खलप 266

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे

में सांविधिक संकल्प – निरनुमोदित और

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 – पारित 267-278

विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव 267-270

श्री एम. अरूणाचलम 270-278

जस्टस गुमान मल लोढ़ा 358-361

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 362-364

श्री अजय मुखोपाध्याय 365-368

श्री राम नाईक 368-372

श्री पी. आर. दास मुंशी 372-375

श्री मोहन रावले 376-378

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन 378-380

कुमारी ममता बनर्जी 380-382

श्री थावरचन्द गेहलोत 382-384

श्री एम. अरूणाचलम 385-391

श्री गिरधारी लाल भार्गव 391-393

खंड पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री एम. अरूणाचलम 396-403

नियम 193 के अधीन चर्चा

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) के बारे में भारत की स्थिति 278-313

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ 278-287

प्रो. रासा सिंह रावत 287-290

श्री रमेश चेन्नित्तला 290-294

श्री अजय चक्रवर्ती 294-296

श्री चित्त बसु 296-298

श्री एस. बंगारप्पा 298-299

श्री प्रमथेस मुखर्जी 299-302

श्री पी. आर. दास मुंशी 302-303

डा. जयंत रंगपी 303-304

श्री सुरेश प्रभु 304-306

श्री इन्द्र कुमार गुजराल 306-313

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक 313-316

(अनुच्छेद 269, आदि में संशोधन)

(दो) अनिवार्य शिक्षा विधेयक 316

(तीन) लोकपाल विधेयक 316

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक 316

(उद्देशिका, आदि में संशोधन)

अनिवार्य शिक्षा विधेयक 317-348

विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी 317-324

श्री द्वारका नाथ दास 335-336

श्री रमेश चेन्नित्तला 336-341

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 342

कुमारी ममता बनर्जी 342

श्री सत्यदेव सिंह 348

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर के बारे में ऋण माफी, केन्द्रीय योजना, सहायता, शरणार्थी शिवरों में सुविधाएं, आधारभूत ढाँचे के विकास 324-335

मंत्रियों द्वारा विवरण

(एक) वर्ष 1996 - 97 के मौसम की खरीफ फसलों और कच्चे पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य सभा-पटल पर रखा गया 337-338

(दो) यमन हवाई अड्डे पर 14 भारतीय लड़कियों का निरूद्ध किया जाना सभा पटल पर रखा गया 357-358

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प वापस लिया गया और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक-पारित 403-416

श्री गिरधारी लाल भार्गव 403

प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिये प्रस्ताव

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 405-407

श्री संतोष मोहन देव 407-410

श्री पी. चिदम्बरम 411-412

श्री राम विलास पासवान 412-413

लोक सभा

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1996/11 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

निधन - संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा के हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री करण सिंह यादव के निधन की सूचना देनी है।

श्री करण सिंह यादव - 1971-77 के दौरान बदायुं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे।

उससे पहले वे 1952-57 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे।

श्री यादव एक कृषक थे और एडवोकेट का व्यावसाय करते थे। वह एक जाने-माने राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने शिव नारायण दास नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, बदायुं के ट्रस्टी, जिला परिषद, बदायुं के सदस्य तथा बी.आर.एस. कुटीर कालेज, बबराला के मैनेजर के पदों पर काम किया था।

श्री करण सिंह यादव का निधन 27 जुलाई, 1996 को 71 वर्ष की आयु में बदायुं में हुआ।

हमें हमारे भूतपूर्व सहयोगी के निधन का गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि सन्तप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ है।

सदन अब दिवगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये कुछ समय के लिये शांति से खडे होंगे।

11.02 पूर्वाह्न

(तत्पश्चात, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.03 पूर्वाह्न

[हिन्दी]

कोयले की कीमतें

*321. **श्री +नवल किशोर राय :**

श्री मोहन रावले :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ माह के दौरान सरकार ने कोयले के विभिन्न ग्रेडों की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप योजना उत्पादन करने वाली कंपनियों को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयले के उत्पादन को भी नियंत्रणमुक्त करने का है ताकि इस क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा बढ सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोयला उद्योग को पूरी तरह नियंत्रणमुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : कोक्कर कोयले और 'ए', 'बी' तथा 'सी' ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 22.3.1996 को विनियमित कर दिया गया। इसके अनुसरण में, कोल इंडिया लि. द्वारा कोककर कोयले और 'ए', 'बी' तथा 'सी' ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें दिनांक 31-3-1996 से ऊंची निर्धारित कर दी गई हैं। सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. द्वारा दिनांक 19.4.1996 से 'बी' तथा 'सी' ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें ऊंची निर्धारित कर दी गई हैं।

कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा प्रतिवर्ष संभावित अतिरिक्त अर्जित आय क्रमशः लगभग 984.92 करोड रु. तथा 70.42 करोड़ रु. की राशि की होने की संभावना है।

(ग) और (घ) : कोयले के उत्पादन को विनियंत्रित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को दिनांक 9.6.1993 से संशोधित कर दिया गया है ताकि विद्युत का उत्पादन किए जाने हेतु ग्रहीत उपभोग के लिए कोयला खनन किए जाने, किसी खान से प्राप्त कोयले की धुलाई किए जाने और सीमेंट का उत्पादन किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सके। जोकि लौह तथा इस्पात के उत्पादन किए जाने के लिए ग्रहीत कोयला खानों को उक्त संशोधन से पूर्व अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

इन प्रावधानों के अंतर्गत अभी तक 20 कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत का उत्पादन और लौह तथा इस्पात का उत्पादन किए जाने हेतु ग्रहीत कोयला ब्लाकों की पेशकश की गई है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है, उसके हिसाब से कोकीन कोल और ए.बी. और सी ग्रेड के नव कोकीन कोल की कीमतों को अनियंत्रित 22 मार्च, 1996 से ही कर दिया गया जिसके आधार पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। कोल इंडिया द्वारा 984.92 करोड़ रुपये और सिंगरेनी कंपनी लिमिटेड द्वारा 70.42 करोड़ रुपये की राशि इस साल लाभ अर्जित करने का दावा किया गया है। मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं कि जो अनियंत्रित करने के बाद लाभ अर्जित करने की बात बताई गई है, मैं उसे नहीं मानता हूं। मैं आपके जरिए सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब तक एफिशिएंसी बढ़ाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर लाभ अर्जित करने की बात नहीं होगी तब तक केवल कीमत बढ़ाकर लाभ बढ़ाना कोई बहुत मायने नहीं रखता। हम इसे लाभ नहीं मानते हैं और इस प्रकार से जब कीमत बढ़ा दी गई तो आयातित कोयला कभी-कभी सस्ता मिलने लगता है और देशी कोयला महंगा हो जाता है। उदाहरणार्थ मैं बताना चाहता हूं कि दिनाक 27.3.96 के 'टाईम्स ऑफ इंडिया' ने एक रिपोर्ट दी है :

[अनुवाद]

"कोल इंडिया लि. के द्वारा कोयले की कीमत बढ़ाये जाने के बाद आयातित कोयला सस्ता हो गया है।"

[हिन्दी]

इसमें स्पष्ट किया गया है कि आयातित कोयले की प्रति टन कीमत 1,520 रुपये और उसी समय देशी कोयले की कीमत 1,750 रुपये प्रति टन हो गई थी।

इस प्रकार से जो सरकार का निर्णय है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा कर लाभ कमाना चाहिए। हम आपके जरिए, सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार ने एफिशिएंसी बढ़ा कर लाभ कमाने के बारे में कोई फैसला किया है या कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? प्रश्न के 'ख' भाग में हम जानना चाहते हैं, सरकार कीमत बढ़ाती है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकारों की एक मांग बहुत पहले से सरकार के पास लम्बित है...

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को बार-बार कह रहे हैं। आप सवाल पूछिए।

श्री नवल किशोर राय : इस बारे में वर्षों से राज्य सरकार की मांग रही है कि जो वजन के आधार पर रायल्टी तय की गई है, उससे राज्य के साथ न्याय नहीं होता है। माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इस नीति को बदल कर कीमत आधारित रायल्टी तय की जाए। जिस प्रकार से मूल्य बढा है, उसी हिसाब से कीमत आधारित रायल्टी तय कर के और इस वर्ष से उसी हिसाब से रायल्टी दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं कर सकते, अन्यथा मैं मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, एफिशिएंसी बढ़ाने की योजना सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गई है। जहां तक कीमत बढ़ाने का सवाल है, पिछली बार कीमतों में वृद्धि 1993 के सूचकांक के आधार पर 1994 में की गई थी, जबकि 1996 में सीपी फार्मूला पर आधारित कीमतों में वृद्धि 16.7 प्रतिशत होनी चाहिए, लेकिन यह वृद्धि 16 प्रतिशत रही, अर्थात् यह 0.7 प्रतिशत कम है।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रायल्टी से संबंधित था, लेकिन उसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। राज्यों को सामाजिक न्याय मिले, इसको संरक्षित करने का हमारी युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वायदा किया है और माननीय वित्त मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं। राज्यों की यह डिमान्ड काफी समय से रही है। आप भी जब इस विभाग को देख रहे थे, तब भी इसका कोई जवाब नहीं आया था और मामला लम्बित रहा। इस बारे में पिछले समय में आश्वासन रहा कि इस पर विचार किया जाएगा। आपका संरक्षण चाहते हुए, मैं मांग करता हूं, क्या सरकार राज्यों को सामाजिक न्याय देना चाहती है या नहीं और एडवलोरम नीति लागू कर रही है या नहीं ? यदि कीमत पर आधारित रायल्टी देने की नीति सरकार बनाना चाहती है, तो यह कब तक करने वाली है ? यह स्पष्ट आश्वासन हम सरकार से आपके माध्यम से चाहते हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, वजन के आधार पर मूल्य के बारे में और एडवलोरम रेट की जो बात है, यह तो पालिसी मैटर है। वैसे हमने 1994 में रायल्टी का दाम बढ़ाया था और यह दाम तीन साल में रिवाइज होता है। इसलिए यह मामला अब अक्टूबर, 1997 में आएगा। इस बारे में एक समिति गठित की जाती है, जिसमें कि हमारे कोल विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव, माइन्स विभाग के संयुक्त सचिव रहते हैं। इस बार समिति के गठन करने के संबंध में निर्णय लिया है कि कोल उत्पादित जो क्षेत्र है या राज्य है, उनके यहां के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा और पालिसी मैटर पर विचार किया जाएगा।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, कोई आश्वासन नहीं मिला कि क्यों एडवलोरम लागू नहीं किया जा सकता है। बहुत गम्भीर मामला है। इस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बताइए, सदन में ऐसा कौन सा मामला है, जो गम्भीर नहीं है ?

श्री नवल किशोर राय : यह सामाजिक न्याय का मामला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।... **(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जो उत्तर दिया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आपने 2,600 करोड़ रुपया सरकार के जितने भी गड़बड़ घोटाले भ्रष्टाचार के हैं, उनसे निपटने के लिए राइट-ऑफ करवा दिए। इस प्रकार सरकार के 2,600 करोड़ रुपये कोल इंडिया खा गई। इसके बाद आपने कीमत जबरदस्त बढ़ा दी, जो कि 20 प्रतिशत है। आर ओ एम के अन्दर कोल की जो ए, बी और सी क्वालिटी है, उसमें आपने 15 प्रतिशत कीमत अन्य स्थानों पर बढ़ा दी है।

18 परसैंट, 13 परसैंट और 20-25 परसैंट कोकिंग कोल के ऊपर बढा दिया है, इतनी बढ़ोत्तरी की है। उसके बाद आप यह क्लेम कर रहे हैं कि आपका कोल इंडिया और फायदा में जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपने बढ़ा दिया, आपका जितना रुपया डूबा हुआ था उसको आपने पूरा का पूरा सरकार से माफ करवा लिया और दूसरी ओर आप ट्रेडर्स को सारे का सारा कोयला देते हैं। जो एंटरप्रिन्योर्स हैं या दूसरे लोग हैं, जिनको वास्तव में देना चाहिए उनको नहीं देते हैं जिससे कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का बढ़ावा हो। यह कह देते हैं कि हमारे पास कोयला एवेलेबल नहीं है। ट्रेडर्स के जरिए से दलाली करके उनको पैसा कमाने के लिए देते हैं। यह कोल इंडिया की घातक नीति है जिसके कारण से एक तरफ तो आपने पहले डिकंट्रोल कर दिया और उसके बाद आपने उनको पैसा बढ़ाने की छूट दे दी तो क्या आप इसके द्वारा यह चाहते हैं कि जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, कोल माइंस हैं या जो अन्य हैं उन सबको बदनाम करके, खत्म करके इसी प्रकार से छूट दे दी जाए ? क्या आप कंज्यूमर्स को, ट्रेडर्स को, वास्तव में ट्रेडर्स की जगह पर जो एंटरप्रिन्योर्स हैं या जो हार्ड कोल तैयार करते हैं उनको कोल प्रोडक्शन के लिए प्रेफरेंस दे करके कोल देंगे और इन बढे हुए भावों के अंदर आप पुनर्विचार करेंगे ? आप एक तरफ तो मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप गरीब को मारते जाते है, तो क्या आप इस बारे में चिन्ता करेंगे ?

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी कीमत को बढ़ा दिया है तो इसे बढ़ाने का कुछ खास मकसद, था। बीआईसीपी ने सिफारिश की थी कि जब भी स्टील के मूल्य डिकंट्रोल होते हैं तो कोकिंग कोल के मूल्य भी डिकंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि कोकिंग कोल मुख्यतः स्टील बनाने के काम में आता है। उनकी यह भी सिफारिश थी, चूंकि ए और बी ग्रेड के नोन कोकिंग कोल उन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होते हैं जो मूल्य नियंत्रण के बाहर हैं, अतः इन हायर ग्रेड के मूल्यों को भी डिकंट्रोल करना चाहिए और इसी के आधार पर हम लोगों ने बीआईसीपी की सिफारिश के मुताबिक इसे डिकंट्रोल किया था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : भारत कोल कम्पनी का मामला पिछले साल बी.आई.एफ.आर को भेजा गया था, क्योंकि इसे रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया था। कोल इंडिया की उप-कम्पनियों को कोकिंग तथा गैर-कोकिंग दोनों तरह के कोयले के भाव बढ़ाने की अनुमति दिये जाने के बाद क्या यह भारत कोकिंग कोल कम्पनी ऋणग्रस्तता की स्थिति से बाहर आ सकेगी ? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

भाग (ख)/भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह है कि कुछ कम्पनियों को 20 ब्लाक दिये जाने की पेशकश की गई है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण को भी कुछ ब्लाकों को चलाने हेतु कोयला निकालने हेतु पेशकश की गई है। चूंकि प्रस्ताव था कि कोयला खानों के साथ-साथ कुछ कोयला धोने के कारखाने भी, जो पहले भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास थे, कोयले के बेहतर उत्पादन तथा अच्छी किस्म के कोयले के लिये 'सेल' को दिये जायेंगे, क्योंकि 'सेल' को कोयला नहीं मिल रहा है। क्या कोयला मंत्रालय कोयला धोने के उन कारखानों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण को अन्तरित करना स्वीकार करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं समझता हूं कि दोनों में बहुत दूर का संबंध है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह उससे सम्बद्ध है। यह मेरे प्रश्न का भाग (ग) है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि क्या मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (क) का वह उत्तर दे सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्णय के द्वारा वे उक्त कम्पनियों को कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले के भाव बढ़ाने की अनुमति देने के बाद ऋणग्रस्तता से बाहर निकल सकेंगे।

महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) का भी उत्तर देने में समर्थ होने चाहियें।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : जो बी.सी.सी.एल. के लिए कहा है कि बी.आई.एफ.आर के बाहर कैसे आएंगे तो मैं यह कहना चाहती हूं कि मूल्य डिकंट्रोल और कोल-इंडिया की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बी.आई.एफ.आर. के बाहर आ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हू कि गैर-कोकिंग तथा कोकिंग कोयले के ए; बी; सी; ग्रेडों के बढ़े हुए मूल्यों को प्रभावी बनाने के लिये यह समय--31 मार्च, 1996 और 19 अप्रैल, 1996 किस तरह चुना गया ? उस समय तक चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस समय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकने के कारण सरकार ने इस निर्णय को लागू करने का कैसे सोचा ?

श्री बसुदेव आचार्य : वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकतीं क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जो भी हो। सरकार तो एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

दूसरे जब तक नियन्त्रण समाप्त करने का संबंध है कोयला मूल्यों के आंशिक विनियमन का संबंध है, स्थानीय बाजारों में कोयले की बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? हमारी जानकारी के अनुसार अन्य किस्मों के कोयले के लिये भी टेन्डर प्रणाली का सहारा लिया गया है और इस नई प्रणाली का भारी विरोध किया जा रहा है। एन.सी.एल. में स्थानीय बाजारों द्वारा टेन्डर नहीं फ्लोट किये जा रहे हैं। कोयले की काफी मात्रा उपलब्ध है, परंतु आप अब इस प्रक्रिया को क्यों अपना रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी उप-कोयला कम्पनियां इस नई प्रणाली से सहमत हो गई हैं ?

मेरा तीसरा प्रश्न...

अध्यक्ष महोदय : आप तीसरा-चौथा और पांचवां प्रश्न नहीं पूछ सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : अध्यक्ष महोदय, 22.3.96 को भारत सरकार ने मूल्य डिकंट्रोल किया था और 31.3.96 को कोल इंडिया में मूल्यवृद्धि का आदेश निर्गत किया था।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं उत्तर समझा नहीं। परंतु महोदय, यह मामला आप पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रीता वर्मा। चूंकि श्री आचार्य जी ने भारत कोकिंग कोल लि. का मामला उठाया है, मैंने सोचा प्रो. रीता वर्मा को अवसर मिलना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। मंत्री महोदया पोइंटिड प्रश्न का पोइंटिड उत्तर दें। पाणिग्रहीजी ने पूछा था कि क्या इलैक्शन प्रोसस शुरू हुए... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें। रीता जी उनको उकसायें नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि स्टील इंडस्ट्री अपना दाम बढ़ाने के लिए मुक्त है तो कोल-इंडस्ट्री में भी यह होना चाहिए कि वे अपना दाम रिवाइज करें। अध्यक्ष जी, स्टील इंडस्ट्री को तो अपना बाजार खुद खोजना पड़ता है लेकिन कोयले पर तो कोल-इंडिया की मोनोपली है। मंत्री महोदया, इन दोनों को कैसे कम्पेयर कर रही हैं।

दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ दाम बढ़ाने से बी.सी.सी.एल, बी. आई.एफ.आर. से बाहर चला जाएगा। हम लोगा खुश हो जाएंगे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाती है। यह कुछ ही दिन आपको सहूलियत होगी, क्योंकि जिस तरह से आपके यहां भ्रष्टाचार चल रहा है, धांधली चल रही है उसके चलते आप फिर बी.आई.एफ.आर. के दलदल में फंसेंगे, जैसे पहले फंसे थे। जब तक आप भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक केवल मूल्य बढ़ाते जाने से समस्या का निवारण नहीं होगा। मैं आपके आंकड़े देख रही थी। आपने आंकड़े तो बहुत सुंदर दिए हैं। यह ए, बी और सी ग्रेड का कोयला है उनके दाम रिवाइज करने के बाद आपको 984.92 करोड़ तथा 70.42 करोड़ रुपये की एडीशनल इन्कम हुई। क्या आपको मालूम है कि यह आमदनी बहुत बड़ी धोखधड़ी पर आधारित है। मैं बी.सी.सी.एल के मामले जानती हूं। बी.सी.सी.एल. के पदाधिकारियों और कोल-कंट्रोलर की मिलीभगत से हर साल ग्रेड रिवाइज किए गए हैं। यानि धरती तो रत्न-गर्भ हो गयी। जो डी-ग्रेड का कोल है, अगले साल सी-ग्रेड का कोल हुआ और जो सी-ग्रेड का कोल है वह बी-ग्रेड का हो गया।

इस तरह की धोखाधड़ी करके इन्कम बढ़ी हुई दिखायी गई है। क्या इसकी इन्क्वायरी करायी जाएगी ? अगर इसकी इन्क्वायरी करवायी जाएगी तो मेरे पास इसके जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वह मैं बता दूंगी। इस तरह की धोखाधड़ी करके जैनविन कंज्यूमर का जितना पैसा आप गलत ढंग से लेते हैं, क्या उसको वापस करने के बारे में सोचेंगे ? अगर इसकी इन्क्वायरी करायी जाएगी तो मैं पूरे तथ्य बताऊंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं बहुत हो गया। आप विचार करेंगी या नहीं ?

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अलग तरीके से क्वश्चन पूछा है। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्या ने सवाल किया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम इसकी जांच करायेंगे।

बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों में निवेश

*322. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण के बाद की अवधि अर्थात् 1991-92 से 1995-96

के दौरान बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया; और

(ख) इसमें से कितना निवेश असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया है अथवा किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारम) : (क) और ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : निम्नलिखित तालिका 1991-92 से 1994-95 की अवधि के दौरान विनिर्माण में सकल पूंजी संरचना दर्शाती है (पंजीकृत और अपंजीकृत)

करोड़ रु. में

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
विनिर्माण (पं.)	19453	22919	25977	35582
विनिर्माण (अ.पं.)	8260	10313	11044	15467
कुल विनिर्माण	27713	33232	37021	51049

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यकीय 1995 तथा राष्ट्रीय आय पर नवीनतम आकलन, 1994-95

(पं.) पंजीकृत

(अ.पं.) अपंजीकृत

पृथक राज्य-वार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, निम्नलिखित तालिका 1991-92 (अगस्त, 1991 से) 1995-96 तक असम सहित संपूर्ण भारत तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रस्तावित निवेश दर्शाती है :–

राज्य	औद्योगिक निवेश आशाय (संख्या)			प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)		
	आशय पत्र	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	जोड	आशय पत्र	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	जोड़
संपूर्ण भारत	2369	24971	27340	66537	491410	557947
पूर्वोत्तर राज्य (असम सहित)	14	66	80	1853	3908	5761

एल ओ आई एस : लाइसेंसयुक्त मदों के लिए प्रदान किया गया आशय-पत्र

आई ई एम एस : लाइसेंसमुक्त मदों के लिए दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, मुझे अपने प्रश्न के उत्तर में दिये गये आंकड़ों को देखकर हैरानी हो रही है। अब तक मैं यह समझता था कि मैं एक भारतीय हूं किन्तु इन आंकड़ों को देखकर मैं समझता हूं कि मैं पूर्वोत्तर भारतीय हूं जो भारतीय होने से कुछ अलग है।

इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उदारता के युग के पश्चात् देश में उद्योगों में कुल 557947 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें से 5761 करोड़ रुपए की राशि पूर्वोत्तर में निवेश की गई है। इसमें गैस क्रैकर परियोजना के लिये 3500 करोड़ रुपए की राशि भी सम्मिलित है जिस पर केन्द्रीय सरकार से कई सालों से बैठी हुई है जबकि मूल्यवान गैस को जलाया जा रहा है। यदि इस राशि को निकाल दिया जाये तो शेष राशि बहुत नगण्य मात्र रह जाती है।

इसके अतिरिक्त मेरे पास वित्त मंत्री द्वारा मैने प्रश्न संख्या 26 जुलाई, 1996 के उत्तर में दिये गये आंकड़े हैं। उदारता के युग के 1995-96 तक के तीन सालों में 1993-94 में सार्वजनिक निर्गमों के जरिए कुल 24731 करोड़ रुपए जुटाये गये। उस में से पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों के लिये जुटाई गई राशि केवल 5.25 करोड़ रुपए थी और कुल 25000 करोड़ रुपउए में से 5.25 करोड़ रुपए 0.0002 प्रतिशत बैठता है। इसी तरह वर्ष 1995-96 में सार्वजनिक निर्गमों के लिए उगाही गई कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि में से क्षेत्र के लिये राशि केवल 19 करोड़ रुपए जो 0.0009 प्रतिशत है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हजारिका, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है। नई आर्थिक नीति दो भारत पैदा करने जा रही है। एक सम्पन्न भारत और दूसरा निर्धन भारत और यह निर्धन भारत बिहार के आगे का क्षेत्र होगा। इसमें असम और पूर्वोत्तर भारत सम्मिलित होगा। नई आर्थिक नीति में क्षेत्रीय आयामों का कोई स्थान नहीं है।

अब आर्थिक गतिविधियों का आधार बाजार की ताकतों को बनाये जाने की हमारी खब्त के कारण हम देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न का यहां पर उत्तर चाहते हैं, तो यहां भाषण मत दें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस नई आर्थिक नीति से परे हट कर पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें असम सम्मिलित है, सार्वजनिक उपक्रमों को काम करने के लिये धनराशियां मुहैया करायेगी ? क्योंकि उन राज्यों में निजी क्षेत्र पूंजी निवेश करने को सामने नहीं आ रहा है क्योंकि स्थिति ऐसी है कि वहां पर अधिक लाभ नहीं मिलता ?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य के दिल से इस विचार को खत्म करना चाहता हूं। एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं है। उदाहरण के रूप में भारत सरकार की ओर से पूर्वोत्तर

राज्यों के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। जैसाकि आप अच्छी तरह जानते होंगे सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों की एक सूची तैयार कर रखी है। ... **(व्यवधान)** केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में उन राज्यों को अनुदानों के रूप में 10 प्रतिशत राशि दी जाती है जबकि अन्य वर्गों के राज्यों को 30 प्रतिशत अनुदान मिलते है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वे यह चाहते हैं। सीमित प्रश्न यह है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य परिवहन एवं अन्य आधार सुविधाओं के अभाव के कारण उदारता की योजना के अन्तर्गत पर्याप्त निवेश नहीं जुटा पाये अतः क्या सरकार मुआवजे के रूप में वहां सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश करेगी ?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, इस बात का उत्तर दूंगा। उन्होंने सुधार पूर्व तथा सुधार पश्चात् युग की है। मुझे बताया गया है कि सुधार पूर्व युग में हमने उनको निजी क्षेत्र की दया पर छोड़ रखा था। इस रूप में यह ठीक नहीं है क्योंकि लाइसेंस प्रधान अवधि में भी पिछड़े क्षेत्र रहे हैं।

एक समिति विशेष की रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंस प्रणाली की अवधि के दौरान कारखानों के कुल सकल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत केवल 10 राज्यों से था। माननीय वित्त मंत्री ने आधार ढांचे के विकास के लिये अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है और हमने एक कार्यदल की भी नियुक्ति की है। हम पूर्वोत्तर राज्यों में और अधिक उद्योगों की स्थापना के लिये अपने पुरजोर प्रयास करते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : यदि असम के लोग यह सोच रहे है कि केन्द्र में आने वाली क्रमिक सरकारें अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई साम्राज्यवादी, शोषण करने वाली दासतावादी अर्थव्यवस्था को जारी रख रही हैं तो इसके लिये उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वहां पर कोई विकास नहीं हो रहा है। क्रूड तेल निकालने के लिये गैस को बेकार जलाया जा रहा है और चाय की बिक्री से होनी वाली आय असम राज्य से बाहर निवेश की जा रही है। हमारी नई आर्थिक नीति में इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है और जब तक हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाते तो यह शेष भारत का गरीब हिस्सा रहेगा।

जैसा कि आप जानते हैं बेरोजगारी और गरीबी ही आमतौर पर विद्रोह पैदा करती है। अतः यदि हमें इस खतरे का सामना करना है तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। मेरी आपत्ति यह है कि माननीय मंत्री ने जिन प्रोत्साहनों का उल्लेख किया है वे शेष भारत को भी दिये गये हैं। यदि असम को दिये गये प्रोत्साहन महाराष्ट्र के लिये भी दिये जायेंगे तो कोई भी उद्योग असम नहीं आना चाहेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उद्योग मंत्रालय असम राज्य की अर्थव्यवस्था के सामान्य विकास को गति देने और विशेषरूप से तेजी से औद्योगिकीकरण के लिये विशेष पैकेज तैयार करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिये एक अलग आर्थिक जोन होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मेरा प्रश्न यह है कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये अन्य राज्यों से अलग एक अलग आर्थिक जोन बनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या एक अलग आर्थिक जोन बनाया जायेगा ?

श्री मुरासोली मारन : विशेष आर्थिक जोन की स्थापना तो कार्य के लिये सुझाव है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पहले ही से एक पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम है जिसकी स्थापना एक विधेयक के जरिए की गई है। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इसे आयकर से छूट होगी। इसकी शेयर पूंजी इस समय 100 करोड़ रुपये है। इसने हाल ही में काम करना आरंभ कर दिया है। इसने हाल ही में पहला अग्रिम भी दे दिया है और यह वहां पर उद्योगों के विकास हेतु अपने प्रयास कर रही हैं। माननीय सदस्य उस क्षेत्र से हैं और वह बेहतर जानते हैं। वित्त मंत्रालय के डा. बर्त्ताकुर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।

स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी बताई गई है। उदाहरण के रूप में शिक्षा संस्थाओं में सामान्य एवं तकनीकी दोनों में साक्षरता की दर काफी अच्छी है। अकेले मिजोरम ने ही शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल कर ली है। जहां तक आधार ढांचे का संबंध है स्थिति इतनी खराब नहीं है। आप परम्परागत बड़े औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं कर सकते... **(व्यवधान)**

समिति ने एक प्रकार से अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं। अन्तिम विश्लेषण में इसने कहा है कि "तुलनात्मक रूप से सस्ते लागत वाले उद्योगों का समुचित विकास हुआ है"। सरकार वास्तव में विकास के लिये प्रोत्साहन ही दे सकती है। परंतु उसे निरन्तर जारी नहीं रखा जा सकता। अतः उसने सुझाव दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कुछ विकास होना चाहिये।

जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं हरित क्रांति पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आरंभ नहीं हुई है। असम में यदि धान की खेती वाली जमीन का उपयोग अधिक फसलों को पैदा करने के लिये किया जा सकता है तो इससे कृषि उत्पादन में 400 से 600 प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी। इस बारे में विचार करने की जरूरत है।

उदाहरण के रूप में रेशम के कीट पालने के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इसी तरह उद्योग के रूप में बुनकरों का विकास करने, बागवानी, पशुपालन, वानिकी आदि के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जीवन रक्षक अन्य क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

गांव के जल क्षेत्रों का वैज्ञानिक मछली उत्पादक क्षेत्रों के रूप में विकास किया जा सकता है। राज्य प्रमुख भील क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं।

समिति ने टिप्पणी की है कि कोई भी उद्योग रियायतों के बल पर केवल कुछ समय के लिये ही पनप सकता है परंतु लम्बे समय तक बना नहीं रह सकता। समिति ने एक लम्बी सूची दी है। इस तरह की बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का भाग (ख) नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पूंजी निवेश से संबंधित था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आंकड़े यहां दिये गए हैं, उन आंकड़ों की यदि आप तुलना करें ऑल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत मीगर हैं। आपने स्वयं इन आंकड़ों को देखा होगा कि अगर 2369 लाइसेंस पूरे देश में दिये गए तो केवल 14 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिये गए। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि बात हो रही है इन स्टेट्स के इंडस्ट्रियल स्टेट्स की और उद्योग मंत्री हमें लिट्रेसी का आंकडा दिखाकर कह रहे हैं कि वहां स्थिति बहुत अच्छी है। लिट्रेसी का आंकडा तो बहुत अच्छा है लेकिन हम तो इंडस्ट्रियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप भी स्वयं पूर्वोत्तर के एक राज्य से आते हैं और मुझे भी पूर्वोत्तर के एक राज्य में तीन वर्षों तक फर्स्ट लेडी रहने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैंने और आपने यह दुर्दशा अपनी आंखों से देखी है। जैसे आपने भी वहां से टिप्पणी की कि इंडस्ट्री का सीधा संबंध इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से होता है। वहां बिजली, रेल मार्ग, सड़क, इन तमाम चीजों की कमी होने के कारण इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ की पहचान हमने की है। जैसे बहुत ज्यादा रॉ मैटीरियल वहां उपलब्ध है फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के लिए। वहां बहुत पाइनऐप्पल होता है। मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि लिट्रेसी का आंकडा देकर हमें न बहलाएं। यह बताएं कि क्या फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री जैसे एरिया में कोई जॉइंट वैन्चर लगाने की बात सरकार करेगी ? क्योंकि अगर जॉइंट वैन्चर में एक बार इंडस्ट्री वहां जाने की बात होगी तो प्राइवेट सैक्टर भी उसमें पनपेगा।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि आधारित एवं खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। परंतु प्रश्न यह है कि इसका विकास किस तरह से हो ? उदाहरण के रूप में असम का कोयला उत्तम कोटि का है। इसके अतिरिक्त वहां चीनी मिट्टी, क्वार्टज और चूना पत्थर मिलते हैं। यह सब वस्तुएं वहां पर मिलती हैं। परंतु अब केन्द्रीय सरकार केवल लाइसेंसशुदा उद्योगों के संबंध में ही हस्तक्षेप कर सकती है। उन्हीं में ही उसकी भूमिका हो सकती है। अन्यथा अब हमने अर्थव्यवस्था को खोल दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कमी है वह आधार ढांचे का अभाव है। आधार ढांचे को और ध्यान दे कर ही पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 5000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी की घोषणा की है। उन्होंने कुछ वित्तीय लाभों, आयकर लाभों की भी घोषणा की है। हमें पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक उद्योगों को लाने के लिये प्रयास करने चाहिये।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, पिछले पांच साल से मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता रहा हूं कि उड़ीसा सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। और फूलबनी निर्वाचन क्षेत्र की हालत तो बिल्कुल ही खराब है क्योंकि वहां पर कोई उद्योग नहीं है। यह इसकी मूल समस्या है।

अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उदारता की नीति के बाद से क्या सरकार उन क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है जो अधिकतर पिछड़े और आदिवासी हैं।

क्या सरकार की उन क्षेत्रों का विदेशी निवेश हासिल करने के लिये और उनके सुधार के लिये उनको प्राथमिकता देने हेतु उनका पता लगाने की कोई कार्य योजना है ?

श्री मुरासोली मारन : यद्यपि प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है परंतु मैं बता सकता हूं कि आज के उदारता के वातावरण में सरकार का निवेश के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार ही उद्योगों को आकर्षित कर सकता है। हमने हाल ही में उड़ीसा के लिये अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, पहले पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुल विकास पर निगरानी रखने के लिये एक मंत्रीमंडलीय उपसमिति थी। इन क्षेत्रों में अनेक स्थायी समस्याएं हैं और औद्योगिक रूप से पिछड़ापन है। विद्रोह आदि जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक मंत्री-मंडलीय उपसमिति का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक विकास की निगरानी के लिये किया गया था। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उस मंत्रीमंडलीय उपसमिति को खत्म कर दिया है या क्या उस क्षेत्र के लिये उस समिति का गठन किया जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं देश के अन्य भागों की तुलना में विशेष हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि उस मंत्रीमंडलीय उपसमिति के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मुरासोली मारन : मुझे यह कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मुझे किसी मंत्रीमंडलीय उपसमिति की कोई जानकारी नहीं है परंतु आज के इस उदारता के युग में हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनकी स्थापना के लिये लाइसेंस लेना जरूरी है। हम उस दिशा में कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं और हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ निवेश कर सकते हैं। अन्यथा लाइसेंस के बिना स्थापित होने वाले उद्योगों में तो निजी क्षेत्र की ही भूमिका है और स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र अपने मुनाफे की ओर ज्यादा देखता है। अतः बेहतर स्थिति वाले राज्य निजी क्षेत्र को आकर्षित कर सकते हैं। इस बीच, जैसा कि मैंने पहले बताया है, हम जो कुछ संभव है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इसके लिये अंततः मंत्रालय समन्वय की बहुत जरूरत है और इसी संदर्भ में उक्त उपसमिति का गठन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री घाटोवार, वह समिति उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। वह गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्री उस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य मंत्री भी उसमें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति है और गृह मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस समिति को फिर से जीवित किया गया है अथवा नही। मै नहीं समझता कि इस मंत्री के पास उसकी जानकारी होना जरूरी है क्योंकि वह गृह मंत्रालय के अधीन है।

पूंजी बाजार संबंधी समिति

*323. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार के लिए बुनियादी सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) अक्तूबर, 1994 में वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में तत्कालीन आर्थिक सलाहकार डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण के संबंध में एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया था। दल में शामिल अन्य सदस्य इस प्रकार थे :

1. श्री के. के. भटनागर, अध्यक्ष, आवास और शहरी विकास निगम।

2. श्री शितिन देसाई, उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, डी.एस.पी. वित्तीय कंसलटेन्ट्स।

3. श्री गजेन्द्र हल्दिया, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।

4. श्री प्रतीप कर, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

5. श्री एस.के.एन. नायर परामर्शदाता (पूर्व सदस्य, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण और पूर्व सदस्य दूर-संचार आयोग)।

6. श्री योगेन्द्र नारायण, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

7. श्री रवि पार्थासारथी, उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंनशियल सर्विसेज लि०।

8. श्री आर. एच. पाटिल, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज।

9. श्री एस. डी. सक्सेना, वित्तीय सलाहकार, महानगर टेलीफोन निगम लि.।

10. डॉ. प्रणब सेन, आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग।

11. श्री प्रदीप शाह, प्रबन्ध निदेशक, इंडोनेशियन फंड मैनेजमेंट।

12. श्री सिद्धार्थ श्रीराम, प्रबन्ध निदेशक, श्रीराम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि.।

13. श्रीमती अनीता सोनी, उप-महा-निदेशक, दूर-संचार विभाग।

14. श्री आर. वेंकटेसन, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक।

15. डॉ. अरविन्द विरमानी, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।

16. श्रीमती ललिता डी. गुप्ते, उप-प्रबन्ध निदेशक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (सदस्य सचिव)।

विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं– आधारभूत क्षेत्र के शासित करने वाले विद्यमान कानूनी ढाचे की समीक्षा करना और निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुसाध्य बनाने के लिए उचित संशोधनों की सिफारिश करना; आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने को सुगम बनाने हेतु उपयुक्त संस्थागत प्रबन्धों की सिफारिश करना; आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की सहभागिता की जांच करना और उसे सुसाध्य बनाने के लिए सिफारिशें करना; और यह सिफारिश करना कि निजी अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों को आधारिक संरचना के विकास के लिए सर्वोत्तम ढंग से किस तरह काम में लाया जा सकता है।

(ग) विशेषज्ञ दल ने 22 जून, 1996 को वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, इसमें मुझे बताया गया है कि एक्सपर्ट ग्रुप की जो रिपोर्ट है वह 22 जून, 1996 को उनके पास आ गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि इस ग्रुप की रिकमेंण्डेशंस क्या थीं और इन्होंने जो इस बार यह बजट बनाया है, उस बजट के अंदर उनमें से कितनी रिकमेण्डेशंस इनकारपोरेट की हैं। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि बजट आने के बाद शेयर मार्किट के अंदर जो गिरावट आई है उसने हमारी सारी इकोनोमी को शेक-अप कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो रिकमेण्डेशंस की हैं क्या वह हाउस के टेबल पर रखेंगे और साथ ही यह जो फ्लक्चुएशन चल रही है, इस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो अध्यक्ष जी, अगर इतनी बेबसी फाइनेंस मिनिस्टर दिखायेंगे तो हमारी इकोनोमी कैसे सुधरेगी तथा देश कहां जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, समिति रिपोर्ट मुझे 22 जून, 1996 को प्रस्तुत की गई थी और उस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक दल की मुख्य सिफारिशों का संबंध है वे वित्तीय रियायतों, आधार ढांचा परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय मसलों, इन्शोरेंस, भविष्य

निधि तथा पेन्शन निधि, विदेशी मुद्रा बाजारों, विदेशी वाणिज्यिक ऋणों, ऋण बाजार सुधारों, विनियामक सुधारों और ऋण बाजार के विकास के लिये संस्थागत सुधारों आदि से संबंधित हैं। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और जैसे ही उन पर निर्णय कर लिये जायेंगे, उनकी घोषणा कर दी जायेगी।

जहां तक पूंजी बाजार का संबंध है मैं नहीं समझता कि इस रिपोर्ट का पूंजी बाजार से कोई संबंध है और मैं यह भी नहीं समझता कि जो कुछ मेरे बजट प्रस्ताव हैं उनका भी पूंजी बाजार पर कोई असर है। यदि माननीय सदस्यों को इसमें कोई सन्तोष होता है तो मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में से 6 सालों में बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में हमेशा और विशेषरूप से 1993, 1994 और 1995 में गिरावट आई है। परंतु यह बात इस प्रश्न से किसी तरह भी जुड़ी हुई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, इसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी उनमें प्रमुख रूप से

[अनुवाद]

आधार ढांचा परियोजनाओं के लिये धन जुटाने को सुगम बनाना और निजी क्षेत्र की साझीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये उपयुक्त सुधारों की सिफारिश करना

[हिन्दी]

दो थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिये आपके पास क्या क्या रिकमेन्डेशंस हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : यह बहुत बड़ी रिपोर्ट हैं। इसमें एक हजार से ऊपर पृष्ठ हैं। अगले सप्ताह तक मैं इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के ग्रंथालय में रख दूंगा। इस रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा होनी चाहिये क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं इसे अगले सप्ताह के आरंभ में संसद में रख सकता हू। मैं सभा की अगली बैठक होने पर इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। परंतु अगले सप्ताह मैं इसे संसदीय ग्रंथालय में रख दूंगा। यह बहुत बडी रिपोर्ट है। इसे ठीक से मुद्रित करायेंगे और इसे सभा पटल पर रख देंगे। अभी यह मुद्रित कराई जा रही है।

महोदय, इसके निर्देश पद हैं : इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित वर्तमान कानूनी ढांचे की पुनरीक्षा ताकि निजी क्षेत्र की सहभागिता सुगम हो सके, इन्फ्रास्ट्रक्चरल परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने को सुगम बनाने हेतु समुचित संस्थागत प्रबंधों के बारे में सिफारिशें करना : इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्त पोषण में निजी और सरकारी क्षेत्र में साझीदारी को आसान बनाने के लिये सिफारिश करना : और इस बारे में सिफारिशें करना कि निजी अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के आगम का किस तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये लाभ उठाया जा सके।

यदि हम इन सभी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लें और उनको कार्यान्वित भी कर दें तो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिये अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र से ही आयेगी। मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश पर बहुत महत्त्व देता हूं। मैं निजी क्षेत्र की साझीदारी को प्रोत्साहन दूंगा और मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की साझीदारी को भी प्रोत्साहन दूंगा।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न उत्तर से संबंधित है और प्रश्न से नहीं। चूंकि प्रश्न पूंजी बाजार से संबंधित है और उत्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में है।

श्री पी. चिदम्बरम : प्रश्न पूंजी बाजार के बारे में नहीं है।

श्री सुरेश प्रभु : जी हां। वास्तव में प्रश्न का शीर्षक 'पूंजी बाजार' है।

संयुक्त मोर्चा सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम कहता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये कम से कम 200 बिलियन डालर के निवेश की जरूरत है। यह लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इस साल के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए केवल 10 बिलियन डालर के बराबर लक्ष्य रखा गया है। नई वित्त कम्पनियों की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है परंतु पूंजी परिव्यय 100 करोड़ रुपए है। इस तरह शायद हमें वास्तव में इस अनुमानित राशि को हासिल करने के लिये अर्थात् 200 बिलियन डालर के लिये जो इन्फ्रास्ट्रचर क्षेत्र में निवेश के लिये जारी है, काफी ज्यादा समय की जरूरत होगी।

अतः माननीय मंत्री से मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बद्ध निवेश कोंकण जैसे अविकसित क्षेत्रों के लिये जुटाया जायेगा और उसका उपयोग विशेष रूप से इन अल्प-विकसित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने और सड़कों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा। दूसरे मैं यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार विदेशी निवेशकों को प्रति-गारंटी देगी या नहीं। हमने हमेशा देखा है कि बडी मात्रा में निवेश आ रहा है परंतु प्रति-गारंटी हासिल करने में दिक्कत आ रही है। क्या रिपोर्ट में प्रति-गारंटी देने की सिफारिश की गई है ? यदि राज्य सरकारें गारंटी देने के लिये आगे आ रही हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रति-गारंटी मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो किन शर्तों पर और क्या अल्प-विकसित क्षेत्रों को ऐसा निवेश हासिल हो सकेगा ?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे मित्र ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। मैं

आई.डी.एफ.सी. के साथ शुरू करता हूं।

आई.डी.एफ.सी. की कुल पूंजी 5000 करोड़ रुपए है।

श्री सुरेश प्रभु : यह अधिकृत पूंजी है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने इस साल के लिये केवल 100 करोड़ रुपए का ही प्रावधान नहीं किया है परंतु बजट में 1000 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 500 करोड़ रुपए बजट में दिये गये हैं और 500 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि आपने गलत समझा है।

श्री सुरेश प्रभु : बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं। 500 करोड़ रुपए आई.डी.एफ.सी. के लिये हैं और 500 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा होगा। 100 करोड़ रुपए तो 'नाबार्ड' के लिये हैं।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र बाहर जायें और लोगों को बत।यें कि हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का नहीं।

महोदय, दूसरे जहां तक अनुमान का संबंध है, यह सच है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अनुमान लगाया गया था कि हमारी जरूरत अगले पांच साल के लिये लगभग 200 बिलियन डालर की होगी।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरत 115 बिलियन डालर से 130 बिलियन डालर के बीच है। परंतु तब जब विशेषज्ञ समूह ने मामला क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों के हाथ में दिया तो उन्होंने सिफारिशें की जिनसे पता चलता है कि कुल जरूरत लगभग 175 बिलियन डालर से 180 बिलियन डालर के बीच होगी। अतः क्या 130 बिलियन डालर की बात कर रहे हैं जिसका रिपोर्ट में उल्लेख है या 200 बिलियन डालर की जैसा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम मे कहा गया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये बहुत बडी राशि की जरूरत है। यदि हमने राशियों की - चाहे सार्वजनिक राशि, निजी क्षेत्र की राशि या अर्ध-सरकारी राशि की व्यवस्था नहीं की, हम भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्व-स्तर के निकट भी नहीं ले जा सकेंगे।

इन्फ्रस्ट्रक्चर की व्याख्या क्या है ? जहां तक सरकार का संबंध है, आज मेरा, मतलब है बजट तक हमने सड़कों, राजमार्गों, पुलों, नए हवाई अड्डों, बन्दरगाहों एवं रेल प्रणालियों को इन्फ्रस्ट्रक्चर के अन्तर्गत रखा था। चालू बजट में मैंने चार नए क्षेत्र इनमें जोडे हैं वह हैं : सिंचाई, जल आपूर्ति, सफाई और सीवर प्रणाली। आज हमारे पास 10 ऐसे क्षेत्र हैं जो इन्फ्रस्ट्रक्चर के अधीन आते हैं। हमने अनेक कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य ने कुछ का उल्लेख किया है। मैंने धारा 88(1) (क) के अधीन मिलने वाली पांच साल की कर छूट का उपबन्ध सभी इन्फ्रस्ट्रक्चर निवेश के लिये किया है। मैंने धारा 88 के अधीन 10,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी दी है।

मैंने व्यवस्था की है कि इन्फ्रस्ट्रक्चर के लिये धनराशि कर दायित्व के बिना आगम हो सके। हमने आई.डी.एफ.सी. की स्थापना की है और हमने धनराशियां जुटाने के लिये 2 प्रतिशत विशेष आयात शुल्क लगाया है जिस से इन्फ्रस्ट्रक्चर में हमारे द्वारा निवेश की जाने वाली राशि के बराबर होगी।

अब, यह राशियां उन क्षेत्रों के लिये ही उपलब्ध कराई जायेंगी जहां इन्फ्रस्ट्रक्चर कमजोर है और पिछडे क्षेत्र भी उसमें आ जायेंगे। देश के पिछडे राज्य भी उसमें आते हैं। मेरे मित्र श्री मारन ने कुछ समय पूर्व बताया कि इन राशियों को प्राप्त करने के लिये, इन्फ्रस्ट्रक्चर में इन राशियों के खर्च करने के लिये उन राज्यों में समुचित निवेश एव बाजार में उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। जब तक राज्य सरकारों ने इन राशियों को प्राप्त करने के लिये अपनी तैयारी न की जैसा कि महाराष्ट्र ने किया है या गुजरात ने, यह निवेश हासिल करने के लिये किया है-- आपकी धनराशियों का किसी तरह का लाभ राज्यों को नहीं मिल सकेगा। परंतु मैं आई.डी..एस.सी. के माध्यम से अधिकांश निवेश पिछड़े राज्यों में कराने के लिये बहुत कोशिश करूंगा। यदि मैं इस अवसर पर अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि इसका काफी हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों में भी जाये।

श्री सुरेश प्रभु : प्रति गारंटियों का क्या होगा ?

श्री पी. चिदम्बरम : हमारी यह मंशा नहीं है कि किसी नई परियोजना के लिये कोई प्रति-गारंटी न दी जाये।

विदेशी ऋण

*324. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री बृज मोहन राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी तथा घरेलू ऋणदाताओं का भारत पर कुल कितना ऋण है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी तथा घरेलू ऋणदाताओं को ब्याज की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान घरेलू ऋणदाताओं को ऋण तथा ब्याज की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना था; और

(घ) विदेशी तथा घरेलू ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख), (ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश का विदेशी ऋण और ऋण शोधन निम्नानुसार हैं :

बकाया विदेशी ऋण (अवधि के अन्त में)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मार्च, '94	मार्च, '95	सितम्बर, '95
92,695	99,042	93,843

*अद्यतन उपलब्ध

विदेशी ऋण शोधन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	1993-94	1994-95	1995-96**
मूलधन	4,475	6,825	8,166
ब्याज	3,818	4,130	4,476

** अनंतिम

भारत सरकार का आन्तरिक ऋण और अन्य देनदारियां निम्नानुसार हैं :

केन्द्रीय सरकार का संचयी आन्तरिक ऋण और अन्य देनदारियां

(करोड़ रुपए)

मार्च, '94	मार्च, '95	मार्च, '96@
4,30,323	4,87,382	5,52,744

केन्द्रीय सरकार के आन्तरिक ऋण और अन्य देनदारियों के संबंध में ऋण शोधन

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96 @
मूलधन	58,482	57,562	63,963
अदायगिया*			
ब्याज	33,017	40,023	47,101

@ संशोधित अनुमान

* 91 दिन की राजकोषीय हुंडियों, प्रारक्षित निधियों और ब्याज न लगने वाली जमाराशियों तथा उचंत लेनदेनों के उन्मोचन के अतिरिक्त।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, ऋण लेने की कल्पना को रद्द नहीं किया जा सकता। यदि इसकी जरूरत हो यदि ऋण की मात्रा प्रबंध किये जाने योग्य है और यदि इसका उचित उपयोग किया जाये तभी इसे रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि सरकार पिछले अनेक सालों में इन विभागों में असफल रही है और हम ऋण फंदे के निकट पहुंच चुके हैं। वास्तविक चिंता इस बात की है कि ऋण का उपयोग कैसा है। यदि उस राशि का उचित उपयोग किया जाये तो इसका फायदा हो सकता है और यदि इसका उचित उपयोग न किया जाये तो यह राशि अभिशाप बन सकती है।

मैं इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में विदेशी ऋणों की कितनी मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सका और उसकी प्रतिशतता क्या है, हमने इसके लिये प्रतिबद्धता प्रगारों के रूप में कितनी राशि अदा की है और विदेशी ऋण राशि का उपयोग बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, तीन-चार दिन पहले इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया था। जो प्रश्न अब मुझ से पूछा गया है वह ऋणों की उपयोग में न लाई राशि के बारे में नहीं है। उपयोग में न लाई गई सहायता राशि जो रियायत पर मिलने वाली सहायता है, एक अलग प्रश्न है और मैंने इसका उत्तर विस्तार में दिया था।

परंतु अपनी याददाश्त के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में प्रतिबद्धता प्रगारों की राशि प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए से नीचे रही है। जब तक हम वास्तव में राशि का आहरण न कर लें हम उस पर ब्याज की कोई अदायती नहीं करते। हमें केवल प्रतिबद्धता प्रगार अदा करने पड़ते हैं।

अपनी याद्दाश्त के आधार पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उपयोग में न लाई गई विदेशी सहायता, रियायती सहायता-रियायती सहायता जिसे कहां किया जाता है वास्तव में वह ऋण है 50,000 करोड़ रुपए है। महोदय, यह प्रश्न देश के आन्तरिक एवं विदेशी ऋण और वास्तव में आहरित राशि के संबंध में है।

श्री प्रमोद महाजन : जी नहीं, इसमें यह स्वाभाविक रूप से आ जाता है। आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा। वह एक अलग प्रश्न है और उसके लिए मुझे आंकड़े प्राप्त करने होंगे। मेरे पास वे आंकडे नहीं हैं। मैं आपको वे आंकड़े भेज दूंगा। मैंने 2 दिन पूर्व इसी सदन में या राज्य सभा में इसका उत्तर दिया था। **(व्यवधान)** केवल 2 दिन पूर्व मैंने इसका उत्तर दिया था। मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं। ... **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न विदेशी ऋण और ऋण सेवा अनुपात के बारे में है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रासंगिक प्रश्न है।

श्री प्रमोद महाजन : यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो मेरे विचार से हमारा ऋण सेवा अनुपात 25 से 26 प्रतिशत है। आज हम क्या देखते हैं कि इस ऋण सेवा अनुपात के प्रबन्ध के लिये हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा और हमारी अदृष्य वसूलियों में भी वृद्धि होनी चाहिये। पिछले दोनों आर्थिक सर्वेक्षणों में निर्यात में वृद्धि और अदृष्य वसूलियों में वृद्धि पर भी चिंता का उल्लेख है। इस स्थिति में माननीय वित्त मंत्री ऋण सेवा अनुपात को किस तरह कम करेंगे ? इस संबंध में वे क्या कदम उठायेंगे ?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वास्तव में ऋण सेवा अनुपात 1994-95 की तुलना में 1995-96 में कम हुआ है, हालांकि बहुत ही सीमान्त कमी है। ऋण सेवा अनुपात को चालू वसूलियों की प्रतिशतता के रूप में ऋण सेवा अदायगी के रूप में व्याख्या की जाती है। 1994-95 में ऋण सेवा अनुपात 26.63 प्रतिशत था और 1995-96 में यह 25.64 प्रतिशत था। इस तरह इसमें एक प्रतिशत की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह है कि पिछले साल निर्यात में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों में निर्यात में डालरों के रूप में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई।

परंतु एक अन्य अनुपात भी है जो प्रासंगिक है। वह जीडीपी और ऋण का अनुपात है। इसमें काफी गिरावट आई है। वर्ष 1991-92 में जीडीपी अनुपात 41 प्रतिशत था। अगले साल यह अनुपात 39 प्रतिशत हो गया। 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में यह अनुपात क्रमशः 36.26 प्रतिशत, 32.97 प्रतिशत और 29.13 प्रतिशत था। इस तरह ऋण और जीडीपी के अनुपात में तेजी से कमी आ रही है और इसमें काफी कमी आ गई है। अतः मैं नहीं समझता कि हम ऋण के फंदे के निकट हैं। यद्यपि, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, जैसा कि हमने विदेशी ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि यह चिंता का विषय हुआ है और मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वर्तमान वसूलियां बढ़ती रहें, निर्यात में तेज गति से वृद्धि हो और हमारी जीडीपी विकास भी सात प्रतिशत से ऊपर बना रहे। यदि जीडीपी की विकास दर सात प्रतिशत से ऊपर रही और निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि जारी रही और यदि हम सब ने बुद्धिमतीपूर्ण आर्थिक नीतियां बनाईं—(**व्यवधान**) यदि हम सब ने अदृष्य वसूलियों को प्राप्त करने के लिये बुद्धिमत्ता से भरी आर्थिक नीतियां तैयार कीं, ताकि विदेशी पर्यटक देश में आते रहें, तो मेरे विचार से इसका प्रबंध करने में हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा... (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, केवल आधा मिनट और।

वित्त मंत्री महोदय क्या सरकार ने किसी समय विदेशी ऋणों और निर्यात के बीच कोई अध्ययन किया है ? क्या विदेशी ऋण में वृद्धि निर्यात में वृद्धि से सम्बद्ध है और इस पर क्या प्रभाव है ?

श्री पी. चिदम्बरम : वास्तव में यदि आप उत्तर में दिये गये आंकड़ों को देखेंगे तो देखेंगे कि मार्च 1995 में विदेशी ऋण 99 बिलियन डॉलर था। सितम्बर 1995 में यह कम हो कर 93.8 बिलियन डॉलर रह गया। परंतु मैं स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि 5.2 बिलियन डॉलर की कमी में से 66 प्रतिशत अर्थात् दो-तिहाई डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण और एक-तिहाई अदायगी के कारण है। 5.2 बिलियन डॉलर की इस गिरावट का श्रेय मैं नहीं लूंगा—मैं इसका श्रेय लेने का हकदार हूं सरकार श्रेय लेने की हकदार है—उसने 1.7 बिलियन डॉलर के ऋण की अदायगी कर दी है। इस तरह हमें विश्वास है कि हमारे निर्यात में वृद्धि तथा जीडीपी में वृद्धि से हमें ऋण अदायगी के लिये पर्याप्त राजस्व मिल जायेगा। यह ऋण कुछ ही समय में बिल्कुल खत्म नहीं हो जायेगा। हमें विश्वास है कि ऋण पूरी तरह काबू में है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस कुल ऋण में से अल्पावधि ऋण का अनुपात पांच प्रतिशत से कम है।... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी सामान्य स्थिति कब तक आयेगी जब कि देश को ऋण मुक्त किया जा सके। क्या सरकार के पास निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना है जिससे देश को ऋण मुक्त किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाना कोई अच्छा विचार है। यह अच्छा अर्थशास्त्र नहीं है। ऋण क्या है ? ऋण का यह अर्थ है कि हम किसी दूसरे देश की बचतों का उपयोग कर रहे हैं। यदि किसी अन्य देश की बचतों का उपयोग हमारे देश में किया जा सकता है तो वह अच्छा है। महत्त्वपूर्ण बात यह है जिसका माननीय सदस्य, श्री महाजन ने उल्लेख किया है और वह यह है कि क्या हम अपनी मेक्रो-आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाये बिना ऋण पर ब्याज देने की स्थिति में हैं ?

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैक्सिको के हालात को ध्यान में रखते हुए और हमारे देश के उत्पादन और निर्यात की ताकत को देखते हुए क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि हमारे देश की वित्तीय स्थिति अच्छी है या यह कह सकते हैं कि जहां तक इन घरेलू अथवा विदेशी ऋणों को जुटाने का संबंध है हम अभी चिंताजनक स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं। लोग ऋण अदा करने के लिये उन मांगों को पूरा कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं मैक्सिको पर विशेषज्ञ नहीं हूं। परंतु मैने मैक्सिको संकट के बारे में कुछ लेख पढ़े हैं जिनमें बताया गया है कि उसका विनाश कैसे हुआ। वास्तविक कारण यह था कि मैक्सिको के अल्पावधि ऋणों का अनुपात बहुत अधिक था और करैन्सी का उनका प्रबन्ध बहुत कमजोर था। खैर कुछ भी हो, मैं उस तथ्य का सहारा नहीं ले रहा। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हमारी निर्यात विकास दर ऊंची है। हमारा जीडीपी 6 प्रतिशत और 7 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यदि हमने ऐसी नीतियों का अनुसरण जारी रखा जिनसे विदेशी निवेश आकर्षित हो और साथ ही अनिवासी भारतीयों की जमाओं तथा पर्यटन से मात्रा में भी वृद्धि हो। जब तक देश में विदेशी मुद्रा का आगम ठीक है तो ऋण फंदे की कोई आशंका नहीं है। विदेशी ऋण रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह चिंता का विषय है"। परंतु मैं 'चिंताजनक' जैसे किसी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। हमें ऋण के प्रबन्ध के बारे में बहुत ही सावधान और समझदार होना चाहिये। परंतु हमें विश्वास है कि हम अपने ऋण के प्रबंध में समर्थ हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सबसे पहले मुझे आंकड़ों को लेकर हैरानी है। उनके बजट विवरण के अनुसार चालू वर्ष में हमें ऋणों पर 60,000 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में अदा करने पड़ेंगे। पिछले साल यह राशि 52,000 करोड़ रुपए थी। परंतु जमा करने से आंकड़े नहीं मिलते। उदाहरण के रूप में सितम्बर 1995 के अंत पर विदेशी ऋणों पर ब्याज अदायगी 44760 लाख डॉलर थी और आन्तरिक ब्याज अदायगी 47,000 करोड़ रुपए थी। इन दोनों को जोडने से 60,000

करोड़ रुपए बनते हैं जबकि उनके वक्तव्य में कहा गया है कि चालू वर्ष के अंत पर यह राशि 52,000 करोड़ रुपए होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर चाहते हैं तो अपना प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऋण ब्याज अनुपात का प्रबंध बहुत आसान है। इसका कारण यह है कि हमारी विकास दर सात प्रतिशत है और मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत है। अतः आप इस 17 प्रतिशत को जमा के रूप में मान लें।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं दूसरे भाग के लिये आपका बहुत आभारी हूं। यह काफी सहायक है। परंतु पहला प्रश्न बहुत बुद्धिपूर्ण है। 4.4 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण ब्याज केवल सरकारी ऋणों पर न होकर निजी एवं वाणिज्यिक ऋणों के ब्याज को जोड़ कर है। ऋणों पर इस ब्याज में वाणिज्यिक ऋण भी सम्मिलित हैं। घरेलू ऋणों पर ब्याज 47101 करोड़ रुपए है। सरकारी लेखे पर विदेशी ऋणों पर ब्याज 4899 करोड़ रुपए है। इनका कुल जोड़ 52,000 करोड़ रुपए बैठता है। 4.4 बिलियन डालर की इस राशि में केवल सरकारी ऋणों पर ब्याज ही सम्मिलित नहीं है। परंतु इसमें निजी एवं वाणिज्यिक कम्पनियों, निर्यातकों आदि द्वारा लिये गये ऋण भी सम्मिलित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कपड़ा उद्योग के लिए बाजार

*325. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता नियंत्रण को लागू न किए जाने और निर्धारित समय पर डिलीवरी न दे पाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग की पकड़ ढीली होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) हमारे समग्र वस्त्र तथा परिधान उद्योग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लागू न करने तथा सुपुर्दगी संबंधी समय-सारणी के अनुपालन में विलम्ब के कारण विदेशी बाजार घटने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि ऐसा कुछ विशिष्ट निर्यातकों के संबंध में सही हो सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एमएमटीसी द्वारा निर्यात-आय की वसूली में विलम्ब

*326. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1996 के "द इकोनामिक टाइम्स" में "एमएमटीसी ब्लैकलिस्टेड फार एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डिले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है :

(ख) यदि हां, तो निर्यात-आय की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएमटीसी को निर्यात-आय की वसूली में विलम्ब करने के मामले में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1996 में एमएमटीसी को इस विषय पर कुछ निर्देश दिए थे। फरवरी, 1996 में एमएमटीसी ने ज्यों ही इस मामले पर आर बी आई को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, त्यों ही निर्देश वापस ले लिए गए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995-96 में एमएमटीसी द्वारा किए गए 1,320 करोड़ रुपए के कुल निर्यात की तुलना में 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार केवल 50.11 करोड़ रुपए अर्थात् 5% से भी कम रकम की वसूली बकाया थी। निर्यात आय वसूलने में विलम्ब होने के कारणों में शामिल हैं—वित्तीय कठिनाइयों की वजह से एक देश द्वारा गेहूं के निर्यात के लिए भुगतान न करना, विदेशी क्रेताओं की दिवालियापन की वजह से भुगतान न करना और वाणिज्यिक विवाद, इत्यादि। एमएमटीसी ने निर्यात आय की वसूली के लिए जहां व्यवहार्य है वहां कानूनी कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों का बंद किया जाना

*327. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कपड़ा मिलों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मिलों के बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गुजरात की रुग्ण बंद कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण हेतु सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) गुजरात की वस्त्र मिलों में कार्यरत कामगारों की संख्या लगभग 1.78 लाख है।

(ख) और (ग) 31.5.1996 तक की स्थिति अनुसार गुजरात में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिल बंद नहीं थी। 23 मिलें परिसमापन अधीन बंद थीं तथा 32 मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाईयों के कारण बंद थीं। प्रभावित कामगारों की संख्या 93741 थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने और उनके पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजनाएं बनाने और स्वीकृत करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

सरकार ने 31.12.93 तक की स्थिति अनुसार वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत गुजरात में 47 मामलों के संबंध में आधुनिकीकरण सहायता के रूप में 180.00 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में एन.टी.सी. की मिलें

*328. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा कुल कितनी कपड़ा मिलें चलाई जा रही हैं;

(ख) इन मिलों के कार्यकरण को सुसंगत और सुचारू बनाने के लिए यदि कोई योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्यकरण को सुसंगत बनाने की नीति के अंतर्गत किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से मध्य प्रदेश के एककों में कार्यकरण को सुसंगत बनाने की योजना के कार्यान्वयन तथा इन मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (धारक कंपनी) के अंतर्गत 120 राष्ट्रीयकृत मिलें हैं तथा इसके 9 सहायक निगम हैं।

(ख) से (घ) अप्रचलित मशीनों, आधुनिकीकरण की कमी तथा कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन.टी.सी. को घाटे हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप उसकी निवल पूंजी घट गई है। इसके परिणामस्वरूप एन.टी.सी. के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बीआईएफआर को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने वर्ष 1995 में एन.टी.सी. की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रुपए की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण करना तथा 35 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षण एककों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना, बेशी कार्यबल का सुव्यवस्थीकरण करना आदि शामिल हैं। यह योजना सामान्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण योजना के अनुरूप है। आधुनिकीकरण के लिए निधियों की व्यवस्था एन.टी.सी. की मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपतियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से की जाएगी। संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना में एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लि. के अधीन 7 मिलें शामिल हैं। एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) के अधीन 7 मिलों में से 2 गैर-अर्थक्षम मिलों को एक अर्थक्षम एकक में मिला दिया जाएगा तथा बाकी 6 एककों को 203.69 करोड़ रुपए के परिव्यय से आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। आधुनिकीकरण योजना को क्रियान्वयन से पहले बीआईएफआर के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। फिलहाल कामगारों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए सरकार मजदूरियों और वेतन का भुगतान करने में एन.टी.सी. मिलों के सामने पेश आ रही कमी को पूरा कर रही है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

*329. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशेषतः धनबाद की विभिन्न कोयला खानों में आग लगने से लाखों लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां तो कोयले की खानों में लगी आग से हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के भंडार तथा लाखों लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए खानों में लगी आग पर नियंत्रण तथा इसे बुझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं। किन्तु, सतही कोयला खान आगों, विशेषकर धनबाद जिले के झरिया कोयला क्षेत्र की आगों से, इन आगों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रभावित किए जाने की संभावना है, जिससे उक्त व्यक्तियों को आग क्षेत्रों से स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) जबकि किसी व्यक्ति के मृत होने की कोई सूचना नहीं है, किन्तु इन सतही कोयला खान की आगों के कारण कुछ सम्पत्ति की हानि हुई है। इन आगों में कोयले की हानि कोयले के एक मुख्य कार्बन-युक्त ईंधन होने के कारण अपरिहार्य है। कोयले के भंडारों की हानि होने का अनुमान, इन पहुंच-रहित आगों के कारण, लगाया जाना बहुत कठिन कार्य है। किन्तु, झरिया कोयला क्षेत्र की आगों के संबंध में, जिसमें कि ऐसी आगें अधिक संख्या में हैं, कुछ वर्ष पूर्व एक अध्ययन किया गया था, जिसमें मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया था कि इन आगों से कोयले के लगभग 37 मिलियन टन के भण्डारों की हानि हुई है।

(ग) इन सतही आगों की मुख्य समस्या बिहार के धनबाद जिले के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान हैं, जहां कि 22 आग परियोजनाएं ऐसी आगों से निपटने के लिए 114.57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं। झरिया कोयला क्षेत्र की आगों की समस्या के दीर्घावधि समाधान का पता लगाए जाने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक नैदानिक अध्ययन जून, 1996 को पूरा कर लिया गया है। अंतिम रिपोर्ट को तैयार किए जाने के संबंध में कार्यवाई, इस प्रयोजन से नियोजित किए गए परामर्शदाता द्वारा शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड सुविधा

*330. **श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों को क्रेडिट कार्ड धारकों की चूक के कारण घाटा उठाना पड रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस कारण से आज तक चूक की कुल संचित राशि बैंक-वार कितनी है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने स्वयं या अन्य बैंकों के सहयोग से क्रडिट कार्ड जारी किए हैं :

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. इंडियन ओवरसीज बैंक
3. आन्ध्रा बैंक
4. इलाहाबाद बैंक
5. केनरा बैंक
6. कारपोरेशन बैंक
7. विजया बैंक
8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
10. बैंक आफ इंडिया
11. बैंक आफ महाराष्ट्र
12. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
13. यूनियन बैंक आफ इंडिया
14. सिंडिकेट बैंक
15. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
16. देना बैंक

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछले तीन वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्डों में चूकों के कारण हुई हानियों को बट्टे खाते डालने की सूचना दी है :

			(रुपए लाख में)	
क्रम सं.	बैंक का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	सिंडिकेट बैंक	0.41	शून्य	शून्य
2.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	शून्य	शून्य	0.01
3.	बैंक आफ इंडिया	शून्य	3.12	शून्य
4.	विजया बैंक	शून्य	0.02	12.94
5.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	शून्य	शून्य	0.36
6.	बैंक आफ बडौदा	शून्य	0.23	4.45
7.	आन्ध्रा बैंक	1.06	3.82	9.71
8.	केनरा बैंक	1.75	10.69	16.86

(घ) बैंकों ने अतिदेय राशियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं के क्रेडिट कार्ड को छलपूर्वक प्रयुक्त कार्ड की सूची में डालने, कार्डों का नवीकरण करने से मना कर देने, व्यक्तिगत सम्पर्क से अनुवर्ती कार्रवाई करने, कानूनी नोटिसें जारी करने, चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर करने, आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। बैंक संभाव्य कार्डधारकों के परिचय पत्र से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही केवल चयनात्मक आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं।

मैसूर स्थित करेंसी मुद्रणालय

*331. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित करेंसी मुद्रणालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) उक्त मुद्रणालय की स्थापना हेतु कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है;

(घ) उक्त मुद्रणालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्थानीय व्यक्तियों तथा इस हेतु अपनी जमीन देने वाले लोगों को वहां रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हा।

(ख) 1 जून, 1996 से।

(ग) मई, 1996 की समाप्ति पर 228 करोड़ रुपए (लगभग)।

(घ) जून, 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार 234

(ङ) और (च) स्टाफ की भर्ती के मामले में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने को जब्त किया जाना

*332. **श्री मोहन रावले** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 जुलाई, 1996 को फ्रैंकफर्ट-दिल्ली लुफथांसा विमान की खाद्य ट्राली के ड्राई-आइस कम्पार्टमेंट में बडी मात्रा में छिपाए गए सोने के बिस्कुट जब्त किए गए थे;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया;

(घ) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध बताए गए मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में तैनात सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 1.09 करोड़ रुपये के मूल्य के 21.45 किलोग्राम वजन सोने के 184 बिस्कुट पकड़े थे जिन्हें लुफथांसा एअरलाइन्ज की 9.7.1996 को फ्रैंकफर्ट से आई उड़ान संख्या एल.एच. 760 की दो फूड ट्रालियों के ड्राई-आइस कम्पार्टमेन्ट में छुपाया हुआ पाया गया था। जांच-पड़ताल से पता चला है कि दो यात्रियों द्वारा उड़ान के खान-पान यूनिट के चार कर्मचारियों के साथ मिलिभगत करके पकड़े गए सोने की तस्करी किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। सभी दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के अभिग्रहण और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (किलो ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1993-94	64.459	287.45	33
1994-95	54.619	255.11	25
1995-96	105.830	512.60	27
1996-97 (30.6.96 तक)	30.000	158.88	4

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के सिलसिले में जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए हैं, उनकी संख्या और मुकदमों की स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया है	मुकदमे की स्थिति: साक्ष्य स्तर पर	निर्णित	फरार
1993-94	34	28	5	1
1994-95	19	15	3	1
1995-96	27	27	-	-
1996-97 (30.6.96 तक)	3	3	-	-

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी निवेश

*333. **श्री काशीराम राणा :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितना विदेशी निवेश किया गया; और

(ख) उक्त निवेश में से पिछड़े क्षेत्रों में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित अनिवासी भारतीयों से प्राप्त निवेश प्रस्ताव इस प्रकार है :

(रुपए करोड़ में)

1993	1994	1995
3249.92	5123.41	6416.06

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

धनराशि आकर्षित करने संबंधी बैंक योजनाएं

*334. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा धनराशि आकर्षित करने के उद्देश्य से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यकरण का राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के आकार और कार्यों की विविधता के परिणामस्वरूप इनकी तुलना गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के साथ नहीं की जा सकती और इसलिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां भारतीय स्टेट बैंक/सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत नहीं करती हैं। बैंकों को संरक्षण प्रदान करने वाले जमाकर्ता ऐसा कई कारणों से करते हैं, जिनमें जमाराशियों की सुरक्षा, चैकों और अन्य लिखतों के प्रेषण और संग्रहण जैसी प्रदान की जानेवाली सेवाओं के पैकेज, सुरक्षित अभिरक्षा सुविधाएं आदि शामिल हैं. जो कि गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदान नहीं की जातीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुरस्कार राशि

*335. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मादक द्रव्य के तस्करों को पकड़वाने की सहायता देने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन

*336. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है और यदि हां, तो इस पैकेज के अन्तर्गत वर्षवार और उद्योगवार क्या उपलब्धि हुई;

(ख) निर्यात संवर्धन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नई नीति तैयार की है तथा चालू वर्ष और अगले दो वर्षों के लिए भावी कार्यक्रम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोत्साहन के लिए देश के कानूनी ढांचे में समुचित परिवर्तन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को निर्यात हेतु प्रदत्त प्रोत्साहन के भारी दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (छ) निर्यातों का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है जिसकी समीक्षा समय-समय पर की जाती है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार और

उद्योग के साथ सम्पर्क पर आधारित है। निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल हैं : निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त/रियायती शुल्क पर निवेशों का आयात करना, शुल्क वापसी की सुविधा, अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी, निर्यात लाभों पर कर में रियायत, रियायती निर्यात ऋण तथा विदेशी मुद्रा अर्जक खाता योजना (ई. ई. एफ. सी.) प्राप्त परिणाम निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान डालर के रूप में 18% से 21% के बीच की लगातार वार्षिक वृद्धि से परिलक्षित होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप 1992-93 के 18.4 बिलियन डालर के निर्यात की तुलना में 1995-96 के दौरान 31.83 बिलियन डालर के निर्यात हुए।

2. जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्यात् वृद्धि दर्ज हुई है उनमें शामिल हैं : इंजीनियरी सामान, इलैक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, रत्न और आभूषण, वस्त्र आदि। वर्ष-वार और उद्योग-वार परिणामों के आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय की व्यापार सांख्यिकी के प्रकाशनों में दिए गए हैं जो कि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

3. निर्यातों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जा रही है जिससे कि 9वीं योजना अवधि के दौरान 20% की वार्षिक वृद्धि दर कायम रखी जा सके। इस संबंध में किए गए नए प्रयासों में इण्डिया ब्राण्ड प्रोमोशन इक्विटी फण्ड की स्थापना और महत्वपूर्ण निवेश संतुलनकारी योजना चलाना शामिल है। निर्यातों में अनुमानित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दीर्घावधि की निर्यात नीति भी तैयार की जाएगी। निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

4. सरकार, कानूनी ढांचे से संबंधित मामलों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की घटनाओं की लगातार मानिटरिंग कर रही है।

5. कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें आवेदक फर्मों के अस्तित्व में न होने, ज्यादा बीजक बनाने और गलत घोषणा करने से संबंधित मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का सामान्य दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। तथापि, जांच-पड़ताल से अभी तक नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के किसी बड़े स्तर पर उल्लंघन का पता नहीं चला है। इन योजनाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि इसके कार्यान्वयन के दौरान देखी गई विसंगतियों का पता लगाया जा सके और यथावश्यक संशोधन किया जा सके।

[हिन्दी]

पुष्पकृषि उत्पादों का निर्यात

***337. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात की अपार सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुष्पकृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) गत तीन वर्षों यानि 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार हैं :

(मूल्य लाख रुपए में)

	1993-94	1994-95	1995-96
1. ताजा कट फ्लावर्स	99.64	299.81	1013.83
2. अन्य कट फ्लावर्स तथा फूलों की कलियां	1092.12	1957.80	3411.38

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) भारत से पुष्पोत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

1. प्रशीतित/इंसूलेटिड वैनों तथा प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज इकाईयों की स्थापना जैसी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना;

2. क्लीयरेंस के लिए प्रतीक्षारत निर्यात खेपों के लिए हवाईपत्तनों पर (दिल्ली सहित) पांच चलते-फिरते शीत भंडारों की स्थापना करना;

3. दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन पर कट-फ्लावर्स और टिश्यू कल्चर पौधों सहित खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात कार्गों को हैंडिल करने के लिए एक समर्पित सुविधा स्थापित करना;

4. कार्गो की शीघ्रातिशीघ्र क्लीयरेंस के लिए पौध संगरोध क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना;

5. पौध-घरों (ग्रीन हाउसिज) के लिए अपेक्षित विशिष्ट वस्तुओं पर रियायती सीमाशुल्क;

6. पुष्प-उद्योग में लगी इकाइयों को निर्यात-उन्मुख एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्र योजनाओं के अतर्गत शुल्क मुक्त आयातों के लाभ उपलब्ध कराना तथा उनके 50% उत्पादन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की अनुमति देना;

7. कट फ्लावर्स का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए यू०एन. डी.पी. से सहायता प्राप्त पुष्प-उद्योग संबंधी परियोजना को क्रियान्वित

करना। इस परियोजना में शुरू किए जाने वाले कुछेक क्रियाकलापों में ये शामिल हैं : फूलों के उत्पादन के संबंध में उद्यमियों को सलाह देना, फसल मैनुअल तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार आसूचना उपलब्ध कराना आदि।

8. अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों में भाग लेना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

थाईलैंड के साथ आर्थिक सहयोग

*338. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थाईलैंड के साथ आर्थिक सहयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में भारत-थाईलैंड आर्थिक सहयोग शुरू करने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और थाईलैंड व्यापार, निवेश, औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता, दोहरे कराधार से बचने हेतु एक समझौता और एक हवाई सेवा समझौता उन द्विपक्षीय समझौतों में से है जिन पर दोनों पक्षों के बीच औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं।

तम्बाकू का निर्यात

*339. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कितनी मात्रा में तंबाकू का निर्यात किया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1996-97 के दौरान इसके निर्यात में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात् किए गए तम्बाकू की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

तम्बाकू	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
अविनिर्मत	61517	297.31
विनिर्मित	9913	68.50
कुल	71430	365.81

देश-वार विस्तृत विवरण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात निष्पादन और 1996-97 के दौरान निर्यात संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने निर्यात के लक्ष्य निम्नानुसार निश्चित किए हैं :

तम्बाकू	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
अविनिर्मित	65000.00	325.00
विनिर्मित	11000.00	77.00
कुल	76000.00	402.00

भारतीय परियोजनाओं में विदेशी सहयोग

*340. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निजी क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने की पेशकश करने वाले देशों का देशवार तथा परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) नीति के बाद की अवधि अर्थात् दिनांक 1.8.1991 से 31.5.96 तक के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली अनुमोदित परियोजनाओं के देशवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नीति के बाद की अवधि अर्थात् दिनांक 1.8.1991 से 31.5.1996 तक के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेश प्रौद्योगिकी करार के लिए देशवार अनुमोदन

क्र.सं.	देश का नाम	कुल अनुमोदन जोड़	प्रौ.	वि.	विदेशी निवेश की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	1	0	1	0.10
2.	आस्ट्रेलिया	169	75	94	2057.40
3.	आर्मेनिया	1	0	1	0.10
4.	आस्ट्रिया	139	95	44	96.23
5.	बहमस	4	0	4	9.35
6.	बहरीन	7	0	7	7.52
7.	अर्जेन्टीना	2	1	1	18.38
8.	बेल्जियम	68	28	40	434.45
9.	बेलारूस	1	0	1	0.05
10.	बेरमुदा	8	1	7	176.07
11.	ब्राजील	11	8	3	0.12
12.	ब्रिटिश विर्जिनिया	13	7	6	16.22
13.	बुल्गारिया	3	2	1	1.91
14.	कनाडा	118	58	60	1558.18
15.	केमन आइ लैंड	2	0	2	6.50
16.	चैनल आइ लैंड	5	1	4	3.25
17.	चीन	47	30	17	669.96
18.	क्रोशिया	1	1	0	0.00
19.	चैक गणराज्य	24	18	6	7.77
20.	साइप्रस	5	2	3	0.47
21.	डेनमार्क	92	39	53	256.96
22.	इस्टोनिया	2	0	2	7.31
23.	फिनलैंड	60	35	25	82.03
24.	चिली	1	1	0	0.00
25.	फ्रांस	293	156	137	1299.64
26.	मिस्र	2	0	2	0.60
27.	जर्मनी	1060	591	469	2981.89
28.	हवाई आइ लैंड	2	2	0	0.00
29.	हांगकांग	105	22	83	990.91
30.	हंगरी	14	6	8	2.43
31.	इंडोनेशिया	8	2	6	315.58
32.	आवरलैंड	36	10	26	208.88
33.	आइल ऑफ मैन	2	1	1	0.73
34.	इस्राइल	95	47	48	4159.78
35.	इटली	413	242	171	1112.79
36.	सायकटेनसटिन	1	1	0	0.00
37.	जापान	573	391	182	2926.66
38.	कजाकिस्तान	1	0	1	1.50
39.	कोरिया (उत्तरी)	1	0	1	0.17
40.	लेबनान	2	2	0	0.00
41.	कोरिया (दक्षिणी)	227	86	141	2636.46
42.	कुवैत	8	0	8	444.73
43.	लाटबिया	3	1	2	0.26
44.	लक्समबर्ग	9	0	9	57.50
45.	मलेशिया	48	9	39	1507.38
46.	मारीशस	116	7	109	3359.34
47.	मैक्सिको	9	2	7	252.42
48.	मालदीव	1	0	1	0.60
49.	एनआरआई	549	5	544	3575.21
50.	नैपाल	2	0	2	3.02
51.	नीदरलैंड	439	197	242	1926.11
52.	न्यूजीलैंड	20	13	7	50.69
53.	नाइजीरिया	2	0	2	1.54
54.	नार्वे	30	14	16	9.15
55.	ओमान	9	1	8	566.23
56.	पनामा	3	1	2	2.55
57.	पापुआ न्यू गुइनिया	1	0	1	1.92
58.	फिलीपीन्स	34	18	16	351.08
59.	पोलैंड	12	9	3	4.95
60.	पुर्तगाल	12	7	5	188.92

1	2	3	4	5	6
61.	कतर	1	0	1	4.53
62.	रोमानिया	1	1	0	0.00
63.	रूस	80	22	58	141.06
64.	सऊदी अरब	12	1	11	618.29
65.	सिंगापुर	235	60	175	1471.24
66.	स्काटलैंड	2	1	1	0.05
67.	दक्षिण अफ्रीका	8	6	2	16.02
68.	स्लोवाकिया	4	3	1	0.05
69.	स्पेन	43	26	17	36.84
70.	श्रीलंका	12	0	12	7.72
71.	स्वीडन	114	72	42	1065.90
72.	स्लीबिनिया	2	2	0	0.00
73.	स्विट्जरलैंड	347	170	177	1513.20
74.	ताइवान	87	46	41	48.91
75.	तातरस्तान	1	0	1	0.05
76.	थाईलैंड	63	20	43	2390.41
77.	तुर्की	1	1	0	0.00
78.	संयुक्त अरब अमीरात	29	3	26	490.73
79.	ब्रिटेन	933	502	431	4532.25
80.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1731	836	895	17312.36
81.	उक्रेन	11	4	7	1.58
82.	वेनेजुएला	1	1	0	0.00
83.	उरूग्वे	1	0	1	0.00
84.	यूरो इस्यूज	28	0	28	6931.44
85.	वेस्टइंडीज	3	0	3	1.95
86.	युगोस्लाविया	3	1	2	2.45
87.	अमूचितदेश	27	8	19	20.98
88.	मालटा	1	1	0	0.00
89.	निबास्तर	1	0	1	98.21
90.	मालवीना	1	1	0	0.00
91.	सुडान	1	0	1	0.03
92.	जार्डन	1	0	1	0.01
93.	वियतनाम	1	0	1	0.03
94.	सैन सलबाडोर	1	1	0	0.0
	कुल	8713	4034	4679	71058.23

विवरण - II

नीति के बाद की अवधि अर्थात् 1.8.1991 से 31.5.1996 तक के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों के खेत्रवार ब्यौरे

क्रम सं.	उद्योग का नाम	कुल	कुल प्रौ.	वि	अनुमोदित एफ.डी.आई. राशि	कुल अनुमोदित एफ.डी.आई के साथ प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	धात्विक उद्योग					
	लौह	217	136	81	3841.10	5.41
	अलौह	58	28	30	768.73	1.08
	विशेष एलाय	40	27	13	25.52	0.04
	विविध (अन्य मदें) - धात्विकी	22	16	6	46.66	0.07
	कुल	337	207	130	4682.01	6.59

1	2	3	4	5	6	7
2.	ईंधन					
	विद्युत	24	1	23	6469.52	9.10
	तेल रिफाइनरी	106	49	57	6917.10	9.73
	अन्य ईंधन	70	26	44	922.86	1.30
	कुल	200	76	124	14309.48	20.14
3.	बायलर्स और स्टीम जेनरेटिंग प्लांट्स	53	31	22	96.74	0.14
4.	प्राईम मूवर्स (विद्युतीय को छोड़कर)	33	20	13	17.77	0.03
5.	विद्युतीय उपकरण	922	577	345	1514.45	2.13
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	341	43	298	1200.45	1.69
	इलैक्ट्रानिक्स	227	86	141	1327.74	1.87
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	21	12	9	6.81	0.01
	कुल	511	718	793	4049.45	5.70
6.	दूर संचार					
	दूरसंचार	151	74	77	1320.14	1.86
	रेडियो पेजिंग	34	1	33	431.76	0.61
	सैल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा	77	1	76	17169.60	24.16
	जोड़	262	76	186	18921.49	26.63
7.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाईल उद्योग	331	221	110	1733.77	2.44
	हवाई/समुद्री परिवहन	51	6	45	1250.84	1.76
	यात्री कर	11	0	11	1715.02	2.41
	अन्य (परिवहन)	33	18	15	210.21	0.30
	जोड़	426	245	181	4909.84	6.91
8.	औद्योगिक मशीनरी	838	569	269	1510.41	2.13
9.	मशीनी औजार	101	54	47	119.99	0.17
10.	कृषि मशीनरी	27	20	7	217.77	0.31
11.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	36	25	11	12.97	0.02
12.	विविध यांत्रिकी एवं इंजीनियरी	298	136	162	370.15	0.52
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	52	25	27	447.24	0.63
14.	चिकित्सीय तथा सर्जीकल उपकरण	39	15	24	170.89	0.24

1	2	3	4	5	6	7
15.	औद्योगिक उपकरण	112	65	47	74.39	0.10
16.	वैज्ञानिक उपकरण	34	12	22	46.74	0.07
17.	मैथेमेटिकल सर्वेईंग तथा ड्राइंग	1	0	1	0.12	0.00
18.	उर्वरक	37	33	4	9.17	0.01
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	935	548	387	4712.24	6.63
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा कागज	9	4	5	24.88	0.04
21.	डाई स्टफ	11	2	9	30.24	0.04
22.	औषधियां तथा भेषजीय	178	99	79	476.35	0.67
23.	वस्त्र (डाई तथा प्रिंट किए हुए सहित)	317	78	239	1624.96	2.29
24.	कागज के उत्पाद (सहित कागज तथा लुग्दी)	95	51	44	664.17	0.93
25.	चीनी	3	1	2	53.50	0.08
26.	किवन्न उद्योग	44	13	31	788.44	1.11
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	415	94	321	2482.48	3.49
	समुद्री उत्पाद	83	18	65	82.89	0.12
	विभिन्न (खाद्य उत्पाद)	2	0	2	8.00	0.01
	जोड	500	112	388	2573.37	3.62
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	26	3	23	43.79	0.06
29.	साबुन, शृंगार सामग्री तथा प्रसाधन सामग्री	25	7	18	105.38	0.16
30.	रबड़ की वस्तुएं	113	65	48	162.43	0.23
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	116	25	91	158.87	0.22
32.	ग्लास	43	23	20	381.83	0.54
33.	सिरामिक्स	137	46	91	399.18	0.50
34.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	46	22	24	433.75	0.61
35.	टिम्बर उत्पाद	5	1	4	6.37	0.01
36.	रक्षा उद्योग	3	3	0	0.00	0.00
37.	परामर्शी सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	131	35	96	144.26	0.20
	प्रबंधन सेवाएं	41	6	35	46.73	0.07
	विपणन निर्माण	24	6	18	22.36	0.03
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	6	2	4	4.86	0.01
		10	0	10	8.61	0.01
	जोड	212	49	163	226.82	0.32

1	2	3	4	5	6	7
38.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	118	1	117	1765.87	2.49
	गैर-वित्तीय सेवाएं	172	8	164	2035.22	2.86
	बैंकिंग सेवाएं	9	0	9	114.09	0.16
	अन्य सेवाएं	14	2	12	786.48	1.11
	जोड़	313	11	302	4701.67	6.62
39.	होटल एवं पर्यटन					
	होटल तथा रेस्टोरेंट	141	53	88	1941.25	2.73
	पर्यटन	23	6	17	3.54	0.00
	जोड़	164	59	105	1944.79	2.74
40.	ट्रेडिंग कंपनी	181	0	181	141.05	0.20
41.	विविध उद्योग					
	बागवानी	59	28	31	39.20	0.06
	कृषि	70	38	32	65.62	0.09
	फूल उद्योग	150	58	92	109.49	0.15
	अन्य (विविध उद्योग)	561	361	200	1223.21	1.72
	जोड़	840	485	355	1437.52	2.02
	जोड़	8713	4034	4679	71058.23	

पेटेंट कानून में संशोधन

*2581. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेटेंट में संशोधन करते समय विश्व व्यापार संगठन द्वारा सुझाये गए सभी मार्गनिर्देशों का पालन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका फार्मास्यूटिकल उद्योग और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) स्वदेशी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यु.टी.ओ.) समझौते के एक हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर भारत इसके दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्यक है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रावधानों के बारे में "व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स)" पर एक समझौता भी निहित है। 1 जनवरी सन् 1995 से उत्पन्न दायित्वों के अतिरिक्त भारत के पास 1 जनवरी, सन् 2000 तक ट्रिप्स समझौते के तहत अपने दायित्वों के क्रियान्वयन हेतु 1 जनवरी, सन् 2005 तक अब तक संरक्षित प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट आरंभ करने हेतु समय है।

उत्पादन केन्द्र

2582. **श्री रमेश चेन्नितल्ला : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कोट्टायम जिले के एत्तुमनूर में उत्पादन केन्द्र को पुनः चालू करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह उत्पादन केन्द्र निष्क्रिय पड़ा है और कर्मचारियों के पास कोई विशेष कार्य नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन केन्द्रों को पुनः चालू करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा नहीं है कि इस केन्द्र के कर्मचारियों के पास काम नहीं है। इस उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों से उत्पादन और प्रशिक्षण से सम्बद्ध केन्द्र के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इस समय उन कार्यकलापों की मांग नहीं है जिनके लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। इसी वजह से एत्तुमनूर उत्पादन केन्द्र का कार्यकलाप बहुत कम हो गया है। कर्मचारियों का उपयोग प्रशिक्षण कार्य के लिए किया जाता है।

(ग) विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न रिपोर्ट हैं, जो कि व्यावहारिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं पायी गयी थीं। अब, सरकार ने केरल के उद्योग निदेशक को केन्द्र का अध्ययन करने और उसकी उन्नति के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट की जांच की जायेगी और यदि यह संतोषजक पायी गयी और सरकारी नीतियों के अनुरूप तैयार की गई तो इसे स्वीकार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए विचार किया जायेगा।

पटसन की कमी

2583. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन की कमी तथा अत्यधिक पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी के कारण पटसन उद्योग को विशेषकर पश्चिम बंगाल में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान विशेषकर फसल के कम होने तथा उसके परिणामस्वरूप मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होने के कारण पटसन मिलें कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

(ख) और (ग) कच्चे पटसन का उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अधिक क्षेत्र को शामिल करना, क्वालिटी के बीजों का उत्पादन तथा उपलब्धता बढ़ाना, संश्लिष्ट अन्तर्निविष्टयों की समय पर आपूर्ति करने पर बल देना, प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से उपज की उन्नति उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करना, मल्टी-रॉ-ड्रिल्स की आपूर्ति से रॉ-क्रापिंग को प्रोत्साहन देना, अतिरिक्त रेटिंग सुविधाएं सुनिश्चित करना, किसानों को प्रशिक्षण देना आदि।

विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

2584. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार असम में इस प्रकार की परियोजनाओं को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चल रही असम ग्रामीण आधारभूत संरचना और कृषि सहायता परियोजना, जिस पर 6.6.95 को हस्ताक्षर किए गए थे, के अतिरिक्त विश्व बैंक से सहायता के लिए अन्य कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि आधारित उद्योग

2585. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने कृषि आधारित उद्योगों पर अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम में छूट दी है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की छूट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) चूंकि भूमि सीमा मुख्य रूप से राज्य का विषय है, इसलिए भूमि सीमा के प्रयोग तथा उन पर छूट की राज्य-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में कपड़े का उत्पादन

2586. **श्री हाराधन राय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत चल रही प्रत्येक मिल में कपड़े का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया तथा उसमें कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन मिलों के कपड़ा उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो मिलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनका क्या परिणाम रहा ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) अप्रचलित मशीनों तथा कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन टी सी मिलों में कपड़े के उत्पादन में गिरावट आई है। संलग्न विवण-I व II में पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी मिलों में कपड़े का मिलवार उत्पादन तथा प्रत्येक मिल में कामगारों की संख्या निर्दिष्ट है।

(घ) कुल निवल पूंजी में कमी के कारण एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है। यह योजना सामान्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजना के अनुरूप हैं। योजना में 2005,72 करोड़ रुपए की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम एककों में मिला कर उनका पुनःर्निर्माण करने का प्रावधान है। आधुनिकीकरण के लिए निधियों की व्यवस्था एन टी सी मिलों की बेशी भूमि तथा परिसम्पतियों को बेचने से प्राप्त होने वाली आय से की जाएगी। इस योजना को क्रियान्वयन से पहले बी आई एफ आर के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। जब तक इस नीति का अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक सरकार वेतन, मजदूरियों तथा बोनस का भुगतान करने में एन टी सी के सामने पेश आ रही कमी को पूरा कर रही है।

विवरण - I

कपड़े का उत्पादन - लाख मीटर में

क्रम सं.	मिल का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
	एन टी सी (डी पी आर)			
1.	अजुध्या	3.12	4.22	5.89
2.	दयालबाग	.00	.00	.00
3.	सूरज	.00	.00	.00
4.	खरड़	.00	.00	.00
5.	महालक्ष्मी	6.78	.43	.00
6.	एडवर्ड	14.94	2.73	2.07
7.	श्री विजय	.00	.00	.00
8.	उदयपुर	.00	.00	.00
9.	पानीपत	.00	.00	.00
	एन टी सी (एम पी)			
10.	बंगाल नागपुर	103.92	20.46	18.07
11.	बुरहानपुर	55.48	22.59	20.31
12.	न्यू भोपाल	4.08	1.61	2.21
13.	हीरा	.03	.00	.00
14.	स्वदेशी	.27	.00	.89
15.	इंदौर माल्वा	.00	.00	4.97
16.	कल्याणमल	1.52	.00	3.78
	एन टी सी (यू पी)			
17.	मयूर	.00	.00	.00
18.	न्यू विक्टोरिया	.00	.00	.00
19.	बिजली	.00	.00	.00
20.	लार्ड कृष्णा	.00	.00	.00
21.	विक्रम	.00	.00	.00
22.	नैनीं	.00	.00	.00
23.	माउनाथभंजन	.00	.00	.00
24.	रायबरेली	.00	.00	.00
25.	स्वदेशी कानपुर	.00	.00	.00
	एन टी सी (एस एम)			
26.	औरंगाबाद	.00	.00	.00
27.	दिग्विजय	57.61	15.60	13.10
28.	चालीसगांव	69.16	47.75	43.84
29.	जुपीटर	.00	.00	.00
30.	अपोलो	39.62	29.52	28.30
31.	भारत	37.35	.76	.08
32.	बरशी	.00	.00	.00
33.	न्यू हिन्द	1.47	.00	.00
34.	धुले	51.05	22.64	14.88
35.	नानदेद	44.67	14.45	23.11
36.	मुम्बई	6.95	.00	.01

1	2	3	4	5
	एन टी सी (एम एन)			
37.	माडल मिल्स	47.23	15.44	12.96
38.	आर एस आर जी	33.52	12.22	3.14
39.	इन्दू नं. 1	8.69	34.13	18.48
40.	इन्दू नं. 2	24.18	4.60	.86
41.	इन्दू 3 व 4	101.09	34.36	20.61
42.	इन्दू नं. 5	36.76	10.64	26.27
43.	इन्दू नं. 6	.00	.00	.00
44.	आर बी बी ए	46.92	45.44	45.55
45.	सवत्रम	33.24	19.50	14.05
46.	विदर्भ	1.05	.00	.00
	एन टी सी (गुजरात)			
47.	अहम. जुपीटर	.00	.00	.00
48.	अहम. न्यू टैक्स्टाईल	.00	.00	.00
49.	हिमाद्री	68.20	35.28	13.96
50.	जहांगीर	96.38	20.38	.00
51.	पेटलैंड	.00	.00	.00
52.	महालक्ष्मी	.00	.00	.00
53.	न्यू मानकचौक	33.02	11.00	.00
54.	वीरमगांव	.00	.00	.00
55.	राजकोट	.00	.00	.00
56.	राजनगर 1 व 2	.00	.00	.00
	एन टी सी (ए पी के के एम)			
57.	आजमजाही	.85	.00	.00
58.	नेथा	.00	.00	.00
59.	नटराज	.00	.00	.00
60.	आनन्तपुर	.00	.00	.00
61.	तिरुपति	.00	.00	.00
62.	अडोनी	.00	.00	.00
63.	मैसूर	.00	.00	.00
64.	मिनर्वा	76.23	64.05	66.02
65.	एम एस के	10.86	5.00	5.68
66.	श्री यलम्मा	.00	.00	.00
67.	कैन कैन	.00	.00	.00
68.	अलगप्पा	.00	.00	.00
69.	पार्वती	59.09	58.01	56.85
70.	केरल लक्ष्मी	.00	.00	.00
71.	विजय मोहिनी	.00	.00	.00
72.	कैन महा	.00	.00	.00
	एन टी सी (टी एन पी)			
73.	ओम पराशक्ति	.00	.00	.00
74.	कम्बोडिया	.00	.00	.00
75.	कृष्णवाणी	.00	.00	.00
76.	श्री रंगविलास	.00	.00	:00
77.	कोयम्ब. मुरगन	46.14	70.71	66.84
78.	सोमासुन्दरम	31.43	32.76	32.74
79.	कलेश्वर ए	29.83	22.45	6.31
80.	पंकज	.00	.00	.00
81.	कलेश्वर 'ख'	.00	.00	.00
82.	पायनियर	.00	.00	.00
83.	कोयम्ब.स्पि. एण्ड वी.	18.78	16.97	7.53
84.	बालवर्मा	.00	.00	.00
85.	श्री शारदा	33.27	32.29	32.08
86.	श्री भारती	33.42	35.08	19.22
87.	स्वदेशी पांडेचेरी	12.50	12.29	2.20
	एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ)			
88.	बंगाल टैक्स.	2.49	.00	.00
89.	मनिन्दर	.00	.00	.00
90.	सेन्ट्रल काटन	20.32	.00	.00
91.	बंगाल फाईन नं.1	.00	.00	.00

1	2	3	4	5
92.	बंगाल लक्ष्मी	.69	.00	.00
93.	श्री महालक्ष्मी	4.65	.18	.02
94.	रामपुरिया	19.30	.00	.03
95.	लक्ष्मी नारायण	.00	.00	.00
96.	आरती	.00	.00	.00
97.	बंगाश्री	6.80	.00	.00
98.	बंगाल फाइन नं. 2	.00	.00	.00
99.	ज्योति वी फैक्टरी	0.69	.00	.00
100.	कनोरिया	.00	.00	.00
101.	सोदपुर	.00	.0	.00
102.	एसोसिएटिड इंड.	.00	.00	.00
103.	बिहार कोआप.	.00	.00	.00
104.	गया काटन	.00	.00	.00
105.	उड़ीसा	.00	.00	.00
टी ओ एम (कानपुर)				
106.	लक्ष्मीरतन	.00	.00	.00
107.	अथर्टन	.00	.00	.00
टी ओ एम (बम्बई)				
108.	एल्फिसटोन	45.21	.00	.00
109.	फिन्ले	81.87	52.98	29.13
110.	गोल्ड मुहर	73.03	49.57	24.20
111.	जाम मैन्यु.	1.57	.00	.00
112.	मधुसूदन	.00	.00	.00
113.	न्यू सिटी	78.52	44.92	30.15
114.	पोदार मिल्स	54.91	24.97	12.17
115.	पोद्दार प्रोसेस	.00	.00	.00
116.	टाटा मिल्स	65.02	.00	.00
117.	सीताराम	.00	43.26	36.78
118.	कोहिनूर मिल्स	.00	.00	.00
	कुल :	1835.77	991.24	765.14

विवरण - II

एन टी सी मिलों में नामावली कामगार

क्रम सं.	मिल का नाम	31.03.94 (को)	31.03.95 (को)	31.03.96 (को)
1	2	3	4	5
1.	अजुध्या टैक्स. मिल्स	894	792	732
2.	एडवर्ड मिल्स	659	563	470
3.	महालक्ष्मी मिल्स	775	671	598
4.	श्री विजय काटन मिल्स	553	543	534
5.	उदयपुर काटन मिल्स	659	610	580
6.	दयालबाग स्पि. एण्ड वी. मिल्स	577	560	547
7.	सूरज टैक्स. मिल्स	627	616	613
8.	खरड़ टैक्सटाइल मिल्स	873	845	811
9.	पानीपत वूलन मिल्स	744	744	728
10.	इन्दौर माल्वा मिल्स	2458	2447	2355
11.	कल्याणमल मिल्स	1919	1906	1881
12.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	832	832	814
13.	हीरा मिल्स	1496	1389	1348
14.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	1311	1309	1301
15.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	1914	1898	1744
16.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	962	961	954
17.	अथर्टन वैस्ट मिल्स	1415	1320	1295
18.	बिजली काटन मिल्स	423	413	393
19.	लक्ष्मी रतन मिल्स	1767	1641	1594
20.	लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल मिल्स	1272	1192	1163
21.	मयूर मिल्स	1698	1600	1591
22.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	1723	1632	1612
23.	राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स	574	551	535
24.	श्री विक्रम काटन मिल्स	650	587	581

1	2	3	4	5
25.	स्वदेशी काटन मिल्स, माउ	743	733	708
26.	स्वदेशी मिल्स, कानपुर	1780	1763	1735
27.	स्वदेशी मिल्स, नैनी	1930	1996	1923
28.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	1121	1088	1066
29.	औरंगाबाद टैक्स. मिल्स	328	313	301
30.	बरशी टैक्स. मिल्स	481	447	434
31.	भारत टैक्स. मिल्स	1323	1227	1107
32.	चालीसगांव टैक्स. मिल्स	1309	1146	1122
33.	धुले टैक्स. मिल्स	1735	1524	1376
34.	दिग्विजय टैक्स. मिल्स	1528	1474	1432
35.	जुपीटर टैक्स. मिल्स	1067	1016	989
36.	मुम्बई टैक्स. मिल्स	1116	1085	1046
37.	नानदेद टैक्स. मिल्स	1122	972	950
38.	न्यू हिन्द टैक्स. मिल्स	1174	1153	1125
39.	एल्फिनस्टोन मिल्स	1193	1039	928
40.	फिन्ले मिल्स	2121	1842	1741
41.	गोल्ड मुहर	1526	1370	1335
42.	मधुसूदन मिल्स	880	817	757
43.	न्यू सिटी मिल्स	1714	1646	1600
44.	पोद्दार प्रोसेसर्स	720	693	671
45.	इन्दू मिल नं. 1	2168	2133	2091
46.	इन्दू मिल नं. 2	1145	1115	1089
47.	इन्दू मिल नं. 3	1894	1853	1790
48.	इन्दू मिल. नं. 4	.0	0	0
49.	इन्दू मिल नं. 5	863	852	828
50.	इन्दू मिल डाई वर्क्स	557	549	543
51.	मॉडल मिल	2049	1905	1835
52.	आर एस आर जी मिल्स	909	860	835
53.	आर बी बी ए मिल	1184	1143	1135
54.	सवत्रम मिल	677	647	626
55.	विदर्भ मिल	933	933	897
56.	कोहिनूर			
57.	कोहिनूर	1115	1034	1111
58.	कोहिनूर			
59.	टाटा मिल्स	1745	1690	1628
60.	जाम मैन्यु. मिल्स	967	910	902
61.	पोद्दार मिल्स	1562	1470	1401
62.	सीता राम मिल्स	626	563	539
63.	हिमाद्री टैक्स. मिल्स	1161	972	856
64.	अहमदाबाद जुपीटर मिल्स	1068	1041	1019
65.	अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स	1276	1253	1243
66.	जहांगीर टैक्स. मिल्स	1872	1655	1518
67.	महालक्ष्मी टैक्स. मिल्स	900	875	856
68.	न्यू मानकचौक टैक्स. मिल्स	969	917	898
69.	पेटलेड टैक्स. मिल्स	394	383	382
70.	राजकोट टैक्स. मिल्स	371	360	360
71.	राजनगर	1573	1541	1526
72.	राजनगर	0	0	0
73.	वीरमगांव टैक्स. मिल्स	884	864	855
74.	आजमजाही मिल्स	800	735	708
75.	आनन्तपुर काटन मिल्स	575	550	530
76.	अडोनी काटन मिल्स	423	417	411
77.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	365	324	290
78.	नेथा स्पिनिंग मिल्स	422	419	414
79.	तिरुपति काटन मिल्स	487	465	444
80.	सी एस डब्ल्यू मिल्स कन्नानूर	500	500	478
81.	केरल लक्ष्मी मिल्स	728	704	675
82.	अलगप्पा टैक्स. मिल्स	961	946	918
83.	विजय मोहिनी मिल्स	520	500	476

1	2	3	4	5
84.	पारवती मिल्स	1152	1128	1093
85.	मैसूर स्पि.			
86.	मिनर्वा	2427	2351	2307
87.	यलम्मा कोटन मिल्स	651	615	596
88.	एम एस के मिल्स	1172	1062	998
89.	सी एस डब्ल्यू मिल्स, माहे	621	609	582
90.	ओम पराशक्ति	418	402	454
91.	कम्बोडिया	602	593	620
92.	कृष्णावाणी टैक्स.	363	340	323
93.	श्री रंगविलास मिल्स	760	749	730
94.	पंकज मिल्स	482	472	505
95.	पायनियर स्पिनर्स	361	358	351
96.	बलराम वर्मा टैक्सटाइल	390	370	344
97.	कालेश्वर बी	576	575	558
98.	कालेश्वर ए	897	797	586
99.	कोयम्बटूर स्पि. एण्ड वी मिल्स	1486	1453	1353
100.	स्वदेशी काटन मिल्स	964	923	821
101.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	793	782	751
102.	सोमासुन्दरम मिल्स	764	732	707
103.	श्री भारती मिल्स	1104	1079	1009
104.	श्री शारदा मिल्स	845	833	814
105.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	492	456	382
106.	सैन्ट्रल काटन मिल्स	860	838	748
107.	रामपुरिया काटन मल्स	957	753	605
108.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	671	666	498
109.	बंगाश्री काटन मिल्स	338	322	310
110.	गया काटन एण्ड जूट मिल्स	553	520	496
111.	मनिन्द्रा एण्ड बी टी मिल्स	533	486	465
112.	बंगाल फाइन नं. 1	718	654	574
113.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स	663	602	553
114.	आरती काटन मिल्स	443	405	372
115.	सोदेपुर काटन मिल्स	256	248	238
116.	बंगाल फाइन नं. 2	289	282	275
117.	बिहार कोऑपरेटिव्स	396	389	246
118.	एसोसिएटिड इण्ड. (ए)	531	519	498
119.	उडीसा काटन मिल्स	747	734	655
120.	ज्योति वीविंग फैक्टरी	266	249	218

असम में रुग्ण और कमजोर चाय बागान

2587. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण असम में अनेक रुग्ण चाय बागान हैं जिनमें से कुछ को पहले ही बन्द कर दिया गया है और शेष बागान भी चलने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो चाय बोर्ड द्वारा उक्त चाय बागानों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए अब तक क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन रुग्ण चाय बागानों के श्रमिकों के कल्याणार्थ कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) कुछ समय पहले चाय बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि असम में 47 चाय बागान रुग्ण थे और 5 बन्द किए जा चुके थे। तब से राज्य में निरंतर स्थायित्व एवं आर्थिक दशा में सुधार के कारण इन बागानों की रुग्णता में कमी आई है। बीमार/कमजोर बागानों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे काफी जटिल हैं जो विविध कारणों से उत्पन्न हुई हैं जैसे प्रबंधकीय/वित्तीय कुप्रबंधन तथा दीर्घकालिक मुकदमेबाजी। चाय बोर्ड के संरक्षण में इनके संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के साथ चर्चा की गई है ताकि वित्त पोषण की सुविधा तथा अन्य उपाय किए जा सकें।

चाय बोर्ड ने चाय-एस्टेट्स के बागान श्रमिको के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं प्राथमिक स्तर से ऊपर के अध्ययन के लिए बागान श्रमिकों के बच्चों के लिए अनुदान प्रदान करना और चाय बागान के श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विस्तार और इलाज की विशेष सुविधा हेतु शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आन्ध्र प्रदेश में टायर इकाई

2588. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में मंगलागिरी में एक टायर निर्माण इकाई की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए भूमि खरीद ली गई है और यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और,

(घ) उक्त परियोजना को कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में मंगलागिरी में टायर निर्माण इकाई की स्थापना करने का भारत सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय बासमती चावल पर विशेष शुल्क रियायत

2589. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय संघ को निर्यात किए गये भारतीय बासमती चावल पर दी गई विशेष शुल्क रियायत को बरकरार रखने संबंधी मामले में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से पाकिस्तान के विरुद्ध समर्थन देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ ने भारतीय बासमती चावल पर विशेष शुल्क रियायत को बरकरार रखने, इसे समाप्त कर देने अथवा पाकिस्तान को भी यह रियायत प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) यूरोपीय आयोग ने चावल के आयात के लिए 1.7.1995 से एक नयी व्यवस्था आरम्भ की है1 अन्य बातों के साथ-साथ इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक संदर्भ कीमत प्रणाली स्वीकार की गई, जो भारतीय मूल के छिलके वाले बासमती चावल के लिए 250 ई सी यू प्रति टन और पाकिस्तान मूल के छिलके वाले बासमती चावल के लिए 50 ई सी यू प्रति टन की आयात प्रशुल्क रियायत उपलब्ध कराती है। भारत ने यूरोपियन संघ में चावल के निर्यात के विनियमों के संबंध में यूरोपियम संघ, यू.के. सरकार और फ्रांस सरकार को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है।

(ख) इस संबंध में यूरोपियन संघ द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओ.टी.सी. द्वारा पंजीकृत कंपनी

2590. **श्री राम नाईक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवर द काउन्टर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (ओ.टी.सी.) ने भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) से ओ.टी.सी. द्वारा पंजीकृत कंपनियों को ओ.टी.सी. के माध्यम से बिक्री पूर्व तीन वर्ष का मुनाफा प्राप्त करने की शर्त पर छूट दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को "ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया" से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है। सेबी सभी संगत कारकों को ध्यान में लेने के बाद इस मामले के संबंध में निर्णय लेगा।

निजी/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन

2591. **श्री ए.सी. जोस :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व निदेशालय ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों द्वारा विभिन्न तरीकों से लेखों में हेरफेर करके कर-अपवंचन करने के संबंध में कोई आंतरिक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों को कर अपवंचन से रोकने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की खामियों को दूर करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई कोयला खानें

2592. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू जिले के अंतर्गत बालूमठ में किन-किन नई खानों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. का खनन कराने का प्रस्ताव है;

(ख) इनमें से प्रत्येक खान में कितनी मात्रा में कोयला पाए जाने की संभावना है; और

(ग) बालूमठ क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में, एक खान अर्थात् टिटरियाखड़ आपेनकास्ट खान का बालूमठ के समीप उत्खनन किया जा रहा है। टिटरियाखड़ खान के भू-गर्भीय भंडार 40 मिलियन टन हैं।

(ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा गैर कानूनी रूप से किए जा रहे खनन पर रोक लगाए जाने/प्रतिबंधित किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) बंद पड़ी खानों के चूहों के बिलों को निरन्तर रूप में भरा जाना;

(2) ऐसे चूहों के बिलों के पहुंच क्षेत्रों को डोजिंग किया जाना;

(3) बंद पडे क्षेत्रों में अचानक छापे मारा जाना और स्थानीय पुलिस की सहायता से गैर कानूनी रूप से कार्यरत डिपों पर भी छापे मारे जाना;

(4) ऐसी डिपो से कोयले को ले जाने वाले व्यक्तियों को पकड़ा जाना;

(5) जिला प्राधिकारियों के साथ निरन्तर रूप से सम्पर्क बनाए रखना।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में भी एक कार्यदल का गठन किया है ताकि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के पट्टेदारी क्षेत्रों में गैर कानूनी रूप से किए जा रहे उत्खनन कार्यों के प्रयासों पर रोक लगाए जाने संबंधी यर्थोपाय को सुझाया जा सके।

कोयला खान भण्डार

2593. **श्री आर. बी. राइ** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के बंगराकोट क्षेत्र में कोयला भण्डारों की खोज की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस भण्डार का दोहन करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (भा.भू.स.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बंगराकोट क्षेत्र के कोयले के भण्डारों का उनके द्वारा 1964-66 तथा 1976-78 में लिया गया था, जो कि भू-तल, भू-गर्भीय मेपिंग द्वारा दिया गया था। कोयले के भण्डार अलाभकारी प्रकृति के हैं, चूंकि सीम अस्थिर है और यह क्षेत्र भू-गर्भीय रूप में अस्त-व्यस्त है। इसलिए कोई अन्वेषण ड्रिलिंग नहीं की जा सकी है तथा सम्भावित स्रोत का अनुमान लगाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश की विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

2594. **श्री बी. धर्मभिक्षम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी सहायता मुहैया कराई गई; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में हस्तांतरित की जाती है। आंध्र प्रदेश की सरकार को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 570.38 करोड़ रुपए और 444.10 करोड़ रुपए थी।

(ख) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। साधारणतः कार्यान्वयन के लिए परियोजना-चक्र 5-7 वर्ष है, इसलिए जबकि कुछ परियोजनाएं (जैसे कि आन्ध्र प्रदेश प्रथम परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना) कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में हैं तो ऐसी अन्य परियोजनाएं (जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद) हैं जो समाप्ति की अवस्था में हैं।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

2595. **श्री राजाभाऊ ठाकरे** :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिए जाने के संबंध में विचार किया है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है तथा यह किस तिथि से प्रभावी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यचालन

2596. **श्री चैल्लैया नंदी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चल रहे हैं, उनके नाम और स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने उपक्रमों को रुग्ण पाया गया है और उनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो को भेजे गए हैं; और

(ग) इन बीमार इकाईयों का पुनरूद्धार/नवीकरण करने तथा उन्हें लाभ में चलाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पंजीकृत कार्यालयों के नाम तथा उनकी अवस्थिति नीचे दी गई है :

	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति
1.	भारत डायनामिक्स लि.	हैदराबाद
2.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.	विशाखापत्तनम
3.	सीएमसी लि.	हैदराबाद
4.	इलेक्ट्रानिक कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	हैदराबाद
5.	हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि.	हैदराबाद
6.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	हैदराबाद
7.	मिश्र धातु निगम लि.	हैदराबाद
8.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	हैदराबाद
9.	प्रागा टूल्स लि.	सिकन्दराबाद
10.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	विशाखापत्तनम
11.	सदर्न पेस्टीसाइडस कारपो. लि.	हैदराबाद
12.	स्पंज आयरन इण्डिया लि.	हैदराबाद

(ख) और(ग) उनमें से दो अर्थात् हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड तथा सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लिमिटेड रुग्ण हैं और उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल को सौंपा गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने पुनरूद्धार/पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए एक परिचालन अभिकरण नियुक्त किया है। परिचालन अभिकरण द्वारा तैयार किया गया व्यवहारिक पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन प्रस्ताव अभी प्राप्त किया जाना है।

नारियल जटा उत्पादों पर रियायत

2597. **श्री ए.सी. जोस :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत वर्ष की भांति वर्ष 1996-97 के दौरान नारियल जटा उत्पादों पर रियायत देने की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो रियायत की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) देश में नारियल जटा के रेशों तथा नारियल जटा उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नारियत जटा क्षेत्र में नारियल जटा के रेशों और नारियल जटा उत्पादों (रबड़युक्त नारियल जटा उत्पादों के अतिरिक्त) की बिक्री पर रियायत देने संबंधी योजना को वर्ष 1996-97 में जारी रखने के लिए जून, 1996 को एक आदेश जारी किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना की उपलब्धियां

2598. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विशेषकर उड़ीसा के नौपाड़ा और कालाहांडी जिलों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में प्र.म.रो. योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में हुई उपलब्धियों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के नौपाड़ा तथा कालाहांडी जिलों में वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में हुई उपलब्धियां संलग्न विवरण - II में दी गई हैं।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक उद्यमी को परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये है, प्रदान की जाती है। राजसहायता के लिए निधियों का भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार है। यह निधि लाभग्राहियों को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रियान्वित करने

वाले बैंकों को जारी की जाती है। इसलिए, राजसहायता जारी करने संबंधी राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभग्राहियों के लिए राजसहायता जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक 222.73 करोड़ रुपये की निधि का अधिकार दिया जा चुका है।

केन्द्र सरकार भी प्रशिक्षण, परियोजना की रूपरेखा, मूल्यांकन आकस्मिक आवश्यकताओं इत्यादि जैसे परिचालन उद्देश्यों के लिए भी राज्य/संघ राज्य सरकारों को सीधे निधियां जारी करती है। राज्य/संघ राज्यवार जारी की गई राशि संलग्न विवरण - III में दी गई है।

विवरण - I

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3335	3418	25000	19851	31900	32556
2.	असम	805	818	6600	6404	9900	9852
3.	बिहार	3070	2051	22150	11705	22150	15751
4.	दिल्ली	1390	622	4540	1763	4550	3799
5.	गोवा	200	78	520	285	550	499
6.	गुजरात	1870	527	8500	5707	8500	10190
7.	हरियाणा	725	792	4100	4600	7200	9353
8.	हिमाचल प्रदेश	305	201	2100	2306	2100	2578
9.	जम्मू एवं कश्मीर	205	101	2000	1995	3100	2435
10.	कर्नाटक	2050	1919	15000	13759	17700	16887
11.	केरल	2755	1595	15000	11123	15000	14135
12.	मध्य प्रदेश	2710	2992	20000	21840	27050	31566
13.	महाराष्ट्र	4630	4850	20500	26551	35900	40392
14.	मणिपुर	200	214	2000	2040	4000	1242
15.	मिजोरम	200	32	250	226	250	240
16.	उड़ीसा	865	842	6570	5551	8250	8229
17.	पंजाब	965	1061	4900	5357	15000	15531
18.	राजस्थान	1410	1257	8300	7666	10400	10272
19.	तमिल नाडु	3560	2794	17400	14519	21800	19304
20.	त्रिपुरा	200	146	1000	796	1300	1225
21.	उत्तर प्रदेश	4420	3995	27400	23060	35813	37324
22.	पश्चिम बंगाल	4170	980	22900	9441	22900	8416
23.	अंडमान एवं निकोबार	200	39	250	54	100	101
24.	अरुणाचल प्रदेश	200	124	250	183	300	287

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)
25.	चंडीगढ़	200	81	150	165	150	171
26.	दादरा और नगर हवेली	200	122	250	112	150	156
27.	दमन और दीव	200	13	250	79	100	116
28.	नागालैण्ड	200	103	250	216	300	267
29.	लक्षद्वीप	200	शून्य	75	19	50	26
30.	मेघालय	200	139	300	314	550	566
31.	पांडिचेरी	200	162	460	476	500	513
32.	सिक्किम	200	शून्य	250	75	200	169
	योग		32068*		198238*		294148*

* राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित

विवरण - II

उड़ीसा राज्य के नौपाड़ा तथा कालाहांडी जिलों में वर्षवार उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन
1.	नौपाड़ा	30	27	155	113	65	66
2.	कालाहांडी	60	56	350	291	235	233

विवरण - III

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	42.49	180.71	303.99
2.	असम	9.64	51.37	98.48
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	3.96	2.68
4.	बिहार	30.32	147.39	110.48
5.	दिल्ली	15.42	20.25	33.63
6.	गोवा	1.00	5.52	3.89
7.	गुजरात	19.02	58.32	69.71
8.	हरियाणा	8.98	48.90	66.43
9.	हिमाचल प्रदेश	2.00	25.35	22.76
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2.50	19.78	28.63
11.	कर्नाटक	20.38	150.91	161.91
12.	केरल	30.21	115.00	101.22
13.	मध्य प्रदेश	25.00	184.85	267.38
14.	महाराष्ट्र	43.20	265.92	192.76
15.	मणिपुर	2.65	6.18	45.16
16.	मेघालय	1.00	6.54	4.49

क्र.सं.	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	1993-94	1994-95	1995-96
17.	मिज़ोरम	1.30	2.89	1.65
18.	नागालैण्ड	1.00	2.98	0.21
19.	उड़ीसा	10.49	68.76	71.46
20.	पंजाब	11.24	62.40	130.15
21.	राजस्थान	15.57	92.06	92.63
22.	तमिल नाडु	39.37	145.32	159.65
23.	त्रिपुरा	1.00	7.34	11.73
24.	उत्तर प्रदेश	38.15	210.65	403.72
25.	पश्चिम बंगाल	39.00	117.21	80.03
26.	अंडमान एवं निकोबार	1.00	4.10	1.08
27.	चंडीगढ़	1.10	4.31	1.89
28.	दमन और दीव	1.00	3.11	0.84
29.	दादरा और नगर हवेली	1.00	3.98	1.29
30.	लक्षद्वीप	1.00	1.89	0.34
31.	पांडिचेरी	1.00	8.59	4.54
32.	सिक्किम	1.00	2.87	0.76
	योग :	419.03	2029.41	2475.57

कच्चे काजू का आयात

2599. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कुल कितनी-कितनी मात्रा में कच्चे काजू का आयात किया गया तथा तैयार काजू उत्पादों का निर्यात किया गया और इस पर क्रमशः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई एवं अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार की आयात सरणीकरण योजना के अन्तर्गत कच्चे कांजू का आयात पुनः शुरू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान कच्चे काजू के आयात तथा तैयार काजू उत्पादों के निर्यात को दर्शाने वाले आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

मात्रा : मी. टन
मूल्य : लाख रुपए में

आयात

	मात्रा	मूल्य
कच्चा काजू	2,18,019	74,918.09

निर्यात

	मात्रा	मूल्य
तैयार काजू उत्पाद	82,385	1,23,106.60

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) और (ग) इस समय, सरणीकरण योजना के अन्तर्गत कच्चे काजू के आयात को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि निर्यात और आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी भी आवश्यक होता है, उसमें संशोधन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड

2600. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है;

(ख) शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के लिए सी.आई.एल. की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार को, शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि के दुरूपयोग का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा शिक्षा पर क्रमशः 8.27 करोड रुपये तथा 9.35 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ख) कोल इंडिया लि. की नीति के अन्तर्गत कोलीफीलड्स क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय अनुदान सहायता की सीमा तक शिक्षा पर व्यय किए जाने की है।

(ग) कोल इंडिया के पास शैक्षणिक संस्थानों को सहायता अनुदान

के रूप में आबंटित किए गए निधियों में किसी तरह का दुरूपयोग होने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970

2601. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के मार्ग निर्देशों के अनुसरण में भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में अनुकूल परिवर्तन के पूर्वानुमान में खाद्य और कृषि रसायन में उत्पाद पेटेंटों के लिए बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन किस तिथि से लंबित पड़े हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पेटेंट कार्यालयों ने 15 जुलाई, 1996 तक भारतीय और विदेशी कम्पनियों/संस्थाओं से भेषज अथवा दवाई के क्षेत्र से संबंधित 893 पेटेंट आवेदन पत्र प्राप्त किये हैं। 01 जनवरी, 1995 से लागू विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार पेटेंट संबंधी आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल 01 जनवरी, 2005 के बाद की जायेगी।

एम.टी.सी का एम.एम.टी.सी. के साथ विलय

2602. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए पुनरूद्धार पैकेज के अनुरुप माइका व्यापार निगम का खनिज और धातु व्यापार निगम के साथ विलय कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (मिटको) को 1987-88 से घाटा होना आरम्भ हो गया था, और इसे बॉयफर में भेज दिया गया जिसने 23.4.93 को इसे रुग्ण घोषित कर दिया। 8.4.96 को बॉयफर ने एम.एम.टी.सी. के साथ मिटको के विलय का आदेश जारी किया। पुनरूद्धार पैकेज के विवरण में शामिल हैं-कार्मिकों में कमी, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, कीमत में कमी इत्यादि। तदनुसार, बॉफर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार पैकेज की शर्तों के अनुसार मिटको का 2.5.96 से एम.एम.टी.सी. के साथ विलय कर दिया गया है।

निर्यातकों द्वारा पास बुक योजना का दुरूपयोग

2603. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों द्वारा पास बुक योजना का दुरूपयोग करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए गए और इस संबंध में पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यात और आयात नीति के पैरा 54 के द्वारा शुरू की गई पास बुक स्कीम को दिनांक 30 मई, 1995 की यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 104/95- सीमा शुल्क के द्वारा अधिसूचित किया गया था। सीमा शुल्क गृहों द्वारा अभी तक पास बुक स्कीम के दुरुपयोग के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

रसायनों की तस्करी

2604. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने हेरोइन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले रसायनों की तस्करी में लिप्त एक अंतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) तस्करी में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्तमंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 27.5.96 को देश से बाहर तस्करी करने का प्रयास करते हुए 874 कि. ग्रा. ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड का अभिग्रहण किया था जो कि हेरोइन के निर्माण के लिए एक मूलभूत रसायन है। अनुवर्ती जांच कार्यवाहियों और मारे गए छापों के दौरान 1241 कि. ग्रा. ऐसीटिक

ऐनहाइड्राइड बरामद करके उसका अभिग्रहण कर लिया गया था। इस सिलसिले में की गई जांच-पड़ताल से किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने का पता नहीं चला है। इस मामले में शामिल पाए गए सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

गणेश चीनी मिल

2605. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गणेश चीनी मिली गत दो वर्षों से बंद पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मिल को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मिल को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) 1994-95 के मौसम से गणेश शूगर मिल्स की पेराई गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।

(ख) से (घ) स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., जो गणेश शूगर मिल्स को नियंत्रित करती है, के मामले को बी आई एफ आर के पास भेजा गया है जिसने इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया है। पुनरूद्धार/पुनर्वासन पैकेज के हिस्से के रूप में, बी आई एफ आर ने गणेश शूगर मिल्स के पट्टा/बिक्री/एकीकरण के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं परन्तु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बी आई एफ आर ने बाद में स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लि. को बन्द करने के लिए आदेश जारी किये हैं। सरकार के पास मिलों को पुनः चालू करने या पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

2606. **प्रो. अनित कुमार मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, देश के विद्युत संयंत्रों की जांच पूरी करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 7 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) इस आयात से कोकिंग कोयले की माग व पूर्ति में कहां तक अंतर कम होगा; और

(घ) कोकिंग कोयले के आयात से देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कितना सुधार होगा ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युत क्षेत्र में अकोकर कोयले की मांग (215 मि. टन) तथा सहमति हुई आपूर्ति (190 मि. टन) के बीच 25 मि. टन कोयले का अन्तराल है। इस अंतराल को पूरा किए जाने हेतु तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात को अपने विद्युत गृहों में उपयोग किए जाने वाले कोयले का आयात करने का परामर्श दिया गया है। अभी तक केवल तमिलनाडु द्वारा कोयले का आयात किया गया है तथा वर्तमान में 1.5 मि. टन कोयले के आयात का आर्डर निष्पादन अधीन है।

(घ) कोयले के वास्तविक आयात की मात्रा के आधार पर विद्युत के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।

बी.एच.ई.एल. द्वारा मशीनरी की खरीद

2607. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए की सेकण्ड हैंड मशीनरी की खरीद में विदेशी मुद्रा के कथित उल्लंघन की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सम्मिलित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा एक पुरानी मशीनरी की खरीद से संबंधित एक मामला दर्ज किया है। इस मामले की केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा अभी जाच की जा रही है।

वित्तीय संस्थाओं की देनदारी

2608. **श्री राजेश पायलट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों की आज तक कुल कितनी देनदारियां हैं;

(ख) बड़े, मझौले और लघु उद्योगों-वार तथा कृषि क्षेत्र की देनदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन बड़े और मझौले उद्योगों पर 10 लाख रुपए से अधिक देनदारियां हैं; और

(घ) ऋणों का भुगतान न करने वालों से देयों की वसूली के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों और चार अग्रणी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (नामतः, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक) के ऋणों (निष्क्रिय अग्रिमों) की 31.3.1996 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल बकाया अतिदेय राशियां नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रुपए)

राष्ट्रीयकृत बैंक	27322.26
वित्तीय संस्थाएं	
(सरकार/निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम द्वारा गारंटीशुदा ऋणों को छोड़कर)	10558.00

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की, सितम्बर 1994 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, बकाया अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अतिदेय राशियां निम्नानुसार थीं :

बड़े और मझौले उद्योग	15.75%
औद्योगिक सम्पदा सहित लघु उद्योग	24.46%
कृषि	24.95%

ऊपर उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बैंक/वित्तीय संस्थायें निर्धारित किए गए अपने नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी देय राशियों की वसूली करने के लिए कार्रवाई करती हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों पर शीघ्र न्यायनिर्णय देने तथा उनकी वसूली को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया ताकि बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली की जा सके। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले ऋणकर्ताओं से संबंधित सूचना प्रकट करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल, 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों मे अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋणकर्ता खातों का ब्यौरा, जिन्हें संदिग्ध, हानि और एक करोड रुपए या अधिक की बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करने का प्रावधान है ताकि वे इस सूचना का इस समय उपयोग कर सकें जब वे वर्तमान और नए ग्राहकों द्वारा की गई नई अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोधों पर विचार कर रहे हों।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाने तथा अग्रिमों के बारीकी से पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना करें। निष्क्रिय अग्रिमों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वसूली के मामले में शखा के कार्यनिष्पादन की मुख्य कार्यपालकों द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर पर मासिक आधार पर निगरानी की जानी होती है। तिमाही अन्तरालों पर, वसूली में हुई प्रगति के बारे में निदेशक बोर्ड को भी अवगत कराया जाता है। वसूली के लक्ष्यों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए निष्क्रिय अग्रिमों में कमी का निर्धारण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी निगरानी बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से की जाती है।

उच्च न्यायालय के स्थानांतरित न्यायाधीशों को आवासीय सुविधाएं

2609. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीति के लागू होने के पश्चात् एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थानान्तरित होने वाले न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन सभी न्यायाधीशों को उनके नये तैनाती स्थान पर आवास सहित सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी.खलप) : (क) ऐसे मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशो की, जिन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, विशिष्टयां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 22क (1) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक न्यायाधीश सरकारी आवास के किराए का संदाय किए बिना उसका उपयोग करने का हकदार होगा। अतः राज्य सरकारों के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, जिनके अंतर्गत स्थानांतरित न्यायाधीश भी हैं, किराया मुक्त आवास और अन्य सुविधाएं

उपलब्ध कराएं। केन्द्रीय सरकार, इस कानूनी अपेक्षा के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को बार-बार बताती रहती है।

विवरण

मुख्य न्यायमूर्तियों जिन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है की विशिष्टयां

(1.8.1996 तक)

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम	स्थानांतरित से	में
	सर्वश्री न्यायमूर्ति		
1.	देवाप्रिय महापात्रा	उड़ीसा	इलाहाबाद
2.	प्रभाशंकर मिश्रा	पटना	आंध्र प्रदेश
3.	मनहर लाल भीखालाल शाह	गुजरात	मुंबई
4.	विश्वेश्वर नाथ खरे	इलाहाबाद	कलकत्ता
5.	मामीदान्ना जगन्नाधाराव	आंध्र प्रदेश	दिल्ली
6.	विनय कृष्णा खन्ना	इलाहाबाद	गौहाटी
7.	गुरूदास दत्ता कामत	मुंबई	गुजरात
8.	एम. श्रीनिवासन	मद्रास	हिमाचल प्रदेश
9.	मनीयालप्पा रामाकृष्णा	कर्नाटक	जम्मू-कश्मीर
10.	राम प्रकाश सेठी	जम्मू कश्मीर	कर्नाटक
11.	उदय प्रताप सिंह	पटना	केरल
12.	अशोक कुमार माथुर	राजस्थान	मध्य प्रदेश
13.	कुदारीकोटी अन्नादनय्या स्वामी	कर्नाटक	मद्रास
14.	एस. एन. फुखन	गौहाटी	उड़ीसा
15.	देवेन्द्र प्रताप वधवा	दिल्ली	पटना
16.	के. श्रीधरन	केरल	पंजाब और हरियाणा
17.	अमृतलाल परमानंदास रवानी	गुजरात	राजस्थान
18.	कृष्णा मुरारी अग्रवाल	मध्य प्रदेश	सिक्किम
1.	आर दयाल	सिक्किम	इलाहाबद
2.	एन. सी. कोच्चर	दिल्ली	राजस्थान
3.	बी. एम. लाल	मध्य प्रदेश	इलाहाबाद
4.	बी.पी. सर्राफ	गौहाटी	मुंबई
5.	आर.सी. लाहौटी	मध्य प्रदेश	दिल्ली
6.	अरूण मदान	दिल्ली	राजस्थान
7.	अंशुमन सिंह	इलाहाबाद	राजस्थान
8.	एम.एल. कोल	जम्मू-कश्मीर	पंजाब और हरियाणा
9.	एम.पी. सिंह	इलाहाबाद	राजस्थान
10.	बी.पी.एस. चौहान	इलाहाबाद	मध्य प्रदेश
11.	ए.एस. त्रिपाठी	इलाहाबाद	मध्य प्रदेश
12.	जे.एन. दूबे	इलाहाबाद	पटना
13.	एस.पी. मिश्रा	इलाहाबाद	कलकत्ता
14.	वी.वी. कामत	मुंबई	केरल
15.	एम.एफ.सलदान्हा	मुंबई	कर्नाटक
16.	पी.के. मुखर्जी	कलकत्ता	इलाहाबाद
17.	एस. चटर्जी	कलकत्ता	उड़ीसा
18.	सतपाल	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा
19.	वी.एस. मैराविया	गुजरात	मुंबई
20.	आर.डी. व्यास	गुजरात	मध्य प्रदेश
21.	देवेन्द्र गुप्ता	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली
22.	एन.वाई. हनुमनथप्पा	कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
23.	एस.वी. पाटिल	कर्नाटक	मद्रास
24.	सी. शिवाप्पा	कर्नाटक	मद्रास
25.	पी.आई. कृष्णामूर्ति	केरल	कर्नाटक
26.	एल. मनोहरन	केरल	मुंबई
27.	वी.एस. कोकजे	मध्य प्रदेश	राजस्थान
28.	पी.पी. नावलेकर	मध्य प्रदेश	राजस्थान
29.	वी.डी. ज्ञानी	मध्य प्रदेश	गौहाटी
30.	बी.के. राय	पटना	इलाहाबाद
31.	एन.पी. सिंह	पटना	मध्य प्रदेश

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम	स्थानांतरित से	में
32.	जी.सी. भरूका	पटना	कर्नाटक
33.	एस.बी. सिन्हा	पटना	कलकत्ता
34.	राजेश बलिया	राजस्थान	गुजरात
35.	जी.एस. सिंघवी	राजस्थान	पंजाब और हरियाणा
36.	एम. आर. काला	राजस्थान	गुजरात
37.	एच.एन. तिलहारी	इलाहाबाद	कर्नाटक
38.	के.एस. भक्तावत्सलम	मद्रास	कर्नाटक
39.	जे.ई. प्रसाद	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
40.	एल. रथ	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश
41.	वी.पी. मोहन कुमार	केरल	कर्नाटक
42.	ए.के. गांगुली	कलकत्ता	पटना
43.	एम.के. शर्मा	गौहाटी	दिल्ली
44.	पी.के. देब	गौहाटी	पटना
45.	ए.के. पटनायक	उड़ीसा	गौहाटी
46.	के. राजारत्नम	मद्रास	कर्नाटक
47.	टी.एन.सी. रंगाराजन	मद्रास	आंध्र प्रदेश
48.	डी.के. त्रिवेदी	गुजरात	मुंबई
49.	वी.जी. पालशकर	मुंबई	राजस्थान
50.	एच.एल. गोखले	मुंबई	गुजरात
51.	सी.जे. गोविंद	मुंबई	मध्य प्रदेश
52.	आर.एम. बापत	मुंबई	आंध्र प्रदेश
53.	आर.आर. यादव	इलाहाबाद	राजस्थान
54.	विष्णु सहाय	इलाहाबाद	मुंबई
55.	ए.एन. त्रिवेदी	इलाहाबाद	पटना
56.	ओ.एन. अस्थाना	इलाहाबाद	पटना
57.	पी.के. सरीन	इलाहाबाद	पटना
58.	तेज शंकर	इलाहाबाद	मध्य प्रदेश
59.	एस.के. केशहोते	राजस्थान	गुजरात

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम	स्थानांतरित से	में
60.	एन.एन. माथुर	राजस्थान	गुजरात
61.	आर.एम. लोधा	राजस्थान	मुंबई
62.	ओ.पी. जैन	राजस्थान	इलाहाबाद
63.	पी.के. पल्ली	पंजाब और हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
64.	टी.एस. दोबिया	पंजाब और हरियाणा	मध्य प्रदेश
65.	टी.एस. ठाकुर	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक
66.	टी.जे. छोता	कर्नाटक	मद्रास
67.	बी.एस. रायकोटे	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश
68.	एस.आर. नायक	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश
69.	बी.के. सोमाशेखरा	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश
70.	आर.जे. बाबू	कर्नाटक	मद्रास
71.	आर.जे. विद्यानाथ	कर्नाटक	मुंबई
72.	बी.एन. सिंह नीलम	पटना	गौहाटी
73.	पी.सी. नायक	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
74.	आलोक चक्रवर्ती	कलकत्ता	इलाहाबाद
75.	सी.ए. रनिम	कलकत्ता	इलाहाबाद
76.	आर.एन. राय	कलकत्ता	इलाहाबाद
77.	एस.के. फौजदार	कलकत्ता	इलाहाबाद
78.	वसुदेव पाणिग्रही	उडीसा	कलकत्ता
79.	विद्यानंद	पटना	कलकत्ता
80.	सिद्धेश्वर नारायन	पटना	कलकत्ता
81.	दलजीत सिंह धालिवाल	पंजाब और हरियाणा	पटना
82.	सुरेन्द्र सरूप	पंजाब और हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
83.	जोगिन्दर सिंह सिद्धू	पंजाब और हरियाणा	इलाहाबाद
84.	अमर बीर सिंह गिल	पंजाब और हरियाणा	इलाहाबाद

क्र.सं. न्यायाधीश का नाम	स्थानांतरित से	में
85. तेजपाल गर्ग	पंजाब और हरियाणा	इलाहाबाद
86. ईश्वर प्रकाश वशिष्ट	पंजाब और हरियाणा	इलाहाबाद
87. विजय नारायन पटनायक	उड़ीसा	केरल
88. सेथूनथ सर्मा सुबरामनि	केरल	मद्रास
89. साइरायक जोसफ	केरल	दिल्ली
90. टी.के.चन्द्र शेखर दास	केरल	मुबई
91. कृष्ण सरन श्रीवास्तव	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश
92. डा. मैथली सरन	मध्य प्रदेश	इलाहाबाद
93. देवेन्द्र कुमार जैन	मध्य प्रदेश	कलकत्ता
94. श्रीमती सरोजनी सक्सैना	मध्य प्रदेश	पंजाब और हरियाणा
95. एम.एस. के. सिद्दीकी	मध्य प्रदेश	दिल्ली
96. सूर्य कुमार तिवारी	मध्य प्रदेश	कलकत्ता
97. कमल कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	पंजाब और हरियाणा
98. अशोक कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	दिल्ली
99. श्रीकान्त छगनलाल मल्ते	मुंबई	पंजाब और हरियाणा
100. सुमन दत्ता राम पंडित	मुंबई	गुजरात
101. अविनास सोमाकान्त भाटे	मुंबई	आंध्र प्रदेश
102. एन.जी. नन्दी	गुजरात	दिल्ली
103. सरद सुखराम सुधालकर	गुजरात	पंजाब और हरियाणा
104. के. राममूर्ति	मद्रास	दिल्ली
105. ए.एस. वेकटचलामूर्ति	मद्रास	मुंबई
106. नेलावाय दिनकर	मद्रास	केरल
107. पलानीसामी शंभूगम	मद्रारा	केरल
108. के.संपत कुमारन	मद्रास	पंजाब और हरियाणा
109. वाई. वेंकटाचलम	आंध्र प्रदेश	मद्रास
110. टी.एच.बी. चलपथी	आंध्र प्रदेश	पंजाब और हरियाणा
111. सी.के. प्रसाद	पटना	मध्य प्रदेश
112. सैयद रफद आलम	पटना	इलाहाबाद
113. रामकिशोर सिंह	पटना	इलाहाबाद
114. स्वतंत्र कुमार	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा
115. प्रेम कुमार जैन	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा
116. राम प्रकाश गुप्ता	दिल्ली	मध्य प्रदेश
117. विनोद सागर अग्रवाल	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा
118. पवित्रा कुमार घोष	कलकत्ता	गौहाटी
119. समोह चरण दत्ता	कलकत्ता	उड़ीसा
120. सोहन लाल सर्राफ	कलकत्ता	गौहाटी
121. दिलीप कुमार सेठ	कलकत्ता	इलाहाबाद
122. प्रदीप्ता राय	कलकत्ता	उडीसा
123. श्रीमती जान सुधामिश्रा	पटना	राजस्थान
124. *के.पी. दांदापानी	केरल	गुजरात
125. अनुप देब	सिक्किम	उडीसा
126. बी.एच. नसीर	गुजरात	आंध्र प्रदेश
127. आर.के. महाजन	हिमाचल प्रदेश	इलाहाबाद
128. मलय सेन गुप्ता	कलकत्ता	सिक्किम
129. रविकुमार नेहरू	पंजाब और हरियाणा	जम्मू-कश्मीर
130. बी.जे. सेठना	गुजरात	राजस्थान
131. के.जी. शाह	गुजरात	मुंबई
132. एम.जी. मुखर्जी	कलकत्ता	राजस्थान
133. गवानी सिंह	हिमाचल प्रदेश	जम्मू-कश्मीर

* अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है विस्तार के लिए अनुरोध किया है

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम	स्थानांतरित से	में
134.	नंद कुमार अग्रवाल	राजस्थान	पंजाब और हरियाणा
135.	सुरेन्द्रि सिंह निज्जर	पंजाब और हरियाणा	मुंबई
136.	विनोद कुमार गुप्ता	जम्मू-कश्मीर	कलकत्ता
137.	जगदीश चन्द्र वर्मा	पंजाब और हरियाणा.	राजस्थान

कर्नाटक के लंबित विधेयक

2610. **श्री बी. एल. शंकर :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के कई विधेयक केंद्रीय सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विधेयकों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

विधि कार्य विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) संघ सरकार के पास, केवल एक विधेयक अर्थात्, गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के अवधारण के लिए कर्नाटक राज्य आयोग विधेयक, 1994 प्रशासनिक अनुमोदन के लिए लंबित हैं। कर्नाटक सरकार से खाद्य मंत्रालय और व्यय विगाग द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया था जो स्मरण कराए जाने के बावजूद गी अगी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कोयले का उत्पादन

2611. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम की कोयला खानों से कितने कोयले का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान असम सरकार को कोयले पर कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कोयला आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) असम के कोलफील्ड्स में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

1993-94	1994-95	1995-96
1.20	1.19	0.82

(ख) असम सरकार को पिछले वर्षों के दौरान कोयले पर अदा की गई राशि को नीचे दर्शाया गया है—

1993-94	1994-95	1995-96
0.44	0.42	21.59

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय में असम राज्य में कोयले पर आधारित किसी उद्योग को स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां

2612. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितनी हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां कार्यरत हैं, और

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान इन समितियों को राज्य-वार कितनी ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	*हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या	**स्वीकृत की गई क्रेडिट (करोड रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	871	87.75
2.	असम	2785	-
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
4.	बिहार	1492	-
5.	गुजरात	1314	-
6.	हरियाणा	454	0.75
7.	हिमाचल प्रदेश	188	-
8.	जम्मू व कश्मीर	327	-
9.	कर्नाटक	534	3.11

क्र.सं.	राज्य का नाम	*हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या	**स्वीकृत की गई क्रेडिट (करोड़ रु. में)
10.	केरल	610	50.92
11.	मध्य प्रदेश	828	11.81
12.	महाराष्ट्र	828	11.72
13.	मेघालय	38	-
14.	मणिपुर	1057	-
15.	मिजोरम	172	-
16.	नागालैंड	200	-
17.	पंजाब	755	-
18.	उड़ीसा	838	60.29
19.	राजस्थान	636	-
20.	तमिलनाडू	1521	364.13
21.	उत्तर प्रदेश	4817	16.00
22.	पश्चिम बंगाल	1901	89.09
23.	दिल्ली	500	-
24.	पांडिचेरी	14.	5.75
25.	गोवा	3	-
26.	त्रिपुरा	61	-
	योग :	22744	701.32

* राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर

** नाबार्ड द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक उद्योग

2613. **श्री बची सिंह रावत बचदा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहद उद्योग का विकास

2614. **श्री एन. डेनिस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से लोगों द्वारा शहद को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश में शहद उद्योग के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) शहद का प्रयोग झंडू, चरक, डाबर तथा वैद्यनाथ जैसे फर्मों द्वारा आयुर्वेदिक सम्पाकों में किया जाता है। शहद का उपयोग औषधि कंपनियों में भी होता है जो इसका उपयोग अपने सिरप, टॉनिक, कफ सिरप, बी-काम्पलैक्स सिरप बनाने के लिए करते हैं।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के तहत मधु-मक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये किये गये उपायों में आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर मधु-मक्खी पालन उद्योग का विकास करना, बागान क्षेत्र का पता लगाना और उसे भी इसके तहत लाने के प्रयास शामिल हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के अधिकांश भागों में अधिक शहद पैदा करने वाली अनेक किस्म की शहद की मक्खियों की शुरूआत की गई है जैसे एपिस मेलिफेरा ताकि शहद के उत्पादन में वृद्धि हो सके। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आधारभूत सुविधाएं, सेवा पैकेज जैसे प्रशिक्षण, उन्नत औजार, उपकरणों की आपूर्ति रियायती दरों पर मानक मधु-मक्खी कशों की आपूर्ति पर्याप्त रूप से सहायता और अपेक्षित वित्तीय सहायता मुहैया की जाती हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधु-मक्खी पालन के विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों के जरिये किया जायेगा। 21 राज्यों के 96 जिलों में निन्यानवे परियोजनाओं का पता लगाया गया है और इनकी कुल कार्यान्वयन लागत 110 करोड़ रुपये है जिससे 50,000 कामगारों को रोजगार मिलेगा। ऐसी परिकल्पना की गई है कि 1500 मीट्रिक टन मधु मक्खी का शहद, 10 टन मधुमोम और 350 मीट्रिक टन डोरसाटा शहद का उत्पादन किया जायेगा जिनका वार्षिक मूल्य 120.00 करोड़ रुपया होगा। 50,000 अतिरिक्त मधु मक्खी कालोनियों की शुरूआत की जायेगी जिससे 90,000 से अधिक हैक्टेयर भूमि में वनस्पति, फल, तिलहन की फसलों से, पराग उपलब्ध होगा।

महंगाई भत्ता/अंतरिम राहत

2615. **डॉ. कृपासिन्धु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1996 के अंत तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के देय बकाया महंगाई भत्ता/अंतरिम राहत के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त तथा अंतरिम राहत जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इसका भुगतान किस तिथि तक कर दिया जाएगा; और

(घ) उक्त विषय के संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जून 1996 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देय नहीं है। अंतरिम राहत के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग से इस बात पर विचार करने को कहा गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक और किस्त दी जा सकती है। आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

एन टी सी मिलों का पुनरूद्धार

2616. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी आई एफ आर ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) की नई कपड़ा मिलों को बंद किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से उन मिलों के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. के नियंत्रणाधीन 9 मिलों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसने इसे एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया है। बी आई एफ आर ने कंपनी को बंद करने के लिए संबंधित पक्षों से आपत्ति मांगते हुए एक नोटिस जारी किया था।

(ग) एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. के अधीन मिलों के पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योगों की नकदी स्थिति के सुधार संबंधी उपाय

2617. **श्री अन्ना साहिब एन.के. पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों की नकदी स्थिति सुधारने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग हेतु पर्याप्त निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने की जरूरत के प्रति पूरी तरह सजग हैं और पिछले चार महीनों में इस दिशा में अनेक उपाय पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। उद्योग की नकदीकरण स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) निवल घरेलू मांग पर नकद प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) और समय देयताओं में चरणबद्ध रूप में 14 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की कमी की गई है और अनिवासी (विदेशी) रुपया जमाराशियों पर भी सी आर आर से पूरी तरह छूट दी गई है।

(II) बकाया अनिवासी (विदेशी) रुपया (एन आर ई आर) खातों पर सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) को घटाकर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

(III) यूरो-निर्गमों और विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी) संबंधी दिशानिर्देशों को उदारीकृत किया गया है।

(IV) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को निगमों तथा अन्यों के लिए खोल दिया गया है।

(V) बैंकों को ज्यादा जमाओं को आकर्षित करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष से अधिक की सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरों पर नियन्त्रण हटा लिया गया है और न्यूनतम परिपक्वता अवधि 30 दिन तक कम कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामले

2618. **श्री ए. सम्पथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के लागू होने के बाद से कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इन मामलों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नशा करने वाले मनुष्यों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के दुरूपयोग के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अंकुश लगाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1990 से 1995 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1986 से 1989 के लिए उपलब्ध सूचना भी विवरण पत्र में दी गई है। राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों की मदद से पूरे देश में स्वापक व्यसनियों को परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए कई स्वापक जागरूकता परामर्श तथा सहायता केन्द्र तथा अव्यसन-सह-पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें जांच करने पर सही नहीं पाया गया। तथापि, जब कभी भी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग को सही पाया जाता है, तो दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है।

विवरण

एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1.	आंध्र प्रदेश	42	23	8	215	383	531
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	4	13	12	47	12
3.	असम	32	183	96	198	116	73
4.	बिहार	647	354	373	124	189	54
5.	गोवा	33	13	20	35	35	20
6.	गुजरात	24	23	19	209	279	251
7.	हरियाणा	144	107	132	151	136	94
8.	हिमाचल प्रदेश	65	6	63	71	88	52
9.	जम्मू और कश्मीर	13	19	41	36	41	55
10.	कर्नाटक	3	2	62	213	130	2
11.	केरल	71	60	161	20	144	178
12.	मध्य प्रदेश	49	42	96	741	1052	125
13.	महाराष्ट्र	319	759	860	1388	659	414
14.	मणिपुर	45	121	372	323	894	149
15.	मेघालय	18	2	34	39	87	76
16.	मिजोरम	29	90	162	120	99	250
17.	नागालैंड	52	84	94	114	75	49
18.	उड़ीसा	4	1	15	91	206	5

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990	1991	1992	1993	1994	1995
19.	पंजाब	45	90	103	319	300	377
20.	राजस्थान	93	134	113	197	403	171
21.	सिक्किम	–	–	1	–	–	–
22.	तमिलनाडु	967	1438	3080	2468	2700	2368
23.	त्रिपुरा	5	1	1	15	30	38
24.	उत्तर प्रदेश	566	1053	6071	5646	5662	6359
25.	पश्चिम बंगाल	250	62	91	172	242	241
26.	दिल्ली	383	554	620	588	644	828
27.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
28.	पांडिचेरी	-	69	6	4	1	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	4	3	1	3	3
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
31.	दादर और नागर हेवली	–	–	–	–	–	–
32.	चंडीगढ़	–	–	41	8	12	19
	कुल :	3903	5298	12751	13518	14657	12799

एन डी पी एस अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या

1986	1987	1988	1989
3228	1786	2080	7332

[हिन्दी]

अमरीका को हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2619. **डा. साहेबराव सुकराम बागुल :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की किसी कंपनी के साथ हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं को अन्य देशों को भी निर्यात किए जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा किसी अमरीकी कंपनी के साथ अमरीका को हस्तशिल्प उत्पाद निर्यात करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। अमरीका सहित विभिन्न देशों को भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात हेतु सरकार की निम्नलिखित योजनाएं हैं :

1. लघु-ज्ञात शिल्पों जैसे जरी व जरदोजी सहित कशीदाकारी की वस्तुओं, लेस या लेस की बनी वस्तुओं, नकली जेवरात, साथ ही साथ पर्यावरण अनुकूल शिल्प जैसे कागज-उत्पाद व जूट हस्तशिल्प को प्रोत्साहन।

2. दक्षिण अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इजराइल, टर्की जैसे गैर-परम्परागत बाजारों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के नये औद्योगिक देशों की खोज।

3. भारत के निर्यात अभिमुखी हस्तशिल्पों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने हेतु गुणवत्ता मानदण्डों को उन्नत करना।

4. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता।

5. शुल्कों को निष्प्रभावी बनाने हेतु निश्चित शिल्पों से शुल्क हटाना।

6. निर्यात प्रोत्साहन उपाय, अर्थात् क्रेता-विक्रेता बैठकें, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना तथा भारत में व्यापार मेलों का आयोजन करना।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस

2620. **डा. बलिराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इस सीमा को बढ़ाने के संबंध में अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बोनस की सीमा को कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सिवाय रेल कर्मियों के, जिनके मामले में बोनस 4500/- रुपए तक की मासिक परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों को देय होता है, बोनस उन्हीं केन्द्रीय कर्मचारियों को देय होता है जिनकी परिलब्धिया 3500/- रुपए तक प्रतिमाह हों।

(ख) से (घ) बोनस की अर्हक सीमा बढ़ाने के लिए कुछ कर्मचारी संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पांचवां वेतन आयोग बोनस से जुड़े मामलों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धी सभी पक्षों को देख रहा है।

उद्योग रहित जिला

2621. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के 'उद्योग रहित' घोषित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके औद्योगिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में कोई ठोस योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत सरकार द्वारा 'उद्योग रहित' घोषित जिलों की घोषणा की जाती हो। किसी क्षेत्र/जिले के औद्योगिक विकास की जिम्मेवारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

[अनुवाद]

नमक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

2622. **श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नमक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का प्रत्येक वर्ष गठन करती है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, नहीं। केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का है।

(ख) केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग मंत्री करते हैं और नमक आयुक्त इसके सदस्य-सचिव हैं। बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में से नामित किए जाते हैं :

- केन्द्र और राज्य सरकारों (नमक उत्पादक राज्य और गैर-नमक उत्पादक राज्य दोनों) के प्रतिनिधि
- नमक/आयोडीकृत नमक तथा परिष्कृत नमक विनिर्माताओं के प्रतिनिधि
- नमक विनिर्माणकारी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि
- अल्कली विनिर्माताओं के प्रतिनिधि और

जन कार्यों का ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

राष्ट्रीय कपड़ा मिल श्रमिकों को देय राशियां

2623. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कपड़ा मिलों और बी आई सी मिलों के श्रमिकों को गत तीन वर्षों से उपदान, अवकाश सहित वेतन आदि के रूप में देयराशियों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन श्रमिकों को देयराशियों का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग) कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण एन टी सी के संबंध में ग्रेच्युटी, वेतन सहित छुट्टी आदि के संबंध में कुछ देय बकाया राशि रही है। एन टी सी मिलों के पुनरूद्धार के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति मंजूर की गयी है। चूंकि एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले को बी आई एफ आर के पास भेज दिया गया है तथा बी आई एफ आर द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया है। एक सशोधित सर्वांगीण सुधार योजना बी आई एफ आर के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखी गयी एफ बार जब बी आई एफ आर द्वारा योजना मंजूर हो जाएगी तथा निधियां उपलब्ध हो जांएगी, एन टी सी द्वारा ग्रेच्युटी, वेतन सहित छुट्टी आदि के संबंध में बकाया भुगतान कर देने की आशा की जाती है।

बी आई सी के संबंध में, ग्रेच्युटी, वेतन सहित छुट्टी के संबंध में आज की तिथि में कोई देय बकाया नहीं है।

सीमेंट का उत्पादन

2624. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 तक सीमेंट के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमेंट उद्योग संबंधी विकास परिषद ने इस उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु कतिपय सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए 760 लाख टन सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। (ग) और (घ) सीमेंट उद्योग विकास परिषद द्वारा कोयला/लिग्नाईट का पर्याप्त आबंटन, कोयले की गुणक्ता में सुधार, कोयले का आयात, सीमेंट/कोयले की दुलाई के लिए रेलवे बैगनों की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी, बिजली की आपूर्ति में सुधार, दानेदार धातुमल, फ्लाई ऐश, जिप्सम और अन्य निविष्टियों की आपूर्ति में वृद्धि, सीमेंट/क्लिंकर आदि के निर्यात के लिए प्रोत्साहन और अतिरिक्त सुविधाओं जैसे उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं।

तमिलनाडु में बैंक शाखाएं

2625. **श्री एन. एस. वी. चितृयन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में बैंक-वार एवं स्थान-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंक-वार कितनी राशि जमा की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बैंक-वार किसानों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं वितरित की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों को ऋणों का वितरण संबंधी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) तमिलनाडु के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रायोजक बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक वार संख्या और मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार इन बैंकों में जमाराशियां संलग्न विवरण - I में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि (फार्म) क्षेत्र को गत तीन वर्षों 1993-94 से 1994-96 के दौरान आबंटित (यथा उपलब्ध) आंकड़े और प्राप्त लक्ष्य सलग्न विवरण - II में दिए गए हैं। आई ओ बी ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु के वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई कृषि-अग्रिम की वसूली के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(राशि करोड रुपए में)

वर्ष की अवधि	मांग	वसूली
जून 1992	1046.47	710.99
जून 1993	1257.12	870.34
जून 1994	1313.23	930.35

विवरण - I

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार शाखाएं और जमाराशियां (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च, 96 तक शाखाओं की संख्या					(जमाराशियां)		
		ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	योग	31.3.94	31.3.95	31.3.96
1.	भारतीय स्टेट बैंक	229	177	79	75	560	4011	4625	5372
2.	स्टेट बैंक ऑ बीकानेर एंड जयपुर	-	-	2	3	5	18	11	30
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	1	-	5	7	40	52	46
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-	-	-	2	2	11	16	21
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4	5	9	8	26	183	197	223
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	-	-	-	3	3	38	56	53
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	-	-	2	2	4	6	12	15
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	9	28	16	10	63	179	285	359
9.	इलाहाबाद बैंक	2	2	8	10	22	98	117	90
10.	आन्ध्रा बैंक	3	-	11	16	30	231	300	334
11.	बैंक आफ बड़ौदा	31	15	19	26	91	804	957	905
12.	बैंक आफ इंडिया	56	12	17	20	105	480	583	591
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	-	-	6	5	11	48	64	73
14.	केनरा बैंक	203	122	60	50	435	2430	2996	3282
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	54	42	33	26	155	593	753	848
16.	कारपोरेशन बैंक	28	10	18	8	64	239	354	336
17.	देना बैंक	1	-	9	12	22	68	86	93
18.	इंडियन बैंक	346	199	93	78	716	3061	3315	3910
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	365	142	67	59	633	2395	2865	3102
20.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	1	2	2	3	8	54	53	74
21.	पंजाब नेशनल बैंक	14	16	21	22	73	366	381	448
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	3	4	7	24	43	35
23.	सिंडिकेट बैंक	18	29	23	22	92	392	477	525
24.	यूको बैंक	19	9	18	18	64	219	301	341
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	51	27	17	15	110	314	638	744
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	2	4	5	21	31	39	91
27.	विजया बैंक	5	7	17	17	46	157	250	246
	जोड़ :	1440	847	554	524	3365	16490	19826	22188

विवरण - II

फार्म सेक्टर—ऋण आबंटन और उपलब्धियां - तमिलनाडु में

(करोड़ रुपए में)

बैंक	1993-94		1994-95		1995-96	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
भारतीय स्टेट बैंक	185.61	191.69	210.90	214.55	245.38	256.06
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	5.85	3.52	5.99	9.63	7.32	9.54
स्टेट बैंक और मैसूर	0.49	0.38	0.61	0.36	1.43	1.02
इलाहाबाद बैंक	0.54	0.79	0.54	0.90	0.82	1.00
आंध्रा बैंक	0.84	0.36	1.03	1.11	1.19	1.24
बैंक आफ बड़ौदा	30.46	26.65	31.78	29.38	35.02	34.29
बैंक आफ इंडिया	23.44	23.37	25.73	29.96	30.11	33.23
बैंक आफ महाराष्ट्र	0.05	0.05	0.03	1.08	0.56	1.00
केनरा बैंक	198.83	265.82	234.38	267.29	285.58	296.75
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	23.57	18.18	25.41	24.70	31.71	31.86
कार्पोरेशन बैंक	4.90	3.74	5.29	6.38	6.43	6.78
देना बैंक	0.39	0.46	0.90	0.32	0.72	0.62
इंडियन बैंक	255.49	267.47	263.14	302.19	285.04	313.78
इंडियन ओवरसीज बैंक	187.71	195.46	240.71	233.73	311.08	309.12
पंजाब नेशनल बैंक	16.58	15.01	18.53	15.35	18.23	16.30
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	-	0.02	0.01	0.60	0.55	0.72
सिंडिकेट बैंक	10.76	6.50	11.49	8.68	18.04	13.24
यूनियन बैंक आफ इंडिया	22.57	27.13	27.30	29.28	30.11	28.28
यूको बैंक	0.03	0.02	14.19	13.13	16.99	16.74
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	14.71	9.65	0.06	0.07	0.08	0.08
विजया बैंक	0.83	0.66	1.09	2.15	1.60	2.01
योग :	983.65	1056.93	1119.11	1190.84	1327.99	1373.66

यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. द्वारा निवेश

2626. **श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई द्वारा निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में कुल कितना-कितना निवेश किया गया;

(ख) निजी क्षेत्र की इन्हीं कंपनियों में उक्त अवधि के दौरान उक्त दोनों वित्तीय संस्थानों की वित्तीय भागीदारी का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनियों के समूह ने वित्तीय लेनदेन में काफी अनियमितताएं की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां तो इसका परिणाम क्या रहा है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :(क) से (सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के आवेदन पत्र

2627. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इनमें से कितने स्वीकार किए गए तथा राज्य-वार प्रति आवेदन पत्र पर कितनी औसत ऋण राशि मंजूर की गई;

(ख) कितने आवेदन पत्रों के लिए मंजूर की गई धनराशि जारी नहीं की गई तथा उन्हें मंजूर की गई धनराशि की अदायगी किए जाने के संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

1996-97 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने आवेदन कर्ताओं को लाभ मिलने की आशा है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान, कार्यान्वयन करने वाले बैंकों द्वारा प्रति ऋण-कर्ता स्वीकृत ऋण की औसत धनराशि सहित प्राप्त आवेदन-पत्रों, स्वीकृत तथा जिन्हें संवितरण नहीं किया गया उनकी संख्या तथा लाभग्राहियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत 2,75,513 मामलों में से 1, 62, 998 मामलों में ऋण संवितरित किए गये हैं, जो स्वीकृत मामलों का 5.9% हैं। इस योजना के तहत ऋण तभी संवितरित किए जा सकते हैं जब आवेदनकर्ता आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तथा संवितरण-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा कर ले। भारतीय रिजर्व बैंक ने पी.एम.आर.वाई. के तहत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण-राशि के समयबद्ध संवितरण के लिए निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान, कार्यान्वयन करने वाले बैंकों द्वारा प्रति ऋणकर्ता स्वीकृति ऋण की औसत धनराशि सहित प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत तथा जिन्हें संवितरण नहीं किया गया उनकी संख्या संबंधी स्थिति को राज्य/संघ क्षेत्र-वार दर्शाने वाला विवरण।

(राशि लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1995-96 आवेदनों की संख्या प्राप्त	स्वीकृत	जिन्हें संवितरण नहीं किया गया	प्रति ऋणकर्ता को स्वीकृत ऋण की औसत राशि	वर्ष 1996-97 में शामिल किए जाने वाले लाभग्राहियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	44483	29052	12438	0.54	31900
अरूणाचल प्रदेश	298	252	197	0.74	300
असम	10696	7189	3623	0.78	9900
बिहार	37915	16884	8081	0.74	22150
गोवा	739	510	165	0.75	550

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवेदनों की संख्या		जिन्हें संवितरण नहीं किया गया	प्रति ऋणकर्ता को स्वीकृत ऋण की औसत राशि	वर्ष 1996-97 में शामिल किए जाने लाभग्राहियों की संख्या
	प्राप्त	स्वीकृत			
गुजरात	17771	10345	2130	0.48	8500
हरियाणा	16763	8879	2184	0.53	7200
हिमाचल प्रदेश	4505	2567	487	0.54	2100
जम्मू एवं कश्मीर	2511	1434	804	0.59	3100
कर्नाटक	26370	15059	6473	0.55	17700
केरल	28117	12168	2713	0.51	15000
मध्य प्रदेश	60063	30358	15074	0.66	27050
महाराष्ट्र	65555	39001	10000	0.40	35000
मणिपुर	1639	939	777	0.82	2000
मेघालय	611	508	392	0.76	550
मिजोरम	350	225	222	0.93	250
नागालैण्ड	315	291	102	0.77	300
उड़ीसा	20324	7590	5207	0.75	8250
पंजाब	27730	15233	6488	0.59	8600
सिक्किम	236	161	33	0.46	200
राजस्थान	20442	9921	5279	0.53	10400
तमिलनाडु	33889	17714	8351	0.54	21800
त्रिपुरा	1404	774	558	0.65	1300
उत्तर प्रदेश	75557	33867	11104	0.50	35813
पश्चिम बंगाल	22201	9276	5784	0.01	22000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15728	4286	2475	0.53	4550
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	146	96	24	0.61	100
चंडीगढ़	310	174	54	0.81	150
दमन व दीव	81	44	15	0.63	100
दादर व नगर हवेली	276	188	20	0.68	150
पांडिचेरी	742	372	189	0.43	500
लक्षद्वीप	-	-	-	-	50
विनिर्दिष्ट नहीं	250	158	72	0.42	-
कुल :	537927	275513	112515	0.58	298413

[अनुवाद]

कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कार्यालय

2628. **श्री शरत पटनायक :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा में कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सम्बलपुर के स्थान पर इस वर्ष के दौरान अथवा वर्ष 1997-98 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि संगठन के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय को खोले जाने पर विचार कर रही है।

रूस के साथ संयुक्त उद्यम कार्यक्रम

2629. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम लगाने को स्वीकृति देने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस में भारतीय अथवा भारत में रूसी कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यम लगाने के संदर्भ में दीर्घ कालीन निवेश का निहायत अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूसरे देशों में होने वाले निवेश और अपने देश में होने वाले विदेशी निवेश दोनों के संबंध में लागू सरकार की वर्तमान नीतियां और विनिमय रूस सहित सभी देशों पर लागू हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नवम्बर, 1995 तक रूस में 28 भारत-रूसी संयुक्त उद्यम पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और तब से 14 अन्य पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली सहायक इकाइयां रूस में स्थापित किए जाने का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जा चुका है। जुलाई, 1991 और मई, 1996 के बीच 10 भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष रूसी निवेश हुआ।

सरकार ने रूसी सरकार के साथ पारस्परिक संरक्षण निवेश के संबंध में एक समझौता सम्पन्न किया है। जिससे दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह में और बढ़ावा मिलने की आशा है।

बैंकों द्वारा नकद ऋण सुविधाएं

2630. **श्री आर.एल.पी. वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में कितने मामलों में इसके लाभार्थियों द्वारा नकद ऋण सुविधाओं का दुरूपयोग किए जाने की घटना का पता चला है;

(ख) इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या महानगरों में स्थित निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धन लोगों/व्यापारियों और प्राथमिकता वाले क्षेत्र को नकद ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) ऋण निगरानी व्यवस्था के तहत बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समन्वित बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी ऋण सीमाओं की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करें। भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसी स्वीकृतियों की छानबीन सेम्पल आधार पर की जाती है। अतः इन आंकड़ों के आधार पर दुरूपयोग के मामलों की संख्या की गणना करना ठीक नहीं होगा।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे आंकड़ों की याद्रच्छिक छानबीन से पता लगा कि हाल ही में कुछ ऋणकर्ताओं ने कुछ अन्य कार्यों के लिए, जिनमें वित्तीय कंपनियों, संबद्ध संस्थाओं, सहायक कंपनियों तथा अंतर-निगमित जमाराशियों में निवेश करना शामिल है, कार्यशील पूंजी निधियों का उपयोग किया था। निधियों को इस तरह दूसरे कार्यों में लगाने को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित बैंकों से आशा की जाती है कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋणकर्ताओं को आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी-वित्त प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1995 तथा सितम्बर, 1995 के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में गैर-सरकारी खेत्र के पुराने बैंकों का कार्य निष्पादन निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए में)

	मार्च, 1995	सितंबर, 1995
(I) कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	4064	4202
(II) कुल कृषि अग्रिम	816	885
(III) कमजोर वर्गों को अग्रिम	339	348

सीमा शुल्क की पुरस्कार योजना

2631. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमा शुल्क की पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के दावों में होने वाली अनियमितताओं के कुछ मामलों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का है; अथवा यह समीक्षा कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की पुरस्कार योजना सहित राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की समीक्षा के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम

2632. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) क्या 1994 में सरकार द्वारा शुरू की गई 'एक्सपोर्ट इन्टेन्सिव एरिया स्कीम' भी विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इस योजना के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं तथा 1994 में शुरू की गई योजना तथा नई योजना में क्या अंतर है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) : सरकार ने वर्ष 1994 में निर्यात गहन क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की एक योजना बनाने पर विचार किया था। अन्तरिम तौर पर भारत सरकार ने तिरूपुर में व्यापक ढांचागत विकास कार्यक्रम के लिए स्थापित न्यू तिरूपुर एरिया विकास निगम लि. में इक्विटी योगदान के रूप में तमिलनाडु सरकार को 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी।

गहन निर्यात क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त करके जो लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, उन्हें अब क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ही ओवर-ड्राफ्ट की सुविधा

2633. **श्री विजय गोयल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ही ऋण/ओवरड्राफ्ट लेने की अनुमति दिए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का रोकड़ शेष केन्द्र सरकार के सामान्य रोकड़ शेष का ही एक भाग है। जब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का रोकड़ शेष अलग होता है तब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ऋण/ओवरड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सम्पत्ति का हस्तांतरण

2634. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चारों महानगरों में देश के किसी भी भाग में स्थित सम्पत्ति का हस्तांतरण करने की सुविधा होने के कारण हो रही अनियमितताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह संशोधन कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 (2) को समाप्त किए जाने हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन के अभिमत/टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। ऐसे अभिमतों की प्राप्ति के बाद ही प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अतः इस स्थिति में यह बता पाना संभव नहीं है कि उक्त निर्णय कब तक लिया जाएगा।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की तस्करी

2635. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में गत छः माह के दौरान विमान पत्तन प्राधिकारियों और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में हेरोयन और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए इन नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जब्त किए गए ये नशीले पदार्थ अप्रैल-जून 1995 और 1994 की इसी अवधि की तुलना में नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि को दर्शाती हैं; और

(घ) स्वापक और मनःप्रभावी नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से जून 1996 के दौरान देश के विभिन्न भागों में भारी मात्रा में स्वापक औषधों को जब्त किया गया। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जनवरी से जून, 1996 (अनंतिम)

	मात्रा कि.ग्रा. में	मामलों की संख्या
हेरोइन	672	751
अफीम	1064	191
गांजा	19349	1386
हशीश	4579	534
मैथाक्वालान	5	2

(ग) स्वापक अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है अतः जब्त आंकड़ों के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसी भी दी गई अवधि में यह बढ़ रही है अथवा घट रही है। अप्रैल से जून 1994 तक 1995 के दौरान जब्त सवापक औषधों की मात्रा नीचे दी गई है :

मात्रा कि.ग्रा. में

(अप्रैल–जून)

	1994	1995
हेरोइन	163	362
अफीम	381	558
गांजा	59151	20524
हशीश	1171	799
मैथाक्वालॉन	3469	7179

(घ) प्रवर्तन एजेंसियों को निदेश दिया गया है कि एन डी पी एस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन अत्यधिक सतर्कता बरतें तथा प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाएं।

कृषि के लिए ऋण

2636. **श्री अनंत कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से बैंकों द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली ऋण राशि में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों को छोड़कर) से निवल बैंक ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देने की अपेक्षा की जाती है। पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कृषि के लिए ऋण देने का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

समाप्त वर्ष (मार्च)	निवल बैंक ऋण	कृषि अग्रिम	नि.बैं.ऋण का 18%	कमी
1994	149913.62	21204.26 (15.05%)	25364.45	4124.19 (2.95%)
1995	169037.54	23512.93 (13.91%)	30426.75	6913.82 (4.09%)
1996	184390.76	26351.25 (14.29%)	33190.33	6839.08 (3.71%)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि कृषि अग्रिमों में बढ़ोत्तरी हो रही है। तथापि, निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में ऐसे अग्रिमों के हिस्से में मार्च, 1995 तक गिरावट का रूख था। इस रुझान को रोका गया है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह प्रतिशतता मार्च, 1995 की तुलना में मार्च, 1996 में बढ़ी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से जल्द से जल्द प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव उपाय करने के लिए कहा है। बैंकों से यह भी कहा गया था कि निर्धारित लक्ष्य और उपलक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में उनकी असफलता के परिणाम-स्वरूप बैंक विशेष नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं जिनमें ये शामिल हैं : प्रारक्षित अपेक्षाओं को बढाना या पुनर्वित्त सुविधाओं की वापसी और/या ऐसे अन्य उपाय जो आवश्यक हों। निवल बैंक ऋण के 18% का कृषि ऋण उप-लक्ष्य प्राप्त नही करने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्वोक्त उप-लक्ष्य प्राप्त करने में निवल बैक ऋण के अधिकतम 1.5% के अध्यधीन ग्रामीण मूलभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) में कमी के बराबर अंशदान करें। कृषि क्षेत्र को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :

(क) सरलीकृत आवेदन उपलब्ध कराए गए हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी हैं।

(ख) विभिन्न फसलों के लिए प्रत्येक जिले में गठित तकनीकी समिति द्वारा तैयार किये गए फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्राओं का निर्धारण और बैंकों द्वारा उन्हें समानरूप से स्वीकार किया जाना।

(ग) 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों का एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।

(घ) ग्रामीण शखा प्रबंधकों की मंजूरी के लिए उपयुक्त शक्ति प्रत्यायोजित करना ताकि कमजोर वर्गों से प्राप्त अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूरी दे दी जाए।

(ङ) भूमि बंधक/भूमि प्रभार या अन्य पक्ष गारंटी के रूप में समपार्श्विक प्रतिभूति की अपेक्षाओं के संबंध में उदार दिशानिर्देश;

(च) अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि के लिए 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं हैं।

(छ) पिछले अच्छे कार्य निष्पादन रिकार्ड वाले किसानों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि ऋण कार्ड शुरू किया है जो किसानों को तत्काल उत्पादन ऋण लेने में समर्थ बनाता है और उन्हें प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से बचाता है।

(ज) सतत् कृषि उत्पादन के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से नकदी ऋण सुविधा के रूप में एक लचीली स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा प्रदान करने के लिए कहा गया है जो उनके संमिश्र ऋण अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(झ) बैंकों से कहा गया है कि वे मत्स्य पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायोप्रौद्योगिकी जैसे उच्च तकनीक वाले क्रिया-कलापों का वित्तपोषण करें।

(ञ) कृषि को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में स्पष्ट और निश्चित सुधार लाने के उद्देश्य से बैंकों को विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है।

लद्दाख वासियों को आयकर से छूट

2637. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में चीनी आक्रमण और तिब्बत तथा सिंकियांग के साथ पारस्परिक व्यापार बन्द होने के पश्चात् लद्दाख के स्थायी निवासियों को आयकर से छूट प्रदान की गई थी;

(ख) क्या लद्दाख के सभी वर्गों के लोगों द्वारा लद्दाखी लोगों की खराब आर्थिक स्थिति निरन्तर बने रहने के कारण 1988-89 से आगे भी आयकर में छूट देने के संबंध में 1988-89 के बाद के वित्त मंत्रियों को अभ्यावेदन दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लद्दाख के स्थायी निवासियों को आयकर से छूट देने के मामले की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। चीनी आक्रमण के कारण लद्दाख के निवासियों को पेश आई कठिनाइयों और उनके व्यापार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के निवासियों को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1965 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव से आयकर से छूट देने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) सरकार को कुछेक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो लद्दाख की जनता को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 और परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों से आयकर से छूट प्रदान किए जाने के बारे में हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा लद्दाख के निवासियों को आयकर छूट की बहाली पर निम्नलिखित कारणों से विचार नहीं किया जा रहा है :

(i) छूट सीमा में समय-समय पर वृद्धि करते हुए उसे 40,000 रुपए तक की मौजूदा सीमा तक बढ़ाना और साथ ही साथ खराब आर्थिक स्थिति वाले निवासियों का ध्यान रखते हुए मानक कटौती, धारा 80 - ठ के अनतर्गत कटौती, धारा 88 के अन्तर्गत कर-रिबेट आदि जैसे अन्य कर लाभ प्रदान करना।

(ii) आयकर छूट का आशय लद्दाख के गरीब तबके को लाभ

पहुंचाना था, किन्तु उससे धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुंच रहा था और इसका बेईमान व्यापारियों द्वारा लद्दाख के निवासियों के माध्यम से अपने काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने के लिए दुरूपयोग किया जा रहा था।

(iii) आयकर का उद्ग्रहण करदाता की भुगतान क्षमता और निवास स्थान के आधार पर किया जाता है, जो कि सामान्यतया आयकर से पूर्ण छूट दिए जाने का कोई आधार नहीं बन सकता है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु

2638. **श्री बलाई चन्द्र राय :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य, विधि विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

2639. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क को मिला कर एक केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो राजस्व वसूली और ग्राहक सेवाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्व वसूली और ग्राहक सेवाओं की कुशलता में सुधार लाने के लिए नीति स्तर पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर ढांचा सुव्यवस्थित और प्रक्रिया सरल कर दी गई है। स्व निर्णय के क्षेत्र को घटाने और मुकदमेबाजी को कम करने पर जोर दिया गया है। सरकार और करदाताओं के बीच परस्पर विश्वास का माहौल बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। वहां कर अपवंचन के मामलों से निपटने के लिए विद्यमान निवारक तंत्र की कुशलता का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसे मजबूत किया जा रहा है।

कर्नाटक खेल प्राधिकरण को आयकर से छूट

2640. **श्री के.सी. कोंडय्या :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक खेल प्राधिकरण ने चौथे राष्ट्रीय खेलों में दिए जाने वाले अंशदान के लिये आय-कर में शत-प्रतिशत छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने कर्नाटक स्पोर्टस अथारिटी की तरफ से कर्नाटक सरकार के नए अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग

2641. **श्री सुख लाल कुशवाहा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है;

(ख) राज्य में हैंडलूम, पावरलूम, सिन्थेटिक यार्न, सिले-सिलाये वस्त्र तथा होजरी के उत्पादन कर रही इकाइयों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा राज्य में कपड़ा उद्योग के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) उक्त इकाइयों से उत्पादित कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) देश में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा, संस्थापित तकुए/संस्थापित

करघे के रूप में, विधुतकरघा की निबंधित संख्या तथा हथकरघा की संख्या लगभग 3.2 प्रतिशत है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य में हथकरघा तथा विधुतकरघा कपड़े के उत्पादन में लगे एककों की संख्या क्रमशः 47,000 तथा 34,593 है। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक यार्न का विनिर्माण करने वाला एक एकक है तथा 50 एकक सिंथेटिक स्पन यार्न सहित सूती तथा मानक-निर्मित वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं। सिले-सिलाए परिधानों तथा हौजरी का उत्पादन करने वाले एककों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, मध्यप्रदेश राज्य से परिधान और निटवियर के निर्यातकों के रूप में ए इ पी सी के पास पंजीकृत एककों की संख्या 72 है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए वस्त्र क्षेत्र का विकास करने के लिए पृथक रूप से निधियों का निर्धारण नहीं किया जाता है। उद्योग के समस्त हितों को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र उद्योग के विकास की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है तथा क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए निर्यात के संवर्द्धन के लिए पृथक रूप से कदम नहीं उठाये जाते हैं। तथापि, सरकार द्वारा कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं; जैसे कि विभिन्न पूंजीगत माल तथा कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती करना, वित्तीय पुनर्निर्माण, कांटा प्रणाली का सरलीकरण, अनुसंधान तथा विकास कार्य, प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना आदि।

[अनुवाद]

निगमित संस्थाओं को बैंक ऋण

2642. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीने में बैंकों की नकदी स्थिति में सुधार के बावजूद बैंकों द्वारा निगमित संस्थाओं को ऋण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान इसमें माह-वार कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वितरण के संबंध में कड़े नियम मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऋण वितरण की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी निवेश

2643. **श्री मुरलीधर जैना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के अनुषंगी बाजार में कितनी विदेशी पूंजी आयी है;

(ग) इन निवेशों से प्राप्त लाभ के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा वापस कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस तरीके से प्राप्त की जाने वाली विदेशी पूंजी के लाभकारी उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 14 सितम्बर, 1992 की एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए पेन्शन निधियों, म्यूचुअल फंडों, निवेश ट्रस्टों आदि जैसी संस्थाओं सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने हेतु अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों के अभिरक्षकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को दी गई सूचना के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए संचयी निवल निवेश 12.7.1996 तक की स्थिति के अनुसार 6397.4 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के थे। शासी दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी, पूंजीगत लाभों, लाभांश, अपने निवेशों पर ब्याज से अर्जित आय (कर-पश्चात्) को अपने रुपए खाते से भारत में किसी बैंक की निर्दिष्ट शाखा में विदेशी मुद्रा के खाते में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। प्रत्यावर्तन किए जा सकने वाले लाभों की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिनमें देशीय स्टाफ बाजारों का कार्य-निष्पादन, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय आदि शामिल हैं, इसलिए लाभों की प्रत्यावर्तनीयता की सीमा का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(च) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी मुद्रा अन्तःप्रवाह देश की भुगतान-शेष की स्थिति की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुविधाकारी भूमिका निभाते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए द्वितीयक बाजार-प्रचालन देशीय पूंजी बाजारों के विस्तार और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, भारतीय कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने की गुंजाइश में वृद्धि करते हैं।

सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क

2644. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिनी सिगरेटों' पर कर रियायतों को समाप्त करने के संबंध में आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान बीड़ी उत्पादन 25 प्रतिशत कम हुआ है जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है तथा लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या 60 मि.मी. से कम लंबाई वाले सिगरेट के उत्पादन तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार का कोई विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा 'मिनी सिगरेटों' के संबंध में दिए गए उत्पादन शुल्क रियायतों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 8 दिसम्बर, 1995 को एक सवंकल्प पारित किया था जिसमें छोटी सिगरेटों को दी गई उत्पाद शुल्क रियायत को समाप्त करने के बारे में भारत सरकार को सिफारिश की गई थी ताकि बीड़ी मजदूरों की आजीविका की रक्षा की जा सके।

वर्ष 1993-94 से बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क लगातार 5 रुपए प्रति हजार की दर से लिया जाता रहा है और वर्ष 1993-94 से बीड़ियों से प्राप्त उत्पाद शुल्क के आंकड़ों से राजस्व में कोई कमी होने का पता नहीं चलता है। इस प्रकार, यदि राजस्व वसूली को बीड़ी उत्पादन के प्रतिपत्र के रूप में मान लिया जाए, तो यह पता चल जाएगा कि गत दो वर्षों में बीडियों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

इस समय, 60 मि.मी. से अनधिक लंबाई की सिगरेटों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, वर्ष 1996-97 के बजट ने और 23.7.96 से, 60 मि.मी. से अनधिक लंबाई की बिना फिल्टर वाली सिगरेटों, अर्थात् छोटी कही जाने वाली सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क को प्रति हजार 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है।

विदेश में रह रहे भारतीयों को मतदान का अधिकार

2645. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में रह रहे लगभग कितने भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं है क्योंकि वे सामान्यतः भारत के निवासी नहीं हैं;

(ख) क्या उन्हें मतदान का अधिकार देने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने की कोई मांग की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भारतीय मूल के लगभग 14 मिलियन व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में किसी स्थान में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, तब तक मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्तियों के कतिपय ऐसे प्रवर्गों से संबंध नहीं रखता है, जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के उपबंधों के द्वारा किसी स्थान का मामूली तौर पर निवासी समझा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मताधिकार दिया जाना अभी संभव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

2646. **श्री ललित उरांव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों के साथ 29 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं परंतु इन समझौतों/ज्ञापनों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों के बारे में सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषद् की बैठक

2647. **श्री अंचल दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1996 को निर्यात संवर्धन परिषद् की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया;

(ग) क्या आगामी महीनों में निर्यात संबंधी वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1995-96 में तथा आज तक भारत का विश्व व्यापार में कितना योगदान रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा की गई तथा निर्यात निष्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त अधिकांश निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। यह आशा है कि आगामी महीनों में निर्यात में वृद्धि की गति कायम रहेगी।

(घ) बढ़े हुए निर्यात से विश्व व्यापार में भारत के हिस्से और निर्यात के रूप में इसके स्थान में वृद्धि होगी। डब्ल्यू.टी.ओ. की नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 1994 और 1995 के दौरान निर्यातक और आयातक के रूप में भारत का हिस्सा और उसका स्थान निम्नानुसार है:

	% हिस्सा		स्थान	
	1994	1995	1994	1995
निर्यातक	0.6	0.6	32	31
आयातक	0.6	0.7	29	28

मेवों का आयात

2648. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने मेवों का आयात किया गया तथा इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोलाबुल्ली रमैया) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (अप्रैल, 1995 - जनवरी 1996) के दौरान आयातित सूखे मेवे की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	70722	9274
1994-95	100036	13330
1995-96	66102	9550
(अप्रैल-जन., 1995-96)		

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता)

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

2649. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण के संबंध में की गयी प्रगति का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् इन बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम्प्यूटरीकरण से कर्मचारी अतिरिक्त हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त कर्मचारियों को किस प्रकार से रोजगार प्रदान किया है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि, दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की उन शाखाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है, जिन्हें पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है :

क्र.सं.	बैंक का नाम	पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	22
2.	आन्ध्रा बैंक	29
3.	बैंक आफ बड़ौदा	60
4.	बैंक आफ इंडिया	124
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	40
6.	केनरा बैंक	121
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	21
8.	कारपोरेशन बैंक	107
9.	देना बैंक	18

क्र.स.	बैक का नाम	पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
10.	इंडियन बैंक	81
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	27
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	18
13.	पंजाब नेशनल बैंक	127
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	12
15.	सिंडिकेट बैंक	47
16.	यूको बैंक	12
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	48
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6
19.	विजया बैंक	38
	योग :	958

(ख) कम्प्यूटरीकरण के बाद इन बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं में आम सुधार हुआ है।

(ग) से (घ) कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप शाखा में बेशी हो गए कर्मचारियों को संबंधित बैंक की आवश्यकतानुसार पुनः नियोजित करने की व्यवस्था है।

नशीले पदार्थों का व्यापार

2650. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में वर्ष 1995 के दौरान कितने व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यापार करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और अभियोजित किया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद दोषी पाया गया; और

(ग) इनमें से कितने विदेशी नागरिकों को दोषी कराकर दिया गया ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995 के दौरान गोवा में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार करने में 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) वर्ष 1995 के दौरान 4 व्यक्तियों को न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद दोषी पाया गया।

(ग) दोषी पाए गए 4 व्यक्तियों में से 2 विदेशी नागरिक थे।

कम्पनियों में लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति

2651. **श्री रनजीब बिसवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली उत्पादन कम्पनियों के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्धारित विस्तृत लागत लेखा परीक्षा रिकार्डों के रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा से छोटी कम्पनियों पर भार डालना आवश्यक नहीं समझा गया है। इससे ऐसी कम्पनियों पर न केवल अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा बल्कि उन्हें ऐसे ब्यौरों को भी रखना पड़ेगा जिनकी उनके लिए अधिक व्यावहारिक उपयोगिता नही होगी। तथापि, ऐसी कम्पनियों के लिए उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर आधारित उनकी अपनी लागत प्रणाली को अपनाए जाने पर कोई रोक नहीं है।

इंडिया ब्रांड इक्विटि प्रोमोशन फंड

2652. **श्री सुरेश कलमाडी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया ब्रांड इक्विटि प्रोमोशन फंड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस फंड के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस फंड के गठन का मूल उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) देश में निर्यात वृद्धि में तेजी लाने के लिए (एक ब्रांड सृजन) निर्यात संवर्धन रणनीति बनाने के उद्देश्य से जुलाई, 1996 में इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड (आई बी ई एफ) के लिए एक न्यास का पंजीकरण किया गया है। वाणिज्य सचिव इस न्यास के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं और न्यास के अन्य सदस्यों के नामांकन का कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय बचत योजना

2653. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशियों पर ब्याज की दर को बैंकों की ब्याज दरों के समान करने हेतु उन्हें संशोधित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग कोआपरेटिव बैंकों, सोसायटी आदि जैसी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले इंदिरा विकास पत्रों के अंतर्गत जमा धनराशियों की देय भुगतान पर मिलने वाली रकम पर आयकर वसूल करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन संस्थाओं द्वारा इंदिरा/किसान विकास पत्रों के अन्तर्गत जमा राशि पर आयकर में छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) डाकघरों की लघु बचत योजनाएं और बैंकों की जमा योजनाएं असल में तुलनीय नहीं हैं। प्रत्येक बचत साधन बचतकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित होता है। इस प्रकार बचतकर्ताओं के पास साधनों का विकल्प होता है।

(ग) इंदिरा विकास पत्रों पर आय कर-प्रभार योग्य होती है। सहकारी समितियों की कतिपय आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (पी.) के अन्तर्गत सकल कर योग्य आय से कटौती के योग्य होती है बशर्ते कि उक्त धारा में निर्धारित शर्त की पूर्ति हो।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आम का निर्यात

2654. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अमरीका को आम के निर्यात के मामले पर अमरीकी सरकार के संबंधित विभाग से बात की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीकी सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और मामला अभी किस स्तर पर है; और

(घ) अमरीका को भारतीय आम का निर्यात कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

असम में बैंक शाखाएं

2655. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थान-वार और बैंक-वार असम में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव था तथा इनमें से कितनी शाखाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है; और

(ग) शेष शाखाओं में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने असम में शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान 12 प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं। इनमें से, अब तक आठ शाखाएं खोली जा चुकी हैं। शाखाओं को खोलने के लिए प्राधिकार देते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने के पश्चात् आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें और बैंकों से आशा की जाती है कि वे लाइसेंस की वैधता अवधि, जो लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक वर्ष है, के अन्दर शाखा खोल दें।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2656. **श्री शरत पटनायक** :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री एम.पी. जायसवाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाघा सीमा पर पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) पाकिस्तान के साथ भूमि के रास्ते व्यापार के लिए वाघा-सीमा को खोलने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योग से प्राप्त अनुरोधों की सभी सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2657. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष समुद्री उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इसका मूल्य क्या है;

(ख) देश के समुद्री उत्पादों में योगदान करने वाले पांच प्रमुख राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के समुद्री उत्पादों का आयात करने वाले प्रमुख देशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष समुद्री उत्पादों के निर्यात की मात्रा व मूल्य निम्नांकित है :

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1995-96	296277	3501.11
1994-95	307337	3575.27
1993-94	243960	2503.62

स्रोतः एम्पीडा

(ख) सम्बन्धित पांच प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात की मात्रा तथा उक्त निर्यात से वसूली गई कीमत का अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1. केरल	78896	856.90
2. तमिलनाडु	31330	719.19
3. आन्ध्र प्रदेश	20017	600.88
4. महाराष्ट्र	55357	484.36
5. गुजरात	82558	395.28

स्रोत : एम्पीडा

(ग) भारत से समुद्री उत्पाद आयात करने वाले मुख्य देश/बाजार और वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान उक्त आयातों की मात्रा और मूल्य निम्नांकित है :

मात्रा : मिलियन टन में

मूल्य : करोड़ रुपये में

देश/बाजार		1993-94	1994-95	1995-96
जापान	मात्रा :	44985	53500	51789
	मूल्य :	1185.67	1643.82	1576.69
यूरोपीय संघ	मात्रा :	71850	71224	87211
	मूल्य :	645.21	726.30	911.87
यू.एस.ए	मात्रा :	26152	32102	26008
	मूल्य :	306.17	490.23	366.26
दक्षिण पूर्वी एशिया	मात्रा :	87099	135567	112482
	मूल्य :	288.40	602.32	501.03

स्रोत : एम्पीडा

पूर्वोत्तर विकास बैंक

2658. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर विकास बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक की भूमिका और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस बैंक की भूमिका आई डी बी आई, एस आई डी बी आई, आई सी आई सी आई से किस मामले में भिन्न होगी;

(घ) इस बैंक को चुकता पूंजी और ऋणों के माध्यम से कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है; और

(ङ) इस बैंक की आज तक की उपलब्धियों और कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। इस संगठन का नाम पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एन ई डी एफ आई) है।

(ख) एन ई डी एफ आई का कार्य एवं उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर-क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों एवं आधारभूत परियोजनाओं के संवर्धन, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएं देने के कार्य को जारी रखना है।

(ग) एन ई डी एफ आई के कार्य अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केन्द्रित हैं और इनमें उद्योग के सम्पूर्ण क्षेत्र अर्थात् लघु, मझौले और बड़े उद्योग शामिल हैं।

(घ) एन ई डी एफ आई की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है। इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी 90 करोड़ रुपए हैं।

(ङ) एन ई डी एफ आई ने सूचित किया है कि मार्च-जुलाई, 1996 के दौरान उसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सात राज्यों में उद्यमियों के लिए आठ सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं। परामर्शदाताओं द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पता लगाई गई संभाव्य 62 मदों की सूची का विभिन्न सेमीनारों, कार्यशालाओं में प्रचार किया गया है। एन ई डी एफ आई ने पता लगाई गई अधिकांश मदों के संबंध में निवेश पूर्व अध्ययन तैयार करके पात्र उद्यमियों को दिए हैं, ताकि उन्हें निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिल सके। एन ई डी एफ आई के संवर्धनात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 30 पूछताछें मिली हैं, जिनमें लगभग 70 करोड़ रुपए का निवेश अन्तर्ग्रस्त है। एन ई डी एफ आई ने दो प्रस्तावों, जो दोनों ही तेल क्षेत्र में हैं, के लिए 12 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष सहायता स्वीकृत की है और 5.2 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं तथा 30 करोड़ रुपए के निवेश की प्रेरणा दी है। एन ई डी एफ आई ने एक स्थानीय कम्पनी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी के प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम के विपणन में भी सहायता दी है।

कोयला खानों में पेयजल की व्यवस्था

2659. **श्री हाराधन राय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने अपनी कोयला खानों और मजदूरों के क्वार्टरों में पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कोयला खानों और मजदरू-क्वार्टरों में यह सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा 43049 मानक क्वार्टरों को पेय जल की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। शेष को पेय जल की आपूर्ति सार्वजनिक नलों/हैंड पम्पों/नलकूपों/कुओं, आदि के द्वारा की जा रही है। संतोषप्रदता की वर्तमान प्रतिशतता 91.03% है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यमों में जापानी निवेश

2660. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें जापान द्वारा निवेश किया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान जापान ने कुछ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारत में स्थापित किए गए संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन संयुक्त उद्यमों में अलग-अलग जापान द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ङ) क्या जापान का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान भी कुछ और संयुक्त उद्यमों में निवेश करने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) : पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में जापानी कंपनियों के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदित प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

वर्ष	अनुमोदित वि.प्र.नि. के प्रस्ताव	वि.प्र.नि. की राशि (रुपए करोड़ में)
1993	26	257.43
1994	45	400.00
1995	40	1514.26

इस प्रकार के प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम व देश, अन्तर्निहित इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूजलैडर के पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ङ) और (च) संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों को अनुमोदन उद्यमियां से आवेदन प्राप्त होने पर किया जाता है। प्रत्येक प्रस्ताव पर इसके गुणों के आधार पर तथा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को बैंक सहायता

2661. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को अपनी विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के लिए पर्याप्त बैंक सहायता नहीं मिल पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उन्हें भारतीय चाय संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि बैंकों को चाय बागानों के विकास की योजनाओं के वित्तपोषण में दिलचस्पी कम हो गई है क्योंकि जनवरी, 1996 के बाद से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पुनर्वित्त प्रदान करना बन्द कर दिया है।

नाबार्ड ने कहा है कि विभिन्न मंचों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, पश्चिम बंगाल में नई चाय योजनाओं के लिए 1996-97 के दौरान 2.5 करोड़ रुपए के आबंटन को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तपोषित छोटे चाय उत्पादकों की समस्त पुनर्वित्त आवश्यकताएं नाबार्ड द्वारा पूरी की जाएंगी।

रेलवे वैगन पर उत्पाद शुल्क

2662. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय से निजी निवेशकों "ओन योर वैगन स्कीम" अपनाने वालों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क माफ करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वैगनों का सबसे अधिक प्रयोग करने वाले रेलवे द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) "ओन यौर वैगन स्कीम" अपनाने वाले निजी निवेशकों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क माफ करने के संबंध में हाल ही में रेल मंत्रालय से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे खरीदे गए, निजी एवं प्रयोग के लिए अभीष्ट वैगनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं करता है। यह छूट रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही लोकोपयोगी सेवा को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

[हिन्दी]

जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष कोष

2663. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में गैर सरकारी संगठनों ने विकासात्मक और वृक्षारोपण कार्यों में कार्यरत जनजातीय महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक विशेष कोष की स्थापना किए जाने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) बजट-पूर्व बैठक में किए प्रासंगिक सुझावों/विचार-विमर्श का बजट निर्माण प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय कस्टम को 'होम पेज' सुविधा

2664. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्तरिक प्रणाली में भारतीय कस्टम के लिए होम पेज सुविधा प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा के परिणामस्वरूप विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में हो रही तस्करी की गतिविधियों के बारे में यहां के कस्टम अधिकारियों को सूचना दे सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गतिविधियों से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां। इंटरनेट पर एक होम पेज सुविधा प्रदान की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए नियमों के बारे में सूचना दी गई है जो तस्करी और शुल्क अपवंचन के बारे में विशेष सूचना देते हैं।

भारत में तस्करी की रोकथाम के लिए पहले ही समुचित विधिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जिनमें माल को जब्त करने, जुर्माना तथा अर्थदण्ड लगाने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कानून में व्यवस्था शामिल है।

विदेशी निवेश

2665. **श्री सुशील चन्द** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित राष्ट्र और विश्व बैंक/आई.एम.एफ. भारत में विदेशी निवेश की अबाध गति को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के

सार्वभौमिकरण के लिए शुल्कों को और उदार बनाने और ब्याज दरों को कम करने पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए इन दबावों का प्रतिरोध करने का है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के एकाएक काम बद कर देने से तेजी से देश का विकास ठप्प न पड़ जाए ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) हालांकि विकसित देश और विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन बृहत्-आर्थिक साधनों के संबंध में सुझाव देते रहते हैं जिनका पालन भारत को करना चाहिए, फिर भी सरकार की नीतियां निर्धारित करने में किसी बाहरी दबाव का प्रश्न नहीं उठता तथापि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और पारदर्शितों को बढ़ाने के लिए सरकार शुल्कों को कम करने तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने और ब्याज-दरों को उदार बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

(ग) आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं से जुड़ी देशीय और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों के दीर्घकालिक उद्देश्य हैं और उन्हें अनेक राजकोषीय रियायतें प्राप्त हैं जिनकी वजह से इस बात की संभावना नहीं है कि वे अपनी गतिविधियां अचानक रोक देंगी।

दार्जिलिंग के चाय बागानों से अर्जित राजस्व का उपयोग

2666. **श्री आर.बी.राई.** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा दार्जिलिंग के चाय बागानों से शुल्क द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इन चाय बागानों में विकास/कल्याण कार्यों को शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) टी बोर्ड के पास उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन पर उप-कर के रूप में दार्जिलिंग स्थित चाय बागानों से केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व निम्नानुसार है :

वर्ष	(लाख रुपए में)
1993	10
1994	8.6
1995	8.3

(ख) से (घ) 1985-86 से शुरू करके 1995-96 तक के 10 वर्षों के लिए दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग ब्याज सहायता योजना नामक एक विशेष योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पुनर्रोपण, पुनर्नवीकरण तथा इनफिलिंग क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना था ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत उपजकर्त्ताओं को 246.27 लाख रुपए पहले ही उत्पादकों को वितरित किए जा चुके हैं। चाय बोर्ड जिले में श्रमिक कल्याण योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : चाय बागानों के कामगारों के बच्चों को प्राइमरी स्तर से ऊपर के अध्ययन को जारी रखने के लिए अनुदान देना, तथा इसके साथ-साथ चाय बागानों के श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभार्थ शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा विशेषीकृत उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आन्ध्र प्रदेश में विकास केन्द्र

2667. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1996-97 के दौरान स्थापित किए जा रहे तथा वर्ष 1997-98 के प्रस्तावित केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य को चार विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं। उनके स्थानवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	विकास केन्द्र तथा जिले का नाम	स्थिति
1.	हिन्दूपुर (अनन्तपुर)	अनुमोदित
2.	विजयनरगम बोबिली (विजयनगरम्)	अनुमोदित
3.	ओंगोले (प्रकोसम)	अनुमोदित
4.	खम्माम (खम्माम)	अनुमोदित

नारियल जटा के रेशों तथा नारियल जटा उत्पादों का अत्यधिक स्टाक

2668. **श्री ए.सी. जोस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि केरल सरकार के

पास घरेलू तथा विदेशी बाजारों में मांग की कमी होने के कारण नारियल जटा के रेशों तथा नारियल जटा उत्पादों के स्टाक का जमाव हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस स्टाक को कम करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) देश में नारियल जटा के रेशों तथा नारियल जटा उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नारियल जटा क्षेत्र में नारियल जटा के रेशों और नारियल जटा उत्पादों (रबड़युक्त नारियल जटा उत्पादों के अतिरिक्त) की बिक्री पर रियायत देने संबंधी योजना को वर्ष 1996-97 में जारी रखने के लिए जून, 1996 को एक आदेश जारी किया है।

प्राकृतिक विभीषिकाओं से प्रभावित व्यक्तियों को बैंकों द्वारा सहायता

2669. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को प्राकृतिक विभीषिकाओं/दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उड़ीसा में विशेष रूप से नुपाड़ा तथा कालाहांडी जिलों में अब तक कितनी राशि बांटी गई है; और

(घ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने अगस्त, 1984 में बैंकों को स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए थे, जिसका उन्हें प्राकृतिक आपदाओं/दंगों आदि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करते समय अनुसरण करना है। उपर्युक्त मार्गनिर्देश इसलिए जारी किए गए हैं, ताकि बैंक विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कृषकों, लघु उद्योग एककों, कारीगरों, लघु व्यवसाय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समान और सामूहिक कार्रवाई यथाशीघ्र करने में समर्थ हो सकें। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

(i) अल्पावधिक उत्पादन ऋणों का मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन।

(ii) वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन।

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल ऋण/कार्यशील पूंजी का प्रावधान।

(iv) प्रतिभूति और मार्जिन संबंधी मानदंडों में ढील।

इन मानदंडों में 1,000/- रुपए तक के उपभोग ऋणों की परिकल्पना भी की गई है। बैंकों को ब्याज दरें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ब्याज दरों संबंधी निर्देशों के अनुसार प्रभारित करनी होती हैं। तथापि, जो उधारकर्ता विभेदी ब्याज दर योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें विभेदी ब्याज दर योजना के अनुसार ऋण प्रदान करना होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि चूकग्रस्त वर्तमान देयराशियों के संबंध में, इन मार्गनिर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि कोई दण्डात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। बैंक को प्रभारित ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तित करने के कार्य को उचित रूप से आस्थगित करना चाहिए।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1993-94 और 1994-95 के दौरान उड़ीसा में, विशेष रूप से राज्य के कालाहांडी और न्युपाड़ा जिले में सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या और अब तक संवितरित राशि निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपए में)

राज्य/जिले	1993-94		1994-95	
	सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सं.	संवितरित राशि	सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सं.	संवितरित राशि
उड़ीसा	11,518	413.99	8,652	375.11
कालाहांडी	7,911	297.52	6,400	293.57
न्युपाड़ा	3,607	116.47	2,252	81.54

विधेयकों की अधिसूचना

2670. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जिनको सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथियों से अधिसूचित एवं क्रियान्वित किया जाना है।

(ख) इन अधिनियमों को अभी तक अधिसूचित तथा प्रभावी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अधिनियमों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5954 के उत्तर में, केंद्रीय अधिनियमों के संबंध में वर्ष 1993 तक की आवश्यक जानकारी राज्य सभा को उस सदन के पटल पर रखे जाने

के लिए तारीख 26.5.1996 और 5.2.1996 को दे दी गई थी।

अद्यतन जानकारी, जिसके अंतर्गत वर्ष, 1994, 1995 और 1996 भी हैं, तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कपास एकाधिकार खरीद योजना

2671. **श्री मोहन रावले :**
श्री राम नाईक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कच्चा कपास (खरीव, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत महाराष्ट्र में गत 23 वर्षों से कपास एकाधिकार खरीव योजना चल रही है;

(ख) क्या इस योजना से किसान लाभान्वित हुए हैं और व्यापारियों/एजेंटों के द्वारा उनका शोषण बंद हो गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना की कोई अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इस योजना का विस्तार किसानों के हित में दीर्घकालिक आधार पर करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) (क) से (घ) महाराष्ट्र अपरिष्कृत कपास एकाधिकारं अधिप्राप्ति योजना, महाराष्ट्र अपरिष्कृत कपास (अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 1972-73 के कपास मौसम से ही महाराष्ट्र राज्य में लागू है। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर सरकार ने 1995 में 30.6.96 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को बढ़ाने के प्रति सहमति दी है।

(ङ) से (च) जी हां। भारत सरकार इस समय महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाएं

2672. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई कोयला परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा 2 नई कोयला परियोजनाओं तथा एक विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है;

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कम्पनी	क्षमता (मि.ट.प्र.व.)	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपए में)
1.	गौतम खानी ओ.सी.पी.	सिं.को.कं.लि.	2.00	415.93
2.	रवीन्द्र खानी नई तकनीक, भू-गत	सिं.को.कं.लि.	1.22	242.94
3.	के.डी. हेसलांग ओ.सी.पी. (विस्तार)	सें.को.लि.	4.50	214.93

इसके अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण नई/विस्तार कोयला परियोजनाएं, जो कि विचार किए जाने/मूल्यांकन किए जाने हेतु विभिन्न चरणों के अन्तर्गत हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है;

दीपिका ओ.सी.पी. (विस्तार)	एस.ई.सी.एल.
उर्धान ओ.सी.पी.	डब्ल्यू.सी.एल.
निबाडी ओ.सी.पी. (विस्तार)	एन.सी.एल.
बीना माईनर-II, ओ.सी.पी.	एन.एल.सी
रामागुण्डम साफ्ट ब्लॉक-I	एस.सी.सी.एल.
झारखण्ड ओ.सी.पी.	सी.सी.एल.

अनुत्पाद मदों में निवेश

2673. **श्री नवल किशोर राय :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता के कारण अनुत्पादक मदों में लगभग 2200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि को उत्पादक क्षेत्रों में पुनः निवेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुत्पादक क्षेत्र की कितनी राशि का उत्पादक क्षेत्र में पुनः निवेश किया गया है।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मार्च 1994 और मार्च, 1995 के अन्त में लघु तथा गैर-लघु क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

अवधि	लघु उद्योग इकाइयां		गैर लघु उद्योग इकाइयां	
	एककों की संख्या	बकाया रकम	एककों की संख्या	बकाया रकम
मार्च, 1994	256452	3680.37	1909	8151.52
मार्च, 1995	268815	3547.16	1915	8739.61

रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार द्वारा निरंतर शुरू किये जा रहे कारगर उपायों के फलस्वरूप, मार्च, 1995 के अंत तक लघु उद्योग क्षेत्र की 10,371 एककों को और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र की 442 एककों को पुनरूज्जीवन के लिए उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय।

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई एफ आर) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन मानदण्डो को बताया गया है जिनके अधीन बैंक बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनःस्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समायोजन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति का भुगतान करता है।

(7) भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां (एस. एल.आई.आई.सी.) स्थापित की हैं।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को एक प्रतिशत वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 2,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) अत्यंत छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

सीमेंट का उत्पादन/खपत

2674. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई; और

(ख) राज्य में सीमेंट की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) महाराष्ट्र में बड़े संयंत्रों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 42.78 लाख टन और 47.81 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया गया था। अति लघु सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन और राज्यवार खपत के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सीमेंट निर्माता संघ द्वारा रखे जा रहे सीमेंट की अंतर-राज्यीय ढुलाई के आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 77.65 लाख टन और 87.36 लाख टन खपत का अनुमान लगाया गया था।

(ख) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना प्रायः ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां चूना-पत्थर के भंडार पर्याप्त मात्रा में होते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार के भंडार केवल बहुत कम स्थानों पर ही पाये जाते हैं। चूंकि सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, इसलिए उद्यमी जीव्यक्षम एवं स्वीकार्य स्थापना-स्थलों पर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार खनन पट्टा प्रदान करने, कोयले और

रेल माल डिब्बों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने आदि जैसी सभी प्रकार की सहायता देती है। सरकार फालतू सीमेंट वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट की दुलाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेल माल डिब्बे भी उपलब्ध करा रही है।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. द्वारा घड़ियों का उत्पादन

2675. **श्री एस.डी.एन.आर वाडियार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार मध्यम श्रेणी के क्रेताओं के लिए 'संगम' नाम की घड़ियों की एक अन्य श्रेणी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित घड़ी का मूल्य क्या है;

(ग) क्या उत्पादन शुरू हो गया है तथा यदि हां, तो इन घड़ियों के प्रतिवर्ष पिछले उत्पादन का अनुमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन घड़ियों के उत्पादन को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा यह बाजार में कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एच.एम.टी की वर्ष 1996-97 के दौरान 'संगम' ब्रांड की घड़ियां शुरू करने की योजनाएं हैं।

(ख) से (घ) इन घड़ियों के लिए कल-पुर्जों का उत्पादन शुरू हो गया है। कंपनी इन घड़ियों के मूल्य तथा अनुमानित उत्पादन का निर्धारण बाजार की परिस्थितियों के आधार पर करेगी।

भारी उद्योग द्वारा लक्ष्य न प्राप्त किया जाना

2676. **जस्टिस गुमानमल लोढा** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 49 भारी उद्योग एकक चल रहे थे;

(ख) क्या इनमें से 31 एककों द्वारा 1995-96 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारी उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। तथापि, वर्ष 1995-96 में माण्डया नेशनल पेपर मिल्स तथा नागालैण्ड पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नामक दो इकाइयों में कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान 27 इकाइयां लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये इकाइयां, विभिन्न कारणों, जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी, ऑर्डरों की कमी, पुराने संयंत्र तथा मशीनरी आदि की वजह से उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं।

(घ) यह जानकारी लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित वर्ष 1994-95 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण (खण्ड-1) में उपलब्ध है जिसे सदन-पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	उत्पादन 1995-96	
		लक्ष्य	वास्तविक
1.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लि.	327.66	260.25
2.	हुगली प्रिंटिंग लि.	1.79	2.68
3.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिं.	3811.49	4715.00
4.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	167.06	190.56
5.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि.	7.01	6.25
6.	रेरोल बर्न लिमिटेड	5.79	1.25
7.	जेसप एंड कंपनी लि.	118.37	104.17
8.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	110.11	101.43
9.	भारत वैगन एंड इंजी. कं. लि.	50.94	75.06
10.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.	0.76	0.69
11.	वेवर्ड इंडिया लि.	0.76	0.55
12.	लगन जूट एंड मशीनरी कं. लि.	6.57	6.60
13.	ब्रथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कं. लि.	27.07	23.82
14.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	223.75	273.20
15.	भारत पम्पस् एंड कम्प्रेसर्स लिं.	54.40	71.50
16.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	49.20	59.80
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	33.45	48.90
18.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	35.75	33,10

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	उत्पादन 1995-96 लक्ष्य	उत्पादन 1995-96 वास्तविक
19.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	108.15	233.80
20.	साईकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	1.57	1.00
21.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटे	545.75	310.88
22.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	310.93	232.79
23.	एच.एम.टी. लिमिटेड	794.38	749.52
24.	प्रागा टूल्स लि.	33.47	35.57
25.	एच.एम.टी. (बियरिंग्स)	38.42	40.70
26.	एच.एम.टी. (इंटरनेशनल)	60.00	43.25
27.	इन्स्ट्रूमैंटेशन लि., कोटा	108.81	100.04
28.	आर ई आई एल	12.23	11.84
29.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.	58.25	39.85
30.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	0.53	0.47
31.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	7.63	4.87
32.	स्कूटर्स इंडिया लि.	56.59	80.92
33.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.	5.30	3.29
34.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	416.87	435.32
35.	दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि.	36.03	7.35
36.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	310.04	377.87
37.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स	x	x
38.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कारपो	x	x
39.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	245.98	269.93
40.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि.	82.11	30.94
41.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.69	7.16
42.	सांभर साल्ट्स लि.	4.78	6.70
43.	नेपा लिमिटेड	153.68	152.64
44.	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपो.	13.50	11.17
45.	टैफको	2.41	0.76
46.	टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	120.12	93.36
47.	भारत लैदर कारपो.	7.69	6.28
48.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.	118.00	121.06
49.	नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपो.	6.50	7.95
	योग	8785.34	9392.09

* कोई उत्पादन नहीं।

नए नोटों की गुणवत्ता

2677. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रुपये तथा 100 रूपये के नए नोटों की गुणवत्ता निम्न कोटि की है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए नोटों के बाद से 10 रूपये तथा 100 रूपये के जाली नोटों के परिचालन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रूपये और 100 रूपये के नए नोटों की गुणवत्ता वास्तव में बढ़िया है क्योंकि इसमें अतिरिक्त प्रत्यक्ष और गुप्त सुरक्षा विशिष्टताएं निहित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फेरा का उल्लंघन

2678. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और फर्मो का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1996 के दौरान 2 लाख रुपए और इससे अधिक का जुर्माना, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन करने के कारण किया गया,

(ख) उक्त में से प्रत्येक मामले में कितनी राशि वसूली गई, और

(ग) पूरी राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1996 के दौरान मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति/फर्म पर 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय सहायता

2679. **डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान असम सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2680. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य के कितने आदिवासी तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) के लिए संयोजक बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं तैयार नहीं की हैं। तथापि, महाराष्ट्र में बैंक विभिन्न प्रकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं जिसमें, अन्यों के साथ-साथ राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है।

बैंक आफ महाराष्ट्र ने आगे सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में अ.जा. और अ.ज.जा. को सहायता देने में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

योजना	वर्ष 1995-96 के दौरान अ.ज./अ.ज.जा. को मंजूर ऋण (अनन्तिम)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	83,284*
प्रधान मंत्री रोजगार योजना	3800
शहरी न्यष्टि उद्यम योजना	2209
मैला ढोनेवालों ("स्केवेन्जर्स") की मुक्ति और पुनर्वास योजना	3103

* वर्ष 1994-95 के दौरान सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

पान का निर्यात

2681. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बिहार में पैदा किए जाने वाला पान बहुत प्रसिद्ध है तथा इसके पाकिस्तान को निर्यात किए जाने की बहुत संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान को पान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। तथापित, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (जनवरी, 1996 तक) के दौरान निर्यात किए गए "पान" की कुल मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसमें पाकिस्तान को किए गए निर्यात भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) यद्यपि पाकिस्तान को "पान" का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं किन्तु कृषि क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहन तथा एक्जिम नीति 1992-97 में किए गए संशोधनों से आसान शर्तों आदि पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और इससे "पान" का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (जनवरी, 1996 तक) के दौरान निर्यात किए 'पान' की देशवार कुल मात्रा तथा मूल्य

देश	1993-94		1994-95		1995-96 मूल्य : कि. ग्रा. में मूल्य : रु. में (जनवरी, 1996 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बहरीन आई. एस.	15	450				
कनाडा	22583	578261	34330	1031068	37017	1260237
डेनमार्क	77	2190				
मिस्र अरब गणराज्य	600	13800				
फ्रांस	1437	14701	687	13532	860	25383
जर्मन संघीय गणराज्य	4863	106820	12764	273839	7949	257643
हांगकांग			200	4079		
आवरी कोस्ट	1200	21603				
जापान	124	2910				
केन्या	13614	766278	12861	746545	9608	664845
कोरिया गणराज्य	200	15949				
कुवैत	20	280				
मालदीव			6000	411156		
नेपाल			9000	158426	460	5400
पाकिस्तान	2059163	32928712	1953580	23511050	2117903	26586668
पुर्तगाल	1330	55880	424	21868	77	1482
कतर					90	2300
सऊदी अरब	24270	814224	22835	402635	1653	87416
दक्षिण अफ्रीका			4	128	126	4538
श्री लंका	38787	2545832	94887	6749714	69800	
स्वीडन	60	600	23	847		
स्विटजरलैंड	1776	25623	2851	65697	2427	55642
तंजानिया गणराज्य	828	32794	1735	67081	647	52670
यूगांडा			105	2540		
संयुक्त अरब अमीरात	9922	163946	2382	114567	1750	85768
यू. के.	91125	1942255	102400	2456277	68321	1138579
यू. एस. ए.			9984	275578	1895	81891
यमन गणराज्य	3645	105765				
कुल जोड़ :	2275752	40142623	2267052	36306627	2319983	34404262

* स्रोत डी.जी.सी.आई एन्ड एस., कलकत्ता

जूट कारपोरेशन आफ इंडिया की रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार

2682. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट कारपोरेशन आफ इंडिया की रुग्ण जूट मिलों के लिए कोई पुनरुद्धार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो जूट कारपोरेशन की कितनी जूट मिलो को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा तैयार की गई पुनरुद्धार योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) भारतीय पटसन निगम लि. की कोई भी पटसन मिल रुग्ण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

'सेबी' की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

2683. **श्री दादा बाबूराव परांजये :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ('सेबी') के विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो म्युचुअल फण्ड के बारे में है, प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लेखा निवेशों का मूल्यांकन, म्युचुअल फण्ड के यूनिटों का मूल्य निर्धारण के संबंध में सिफारिशों का मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) लेखों के संबंध में समिति की सिफारिशें वार्षिक लेखों के प्रकटीकरण और निवेश के बाजार अंकन की नीतियों से संबंधित हैं। निवेशों के मूल्यांकन संबंधी सिफारिशों में लेन-देन किए गए (ट्रेडिड) लिखत और लेन-देन न किए गए (नॉन-ट्रेडिड) लिखत, वारंट, विनिमेय आदि के मूल्यांकन शामिल हैं। यूनिटों के मूल्य-निर्धारण संबंधी सिफारिशों में अनिश्चित अवधि वाली स्कीमों का मूल्य-निर्धारण, पुनर्क्रय मूल्य आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। सेबी ने सिफारिशों के आधार पर सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

बहुराष्ट्रीय निगमों का कार्यकरण

2684. **श्री ए. सम्पथ :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्यक्ष रूप से या सहयोग के माध्यम से कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कम्पनी का पूंजी निवेश कितना-कितना है;

(ग) इनके कुल उत्पादन का मूल्य कितना है और यह कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है; और

(घ) इन कम्पनियों के औसत निवल वार्षिक लाभ का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1.8.91 से 31.5.96 तक की अवधि के दौरान 4679 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये जिनमें 71036.68 करोड़ रूपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विचार किया गया है। ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोग-कर्त्ता का नाम तथा देश, निहित इक्यूटी निवेश, विनिर्माण कार्यकलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा एक पूरक के रूप में मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजा जाती हैं।

(ग) और (घ) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नही रखी जाती है।

खादी और ग्राम उद्योग आयोग

2685. **डा. साहेबराव सुकराम बागूल :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों का सीधे निर्यात नहीं करता है। यह खरीददारों/विक्रेताओं के आयोजनों, विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी इत्यादि का प्रबंध कर अपनी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात को विकसित करने हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

भारत के लिए अमरीका सहायता

2686. **श्री पिनाकी मिश्र : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में भारी कटौती हेतु संशोधन को स्वीकार करते हुए वर्ष 1997 के लिए भारत को अमरीकी सहायता दिए जाने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो 1997 के लिए सरकार द्वारा कितनी अमरीकी सहायता मांगी गई है और उपरोक्त प्रस्ताव के तहत कितनी सहायता दिए जाने का विचार है; और

(ग) यह सहायता राशि किस तरह से प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) अमरीकी प्रशासन ने अमरीकी कांग्रेस से अमरीकी राजकोषीय वर्ष 1997 के लिए भारत को 56.97 मिलियन अमरीकी डालर की विकास सहायता और पी. एल. 480 शीर्षक-II कार्यक्रम के अन्तर्गत 96.075 मिलियन अमरीकी डालर की खाद्य सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। जब अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने विदेशी सहायता विनियोजन विधेयक (विदेशी प्रचालन, निर्यात, वित्तपोषण और सहबद्ध कार्यक्रम विनियोजन विधेयक 1997) पर विचार किया तो सहायता में कटौती करने हेतु इस विधेयक का संशोधन सदन में 5 जून, 1996 को पारित नहीं हो पाया। भारत सरकार ने अमरीकी सरकार से अमरीकी राजकोषीय वर्ष 1997 के लिए किसी विशिष्ट वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है। वर्तमान में, अमरीकी सरकार भारत को केवल अनुदान सहायता ही प्रदान कर रही है।

रबड़ का उत्पादन

2687. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) रबड़ के उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से इसके घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने हेतु विभिन्न रणनीतियां अपनाता रहा है। हाल ही में इसकी घरेलू मांग में तीव्र वृद्धि को देखते हुए हसकी पूर्ण आत्म-निर्भरता के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है। तथापि, 8वीं योजना के रौदान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रतिवर्ष 3,66,745 टन से लेकर 5,06,910 टन तक की प्रशंसनीय वृद्धि हुई। इस समय प्राकृतिक रबड़ की 96% घरेलू मांग स्थानीय उत्पादन से पूरी की जाती है।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

2688. **श्री सौम्य रंजन** : क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उड़ीसा में बने हथकरघा वस्त्रों तथा हौजरी वस्तुओं की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के उत्पादन व निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उड़ीसा से कथकरघा परिधानों तथा हौजरी के सामान की कुछ मांग है। उड़ीसा सहित देश में ऐसी मदों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में निर्यातकों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात को सक्षम बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

केरल में उच्च न्यायालय के खंडपीठ

2689. **श्री एन. के. प्रेमचन्दन : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों की राजधानी में उच्च न्यायालय के मुख्यालय अथवा उच्च न्यायालय के खंडपीठ नहीं हैं;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां जनवरी, 1990 से उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापित किए गए हैं;

(ग) सभी राज्यों की राजधानी में उच्च न्यायलय के खंडपीठ स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल राज्य की राजधानी तिरूवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) इटानगर, गांधीनगर, तिरूवनन्तपुरम, भोपाल और भुवनेश्वर राज्यों की ऐसी राजधानियां हैं, जहां इस समय कोई उच्च न्यायालय या इसकी न्यायपीठें नहीं हैं।

(ख) उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें जनवरी, 1990 से कोहिमा (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), इम्फाल (मणिपुर), अगरतल्ला (त्रिपुरा) और शिलांग (मेघालय) में स्थापित की गई हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि गोहाटी उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ को, अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने के पश्चात्,

इटानगर में अधिविष्ट होने का आदेश दिया जाए। गांधी नगर, तिरूवनन्तपुरम, गोपाल और भुवनेश्वर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों से अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, केंद्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्यवाई करना संगव नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2690. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा किस हद तक इन्हें प्राप्त किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) 1995-96 वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संगावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं का निर्यात राज्यवार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जो हस्तशिल्प की वस्तुओं में सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्पों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी तुलना में उपलब्धि निम्नानुसार है:

(अमरीकी मिलियन डालर में)

वर्ष	सूती हथकरघा वस्त्र		हस्तशिल्प	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1993-94	419.56	413.66	946.83	1071.30
1994-95	475.00	479.19	1234.00	1321.71
1995-96	500.00	448.54	1542.00	1497.87

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सूती हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्प मदों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है :

सूती हथकरघा वस्त्र - 470 मिलियन अमरीकी डालर

हस्तशिल्प - 1600 मिलियन अमरीकी डालर

ऐसी आशा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसी मदों के राज्यवार निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही निर्यात के राज्यवार आंकड़े रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

2691. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों से सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) सरकार द्वारा उनमें से क्षेत्रवार कितने प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं;

(ग) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा अंतर्गस्त है;

(घ) कितने उद्योगों में उत्थान शुरू हो गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित अनिवासी भारतीय निवेश के प्रस्तावों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	संख्या	राशि
1994	167	489.34 करोड़ रुपए
1995	139	709.59 करोड़ रुपए

निवेश प्रस्ताव होटल, हस्पताल, वस्त्र, पर्यटन संबंधी उद्योगों, इलैक्ट्रानिक्स तथा सेवा संबंधी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में है।

प्रस्तावित निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। उत्पादन आरंभ होने के परियोजनावार ब्यौरे केंद्रीय रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

निर्यात देनदारियों में चूक

2692. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्रमुख निर्यात प्रतिष्ठान एवं व्यापारिक घराने निर्यात देनदारियों में चूक कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात में इस प्रकार की चूक को रोकने एवं निर्यात की ज़ाने वाली वस्तुओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए निर्यात संबंधी कागजी कार्यवाही को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के श्री बोलाबुल्ली रमैया : (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 3036 निर्यात घरानों/व्यापारिक घरानों में से केवल 32 को ही शुल्क छूट लाइसेंसों, ई.पी.सी.जी लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न लाइसेंसों पर लगाए गए निर्यात दायित्वों को समय पर पूरा न करने के दोषी पाया गया। इन 32 दोषी निर्यात घरानों/व्यापार घरानों में से किसी को भी ई.पी.सी.जी. योजना के तहत दोषी नहीं पाया गया। केवल 7 ही औद्योगिक लाइसेंसों/विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के तहत दोषी पाए गए और 25 को शुल्क छूट लाइसेंसों के तहत दोषी पाया गया।

(ग) निर्यात दायित्व की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग योजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। कुछेक कठिन मामलों में लाइसेंस धारकों के लिए उनके निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु समयावधि भी बढ़ायी जाती है। विदेश व्यापार, विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जाती है। निर्यात प्रलेखन का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह सरलीकरण विभिन्न शीर्ष व्यापार निकायों से परामर्श करके किया जाता है।

कोयला खनन में आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग

2693. **श्री शरत पटनायक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमिगत कोयला खनन कार्य में तकनीकी सहयोग हेतु आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

इजराइल के साथ व्यापार

2694. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा इजराइल के बीच इस समय कुल कितना व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या अमरीका के बाद इजराइल भारत के साथ व्यापार करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है;

(ग) भारत तथा इजराइल के बीच जिन-जिन क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि हो रही है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में भारत-इजराइल वाणिज्य मंडल स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत और इजराइल के बीच वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 1506.52 करोड़ रु. का व्यापार हुआ।

(ख) जी, नहीं। इजराइल का भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 0.7% का हिस्सा था।

(ग) इजराइल को होने वाले हमारे प्रमुख निर्यात हैं : रत्न एवं आभूषण, रूई एवं मानव निर्मित वस्त्र, काजू, काफी, कार्बनिक/अकार्बनिक/मूल रसायन, इंजीनियरिंग समान इत्यादि। इजराइल से होने वाले हमारे प्रमुख आयात हैं—उर्वरक, मोती, कीमती एवं अर्द्ध कीमती पत्थर कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन/मशीनरी, परियोजना सामान, पैट्रोलियम उत्पाद इत्यादि।

(घ) और (ङ) इस समय वाणिज्य मंत्रालय के पास हैदराबाद में एक भारत-इजराइल वाणिज्य मंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्टाक निवेश योजना

2695. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक निवेश योजना के संचालन के संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या स्टॉक निवेश योजना के सचालन में अभी भी अनियमिततायें चल रही हैं,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी भी चूक के लिए कर्मचारियों की जगह सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन मंडल को उत्तरदायी ठहराने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री.पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने और आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने स्टाक निवेश (एस आई) योजना के कार्य संचालन की छानबीन की थी, जिससे पता चलता है कि इस योजना से एस आई के जरिए प्राथमिक निर्गमों के लिए उच्च मूल्य लागू करने तथा आनुपातिक आबंटन प्रणाली के जरिए आबंटन प्राप्त करने हेतु निगमित निकायों, दलालों, संस्थाओं आदि को सुविधा मिली है। एस आई जारी करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पर्याप्त जमा राशि के बिना एस आई जारी करने, पूर्व दिनांकित एस आई जारी करने अन्य पक्षों के लिए थोक में एस आई जारी करने आदि जैसी संचालन संबंधी अनियमितताओं पर भी ध्यान दिया गया। अतः यह निर्णय लिया गया कि एस आई को यह सुविधा केवल व्यक्तियों, म्युचुअल फंडों ~~को~~ दी जाए और वह भी निवेशकों के आवधिक जमा राशियों, ऋण, बचत बैंक/चालू खातों पर धारणाधिकार के आधार पर। परन्तु, चूंकि एस आई योजना के संचालन में अभी भी कुछ गम्भीर अनियमितताएं हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा एस आई निर्गम के लिए प्रति व्यक्ति पूंजी निर्गम 10 लाख की उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है जिसमें स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा गया है कि क्यों न 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा भविष्य में बैंकों द्वारा स्टाक निवेश निर्गम पर रोक लगा दी जाए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सौराष्ट्र में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2696. **श्री चन्देश पटेल :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर जिले तथा अन्य जिलों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की पुरजोर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मांग पर नए सिरे से विचार करने हेतु किसी समिति अथवा आयोग का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक गठित किया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन खंडपीठों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) राजकोट सूरत, बड़ौदा, कच्छ और भावनगर में गुजराज उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए विधिज्ञ संगमों आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) गुजराज सरकार ने, मांगों का अध्ययन करने और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री डी.जी. पालेकर का एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने तारीख 23-8-85 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 28(3) के अधीन राज्यपाल के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ को मुख्य न्यायमूर्ति की पहल पर, स्थापित किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्य में कहीं भी स्थायी न्यायपीठें स्थापित करने के लिए कोई ऐतिहासिक, भौगोलिक या यहां तक कि भावुकतापूर्ण कारण नहीं थे। राज्य सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और रिपोर्ट की एक प्रति उच्च न्यायालय को भेज दी। इस प्रकार मांग पर नए सिरे से विचार करने के लिए कोई समिति या आयोग गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिवेश

2697. **श्री अनंत कुमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार कितना विनिवेश किया गया;

(ख) क्या कुछ और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विचार उनके इक्वीटी का विनिवेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपने किसी शेयर का विनिवेश नहीं किया है।

(ख) सार्वजनिक निर्गम (इश्यू) जारी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के एक बैंक के प्रस्ताव में सरकार की पूंजी के एक भाग के विनिवेश के प्रस्ताव का एक घटक शामिल है।

(ग) प्रस्ताव की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

2698. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और विकास के लिए 12.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है परंतु इस संबंध में अब तक कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए 12.95 करोड़ रु. की कुल लागत से बनाया गया कार्यक्रम उक्त क्षेत्र के राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 परियोजना कार्यालय शहतूत के लिए एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र, मूगा के लिए दो रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र तथा एरी के लिए एक केन्द्र पहले से ही स्थापित किया गया है। 777 एकड़ में शहतूती रोपण बढ़ाने के अतिरिक्त मूगा और ऐरी के लिए खाद्य पौधों का रोपण क्रमशः 407 हेक्टेयर तथा 96 हेक्टेयर में बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी समितियों को मूगा क्षेत्र में उत्पाद विकास तथा विविधीकरण के लिए रीलिंग मशीनों की सप्लाई की गयी है। ऐरी कोसों का विपणन करने के लिए एजेंसियों को सहायता गी प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त किसानों, रीलरों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

केन्द्रीय रोशम बोर्ड ने अग्रगामी और पश्चगामी संबंधों में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पूर्वात्तर राज्यों के साथ हुई परिचर्चा के आधार पर अतिरिक्त योजनाएं बनायी हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन

2699. **श्री बलाई चन्द्र राय** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बार' से नियुक्त किए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायिक सेवाओं से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन में अंतर होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विसंगति को दूरे करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग

2700. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अभी तक कोई भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वहां उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 17 उपक्रमों का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में है जिसमें भारी उद्योग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम अर्थात् भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, भारत यंत्र निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा, भारी उद्योग के अन्तर्गत अन्य राज्यों में स्थित सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के उत्पादन एकक उत्तर प्रदेश में हैं

(ख) जी नहीं। एच.एम.टी. लिमिटेड और गारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रत्येक के उत्पादन एकक तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योगों को बैंक ऋण

2701. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के बाद से कुल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योगों के लिए ऋण के हिस्से में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु क्षेत्र की अग्रिम राशि में वर्ष 1991 से लगातार वृद्धि हुई है जो लगभग शुद्ध बैंक ऋण में हुई वृद्धि के बराबर ही है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

अंतिम शुक्रवार की स्थिति अनुसार	शुद्ध बैंक ऋण (करोड़ रुपए)	लघु उद्योग की कुल अग्रिम राशि (करोड़ रुपए)	शुद्ध बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योग अग्रिमों का प्रतिशत
(अनन्तिम)			
मार्च 91	105632.15	16782.99	15.88
मार्च 92	112160.42	17398.42	15.51
मार्च 93	132781.63	19388.09	14.60
मार्च 94	140713.82	21581.12	15.34
मार्च 95	169037.54	25842.80	15.29
मार्च 96	184390.76	29482.08	15.99

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर, उसने लघु उद्योग एककों (एस एस आई) को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को लघु उद्योग एककों को उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त (टर्नओवर) के 20% के आधार पर एक करोड़ से कम की कार्यशील पूंजी सीमाएं मंजूर करने के निदेश दिए हैं। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण संबंधी आवयकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वे ग्राम उद्योगों, अति लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता दें।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

2702. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचित की गयी परिसम्पत्तियों के उनकी आय के व्यक्त स्रोतों के अनुपात में नहीं होने के सम्बन्ध में सितम्बर तथा अक्तूबर, 1995 के दौरान वित्त मंत्री के कार्यालय में संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं,

(ख) ऐसे पत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई, और

(ग) यदि कोई मामला दर्ज किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2703. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह कलकत्ता में हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए बाजारों एवं नए उत्पादों का पता लगाने हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला की उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के लिए निधारित 3,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) जी हां हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 7 जुलाई, 1996 को "हस्तशिल्प निर्यातों के जरिए सफलता" शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य नई महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प के निर्यात के लिए अपनाई जा रही कार्यपद्धति तथा प्रलेखन से परिचित करवाना था। 325 नई महिला उद्यमियों ने उक्त कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) हस्तशिल्प (हाथ से बुने कालीनों को छोड़कर) के निर्यात के लिए निर्धारित 3,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में विदेशों में बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेले तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, समुद्र पार प्रभार तथा केटलॉग का प्रकाशन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, हाल ही में शुरू किया गया अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प तथा गिफ्ट फेयर तथा अन्तर्राष्ट्रीय कालीन एक्सपो का आयोजन तथा भारतीय हस्तशिल्पों में उच्च स्तर की गुणवत्ता हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उत्थान शामिल है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2704. **डा. अरुण कुमार शर्मा :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) [illegible] हीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) डिब्रूगढ़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में असम सरकार से, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

2705. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में उद्यमियों को क्या विशेषाधिकार/लाभ दिये जा रहे हैं;

(ग) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय जिलों को कोई विशेष लाभ दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय केरल राज्य में कोई भी जिला पिछड़ा हुआ घोषित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़े का उत्पादन

2706. **श्री हाराधन राय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में प्रतिव्यक्ति कपड़े की वार्षिक मांग/खपत/उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में आवश्यकतानुसार कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1996-97 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) देश में कपडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक मांग/खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपड़े का प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा उपलब्धता निम्नानुसार है :

		(वर्ग मी. में)
वर्ष	प्रति व्यक्ति उत्पादन	प्रतिव्यक्ति उपलब्धता
1993-94	31.4	26.22
1994-95	31.6	25.67
1995-96 (अनंतिम)	33.2	27.37

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार देश में कपड़े की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है जैसे लाइसेंस के उपलब्धों का उदारीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण, हथकरघा कपड़े के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना, टेक्सटाइल मशीनों के आयात की ओ.जी.एल. के अंतर्गत अनुमति देना तथा ऐसे आयात पर सीमा-शुल्क में कटौती करना तथा अनुसंधान व विकास आदि। ऐसा अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के लिए वस्त्र उद्योग के कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान देश में कपड़े का उत्पादन लगभग 29500 मि. वर्ग मी. होगा।

जूट मिलें

2707. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में जूट मिलों और कपड़ों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार बी आई एफ आर के समक्ष पश्चिम बंगाल के कपड़ा और जूट एककों के कुल कितने-कितने मामले लंबित हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) 31-3-1996 तक की स्थिति अनुसार पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों की कुल संख्या 59 थी। इसके अतिरिक्त राज्य में 42 सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलें वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई के पास पंजीकृत थी।

(ख) बी आई एफ आर द्वारा दी गई सूचना अनुसार 31-3-1996 तक की स्थिति अनुसार बी आई एफ आर के पास पश्चिम बंगाल मे पटसन क्षेत्र के 11 मामले और वस्त्र क्षेत्र के मामले लंबित पड़े थे।

कछुओं को जब्त करना

2708. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1,500 कछुओं को जिनकी कथित रूप से बंगलादेश के लिए तस्करी की जा रही थी, जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कछुओं की तस्करी में शामिल गुमनाम लोगों के बारे में पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कछुओं की तस्करी किस प्रयोजन से की जा रही थी ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य में मोहेदीपुर भू-सीमाशुल्क स्टेशन पर तैनात सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने भारत से बंगलादेश को तस्करी का प्रयास करते समय 1500 कछुओं को पकड़ा।

(ग) और (घ) शामिल पाए गए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और उनके विरूद्ध मुकदमा आरम्भ कर दिया गया है। इस मामले में आगे जांच-कार्यवाहियां चल रही है। अभी तक की गई जांच-पडताल से गिरफ्तार उक्त दो व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का पता नहीं चला है। यह पता चला है कि इन कछुओं को घरेलू जल-जीवशालाओं में प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

2709. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 7-8 प्रतिशत और औद्योगिक विकास में 12 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हा, तो इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत जी डी पी विकास की परिकल्पना की गयी है। औद्योगिक विकास को भी प्रति वर्ष 12 प्रतिशत पर बनाये रखने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) विद्युत, परिवहन और संचार जैसे क्षे[illegible] सुदृढ़ आर्थिक अवसंरचात्मक विकास सतत औद्योगिक विकास [illegible] लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सरकार उत्पादन तथा वितरण को नियंत्रण मुक्त करके इन क्षेत्रों में बाजार तंत्र के व्यापक प्रयोग पर पहले ही विचार कर रही है। घरेलू संसाधनों में वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 1996-97 के केन्द्रीय बजट में 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत अंश पूंजी के साथ एक अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी की एक प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में, एक पुनः वित्तीयन संस्था के रूप में और एक वित्तीय गारंटीदाता के रूप में कार्य करने हेतु स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाने के लिए ऐसे निर्यात को छोड़कर जिन पर शून्य दर पर सीमा शुल्क लगता है या जिन्हें निर्यात के उत्पादन हेतु सीमा शुल्क की शून्य दर पर आयात किया जाता है शेष सभी प्रकार के आयातों पर 2 प्रतिशत सीमा शुल्क भी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। कर सम्बन्धी रियायतें बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए भी बढ़ा दी गयी हैं।

मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलें

2710. **श्री सुशील चन्द्र : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी कपड़ा मिलें चल रही हैं और उनमें से कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) इन मिलों के बंद होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन मिलों के बंद होने के कारण पैदा हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू करने के लिए इन मिलों की भूमि को बेचने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन कपड़ा मिलों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति दी गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) 31-3-1996 तक की स्थिति अनुसार मध्यप्रदेश में 50 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें थीं। इनमें से 9 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें मध्यप्रदेश में बंद थीं।

(ख) 9 मिलों के बन्द होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या 21091 थी।

(ग) सरकार में स्थाई रूप से/आंशिक रूप से बन्द पड़ी मिलों के कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना स्थापित की है।

(घ) और (ङ) यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जहां तक मध्यप्रदेश में एन टी सी मिलों का संबंध है, एन टी सी (म प्र.) लि. का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है। सरकार ने पुनर्वासन पैकेज बनाया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एन टी सी मिलों की बेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से निधियां जुटाना है। बी आई एफ आर को इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

[अनुवाद]

दार्जिलिंग में उद्योग का पुनरुद्धार

2711. **श्री आर. बी. राई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग में चाय उद्योग के पुररुत्थान हेतु वित्तीय सहायता के लिए चाय उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) दार्जिलिंग चाय उत्पादक संघठन में चाय बोर्ड को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इस संघठन के प्रतिनिधियों ने इन मामलों पर चाय बोर्ड के अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे इस मामले में व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

नारियल जटा तैयार करने वाली मशीनों पर उत्पाद शुल्क में छूट

*2712. **श्री ए. सी. जोस :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा तैयार करने वाली मशीनों को उत्पाद शुल्क से छूट देने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय पर कोई निर्णय लिया है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधि ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) से (घ) नारियल रेशा उद्योग के आधुनिकीकरण प्रयासों में सहायता के रूप में नारियल रेशा संसाधित करने वाली विनिर्दिष्ट मशीनों पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में आटोमोटिव संयंत्र

2713. **श्री बी. धर्मभिक्षम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में ओटोमोटिव संयंत्र लगाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारी उद्योगों में पूंजी निवेश

2714. **श्री नवल किशोर राय :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी उद्योगों में पूंजी निवेश का एक बड़ा हिस्सा विदेशी ऋण के रूप में हैं;

(ख) यदि हां, तो भारी उद्योगों में मार्च, 1996 तक कुल कितना निवेश हुआ तथा घरेलू और विदेशी स्रोत से क्रमशः ऋण के रूप में कितनी पूंजी प्राप्त हुई;

(ग) क्या विद्यमान भारी उद्योगों में से अनेक उद्योग पहले से ही रुग्ण हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) इन रुग्ण इकाइयों में मार्च, 1996 तक कुल कितना निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारी उद्योगों की स्थापना सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में की जाती है। भारी उद्योगों में की गई निवेश संबंधी जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, संगठित क्षेत्र में गैर लघु एककों के संबंध में 1991-92 (अगस्त, 1991 में उदारीकारण के समय से) से 1995-96 (अप्रैल-मार्च) तक रिकार्ड किए गए औद्योगिक निवेश के आशयों से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	प्रस्तावित निवेश
आशय पत्र (एल ओ आई)	66,537 करोड़ रु.
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम)	4,91,410 करोड़ रु.
कुल :	5,57,947 करोड़ रु.

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 1995 को गैर लघु क्षेत्र में 1915 रुग्ण औद्योगिक एकक हैं और उन पर 8,739.61 करोड़ की राशि बकाया थी।

[अनुवाद]

जाली खाता धारी

2715. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंकवार कितने जाली खाताधारी पकड़े गए;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुछ खाताधारी बड़ी मात्रा में नकदी जमा कराते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बैंक अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि खाताधारक द्वारा जमा की जाने वाली नकद जमाराशि की प्रमात्रा पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापित, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1995 में सभी बैंकों से कहा है कि वे 10 लाख रुपए और अधिक की नकद जमाराशियों और आहरणों की निगरानी के लिए एक प्रणाली लागू करें और निरंतर आधार पर जांच करें कि कोई संदिग्ध/धोखाधड़ी पूर्ण लेन-देन नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर अप्रैल, 1996 में इन बैंकों से कहा है कि उपर्युक्त संदर्भित अनुदेशों के वास्तविक कार्यान्वयन की प्रति सूचना उन्हें दें।

विदेशी निवेश

2716. **श्री कृष्णलाल शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 61,248 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जबकि गत पांच वर्षों के दौरान इसका मात्र 22 प्रतिशत ही यानि 13,235 करोड़ रु. के विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो देश में प्राप्त हुए कम निवेश के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात्, 1991 से 1995 तक अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतर्वाह की कुल राशियां क्रमशः 59,593.89 करोड़ रुपये तथा 12,165.33 करोड़ रुपये हैं।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतर्वाह फलारंभ काल पर निर्भर करता है जो कि भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के मामले में भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतर्वाह की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह हेतु नीतिगत ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए लगातार इसकी समीक्षा की जाती है।

घरेलू बचत को प्रोत्साहन

2717. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू बचत में सुधार के लिए सुदृढ़ वित्तीय/मौद्रिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) बचतों को बढ़ावा देने के लिए उन पैरामीटरों में सुधार करना अत्यावश्यक है जिनका बचत संबंधी आदतों पर प्रभाव पड़ता है। इनमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर संबंधी नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की कार्यक्षमता और अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल हैं। अभी तक अपनाए गए विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों से कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कुछ दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत 1996-97 के लिए केन्द्र सरकार के बजट में विभिन्न उपाय/नीतिगत परिवर्तन शामिल किए गए हैं जिनका बचतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

कोयला संबंधी परियोजनाएं

2718. **जस्टिस गुमान मल लोढा** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 मार्च, 1996 तक देश में कोयले के क्षेत्र में कितनी बडी परियोजनाए चल रही है;

(ख) क्या इस तरह की कई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे

चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं की पूरा करने में होने वाले विलंब के कारण लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेजी कोलियरीज़ कंपनी लि. के क्रियान्वयनाधीन प्रत्येक 100 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की 24 बड़ी परियोजनाएं थीं। इनमें से 9 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है।

(घ) इन लम्बित परियोजनाओं की लागत में लगभग 16.18% की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ अप्राधिकृत व्यापार

2719. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1996 के "द स्टेट्समेन" में "कन्सर्न ओवर अनआफिशयल ट्रेड विद पाकिस्तान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या भारत-पाकिस्तान के बीच अप्राधिकृत व्यापार प्राधिकृत व्यापार से कई गुणा अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच अप्राधिकृत व्यापार पर रोक लगाने तथा उस देश के साथ प्राधिकृत व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) अप्राधिकृत व्यापार की मात्रा का कोई विश्वसनीय आंकलन करना संभव नहीं है।

(ग) भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाले व्यापार में भारत से आयात के बारे में पाकिस्तान सरकार की प्रतिबंधात्मक नीति से बाधा पड़ती है। पाकिस्तान भारत से 573 मदों की एक पक्षीय सूची में ही आयात करने की अनुमति देता है, जिन में से बहुत सी वस्तुओं के वास्तव में निर्यात की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भारत के पाकिस्तान को परममित्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया है किन्तु पाकिस्तान द्वारा अपने गाट/डब्ल्यू.टी.ओ. दायित्वों का उल्लंघन करते हुए भारत को यह दर्जा दिया जाना है। पाकिस्तान के साथ व्यापार का विस्तारण मुख्यतः उसके द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने पर निर्भर करेगा।

असम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

2720. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को असम के उद्यमियों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन स्वीकृत किए गए और कितने आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में उद्योगों को वितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान असम के उद्यमियों से प्राप्त मंजूर और अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन	मंजूर आवेदन	अस्वीकृत आवेदन
1993-94	14	10	3
1994-95	15	10	-
1995-96	21	17	-

आई डी बी आई ने सूचित किया है कि अपूर्ण आवेदन और उन आवेदनों को जिसमें प्रवर्तकों ने अपेक्षित विवरण नहीं दिया या बन्द समझ लिया गया था। तथापि, प्रवर्तकों द्वारा अपेक्षित सूचना देने पर आई डी बी आई इन आवेदनो पर पुनः विचार करेगा।

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असम में आई डी बी आई द्वारा उद्योगों को संवितरित सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रु करोड़)

वर्ष	संवितरित राशि
1993-94	14.70
1994-95	22.53
1995-96	43.80

निविदा हेतु मानक दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्यबल

2721. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक ने निविदा हेतु मानक दस्तावेज तैयार करने के लिए कोई कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जनवरी, 1995 से प्रभावी हुए विश्व बैंक के वसूली संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा 1995 में यथा-पुनर्गठित कार्यबल विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं में उपयोग हेतु बैंक के मानक बोली दस्तावेजों की उनके उपयुक्त स्वदेशीकरण के लिए जांच कर रहा है।

केरल में बैंक शाखाएं

2722. **श्री ए. सम्पथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केरल में अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कितनी–कितनी थीं;

(घ) उक्त अवधियों के दौरान पूरे भारत में केरल में पृथक–पृथक इन बैंकों में कितनी धनराशि जमा कराई गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में बैंकों में जमा और ऋण अनुपात कितना-कितना था ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में तथा केरल में परिचालन कर रहे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या निम्नलिखित है :

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	मार्च 1995	मार्च 1996
सम्पूर्ण भारत	62,067	64,458
केरल	3,009	3,151
राष्ट्रीयकृत बैंक		
सम्पूर्ण भारत	30,633	32,175
केरल	970	1,022

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि मार्च, 1995 और मार्च, 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत एवं केरल दोनों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशि और श्रण जमा अनुपात निम्नलिखित है :

(राशि लाख रुपए में)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		मार्च, 1995	मार्च, 1996
सम्पूर्ण भारत :	जमा राशियां	375863,97	426073,37
	ऋण जमा अनुपात	59.2	61.9
केरल	जमा राशियां	17040,77	19792,83
:	ऋण जमा अनुपात	44.9	45.4
राष्ट्रीयकृत बैंक			
सम्पूर्ण भारत :	जमा राशियां	214051,09	237512,64
:	ऋण जमा अनुपात	52.3	54.2
केरल :	जमा राशियां	6468.53	7132,05
:	ऋण जमा अनुपात	36.8	40.0

बिक्री कर समाप्त किया जाना

2723. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1996 में अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ के साथ-साथ कुछ संसद सदस्यों से "बिक्री कर समाप्त करके उसके बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने जैसा कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में कपड़ा, तम्बाकू, कागज और चीनी के मामले में किया था" शीर्षक के अंतर्गत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उक्त विषय पर अखिल भारतीय व्यापार संघों के परिसंघ का दिनांक 19.6.96 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) सभी जिन्सों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है।

केरल में बी.एच.ई.एल. का कार्यालय

2724. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बी.एच.ई.एल. का कार्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता आर्थिक स्वतंत्रता

2725. **श्री सौम्य रंजन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता/आर्थिक स्वतंत्रता दिए जाने के सम्बन्ध में कोई मांग की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध भारतीय संविधान द्वारा शासित होते हैं। राज्यों के पास अपनी अलग समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा एक लोक लेखा होता है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत् राज्य वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं तथा अपनी-अपनी राज्य विधायिकाओं के प्रति जवाब देह है।

तथापित, वैद्यानिक, प्रशासनिक और वित्तीय आदि मामलों के बारे में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों पर अंतर राज्यीय परिषद् द्वारा नियुक्त उप समिति के द्वारा विचार किया जा रहा है। इस उप-समिति ने अब तक 247 में से 190 सिफ़ारिशों पर विचार कर लिया है। शेष सिफारिशों को उप-समिति द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। उप-समिति के विचार-विमर्श के पश्चात इन सिफ़ारिशों को अंतर-राज्यीय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात् अंतर-राज्यीय परिषद् के दृष्टिकोणों को विचारार्थ और निर्णय लेने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं

2726. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर (उत्तर प्रदेश) से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बरती जा रही विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट शिकायत निर्दिष्ट नहीं की गई है। वर्ष 1981 में जब से बी आई सी का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उसके अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। सरकार इनकी जांच करती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक पाया जाता है वहां आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

खनिजों का ढलाई कार्य

2727. **श्री शरत पटनायक : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिजों के ढलाई कार्य हेतु कोयले के उत्पादन, मांग एवं पूर्ति के लिए एक आर्थिक प्रभाव के गठन का है; और

(ख) यदि हां तो इसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मोरक्को के साथ व्यापार तथा आर्थिक संबंध

2728. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा मोरक्को के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंध को बढाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच निर्यात को बढावा मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में कहां तक वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और मोरक्को के बीच नई दिल्ली में 17 नवम्बर, 1981 को एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1994-95 के दौरान 904.68 करोड़ रु. से बढकर 1995-96 के दौरान 1089.34 करोड़ रु. हुआ। 1996-97 के दौरान इस उर्ध्वगामी प्रवृति में और वृद्धि होने की संभावना है।

विवरण

भारत और मोरक्को के बीच 17 नवम्बर, 1981 के हस्ताक्षरित

व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे एक दूसरे के वाणिज्य को किसी तीसरे देश के वाणिज्य को प्रदत्त अनुकूल व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार प्रदान नहीं करेंगे।

(ii) दोनों पक्ष अपने संबंधित विनियमन के अध्यधीन दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए अधिकतम संभव सुविधाएं देंगे और सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

(iii) समझौते के अर्न्तगत सौदों का भुगतान दोनों पक्षों को स्वीकार्य स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जायेगा।

(iv) दोनों पक्ष मेले और प्रदर्शनिया आयोजित कराने के लिए एक दूसरे के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराऐंगे।

(v) दोनों पक्ष व्याषार बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश में व्यापारियों के दौरों को बढ़ावा देंगे।

(vi) आरम्भ में समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिए था और उसके बाद हर साल उसकी अवधि एक वर्ष के लिए स्वतः बढ़ जाने की व्यवस्था है जब तक कि उसकी वैद्यता की ऊपर बताई गयी किसी भी अवधि की समाप्ति से तीन महीने पहले किसी भी पक्ष की तरफ से दूसरे को लिखित में समाप्ति का नोटिस नहीं दिया जाए।

गुजरात में लोक अदालतें

2729. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और अब तक गुजरात में आयोजित की गई लोक अदालतों और परिवार न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) राज्य में लोक अदालतों और परिवार न्यायालयों के संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) गुजरात राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :

वर्ष	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1993	91	13,461
1994	87	15,926
1995	131	13,235
1996 (30 जुलाई तक)	66	7,093

गुजरात में कुटुंब न्यायालय कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) लोक अदालतों को, जो इससे पूर्व सुलहकारी और आग्रही पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक प्रयास थे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 9 नवंबर, 1995 से प्रवर्तन के साथ कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

गोवा में इंडियन पर्सनल लॉ

2730. **श्री राम नाईक** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में पर्सनल लॉ लागू करने की व्यावहारिकता का परीक्षण करने के लिए कई आयोग गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए कितनी समितियां/आयोग गठित किए गए;

(ग) इस संबंध में उपरोक्त समितियों/आयोगों द्वारा अब तक क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इन्हें लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है किए जाने का विचार है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (घ) जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। यह संबद्ध मंत्रालयों विभागों से एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समान नागरिक संहिता

2731. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह एवं उत्तराधिकार आदि के संबंध में समान नागरिक संहिता बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला अनुबंधन

2732. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश की कोयला ब्रिकेटिंग इकाइयों के लिए कुल कितने मीट्रिक टन का अनुबंधन है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को कितने कोयले की डिलीवरी की गई अथवा आपूर्ति की गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. जिसमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित यूनिटें भी शामिल हैं, के गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को संयोजन मुहैया करता है। ऐसे संयोजन प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्तित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता, परिवहन के स्वरूप तथा आपूर्ति के स्रोत को दर्शाते हैं। वास्तविक आपूर्ति यद्यपि प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक प्रयोजन पर आधारित है तथा कोयले की उपलब्धता के विषय में समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ख) कोयला कंपनियों द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश की ब्रिकेटिंग यूनिटों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	जारी की गई कोयले की मात्रा (लाख टन में)
1993	5.39
1994	4.16
1995	9.49

मसालों के निर्यात में कमी

2733. **प्रो. पी.जे. कुरियन** :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मसालों के निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मसाले के निर्यात से कुल कितनी आय हुई है; और

(ग) मसालों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं। भारत का विश्व में मसाले के आयात में मात्रात्मक हिस्सा बढ़ा है जो 1990-91 में 27.42% था और वर्ष 1995-96 में बढ़कर 41.93% हो गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान हुए मसालों के निर्यात की मात्रा और कीमत का ब्यौरा संलग्न विपणन में दिया गया है।

(ग) मसालों का निर्यात बढ़ानें के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, जो उपाय किये गए हैं उनमें शामिल हैं :

(i) करी पाउडर, मसाला तेल और ओलियोरेजिन, ब्रांड युक्त उपभोक्ता पैक्ड मसाले, डिहाइड्रेटेड हरी मिर्च इत्यादि के रूप में मूल्यवर्द्धित मसालों के निर्यात का संवर्धन करना;

(ii) मौजूदा बाजारों में बाजार आधार सुदृढ़ करना और नए बाजारों को अभिज्ञात करना;

(iii) विदेशी बाजारों में निजी निर्यातकों द्वारा विशिष्ट ब्रांडों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iv) उपभोक्ता पैकेटों में मसालों की भारतीयता और गुणवत्ता की निशानी के रूप में लोगों को लोकप्रिय बनाना;

(v) बिक्री-सह-अध्ययन शिष्टमण्डल प्रायोजित करना, चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों में भागीदारी और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना;

(vi) मसालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए यू.एन.डी.पी. समर्थित परियोजना का क्रियान्वयन करना, भारत से मूल्यवर्द्धित मसालों के निर्यात का संवर्धन करना और मसाला उपजकर्ता क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना;

(vii) प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देना और आई.एस.ओ. 9000 का प्रत्यायन करना, कीटनाशी अवशेषों की देखरेख के लिए सुविधाएं स्थापित करना, पूंजीगत सामान में निवेश तथा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु मसाला निर्यातकों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा प्रसंस्करण उन्नयन के लिए अनुदान देना;

(viii) अनुसंधान संस्थानों/अभिकरणों के जरिए उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में सहायता देना;

(ix) करी पाउडर/पिसे हुए मसालों का विनिर्माण करने वाली इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रदान करना।

विवरण

भारत से मसालों का मद-वार निर्यात

मात्रा मी.टन में, कीमत लाख रु में

मद	1994-95		1995-96 (पी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	37,264	23664.19	26346	19647.09
इलायची (छोटी)	557	762.61	500	1239.55
इलायची (बड़ी)	1,293	812.74	1,784	1234.95
लाल मिर्च	20,096	5711.63	56,073	19414.78
अदरक	12,022	1673.03	18.191	3828.73
हल्दी	28,286	4517.96	27.376	4607.07
धनिया	10,702	1793.84	11,308	2200.36
जीरा	5,618	2449.65	3,895	1733.85
अजमोदा	2,601	777.28	2,678	624.67
फिनेल	2,029	581.56	2,602	755.59
फिनग्रीक	7,956	1224.97	15,135	1874.07
अन्य बीज (1)	2,338	486.86	2,309	502.18
अदरक	633	122.87	3,776	490.03
अन्य मसाले (2)	16,523	2954.61	23,136	3980.42
कड़ी पाउडर	4,135	1443.27	4,131	1698.25
पुदीना तेल	1,583	4356.78	1,242	4058.05
मसाला तेल और ओलियो रेजिन	1,672	8676.68	1,715	10699.45
समग्र योग	155,008	62010.53	202,197	78589.09
कीमत निलियन अमरीकी डालर में		197.86	.	235.86

(पी) अनंतिम

1. अज्वान सीड, डिल सीड, पॉपी सीड, एनीसीड, इत्यादि।
2. शामिल हैं—टमारिन्ड, असाफोइटिडा, दालचीनी, कैशिया, तेजपत्ता, कोकम, सेफरन, इत्यादि।

स्रोतः डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता/नौवहन बिल/निर्यातकों की रिटर्नें

विदेशी निवेश संवर्धन परिषद

2734. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन परिषद नामक कोई संस्था गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) वित्तीय अड़चनों के चलते प्रस्तावित परिषद किन-किन शर्तों के तहत कार्य करेगी और इस परिषद के लक्ष्य ओर उद्देश्य क्या होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने एक विशेष परिषद गठित करने का निर्णय लिया है जो कि विदेशी निवेश उन्नयन परिषद कहलायेगी (एफ.आई.पी.सी.)। इस परिषद में प्राख्यात तथा जाने-माने विशेषज्ञ होंगे जो उत्प्रेरक, निवेश उन्नयन तथा विपणन प्रयासों का प्रबन्धक तथा समन्वय करेंगे। परिषद का एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होगा जो कि उद्योग मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। कुछ व्यावसायिक तथा कर्मचारी जिन्हें व्यापार तथा सम्मलित विश्व की जानकारी होगी, इस परिषद की सहायता करेंगे। यह परिषद व्यवसायिक आधार पर कार्य करेगी तथा यह शीर्ष वाणिज्यिक तथा उद्योग एसोसियेशनों के साथ घनिष्टता से सम्बद्ध रहेगी। विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) तथा विदेशी निवेश उन्नयन परिषद (एफ.आई.पी.सी.) दोनों ही एक दूसरे के सम्पर्क में रहेगी।

कोल इंडिया लिमिटेड के श्रमिकों के लिए क्वार्टर्स

2735. **श्री हराधन राय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता चार और पांच के अनुसरण में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के श्रमिकों के लिए कुल कितने क्वार्टर्स बनाएं गए;

(ख) इस पर कितनी धरराशि खर्च की गई; और

(ग) मौजूदा क्वार्टर्स की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—4 तथा 5 के दौरान कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कम्पनियों में कोयला खानों के कामगारों के लिए 671.19 करोड रुपये की लागत से 72973 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है।

(ग) इसी अवधि के दौरान विद्यमान क्वार्टरों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल 280.23 करोड रूपये की राशि का व्यय किया गया।

पटसन का उत्पादन

2736. **श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में कच्चे पटसन तथा पटसन उत्पाद का उत्पादन हुआ;

(ख) इस संबंध में "बी.टी.विल" के मूल्य निर्धारण तथा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की खरीद नीति का क्या आधार है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पटसन के उत्पाद के निर्यात से कितनी आय हुई।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) 1995-96 के दौरान उत्पादन :

कच्चा पटसन 78 लाख गांठ-प्रत्येक गांठ 180 किग्रा.

पटसन का सामान : 1433 हजार मि.टन.

(ख) बी. ट्विल बोरो का कीमत निर्धारण करने का फार्मूला औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो (बी आई सी पी) के अध्ययन पर आधारित है जो कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ संशोधन के अध्यधीन है।

(ग) 1995-96 के दौरान पटसन के सामान के निर्यात से कुल आय लगभग 62.500 करोड़ रु. थी।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में विकास दर

2737. **श्री नवल किशोर राय :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों की वार्षिक विकास दर लगातार बढ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान औसत विकास दर कितनी रही;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत रुग्ण एककों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो देश में लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 1991-92 और 1995-96 में रुग्ण एककों की संख्या कितनी थी;

(ङ) क्या 1995-96 के दौरान रुग्ण एककों की संख्या लघु उद्योग एककों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक पहुँच गई थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में वर्षवार उत्पादन वृद्धि दर इस प्रकार थी :

वर्ष	उत्पादन की वृद्धि दर (%)
1992-93	5.6
1993-94	7.1
1994-95	10.1
1995-96*	10.3

* अप्रैल-दिसंबर, 1995 की अवधि के लिए सूचकांक पर आधारित आकलन।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1992 तथा मार्च, 1995 के अंत में बीमार लघु उद्योग एककों की कुल संख्या क्रमशः 245575 तथा 268815 थी। इन संख्याओं में कुटीर तथा ग्रामोद्योग एकक भी शामिल हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 1995-96 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण तथा संबद्ध मुद्दों की पर्याप्तता की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता, मुख्यतः इसकी विभिन्न आंतरिक दुर्बलताओं, जैसे-सीमित वित्तीय संसाधनों, संघटनात्मक वित्तीय तथा प्रबंधन कुशलताओं तथा विशेषज्ञताओं की कमी से उत्पन्न होती है। रुग्णता के बाहरी कारण अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख हैं (1) बिजली सहित कच्चे माल तथा अन्य निविष्टयों की उपलब्धता में कठिनाइयां, (2) विपणन कठिनाइयां, (3) विलंबित तथा अपर्याप्त ऋण, (4) करों की उच्च दरें, (5) श्रम-समस्यायें, (6) परियोजनाओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन, तथा (7) ऐसा प्रबंधन जो कि अक्षम/ईमानदारी सहित/साझेदारों के आपसी मतभेदों आदि से परेशान हो।

[अनुवाद]

बैंकों में ग्राहक सेवाओं के बारे में गोईपोरिया समिति

2738. **श्री प्रमोद महाजन :**
कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोईपोरिया समिति की क्रियान्वित की गई और अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं और इन्हें पूरी तरह से कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) वित्त वर्ष 1995-96 के लिए जमा राशि जुटाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बैंकों द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार तथा जमाराशि अधिक जुटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गोईपोरिया समिति ने बैंकों में ग्राहक सेवा पर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 97 सिफारिशें की हैं :

(i) सुविधाओं में विस्तार करके ग्राहक सेवा में सुधार करना।

(ii) विशिष्ट शाखाएं खोलना।

(iii) कतिपय लेनदेनों में विलम्ब के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करना।

(iv) कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार तथा उन्हें ग्राहकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाना।

(v) प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का तकनीकी उन्नयन और उनका पुनरीक्षण करना।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी. आई.)/सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 97 में से 86 सिफारिशों को कार्यान्वित करने की सलाह बैंकों को दी है। प्रायोजित एजेंसियों के ऋण-आवेदन बैंकों को प्रस्तुत करने और समस्त जिला मुख्यालय स्तर पर सामयिक-बंधक स्थापित करने से संबंधित दो सिफारिशों पर आर. बी. आई./सरकार ने राज्य सरकारों को उपयुक्त परामर्श दिए हैं। नई ऋण योजनाएं शुरू करने से संबंधित सिफारिश पर सरकार को आर. बी. आई., नाबार्ड और भारतीय बैंक संघ से परामर्श करना होगा। सरकार ने इसे नोट कर लिया है। इस प्रकार 89 सिफारिशों को क्रियान्वित माना गया है। शेष आठ सिफारिशों की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है :—

(ख) आर. बी. आई. के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए अप्रैल, 1995 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा अभिवृद्धि का प्रारंभिक अनुमान 65000 करोड़ रुपए था। 17 मार्च, 1995 के आंकड़ों को आधार मानते हुए (क्योंकि 1994-95 में 18 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक 27 और 1995-96 के दौरान 26 रिपोर्टिंग पखवाड़े थे) 1995-96 में (17 मार्च, 1995 और 29 मार्च, 1996 के बीच) कुल जमाराशि 67, 122 करोड़ रुपए थीं।

(ग) गोईपोरिया समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार दिखाई पड़ा है। आर. बी. आई. ने भी बैंक सेवा में कमियों के बारे में ग्राहकों को शिकायतों की सुनवाई के लिए बैंकिंग ओमाईस्च स्कीम, 1995 शुरू की है। इसके अतिरिक्त, आर. बी. आई. ने बैंकरों की वार्षिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसमें बैंक-सेवा में सुधार लाने के लिए ग्राहक सेवाओं की कमियों पर चर्चा की जाएगी बैठक के दौरान गवर्नर, आर. बी. आई. ग्राहक सेवाओं में और ज्यादा सुधार लाने के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा गोईपोरिया समिति की सिफारिशें अक्षरशः लागू करने पर जोर देते हैं। जबकि कोई विशेष शिकायत सरकार/आर. बी. आई./बैंक के ध्याम में आती है तो उसके संबंध में उपचारी कार्रवाई करने के लिए उसे संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है।

विवरण

मंजूर नहीं की गई/आस्थगित सिफारिशें

क्र. सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश की प्रकृति	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	3.9	विशेषतया भारतीय करेंसी निगम का गठन और इसे बृहत स्तर पर नगदी प्रबंधन का कार्य सौंपना।	स्वीकार नहीं की गई। नायक समिति की रिपोर्ट के आधार पर, "करेंसी ट्रांसिट सेंटर" स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बैंक शाखाओं में नकदी रखने की समस्या सुलझेगी।
2.	3.12	बैंकों को नोट पैकेटों पर कई स्टेपलपिन नहीं लगाने चाहिए ताकि नोट जल्दी फटने से बचाए जा सकें।	नई तकनीक के लागू होने और इसके व्यापक उपभोग होने तक जिसमें अभी समय लगेगा, बैंकों से कहा गया है कि नोट पैकेटों पर अधिक टांका न लगाएं।
3.	3.16	बचत बैंक ब्याज दर में वृद्धि	जमाराशियों पर ब्याज दर, बहुत से तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर को बढ़ाना व्यवहारिक नहीं पाया गया।
4.	3.23	जमाराशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन वर्तमान, जमाराशियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के पक्ष में नहीं है।

1	2	3	4
5.	3.27	बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों को भी राष्ट्रीय बचत योजना, इक्विटी से सम्बद्ध योजनाओं, म्यूचुअल फण्डों की योजनाओं आदि की तरह ही कर-लाभ दिया जाना चाहिए।	चूंकि अन्य बचतों के प्रोत्साहनों को वापस ले लिया गया है, अतः आगे किसी आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
6.	3.78	ग्राहक सेवा केन्द्रों को समाप्त करना।	बैंकों को कहा गया है कि जब तक आंतरिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए गोईपोरिया समिति की रिपोर्ट में वर्णित सभी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हो जाती हैं तब तक केन्द्रों को वैसे ही चलते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
7.	3.79	बैंकों में प्रतिबंधित छुट्टियों का प्रारम्भ।	क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें इस मामले में एक मत नहीं थी और कुछ राज्य सरकारें छुट्टियां कम करने के पक्ष में नहीं थी अतः इस सिफारिश को कार्यान्वित करने से रोक लिया गया।
8.	3.90	बैंकों को अपनी बड़ी शाखाओं में कारोबार समय के दौरान अपने ग्राहकों के उपभोग के लिए भुगतान कर टेलीफोन करने की सुविधा देनी चाहिए।	यह देखा गया है कि इसमें अंतर्ग्रस्त सुरक्षा जोखिम के कारण बैंक इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में अनिच्छुक हैं। डॉ. बापू कालदाते की अध्यक्षता में सरकारी आश्वासनों से संबंधित राज्य सभा समिति भी, सुरक्षा जोखिम की अंतर्ग्रस्तता के कारण इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के पक्ष में नहीं थी।

[हिन्दी]

वस्तुओं का जमा (डम्प) करना

2739. **श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1996 के 'दैनिक जागरण' में 'विदेशी वस्तुओं के लिए डम्पिंग की उपयुक्त जगह बन रही है भारत'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विदेशी कंपनियों द्वारा जमा (डम्प) की गई वस्तुओं का वस्तुवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्लीर रमैया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार भारतीय उत्पादकों द्वारा डम्पिंग के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच करती है। जहाँ उपयुक्त होता है वहाँ निर्धारित नियमों के अनुसार डम्पिंग (प्रतिपाटन) शुल्क लगाए जाते हैं।

लगाए गए प्रतिपाटन शुल्कों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण 'I' में दिया गया है। प्रतिपाटन संबंधी चल रही जांचों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण 'II' में दिया गया है।

विवरण-I

वे मामले जिनमें प्रतिपाटन शुल्क लागू है

उत्पाद	देश	लगाया गया शुल्क	जिस तारीख को कीमत शुल्क लगाया गया
1. पी वी सी रेजिन	अर्जेन्टीना	शून्य शुल्क	18.1.94
	ब्राजील	रु. 2036/एम. टी.	18.1.94
	मैक्सिको	रु. 1619/एम. टी.	18.1.94
	दक्षिण कोरिया	रु. 1253/एम. टी.	18.1.94
	यू. एस. ए.	रु. 504/एम. टी.	18.1.94

	उत्पाद	देश	लगाया गया शुल्क	जिस तारीख को कीमत शुल्क लगाया गया
2.	बिसफिनॉल-ए	जापान	रु. 7477/एम. टी.	11.3.94
3.	पोटाशिया परमैगनेट	चीन	रु. 5992/एम. टी.	5.9.95
4.	आइसोबूटाइल बेंजोन	चीन	रु. 10634/एम. टी.	31.8.95
5.	3,4,5 ट्राइमेथोक्सी बेंजलडिहाइड (टीएमबीए)	चीन	रु. 237/किग्रा.	20.10.95
6.	थियोफीलीन	चीन	रु. 108/किग्रा.	30.10.95
	कैफीन	चीन	रु. 101/किग्रा.	30.10.95
7.	एक्रीलोनइट्राइल बुटाडीन रबड़	जापान	रु. 19306/एम. टी.	14.11.95
8.	बिसफिनोल-ए	ब्राजील	रु. 10263/एम. टी.	26.12.95
		रूस	रु. 12559/एम. टी.	26.12.95
9.	डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट (डीबीएम)	चीन	1333 रु./प्रति एम. टी. से 1925/एम. टी.	8.7.96

विवरण-II

जांच के अधीन मामले

	उत्पाद	देश	टिप्पणी
1.	डेड बर्न्ट मैगनेसाइट	चीन	अनन्तिम शुल्क दिनांक 8.7.96 को लगाया गया।
2.	लो कार्बन फेरो	सी. आई. एस. (रूस, कजाकिस्तान उक्रने)	अनन्तिम शुल्क का सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया गया।
3.	सोडियम फरोसाइनाइड	चीन	
4.	बिसफिनॉल-ए	यू. एस. ए.	
5.	एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एन बी आर)	जर्मनी कोरिया गणराज्य	
6.	8-हाइड्रोक्सीक्नोलीन	चीन	

[अनुवाद]

जनता कपड़े की आपूर्ति

2740. **श्री प्रवीन चंद्र शर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम को वास्तविक मांग की तुलना में अपर्याप्त जनता कपड़े की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मांग की गई और इसकी कितनी आपूर्ति की गई; और

(ग) सरकार द्वारा असम में जरूरतमंद व्यक्तियों को जनता कपड़े की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए क्या ठोस कदम उंठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में वर्षवार जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य आबंटित करता है। कोई भी राज्य अपनी मांग के अनुसार अतिरिक्त लक्ष्य की मांग कर सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े के आबंटित उत्पादन लक्ष्य और असम राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार असम के विभिन्न अभिकरणों द्वारा वितरित जनता कपड़े का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति (मिलियन वर्ग मीटर में)
1993-94	31.00	29.34
1994-95	27.00	25.90
1995-96	21.00	21.33

सरकारी प्रतिभूतियां

2741. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार विकसित करने हेतु अगले दौर के आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करने का है ;

(ख) उत्तम बाजार सुधार हेतु तैयार किए जा रहे कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे प्राप्त होने वाले लाभ कितने आकर्षक होंगे, इसमें कितनी नई कम्पनियां शामिल होंगी तथा इस समय प्रचलित विविध मूल्य टेंडरिंग में कहां तक कमी आएगी ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य विभिन्न सुधार उपायों के जरिए एक गहन और सक्रिय सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास करना है। ये सुधार सतत प्रकृति के हैं और उचित क्रमानुसार किए जा रहे हैं।

(ख) इस सुधार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ नीलामियों के जरिए बाजार संबंधित ऋण, बाजार की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए दस्तावेजों में नवीनता लाना, संस्थागत विकास और एक सक्षम अंतरण की स्थापना के जरिए प्राथमिक और सहायक बाजारों को सक्रिय करना, भुगतान और निपटान व्यवस्था शामिल है।

(ग) सुधार कार्यक्रम जब पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो इससे विशेषकर गैर-पारम्परिक समूहों से नए भागीदारों के बाजार में आने, बाजार की स्थितियों और आशाओं के प्रति, उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए प्राप्तियों में लचीलापन लाने और सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार खपत में सुधार आने की संभावना है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2742. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस समय विदेशी सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं कहां-कहां लागू की जा रही है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार समय-सारणी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने अपनी कुछ अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता मांगने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यकारी (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) विकासात्मक परियोजनाओं के ऐसे चार प्रस्ताव हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त हुए हैं। ये, जनता के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली, सड़कों का सुधार, जलापूर्ति और मलजल निष्कासन प्रणाली में सुधार और दिल्ली में परामर्शी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। विदेशी सहायता के लिए ये प्रस्ताव क्रमशः ओ इ सी एफ (जापान), विश्व बैंक, फ्रांस और विश्व बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चल रहीं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	परियोजना	दाता एजेन्सी	भारत सरकार और दिल्ली की सरकार द्वारा जारी की गई राशि 'क'*	पूरा होने की अंतिम तिथि
1.	निजामुद्दीन पुल का निर्माण	जापान	66.8 मिलियन येन	31.3.98
2.	कलावती सरन बाल अस्पताल	जापान	शून्य	31.3.97
3.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	नीदरलैंड	3.782 मिलियन नीदरलैंड गिल्डर	31.12.96

*क. दिल्ली सरकार को इन परियोजनाओं में योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन स्थानों-विशेष परियोजनाओं के अतिरिक्त ऐसे अनेक विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और बहुराज्यीय योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन पूरे देश में चल रहा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भी अनेक स्थान शामिल हैं।

आर्थिक विकास में बाधाएं

2743. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आर्थिक विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने, परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) उदार औद्योगिक नीति, 1991 के तहत, सरकार द्वारा उद्योगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं ताकि घरेलू उद्योग आर्थिक प्रगति तथा विकास हासिल कर सकें और अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। लाइसेंस मंजूरी में देरी को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया गत सुधार किए गए हैं। केवल 15 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा 1996-97 के वार्षिक बजट में एक आधारभूत विकास कम्पनी के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके। नीति तथा कार्य पद्धतियों की समीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सरल तथा सुप्रवाही कार्यपद्धति के लिए निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

यूरोपीय समुदाय द्वारा परियोजनाओं का वित्त-पोषण।

2744. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय का विचार भारत की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के वित्त पोषण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितना निवेश किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग एक सतत प्रक्रिया है। कुछ विकास सहयोग परियोजनाएं जिनकी यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित किए जाने की सम्भावना है, इस प्रकार है :—

1. हरियाणा में सामुदायिक वनीकरण (ई. सी.) आर्थिक सहयोग अनुदान ई. सी. यू. 23.30 मिलियन।
2. उत्तर प्रदेश में दर्रा स्थिरीकरण परियोजना—(ई. सी.) आर्थिक सहयोग अनुदान ई. सी. यू. 7.90 मिलियन।
3. पाण्डिचेरी में तालाब पुनर्स्थापना परियोजना—(ई. सी.) आर्थिक सहयोग अनुदान ई. सी. यू. 6.65 मिलियन।

चाय का उत्पादन और निर्यात

2745. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

श्री विजय गोयल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारण चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चाय के उत्पादन को बढाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्लीरमैया) : (क) और (ख) जी, नहीं। जनवरी से मई, 1996 के दौरान चाय का उत्पादन 1995 की संगत अवधि की तुलना में 18.80 लाख कि. ग्रा. ज्यादा होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड विभिन्न विकास संबंधी योजनाएं चला रहा है। चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए बोर्ड ने एक सापेक्ष योजना भी तैयार की है जिसमें निविष्टियों में अधिकतम सुधार और बेहतर कृषिजन्य प्रक्रियाएं जैसे अल्पावधि उपाय, सिंचाई और नाली-व्यवस्था में सुधार, बागानों को पुनरुद्धार, छंटाई और भराई जैसे मध्यम अवधि के उपाय तथा चाय के अंतर्गत नए क्षेत्रों को लाकर पुनरोपण और विस्तार रोपण जैसे दीर्घावधि उपाय शामिल है।

एन टी सी एककों को लाभ/हानि

2746. **श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन :**
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार एन टी सी के प्रत्येक एककों को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान एन टी सी की रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार हेतु कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार एन टी सी के लाभ अर्जित करने वाले एककों विशेषकर केरल के कनान्नोर तथा संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के माहे का आधुनिकीकरण करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) 1995-96 में राज्यवार एन टी सी के अधीन मिलों द्वारा उठाए गए अनन्तिम घाटों को दर्शने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) निवल पूंजी में कमी के कारण, एन टी सी (टी एन एंड पी) लि. को छोड़कर एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने एन टी सी मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति को मंजूरी दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2005.72 कीरे करोड़ रु. की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम एककों में पुनर्गठित करना आदि शामिल है। आधुनिकीकरण के लिए निधियों को एन टी सी मिलों की परिसंपत्तियों तथा बेशी जमीन की बिक्री की आय से पूरा किया जाएगा। कन्नानूरमिल, कन्नानूर के लिए, संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति के हिस्से के रूप में, आधुनिकीकरण के लिए 10.52 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव है। कन्नानूर मिल, माहे के संबंध में, 7वीं योजना अवधि के दौरान 3.85 करोड़ रु. के निवेश से आधुनिकीकरण क्रियान्वित किया गया था। नीति को कार्यान्वयन के पूर्व अंतिम अनुमोदन के लिए बी आई एफ आर के समक्ष रखा गया है। इस नीति का अनुमोदन होने तक मजदूरियों, वेतनों तथा बोनस के भुगतान में एन टी सी द्वारा सामना की जा रही कमी को सरकार पूरा करती आ रही है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए आवश्यक निधियों को भी राष्ट्रीय नवीकरण निधि से दिया जाता है।

विवरण

मिलवार राज्यवार निबल लाभ/घाटा 1995-96 को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मिल का नाम	1995-96 अनंतिम
	दिल्ली	
1.	अजुध्या मिल	-4.28
	पंजाब	
2.	दयालबाग मिल्स	-2.97
3.	सूरज टेक्सटाइल	-2.49
4.	खरर टेक्सटाइल	-2.58
5.	पानीपत मिल्स	-2.25
	राजस्थान	
6.	श्री विजय मिल्स	-1.48
7.	उदयपुर मिल्स	-2.56
8.	महालक्ष्मी मिल	-2.03
9.	एडवर्ड मिल	-2.68
	मध्य प्रदेश	
10.	हीरा मिल्स	-5.23
11.	स्वदेशी मिल्स	-4.77
12.	न्यू भोपाल मिल्स	-5.26
13.	बुरहानपुर मिल्स	-4.70
14.	बंगाल नागपुर	-8.92
15.	इंदौर मालवा	-8.16
16.	कल्याणमल मिल्स	-7.53
	उत्तर प्रदेश	
17.	श्रीविक्रम मिल	-1.61
18.	बिजली मिल्स	-1.35
19.	स्वदेशी मिल्स	-2.15
20.	रायबरेली मिल्स	-1.66
21.	स्वदेशी मिल्स	-6.16
22.	मुईर मिल्स	8.33

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मिल का नाम	1995-96 अनतिम
23.	न्यू विक्टोरिया	-8.24
24.	एल. कृष्णा मिल्स	-4.51
25.	स्वदेशी मिल्स	-9.60
26.	लक्ष्मी रतन	-7.86
27.	एथर्टन मिल्स	-4.73
	महाराष्ट्र	
28.	बरषी मिल	-0.33
29.	अपोलो मिल्स	-4.72
30.	भारत टैक्सटाइल	-4.95
31.	दिग्विजय मिल्स	-9.63
32.	जूपीटर मिल्स	-7.69
33.	न्यू हिंद मिल्स	-9.01
34.	मुम्बई मिल्स	-7.53
35.	औरंगाबाद	-1.04
36.	चालीस गांव टेक्सटाइल	-0.80
37.	धुले टेक्सटाइल	-3.81
38.	नन्देड़ टेक्स.	-2.45
39.	इन्दू नं. 1	-11.02
40.	इन्दू नं. 2	-6.06
41. और 42.	इन्दू नं. 3 तथा 4	-9.96
43.	इन्दू नं. 5	-4.61
44.	इन्दू डाई वर्क्स	-4.85
45.	माडल मिल्स	-8.63
46.	आर. एस. आर. जी. मिल्स	-2.76
47.	आर. बी. बी. ए मिल्स	-2.51
48.	स्वात राम मिल्स	-1.89
49.	विदर्भ मिल्स	-3.03
50.	एल्फिस्टन	-5.72
51.	फिनले मिल्स	-5.74
52.	गोल्ड मोहर	-3.98
53.	जाम मैन्यू. मिल्स	-4.58
54. से 56.	कोहिनूर 1, 2, 3.	-6.35
57.	श्री मधुसूदन	-3.53
58.	न्यू सिटी	-4.80
59.	पोद्दार मिल्स	-4.78
60.	पोद्दार प्रोसेसर्स	-3.91

न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में अनियमितताएं

2747. **डॉ. रमेश चन्द तोमर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय-I में भारी अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय-II में अग्रिम ऋण के संबंध में हुई धोखाधड़ी के मामले का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ एक संसद सदस्य और एक कर्मचारियों की यूनियन से दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय-I के बारे में कथित प्रशासनिक चूकों पक्षपाती रवैये और उसके कार्य करने के तरीके के संबंध में सामान्य प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कम्पनी के लेखा-परीखा तथा सतकर्ता विभागों द्वारा इन आरोपों की जांच की जा रही है और यदि कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित होगा तो उसे कम्पनी की आचार संहिता, अनुशासन और अपील नियमावली के अन्तर्गत किया जाएगा।

(ग) से (ङ) यह सूचित किया गया था कि एक वरिष्ठ सहायक द्वारा अवकाश यात्रा आर्थिक-सहायता अग्रिम की 5610 रुपए की राशि के दुरुपयोग के एक मामले का पता लगा था। मामले की जांच के बाद फरवरी, 1995 में संबंधित वरिष्ठ सहायक की निन्दा के अतिरिक्त अगले दो ब्लाक वर्षों के लिए अवकाश यात्रा आर्थिक सहायता सुविधा प्राप्त करने से वंचित किए जाने का दंड आरोपित किया गया था।

अनिवासी भारतीयों की जमाराशि पर ब्याज दर

2748. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों को उनकी जमाराशि पर अधिक ब्याज तथा विभेदात्मक ब्याज दर का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1 अप्रैल, 1996 के प्रभाव से अनिवासी भारतीयों की जमाराशि तथा घरेलू जमाराशि पर देय अलग-अलग ब्याज दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों की जमाराशि पर उच्च विभेदात्मक ब्याज दर दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों में अनिवासी भारतीय जमाराशियों और घरेलू जमाराशियों पर 1 अप्रैल, 1996 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर नीचे दिए गए अनुसार हैं :

घरेलू और अनिवासी विदेशी जमाराशियों पर ब्याज दर

जमाराशियां	खाते की ऋणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
1. घरेलू जमाराशियां	(I) चालू	शून्य
	(II) बचत	4.5
	(III) मीयादी जमाराशियां	
	(क) 46 दिन और दो वर्ष तक	12.0 से अनधिक दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।
	(ख) दो वर्षों से अधिक	
2. अनिवासी विदेशी जमाराशियां	(I) चालू	शून्य
	(II) बचत	4.5
	(III) मीयादी जमाराशियां	
	6 महीने से 3 वर्ष और अधिक	12.0 से अनधिक

3. विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआरबी)

एफसीएनआर (बैंक) योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई जमाराशियों पर ब्याज

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पाउन्ड स्टलिंग	यू.एस. डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम की जमाराशियां	5.25	4.50	4.00	0.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम की जमाराशियां	7.00	6.00	5.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम की जमाराशियां	7.75	6.50	5.75	1.50
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियां	8.00	6.50	6.00	2.00

4. अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय) एन आर एन आई रुपया जमा योजना

बैंक अपने आन्तरिक मार्गनिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

जबकि ब्याज दरों के अविनियमन के संदर्भ में और अनिवासी (बाह्य) एन आर ई मियादी जमाराशियों के परिपक्वता ढांचे तथा घरेलू सावधि जमाराशियों के ढांचे में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एफ सी एन आर जमाराशियों पर ब्याज दरें अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, 4 अप्रैल, 1996 से 2 वर्ष से अधिक की एन आर ई सावधि जमाराशियों की ब्याज दरें स्वतंत्र कर दी गई है और ऐसी जमाराशियो की वर्तमान ब्याज दर संरचना निम्नानुसार है :—

अवधि	(प्रतिशत वार्षिक) दरें (4.4.1996 से प्रभावी)
सावधि जमाराशियां	
6 महीने और 2 वर्ष तक	12.0 से अनधिक
2 वर्ष से अधिक	बैंक दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, जमा दरों का निर्धारण करने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के क्रमिक उपाय के एक भाग के रूप में 2 जुलाई, 1996 से, वाणिज्यिक बैंक एक वर्ष से अधिक की देशी सावधि जामराशियों पर स्वयं अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं और मुद्रा बाजारों में होने वाली गतिविधियों तथा नकदी ऋण प्रणाली से ऋण प्रणाली की ओर प्रगामी कदम उठाने से, अल्पावधिक अधिशेष निधियों के प्रबंधन के लिए कतिपय सुविधाएं करना आवश्यक है। इसे देखते हुए, देशी सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि कम करके 46 दिन से 30 दिन कर दी गई है। तदनुसार, 2 जुलाई, 1996 से, 30 दिन और एक वर्ष तक की देशी सावधि जमाराशियों की ब्याज दर "11.0 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक" निर्धारित की गई है और एक वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

तथापि, अनिवासी विदेशी (एन आर ई) के अंतर्गत सावधि जमाराशियों और क्रमशः 2 वर्ष से अधिक और एक वर्ष से अधिक की देशी जमाराशियों की ब्याज दरें निर्धारित करते समय बैंकों को अपने संबंधित बांडों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। उन्हें सावधि जमाराशियों की विभिन्न परिपक्वताओं के लिए ब्याज दरों का प्रस्ताव करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होती है और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अत्यधिक लम्बी परिपक्वता वाली जमाराशियों में न फंसें।

इस संबंध में बैंकों को सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त आस्तियां एवं देयताएं बेमेल न होने पाएं। इसके अलावा, बैंकों को किसी एक समय में अपनी सभी शाखाओं में और अपने सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनानी होती हैं।

एफ सी एन आर (बैंक) जमाराशियों पर 1 जुलाई, 1996 से ब्याज दरें इस प्रकार संशोधित की गई है :—

एफ सी एन आर (बैंक) स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य जमाराशियों पर ब्याज

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)			
	पौंड स्टलिंग	अमरीकी डालर	डच मार्क	जापानी येन
(क) 6 माह और उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों के लिए	4.75	4.50	3.00	0.75
(ख) एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों के लिए	6.50	6.25	4.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों के लिए	7.25	6.75	4.75	1.50
(घ) 3 वर्ष की अवधि की जमाराशियों के लिए	7.50	7.00	5.00	2.00

(ग) मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में अक्तूबर, 1995 से बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों के संवर्धन और विदेशी मुद्रा बाजार के प्रवाह में सुधार लाने की दृष्टि से आर बी आई द्वारा कई कदम उठाए गए थे। इसी नीति के एक अंश के रूप में, जमाकर्ताओं तथा बैंकों दोनों के लिए, अनिवासी भारतीय बाह्य (एन आर ई) जमाराशियों सहित, अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) की जमा योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

2749. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के साथ विदेशी इक्विटी भागेदारी के कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) इस सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितना निवल निवेश किया गया; और

(ग) विशेष रूप से विद्युत, भारी उद्योग और पेट्रोलियम क्षेत्र में जिन-जिन परियोजनाओं में निवेश किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सूचना और वितरण केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन

2750. **श्री वसुंधरा राजे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों को निर्यात के क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने तथा अन्य सहायताएं प्राप्त करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी के उन्नयन और आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने सामूहिक स्थलों पर प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, औजार परीक्ष केंद्र कक्ष, इत्यादि खोले हैं। ये संस्थान अभिकल्प, विकास और परीक्षण से सम्बद्ध उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण एव प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु निर्यातोन्मुख परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए 200 करोड रुपए जुटा कर सिडबी में एक प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया है। यह योजना 1.4.1995 से क्रियान्वित हो गई है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए सरकार ने ट्रस्ट केन्द्र भी बनाया है जिसका सचालन गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से पंजीकृत समितियों के माध्यम से किया जाता है।

लघु उद्योग क्षेत्र में एककों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार और सिडबी आई. एस. आई. 9000 सीरिज प्रमाणीकरण प्राप्त करने की आंशिक लागत की प्रतिमूर्ति कर रहे हैं।

कोयले का वितरण

2751. **श्री ब्रजमोहन राम : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सी. सी. एल. के रजहड़ा कोयला खदान से कोयले के खुदरा विक्रेताओं को इसके वितरण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुनर्वास उद्योग निगम

2752. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम, जिसकी स्थापना विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गयी थी, की पुनर्गठित किए जाने की नितांत आवश्यकता है;

(ख) केन्द्र सरकार का अपनी इस 32 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना के संबंध में ढुलमुल रवैये का क्या कारण है; और

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आर. आई. सी.) एक दीर्घकालिक रुग्ण कंपनी रही है। दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इसकी संचित हानि 328.19 करोड़ रु. (अनन्तिम) है।

हाल के वर्षों में आर. आई. सी. द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन किए गए हैं और गठित की गई एक पुनरुद्धार समिति ने भी पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, आर. आई. सी. के प्रबंधन ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है। उपरोक्त पुनरुद्धार रिपोर्टों में विहित अनुशंसाएं कारोबार के अनुमानों, लाभदायकता, पुनरुद्धार-लागत तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। अतः आर. आई. सी. के आर्थिक पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन आरम्भ किया जा रहा है।

केरल में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां

2753. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी क्षेत्र की कितनी औद्योगिक इकाइयां मुनाफे में चल रही हैं;

(ग) क्या केरल में केन्द्र सरकार की किसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केरल राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी नए एकक की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान, केरल में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी 5 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया।

(ग) और (घ) केरल राज्य में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का कोई कार्यालय रुग्ण नहीं है।

नौगांव पेपर मिल, असम

2754. **श्री उद्धव बर्मन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की नौगांव पेपर मिल (एच. पी. सी.) के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसमें कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(घ) उक्त मिल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस पेपर मिल को निजी क्षेत्र को सौंपने की मांग की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नौगांव पेपर मिल के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष	उत्पादन
1993-94	67, 482 मी. टन
1994-95	72, 165 मी. टन
1995-96	80, 855 मी. टन

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा लुगदी मिल, रिकवरी खंड तथा पेपर मशीन के क्षेत्रों में दक्षता सुधारने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी हेतु लंबित आवेदन

2755. **श्री येल्लेया नंदी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी देने के संबंध में आंध्र प्रदेश से अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग किस प्रकार के हैं, कहां-कहां स्थापित किए जाने हैं और इनके प्रबंधन आदि से संबंधित ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन आवेदनों पर निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी हां। जनवरी, 1993 से जून, 1996 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 247 औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25 जुलाई, 1996 तक 137 का अनुमोदन किया गया, 23 निरस्त किए गए, 57 को वापस लिया गया। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, मान लिया गया। विभिन्न मदों नामतः औषधियां, रसायन, चीनी, कपड़ा आदि के विनिर्माण के लिए मेडक, रंगारेड्डी, नलगोंडा, हैदराबाद, चित्तुर, कुडापेह, पूर्वी गोदावरी जिलों में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किये गये हैं।

(ग) आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी संभव उपाय किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में उनके द्वारा की गई सिफारिशों तथा आवेदकों द्वारा संबंधित सूचना प्रस्तुत करने पर भी निर्भर करता है।

विस्फोटक कानून, 1983 में संशोधन

2756. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विस्फोटक कानून, 1983 में संशोधन करके राज्य सरकारों को छोटी खानों या पत्थरों की खदानों में विस्फोटक करने के संबंध में अनुमति देने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसमें संशोधन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे संशोधन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इसकी आवश्यकता महसूस की है।

कोल इंडिया लि. में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले

2757. **श्री राम टहल चौधरी** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में कितने अधिकारी संलग्न पाए गए और उन्हें क्या सजा दी गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में पकडे गए भ्रष्टाचार के कंपनीवार मामले, उनमें अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या तथा 1993-94 से 1995-96 के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई नीचे दर्शायी गई है :—

कम्पनी	1993-94 से 1995-96 की अवधि में पकड़े गए मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों की सं.	दंडित किए गए कर्मचारियों की सं.			शेष कर्मचारी	
			बड़ी	छोटी	न्यायालय	शेष	समाप्त किए गए/दोष-मुक्त किए गए
को. इं. लि. (मुख्या.)	16	23	4	12	-	7	-
सी. एम. डी. ई. एल.	11	13	2	2	1	4	4
ई. को. लि.	67	124	24	1	-	99	-
ना. को. लि.	4	7	-	7	-	-	-
भाकोको लि.	68	105	27	17	-	61	-
मेकोलि.	36	89	1	18	-	70	-
वे.कोलि.	15	33	-	6	-	25	2
म. को लि.	52	113	9	16	-	70	18
म को लि.	20	37	-	1	-	36	-
जोड़ :	239	544	67	80	1	372	24

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो

2758. **लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को टैरिफ आयोग में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग के गठन करने का प्रस्ताव है और उपर्युक्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

औद्योगिक वृद्धि में बाधाएं

2759. **श्री सुधीर गिरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक विकास के रास्ते में क्या प्रमुख बाधाएं हैं;

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिए किन कदमों पर विचार किया गया है;

(ग) कम दर पर पूंजी की तैयारी के क्या कारण हैं, और

(घ) औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण में सुधार हेतु किन कदमों के उठाए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) समग्र औद्योगिक विकास 1994-95 में 9.4 प्रतिशत तथा 1995-96 में 12.1 प्रतिशत हुआ जो उत्साहवर्धक है। तथापि, विद्युत परिवहन तथा संचार जैसे क्षेत्रों में एक सुदृढ़ आर्थिक अवसंरचनात्मक विकास सतत औद्योगिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सरकार पहले ही उत्पादन तथा वितरण को नियंत्रण मुक्त करके इन क्षेत्रों में मार्किट मैकेन्जिम को व्यापक रूप से लागू करने पर विचार कर रही हैं। इन क्षेत्रों में देशी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सकल घरेलू पूंजी संरचना 1993-94 में जो 173331 करोड़ रुपए थी 1994-95 में बढ़कर 238410 करोड़ रुपए हो गई। सकल घरेलू उत्पादन (जी. डी. पी.) की प्रतिशतता 1993-94 में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 में 25.2 प्रतिशत हो गई।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों का लगाया जाना

2760. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एकक लगाने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) चीनी तथा न्यूजप्रिंट के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के गुना, पूर्वी नीमाड़, रायगढ़ तथा नरसिंहपुर जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए मै. मध्य प्रदेश राज्य एग्रो उद्योग विकास निगम लि. तथा मै. नेपा लि. से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1994 तथा 1995 में दो-दो प्रस्ताव प्राप्त हुए। 30.7.1996 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त चार प्रस्तावों में से एक के संबंध में आशय पत्र प्रदान कर दिया गया तथा एक प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

(ख) आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति विशिष्ट मामलों में उनके द्वारा की गई सिफारिशों तथा आवेदकों द्वारा दी गई संगत सूचना पर भी निर्भर करता है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

2761. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक नीति के अंतर्गत उड़ीसा के कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछडा घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी निवेश के प्रस्ताव

2762. **श्री ए. सी. जोस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार 1991 से 1996 तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए;

(ख) इन प्रस्तावों में कुल कितना परिव्यय शामिल है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य-वार इससे संबंधित अभी कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) अगस्त, 1991 से मई, 1996 तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल 4679 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये जिनमें कुल 71058.23 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निहित था। इस अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल 424 प्रस्ताव लंबित हैं। लंबित मामलों की राज्यवार सूची केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती।

विवरण

अगस्त, 1991 से मई, 1996 तक की अवधि के दौरान 'सभी वर्गों' द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट।

राज्य	अगस्त, 91-मई, 96	
	सं.	निवेश (रु. करोड़ में)
अन्य	1476	20536.20
दिल्ली	365	16218.44
महाराष्ट्र	667	10546.72
पश्चिम बंगाल	137	4227.21
तमिलनाडु	421	3698.93
गुजरात	202	2851.29
कर्नाटक	330	2828.34
उड़ीसा	35	2653.71
आंध्र प्रदेश	240	1736.67
उत्तर प्रदेश	173	1687.47
मध्य प्रदेश	75	1047.38
पंजाब	54	778.83
हरियाणा	215	661.99
राजस्थान	113	508.39
हिमाचल प्रदेश	19	309.02
पाण्डिचेरी	24	201.07
गोवा	26	200.84
केरल	43	109.17
बिहार	20	100.52

राज्य	अगस्त, 91-मई, 96	
	सं.	निवेश (रु. करोड़ में)
चंडीगढ़	11	72.46
दादरा और नगर हवेली	13	63.15
अरुणाचल प्रदेश	2	11.06
दमन और द्वीव	7	5.72
असम	4	1.50
अंडमान और निकोबार	5	0.98
त्रिपुरा	1	0.68
लक्ष्यद्वीप	1	0.50
	4679	71058.23

भारत में बैंक आफ अमेरिका की शाखाएं

2763. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ अमेरिका ने भारत में अपनी नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अप्रैल, 1991 में उससे सम्पर्क स्थापित किया था और भारत में बंगलौर, पुणे या बड़ौदा और हैदराबाद में तीन शाखाएं खोलने का अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसे अभी बैंक कि आवेदन पर विचार करना है।

उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित उद्योग

2764. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति ने कुछ उद्योगों को उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए सम्मानित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विभिन्न उद्योगों को सम्मानित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने वाले उद्योगों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा उद्योगों को उनके सर्वोत्तम कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जिन उद्योगों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनमें से कुछ के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) इस समय कोई भी नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1991-1992 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार

1. **ट्रैक्टरों सहित मोटरगाड़ी उद्योग**
   हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.
   ट्रैक्टर बिजनेस ग्रुप
   पिंजौर।

2. **सीमेंट उद्योग**
   गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.
   अंबुजा नगर
   गुजरात।

3. **उर्वरक उद्योग**
   गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं. लि.
   फर्टिलाइजर नगर
   गुजरात।

4. **भारी इंजीनियरी उद्योग**
   ब. ई. एम. एल. (मैसूर काम्पलेक्स)
   बंगलौर।

5. **हल्का इंजीनियरी उद्योग**
   सुंदरम एबैक्स लि.
   मद्रास।

6. **चर्म तथा चर्म वस्तु उद्योग**
   फरीदा क्लासिक शूज लि.
   मद्रास

7. **कागज लुग्दा तथा संबद्ध उद्योग**
   (क) लघु कागज मिलें
   श्री विंधिया पेपर मिल्स लि.
   सोमानी नगर
   जलगाँव।

(ख) **बड़ी कागज मिलें**
त्रिवेनी टिश्यूज लि.
कलकत्ता।

8. **लघु उद्योग**
फल्यूट एयर (इंडिया) प्रा. लि.
बम्बई।

1992-93 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार

1. **ट्रैक्टरों सहित मोटरगाड़ी उद्योग**
बजाज आटो लि.
बम्बई पूना रोड
आकुर्दी
पूना–411035

2. **सीमेंट उद्योग**
न्यू विक्रम सीमेंट
प्रो. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.
विक्रम नगर पो. ओ. खोर
जिला-मन्दसौर–458 470 (मध्य प्रदेश)

3. **उर्वरक उद्योग**
साउदर्न पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कारपा. लि.
एस पी आई सी नगर
टूटीकोरियन–628005 (तमिलनाडु)

4. **भारी इंजीनियरी उद्योग**
एल एण्ड टी मक्लेल लि.
पो. बा. न. 977, पूनमल्ले रोड
मनापाक्कम
मद्रास-500089

5. **हल्के इंजीनियरी उद्योग**
आटोलाइट (इंडिया) लि.
डी-469 रोड नं. 9 ए
विश्वकर्मा इंडस्ट्रीयल एरिया
जयपुर-302 013

6. **चर्म तथा चर्म वस्तु उद्योग**
टाटा एक्सपोर्ट लि.
लेदर काम्पलेक्स, इंडस्ट्रीयल एरिया
आगरा बम्बई रोड
देवास-455001 (मध्य प्रदेश)

7. **कागज लुग्दी तथा संबद्ध उद्योग**
(क) **लघु कागज मिलें**
श्री विंधिया पेपर मिल्स लि.
सोमानी नगर
बाया भुसावाल
जिला-जलगाँव-425203 (महाराष्ट्र)

(ख) **बड़ी कागज मिलें**
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
पो. ओ. न्यूजप्रिंट नगर
जिला-कोटियाम-686616 (केरल)

8. **लघु उद्योग**
विक्टर टूल्स प्रा. लि.
ए-3, फोकल प्वाइंट, बाई पास
जी टी रोड
जालन्धर-1440024 (पंजाब)

1993-94 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार

1. **ट्रैक्टरों सहित मोटरगाड़ी उद्योग**
बजाज आटो लि.
पूना।

2. **सीमेंट उद्योग**
चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स
चित्तौड़गढ़

3. **उर्वरक उद्योग**
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स
कोटा

4. **भारी इंजीनियरी उद्योग**
किरलोसकर ब्रदर्स लि.
जिला-सांगली (महाराष्ट्र)

5. **चर्म तथा चर्म वस्तु उद्योग**
फरीदा शूज लि.
मद्रास

6. **हल्के इंजीनियरी उद्योग**
किरलोसकर कोपेलैंड लि.
कारद (महाराष्ट्र)

7. **लघु उद्योग**
प्रिसाइसन इंजीनियरिंग कम्पोनेन्ट्स
भोपाल।

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थान

2765. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री एन. एस. वी. चित्थन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली और तमिलनाडु में कारोबार कर रही लाइसेंसधारी गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ

विभिन्न संस्थाओं ने कई लोगों को धोखा दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन पर रोक लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परिवार न्यायालय

2766. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित परिवार न्यायालय ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन न्यायालयों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) कुटुंब न्यायालय, राज्य सरकार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा, उनके उच्च न्यायालयों के परामर्श से, गठित किए जाते हैं। इस प्रकार, ये न्यायालय संबद्ध राज्य सरकार उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं और कुटुंब न्यायालयों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालयों का है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

'टेफ्को' का अधिग्रहण

2767. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अच्छी गुणवत्ता वाले जूतों के उत्पादन के लिए लगभग मृतप्राय पड़ी 'टेफ्को' कंपनी को एक निजी फर्म से 34 करोड़ रुपए का आदेश/पेशकश मिलने की संभावना है; और

(ख) इस रुग्ण उद्योगों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बी. आई. एफ. आर., राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी नहीं। कुछ समय पूर्व 21 करोड़ रुपए मूल्य के जूतों की आपूर्ति हेतु एक पूछताछ हुई थी जो फलीभूत नहीं हुई।

(ख) टेफ्को के परिसमापन हेतु अपनी अंतिम सिफारिशें देने से पूर्व बी. आई. एफ. आर. ने इसके पुनरुद्धार की संभावनाओं के बारे में अनेक विकल्पों तथा सभी सम्बद्ध पक्षों के विचारों पर गौर किया था। बी. आई. एफ. आर. की सिफारिशें अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।

सोनपुर बाजारी परियोजना

2768. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** सोनपुर बाजारी परियोजना के बारे में 11 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर और बाजारी गांवों के उन व्यक्तियों का जिनसे जमीन ली गई थी पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शेष 6 गांवों के लोगों का भी 1996-97 तक पुनर्वास कर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) सोनपुर गांव का केवल एक भाग का ही पुनर्वास किया गया है।

(ख) सोनपुर गांव के रूदासपाड़ा-भाग को ही जिसमें 68 परिवार हैं, पुनर्वास किया गया है। सोनपुर तथा बाजारी गांव के अन्य भागों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, क्योंकि ग्रामवासी किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हैं।

(ग) से (ङ) 6 गांवों में से पंजाबीडांगा गांव का 1997-98 तक पुनर्वास कर दिया जाएगा। पंजाबीडांगा के लिए पुनर्वास स्थल नीनगाह मौला में विकसित किया जा रहा है। शेष 5 गांवों के पुनर्वास कार्य को बाद में शुरू किया जाएगा, क्योंकि उक्त गांव परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों तक उत्खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज अन्तराल पर हमारे जाने के पहले का आखिरी दिन है। मैं एक बजे तक शून्य काल के लिए अनुमति दूंगा। अतः आपको शोर करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरी सूची है। मैं एक-एक का नाम पुकारूंगा। परंतु शून्य काल एक बजे समाप्त हो जायेगा। अच्छा होगा यदि हम...

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय हम शोर नहीं करते... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि हम भोजनावकाश के लिए नहीं उठें और अपनी चर्चा जारी रखें तो हम सारे काम को पूरा कर सकेंगे। मैं शून्य काल को एक घंटा चलने दूंगा। भोजनावकाश नहीं रहेगा।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1996-97 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं श्री सी. एम. इब्राहीम की ओर से वर्ष 1996-97 के लिए नगर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 248/96]

वर्ष 1996-97 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल. टी. 249/96]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पत्र

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमंडलम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमंडलम का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 250/96]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 251/96]

(4) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयरबोर्ड, कोचीन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॅयरबोर्ड, कोचीन के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 252/96]

(6) (एक) इंडियन रबड़ मेन्युफेक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मेन्युफेक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 253/96]

बैंक कार्य कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970, की धारा 19, आदि के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बैंककारी कंम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरियों की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 1994, जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/95 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका दिनांक 20 अप्रैल, 1996 का एक शुद्धि-पत्र।

(दो) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरियों की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 1995, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/223/50 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका दिनांक 20 अप्रैल, 1996 का एक शुद्धि-पत्र।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 254/96]

(3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या 5/1996, जो 2 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावणकोर (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 72 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 255/96]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1996, जो 20 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 139 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 247 (अ), जो 17 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 1995 अधिसूचना संख्या 110/95-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 248 (अ), जो 17 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 111/95-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 249 (अ), जो 19 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 30 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 104/95-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 271 (अ), जो 8 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय अधिसूचना में वर्णित डेड बर्नड मेग्निसाइट, जब उसका निर्यातकों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से भारत में निर्यात किया जाए पर एंटी-डम्पिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा. का. नि. 275 (अ), जो 10 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 मई, 1995 से पहले किये गये निर्यात पर, कतिपय शर्तों के अध्यधीन लागू होने वाली वापसी की दरों को अधिसूचित किया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 276 (अ), जो 11 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 81/95-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) 8 अप्रैल, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 71, जिसका आशय तदर्थ छूट आदेश संख्या 82 की वैधता को 31 मार्च, 1996 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 1996 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 256/96]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 1996 जो 21 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 26 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 459 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 2 जुलाई,

1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 470 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 257/96]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 20 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 138 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 262 (अ) जो 1 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सख्या 2/95 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 26 जुलाई, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 47/12/96- के. उ. शु., जो कलैन्डरों और टेलीफोन/पता पुस्तिकाओं आदि में प्रयुक्त होने वाले कागज को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से 31 मार्च, 1997 तक, छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 258/96]

(8) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :–

(एक) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डप्पा (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल. टी. 259/96]

(दो) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल. टी. 260/96]

(तीन) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर (जम्मू-कश्मीर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 261/96]

(चार) कों बैंक नांगक्योन्डोंग रि खासी जैन्तिया, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 262/96]

(पांच) मारवाड ग्रामीण बैंक, पाली, (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल. टी. 263/96]

(छह) शेखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 264/96]

(सात) गौड ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 265/96]

(आठ) नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्नगर, जिला नादिया (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 266/96]

(नौ) मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 267/96]

(दस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, मिजोरम।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 268/96]

(ग्यारह) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 269/96]

(बारह) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 270/96]

(तेरह) कछार ग्रामीण बैंक, जिला सिल्चर, कछार (असम)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 271/96]

(चौदह) समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जामनगर, (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 272/96]

(पन्द्रह) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर, (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 273/96]

(सोलह) जूनागढ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ, (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 274/96]

(सत्रह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा शहर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 275/96]

(अट्ठारह) बालासोर ग्राम्या बैंक, बालासोर (उड़ीसा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 276/96]

(उन्नीस) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई जिला जालौन (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 277/96]

(बीस) वर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 278/96]

(इक्कीस) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 279/96]

(बाईस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुज़फ्फरपुर (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 280/96]

(तेईस) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 281/96]

(चौबीस) पांडयान ग्रामा बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 282/96]

(9) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1995 का संख्यांक 14) (वाणिज्यिक)—दि न्यू इण्डिया एश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 283/96]

वर्ष 1996-97 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, श्री चतुरानन मिश्र की ओर से मैं वर्ष 1996-97 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 284/96]

वर्ष 1996-97 के लिए पर्यटन विभाग की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए पर्यटन विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 285/96]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक 22) (वाणिज्यिक) फैरो स्क्रेप निगम लि.

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एम. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं श्री वीरेन्द्र कुमार वैश्य की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक 221) (वाणिज्यिक) फैरो स्क्रेप निगम लि., की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 286/96]

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (क) के अधीन पत्र आदि।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क. की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां,

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दिखाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 287/96]

वर्ष 1994-95 के लिए शलैक् निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखाओं सहित कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलु) : मैं श्री बोल्ला बुल्ली रमैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1.(एक) शॅलैक् निर्यात संर्वधन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शॅलैक् निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शॅलैक् निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 288/96]

वर्ष 1996-97 के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय, मैं श्री रमाकांत डी. खलप की ओर से वर्ष 1996-97 के लिए विधि-न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 289/96]

वर्ष 1996-97 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 290/96]

[अनुवाद]

वर्ष 1996-97 के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से मैं वर्ष 1996-97 के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 291/96]

वर्ष 1996-97 के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 292/96]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

"(एक) राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य सभा 1 अगस्त, 1996 को हुई अपनी बैठक, में लोक सभा द्वारा 24 जुलाई, 1996 को पारित कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसार मुझे इसके साथ श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक 1996 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे राज्य सभा के 1 अगस्त, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है।"

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1996

राज्य सभा द्वारा यथा पारित :

महासचिव : महोदय, मैं श्रम जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 1996 को यथा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 ½ बजे

स्थायी समितियां-एक समीक्षा

महासचिव : महोदय मैं "स्थायी समितियां (1995-96) एक समीक्षा" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब याचिका का प्रस्तुतिकरण होगा। श्री बनीसिंह रावत उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं एक-एक का नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। हमने कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैं नियम 388 उद्धृत करता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल इस समय हमारे सामने कोई मद नहीं है...

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैंने इसके संबंध में आपको एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। हमने कोई कार्य का मुद्दा नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।...(व्यवधान) मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 का उद्धरण देता हूं।

"यदि अध्यक्ष का यह विचार है कि चर्चा में उपयोग किये गये शब्द निन्दात्मक अथवा अश्लील अथवा असंसदीय अथवा अशिष्ट हैं, वह, अपने विवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसे शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।"...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध शून्य काल से किस तरह से है।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मेरी बात सुनें–(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। यह शून्य काल से संबंधित नहीं है। आपका व्यवस्था का प्रश्न सभा के समक्ष कार्यवाही से संबंधित होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैंने इस बारे में पत्र लिखा है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न सदन के समक्ष कार्यवाही के बारे में ही उठाया जा सकता है।

अब हमारे सामने कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। इस समय शून्य काल चल रहा है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैंने आपको इस बारे में एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह न करें। श्री वी. एम. सुधीरन।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिवलेज मोशन का क्या हुआ ? मैंने 25 तारीख को प्रिवलेज मोशन दिया था, उस पर आपने नोटिस दिया था, 25 तारीख के नोटिस का रिप्लाई अब तक आ गया होगा। मेरे प्रिवलेज मोशन का क्या डिसीजन है ? यह इम्पोर्टेंट है, इस पर आपका डिसीजन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आ गया होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। वास्तव में मुझे याद है कि कुछ उत्तर प्राप्त हुए हैं। परंतु मैं जानता नहीं कि यह उत्तर प्राप्त हो गया है या नहीं। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चांस लेना है तो आप चुपचाप रहिये। जो शोर करेंगे उनको चांस नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित बचत-एवं-राहत योजना को बंद कर दिये जाने का निर्णय किये जाने के कारण समुद्र से मछली पकड़ने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। योजना के अनुसार मछुआरों को नाम सूचीबद्ध कराना पडता है। प्रत्येक लाभार्थी मछुआरे को जुलाई से फरवरी तक के आठ महीनों के लिये प्रतिमास 45 रु. शुल्क जमा करना पड़ता है। इस रह कुल मिलाकर इस योजना के अधीन लागार्थी अंशदान के रूप में 360 रु. की राशि वसूल की जाती है। इसके बराबर की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। 1080 रु. की कुल राशि मार्च से जून के महीनों में चार किश्तों में लाभार्थी को वितरित की जाती है। इस योजना की व्यापक सराहना की जाती है और यह वास्तव में मछुआरों के सबसे अधिक परेशानी के साल में कुछ हद तक उनके लिये सहायक सिद्ध होती है।

महोदय, दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार ने बचत एवं राहत योजना के कार्यान्वयन को रोक कर मछुआरों की हालत को बद से बदतर कर दिया हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बढ़े हुए केन्द्रीय अंशदान के साथ आने वाले महीनों में बचत-एवं-राहत योजना को जारी रखने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बालें। मेरे पास 60 वक्ताओं के नाम हैं। इस तरह से हरेक वक्ता को आधे मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। कृपया इसे याद रखें।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय इसी मसले पर मैंने आपको एक अल्पावधि प्रश्न की सूचना दी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है और अल्पावधि सूचना के लिये नहीं है। आप अपने आपको हमारे साथ जोड़ रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मेरा प्रश्न यह है कि मैंने यह मामला अल्पावधि सूचना के प्रश्न के रूप में उठाया और यह उत्तर प्राप्त किया है कि सरकार मामले पर पुनर्विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह अल्पावधि सूचना नहीं है। यह शून्य काल है। मैं जानता हूं कि आप भी उसी मामले को लेकर चिंतित हैं। आपने यह बता दिया है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मुझे भी यह मामला उठाना है। यह ठीक व्यवहार नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मामला इस सभा में उठाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। सभी नाम यहां पर हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, आज हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की लगभग सभी मिलें सरकार की नई अखबारी कागज नीति के कारण बंद कर दी गई हैं। महोदय, एच.एन.एल. सर्वोत्तम संस्थाओं में से एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसे पिछले तीन साल के लिये उत्पादकता पुरस्कार मिले हैं। परंतु इसे बंद कर दिया गया है। यह उपक्रम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है अर्थात केरल में कोट्टायम में है।

अपराह्न 12.07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीत हुए)

माण्डला में एक अन्य कागज मिल है और इसे बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की पेपर मिल को बंद कर दिया गया है। नौगंग पेपर मिल को भी बंद कर दिया गया है। भारत में सर्वोत्तम मिलों में से एक मिल 'तमिल नाडु न्यूजप्रिंट' जो सरकारी उपक्रम है, उसे भी बंद कर दिया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। आज हमारे देश में सरकारी कागज का उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया है। सरकार इसे सुधारने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रही है। इससे पहले, यह नीति थी कि यदि किसी प्रयोक्ता की 2 टन स्वदेशी अखबारी कागज चाहिये होता था तो उसे एक टन अखबारी कागज का बाहर से आयात करने की अनुमति दे दी जाती थी। अखबारी कागज संबंधी नीति को उदार बना दिया गया है। इसे ओ.सी.एल. के अन्तर्गत रख दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से अखबारी कागज का आयात कर सकता है, इसका परिणाम यह है कि स्वदेशी अन्यथा सरकारी उपक्रम पूरी तरह बन्द हो गये हैं।

महोदय, हजारों कर्मचारी निसहाय अवस्था में हैं और सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम वित्त मंत्री से मिले हैं और हम उद्योग मंत्री से भी मिले हैं। वे इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

हमने सार्वजनिक उपक्रमों में जनता का करोडों रु. निवेश किया है परंतु मजदूरों की हालत खराब है। इन कम्पनियों को घाटे पर चलाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हू, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही भाग में है काम पर काम कर रही थी परंतु अब उस मिल को बद कर दिया गया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को विशेषरूप से वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये। अन्यथा, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. के सभी यूनिट बंद कर दिये जायेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मसले को देखें और इस बारे में जरूरी कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूप चन्द पाल

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। मैं श्री रूप चन्द पाल का नाम पुकार चुका हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय जारी आंदोलन...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। वित्त मंत्री यहां है। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हजारों कामगारों की हालत दयनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं। अब कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री रूपचन्द पाल का नाम पुकारा है।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मुझे अफसोस है कि मैं किसी और को अनुमति नहीं दे सकता। श्री रूप चन्द पाल को बोलने दें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, 'आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप-महानिदेशक से लेकर परिक्षण कार्यकारी अधिकारियों तक, प्रोग्राम अधिकारियों की लगातार उपेक्षा की जाती रही है। वे अपने वेतनमानों में बराबरी की मांग करते रहे हैं परंतु उनके मामले की ओर इस सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने इस मामले को कई बार उठाया है। उनका आन्दोलन लगातार चल रहा है। और हजारों कर्मचारियों को आन्दोलन के रास्ते पर चलने को बाध्य किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अनेक धरने, विरोध-मीटिंगे तथा इस तरह की बातें होती रही हैं। मैंने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने मुझ आश्वासन दिया है कि वे मामले की ओर ध्यान देंगे। ये हजारों कर्मचारी बहुत अधिक चिंतित हैं क्योंकि पांचवां वेतन आयोग पहले ही कह चुका है कि उसके द्वारा किसी पिछली विसंगति पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः उनके हित को स्थायी रूप से धक्का लग जायेगा क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट सितम्बर मास में प्रस्तुत की जाने वाली है। मैं माननीय मंत्री से पहले ही बात कर चुका हूं कि तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि हजारों प्रोग्राम कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय आप का धन्यवाद। यह मामला एक बार पहले भी उठाया जा चुका है।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय मैं सिर्फ सम्बद्ध मंत्री तक सदस्यों के विचार पहुंचा सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सम्बन्धित मंत्री यहां बैठे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री तो भेज देंगे, लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं कोई एनोमली नहीं देखूंगा। पैसा देने का काम वित्त मंत्री ने करना है। सारे सदन की भावना कन्वे हो रही है। जोशी जी ने और मैंने पूर्व में भी इस मामले को उठाया था। वित्त मंत्री इसको देखें और कहें कि प्रोग्राम स्टाफ की मांगे मान लेंगे। ये बैठे हुए हैं, कम से कम यह आश्वासन तो दें।...**(व्यवधान)** यूं हंसने से काम नहीं चलेगा, जवाब दें। जो मसला सूचना और प्रसारण मंत्री भेजेंगे, उस पर आप विचार करेंगे, इतना ही अश्वासन दे दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने 13 दिन क्या किया ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसने 13 दिन में जो कुछ किया, आपकी सरकार ने उस पर पानी फेर दिया।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी आपके द्वारा बोलना आरंभ करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके नाम के साथ इस विषय के लिए एक दूसरा नाम भी है। श्रीमती सुमित्रा महाजन आपके पश्चात बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, आज अटलांटा में ओलम्पिक गेम्स हो रहे हैं और वे आखिरी पड़ाव में हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत ने कहीं भी कोई भी मेडल लेने का काम नहीं किया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर ऐलान होता है कि हम 2006 तक एशियन गेम्स भी करेंगे लेकिन हमारे यहां कोई तैयारी नहीं होती, चाहे वह ओलम्पिक हो या एशियन गेम हो, हमारे यहां तैयारी उस लेवल पर नहीं होती कि हम बाहर जाकर या अपने मुल्क के अन्दर जो गेम हों, उनमें बड़े पदक हासिल कर सकें।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आइंदा जब कभी ओलम्पिक या वर्ल्ड के किसी भी बड़े ईवेंट में अपनी टीम को भेजें तो उसकी तैयारी उसी पैमाने की होनी चाहिए। आज दुनिया का छोटा-छोटा मुल्क मैडल लेकर आ रहा है। लेकिन हिन्दुस्तान की पूरी उम्मीद केवल लॉन टेनिस में लिएंडर पेस पर टिकी हुई है जिसमें मैं समझता हूं कि सरकार की मेहनत कम और इंडिविजुअल खिलाड़ी की मेहनत ज्यादा होगी। इसीलिए मैं वास्तव में मानता हूं कि कोई भी इंटरनेशनल ईवेंट में जाने से पहले बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी होनी चाहिए और कुछ ईवेंट्स को चुनकर तथा उसी पर कॉसन्ट्रेट करके तैयारी करवानी चाहिए। आज मुल्क के अन्दर करोड़ों रुपया स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसके लिए उच्च स्तरीय मीटिंग करके एक अच्छी कमेटी बनाकर कुछ ईवेंट्स को चुनकर ही भारत की उसी पैमाने पर तैयारी कराएं और हो सके तो अगले ओलम्पिक में न भेजकर उससे अगले वाले ओलम्पिक में भेजें। लेकिन जब भी भेजें तो कुछ मैडल हिन्दुस्तान के लिए हासिल करके आएं। वरना

"बड़े बे-आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।"

आज कोई भी पदक हमें नहीं मिल रहा है। जबकि भारत इतना बड़ा मुल्क है और छोटे-छोटे मुल्क आज पदक लेकर आ रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं माननीय सदन, मेम्बर्स तथा सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष जी, अटलांटा में हो रहे ओलम्पिक गेम के बारे में यहां पर बात उठाई गई है। मैं एक विशेष मसला उठाना चाहूंगी कि यह बिल्कुल वास्तविकता है कि हमारे यहां भारत में खेलों पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया जाता। विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूंगी कि भारतीय खेलों पर तो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन की जो नीति है, वास्तव में हमें कुश्ती में स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीद थी। हमारे यहां के पप्पू यादव के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ और केवल एक पप्पू यादव की बात ही नहीं है, जिस ढंग से काका पवार को 52 किलो कैटेगरी में खेलने के लिए भेजा जाता है, कभी 48 किलो कैटेगरी में खेलने के लिए भेजा जाता है और हमारे यहां काका पवार और पप्पू यादव इन दोनों में इस प्रकार से कुछ राजनीति चलाई कि अरे यह क्या खेलेगा ?...(व्यवधान) पप्पू यादव तो हमारे इंदौर का खिलाड़ी है।..(व्यवधान) ये तो राजनैतिक कुश्ती खेलते रहते हैं, जैसे अभी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने राजनैतिक कुश्ती खेली। मैं कहना चाहूंगी कि कुश्ती फेडरेशन ने जिस प्रकार से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पप्पू यादव रशिया में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था तथा ट्रेनिंग ले रहा था कि तभी यहां कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि काका पवार को भेजा जाएगा। बाद में पप्पू यादव को बुलाया गया दोनों में कुश्ती हो गई, उसमें जीत भी गया। लेकिन पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं है। फ्री-स्टाइल कुश्ती के लिए हमारे पास दो-दो प्रशिक्षक हैं, लेकिन ग्रीक-रोमन कुश्ती के लिए हमारे यहां प्रशिक्षक नहीं है। दूसरी बात, एटलांटा में जो इस खेल से संबंधित खिलाड़ी खेलने के लिए गए, तो उनके साथ न प्रशिक्षक थे और न ही कोई ठीक ढंग से उनका मार्गदर्शन करने वाला था। यहां से खिलाड़ी 48 किलोग्राम वर्ग में खेलने के लिए गए, लेकिन वहां उनको 52 किलोग्राम वर्ग में खेलना पड़ा। इस प्रकार भारत को जो स्वर्ण पदक मिलने वाला था, बहुत ही ऊंची आशायें हमारी थी, वह स्वर्ण पदक हमको नहीं मिल पाया। मेरा अनुरोध है कि खेल फैडरेशन में हमारे जो आफिसर बैठे हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। खेल फैडरेशन में इस प्रकार के लोग बैठे हैं, जो ठीक ढंग से निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। मैं चाहूंगी, इसकी जांच होनी चाहिए कि हमारी कुश्ती फैडरेशन की नीति क्या है और खेल के बारे में हमारी नीति क्या है। मैं यह भी चाहती हूं कि लोक सभा में खेल नीति के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला हमारे देश में युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। यदि इस प्रकार से खेल अच्छे ढंग से खेलने को नहीं मिलते हैं, तो फिर दूसरे प्रकार के खेल खेले जाते हैं। जैसे भोपाल में युवा कांग्रेस के लोग परिषद् में खेल खेलते हैं।... (व्यवधान)

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दवाइयों के दाम देश में पिछले दो-तीन वर्षों से इतने बढ़ गए हैं कि गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ग्लयुकोज वाटर की डैक्सट्रोज बोतल जिसमें कि डैक्सट्रोज पांच परसेंट होता है, की कीमत आठ रुपए है, लेकिन बोतल पर उसकी कीमत 29 रुपए 90 पैसे लिखी हुई है। यही

बोतल ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में सौ रुपए में बेची जाती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, पांच परसेंट डैक्सट्रोज की कीमत आठ रुपए है, तो उसकी बोतल पर 29 रुपए 90 पैसे क्यों लिखा जाता है? क्या इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है और इन कपंनियों को लूट करने की अनुमति किस ने दे रखी है? मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि दवाइयों में इस प्रकार की लूट क्यों हो रही है।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच. कोवाल्गी (बेलगाम) : महोदय, मैं उत्तरी कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ तथा अन्य भागों के कबीलों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से जुड़े महत्त्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। यह हड़ताल हुबली धारवाड में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना न किये जाने के विरोध में है। हड़ताल के कारण स्थिति बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। इसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होने की संभावना है। कर्नाटक सरकार ने हुबली में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का अनुरोध किया है। कर्नाटक विधानसभा ने भी हुबली में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिये सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। मैं माननीय विधि मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाये। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि इस समस्या के निपटान के लिये शीघ्र कर्नाटक का दौरा करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के समाचार हैं कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ अपने सम्पर्कों के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस बारे में समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं। मैंने एक लेख देखा है जिसमें कहा गया है कि एक विधानसभा में भी इस बारे में एक संकल्प पारित हुआ है। महोदय, इसके कारण चिंताएं पैदा हो रही हैं और इसके कारण सम्बद्ध क्षेत्रों में अनिश्चितता की स्थिति भी पैदा हो रही है। अतः माननीय मंत्री को इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है तो इस बारे में निर्णय किये जाने से पहले उस कम्पनी से भी परामर्श किया जाना चाहिये। इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये।...**(व्यवधान)**

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं भी इस मामले में उनका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि संसद की जानकारी के बिना ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिये।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (माण्डला) : उपाध्यक्ष महोदय, माण्डला जिले के आदिवासी, बनवासी, जो बेगा जनजाति के हैं, भयंकर संक्रामक बीमारी से करीब 30 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बारे में लगातार प्रयास किया जा रहा है परंतु सरकार द्वारा आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस पर मध्य प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार उचित जांच कर कार्यवाही करे और इसके लिये आवश्यक उपाय करे। यह बेगा जनजाति के हैं, आदिवासी बेगा जनजाति राष्ट्रीय 'मानका' कहलाती है। जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बैगा जनजाति कहते हैं। ये बेगा जनजाति के आदिवासी क्षेत्र में निवास करते हैं इनके लिये अभी तक कोई उपाय नहीं किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और उस पर उचित कार्यवाही की जाये।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पीकर साहब नाम सलेक्ट करके गए हैं।

[अनुवाद]

नामों का चयन अध्यक्ष महोदय ने किया है। मैं अन्य लोगों को भी अवसर देने का प्रयास करूंगा। पहले मैं उन लोगों के नाम पुकारूंगा जिन माननीय सदस्यों के नामों का चयन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है।

(व्यवधान)

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे... **(व्यवधान)** हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। पहले श्री तिवारी को बोलने दें। मैं आप सबको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत महाजन : हम भी जनता के द्वारा चुने गये हैं। परंतु हमारे सभी अनुरोध अस्वीकार कर दिये गये हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कल श्रीमती सुमावती देवी की घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान सभा के पटल पर रखा था। वह 27 फरवरी की घटना थी, जिसमें एक कार्यकर्त्ता वहां के जिला प्रशासन को यह इत्तिला देने जा रहा था कि कुछ असामाजिक तत्व श्रीमती सुमावती देवी के ऊपर हमला करने वाले हैं लेकिन उस कार्यकर्त्ता की दिन-दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी गई।

मान्यवर, इसमें डीआईजी और आईजी गोरखपुर ने स्वयं अपने बयान में कहा है, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है उसमें उन्होंने श्रीमती सुमावती देवी के आरोप को स्वीकार किया

है। मेरी आपसे मांग है चूंकि डी.आई.जी, गोरखपुर और आई.जी., गोरखपुर ने और श्रीमती सुभावती देवी ने जो दो बयान दिए हैं, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आप हाउस की एक कमेटी बनाइए। उसमें डी.आई.जी और आई.जी को बुलाकर उनसे बात करके सच्चाई का पता लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन, दोनों का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों, जिनमें सुलतानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ आदि जिले शामिल हैं, की ओर खींचना चाहता हू। वहां पर पिछले चार महीने से अबोध बच्चो की हत्या हो रही है। आज तक 30 बच्चे मारे गए हैं।

मान्यवर, आप अखबार में प्रतिदिन पढते होंगे और हमारे सभी माननीय सदस्य भी पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से भेड़िया, आतंकवादी तथा किन-किन नामों से उन हत्यारों का नाम लिया जा रहा है। आज तक उत्तर प्रदेश शासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मैंने 12 जून को यह प्रश्न उठाया था और वेदान्ती जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और वेदान्ती जी ने भी लिखा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, मां की गोद से बच्चे छीन कर उनकी हत्याएं हो रही हैं। वन विभाग कहता है कि यह भेड़िया है लेकिन भेडियों की हत्या हो चुकी है और फिर भी बच्चे मारे जा रहे हैं।

यह किस बात को इंगित करता है। महोदय, मैं दो बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह कि इन हत्याओं के पीछे कोई विदेशी ताकत है या वास्तव में यह किसी जानवर का काम है, इसकी जांच शासन करेगा। लेकिन महोदय, चार महीने से लगातार हत्याएं हो रही हैं लेकिन पुलिस के किसी भी बडे पदाधिकारी ने रात में दौरा नहीं किया, चाहे वह एस.पी. हो, चाहे डी.आई.जी. हो, चाहे वह डी.एम. हो या कमिश्नर हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुबह या रात के वक्त अंधेरे में हमारे यहा पूर्वी जनपद में कोई भी व्यक्ति मारुति कार से नहीं गुजर सकता। अगर निकलता है तो उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। आज मैं गृह मंत्री जी से नहीं कहूगा कि वे वहां का दौरा करें क्योंकि वे तो अपने साथ एस्कोर्ट लेकर जाएंगे और लोग उनको कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर वे अकेले जाएंगे तो लकड़बग्घा समझकर उन पर हमला हो सकता है। महोदय, 30 आदमी बेगुनाह मारे जा चुके हैं। तीन साल, चार साल, सात साल के बच्चे-बच्चियां मां की गोद से छीनकर मारे जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत नाम सुना था लाइब्रेरी का लेकिन 25 दिन पहले मांगी सूचना भी आज तक हमें नहीं मिली। किसी जनपद ने सूचना मुहैया नहीं करायी है। महोदय, जब दंगा होता है तो चाकू खाने वाले को एक लाख रुपया कम्पनसेशन के तौर पर सरकार देती है लेकिन पांच रुपए भी जिन बच्चों की हत्याएं हुई हैं उनके माता-पिता को प्रशासन ने नहीं दिए हैं। मैं मांग करता हूं कि जिन 60 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोगो को कम से कम एक लाख रुपया दिया जाए। एक संसदीय-समिति वहां का दौरा करे, जिससे लोग भयमुक्त हो सकें, उनके दुःख-दर्द पर मलहम लगे और प्रशासन के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो। आज जो पूर्वांचल जल रहा है उसके लिए सरकार और यह सदन भी जिम्मेदार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इतनी सारी हत्याएं जो हुई हैं उनकी जांच करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी कितनी मांगें हैं ?

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : अंतिम है महोदय, इन हत्याओं के सिलसिले में जितने भी बेगुनाह लोग जेल में बंद किए गए हैं, हत्या में, लूट में, उनकी जांच सी.आई.डी. से कराई जाये। महोदय, ये चार मांगे हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह करता हू कि वे इन पर मेरा साथ दें।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी प्रार्थना है कि जब कोई सांसद महोदय कोई बात यहां पर उठाएं तो यह जरूरी नहीं है कि सरकार हर बात का जवाब दे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम संसद में कहकर चले गए और उसका कोई जवाब नहीं आए, तो यहां बोलने का कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उस पर एक्शन होगा।

श्री राजेश पायलट : हम भी सरकार में थे तो जवाब दिया करते थे। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि कृषि मंत्री ने 500 रुपए प्रति एकड बिहार में देने का वायदा किया था। 50 हजार रुपए बाढ़ में मरने वालों को देने के लिए कहा था। जब एक यूनियन मिनिस्टर यह एनाउंस करता है तो यह सरकार का फर्ज है कि वह बताए कि यह एक पॉलिसी है या केवल बिहार के लिए एडहॉक एरेंजमेंट है, इतनी सफाई तो देनी चाहिए थी।

आज मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सरकार से व्यवस्था का है। जब हमारे साथी उधर बैठते थे तो कहते थे कि व्यवस्था से लडना है, व्यवस्था ने देश को बर्बाद कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसानों के बहुत शुभ-चिंतक हैं। वे कहते है कि वे किसानों के शुभचिंतक हैं। अभी प्लॉनिंग कमीशन का गठन हुआ है। आजादी के बाद से अब तक हमेशा से एक किसान प्लॉनिंग कमीशन मे रहा है, जिसकी रूरल पृष्ठभूमि रही है। इस प्लॉनिंग कमीशन में सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स भर दिए हैं। रूरल पृष्ठभूमि का कोई आदमी नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम किसानों के शुभ-चिंतक हैं और दूसरी तरफ यह क्या किया जा रहा है। प्लॉनिंग कमीशन में हमेशा एक नार्थ-ईस्ट कौंसिल का चेयरमैन आमंत्रित रहा है जिससे वह चेयरमैन पहाडी इलाकों के बारे में अपनी बात कह सके। राम विलास पासवान जी, आप बहुत चिल्लाते थे कि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, व्यवस्था ने देश बर्बाद कर दिया। आज क्या हो रहा है। आपने प्लॉनिंग कमीशन में सारे ऑफिसर्स भर्ती कर रखे हैं, एग्रीकल्चर पृष्ठभूमि का एक भी आदमी उसमें नहीं है। हमारे सामने डा. पटेल हुआ करते थे।

हम वीकर सोसायटी से लोग लाते थे जिन की बात प्लॉनिंग कमीशन में कही जा सके।

आज मैंने 'हिन्दू' अखबार मे बढ़ा, वह पता नहीं कहां तक **सच है**, सरकार उसे क्लैरिफाई करे। अमेरिकन एम्बैसडर श्रीनगर गए हुए हैं और वह हुर्रियत ग्रुप के लोगों से मिले, शबीर शाह के यहां लंच किया और आज वह मिलिट्री ऑफिसर तथा प्रशासनिक अधिकारियो से लॉ एंड आर्डर के बारे मे विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे। अब **अमेरिकन** एम्बैसडर वहां जाकर हमारे प्रशासन से बात करेंगे, यह एक अजीब बात होगी। पता नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। आप इसे देख लें। अगर अमेरिकन एम्बैसडर जाकर ... **(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : आपने 'हिन्दू' पढ़ा है और हमने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पढ़ा है। उसमें ऐसा कोई समाचार नहीं है।

श्री राजेश पायलट : मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर सफाई दे। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इंटरप्ट न करे।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : हो सकता है अखबार में गलत खबर छपी हो लेकिन अमेरिकन एम्बैसिडर वहां जाकर मिलिट्री ऑफिसर और वहां के प्रशासन से लॉ एंड आर्डर के बारे में बात करें, यह ठीक नहीं है। इसपर सरकार को सफाई देनी चाहिए। मेरी यही दो बाते हैं।

श्री मुख्तार अनीस : राजेश पायलट जी ने जो बात उठायी है, मै उसी पर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चमन लाल गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। आप बैठ जाएं।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिकन एम्बैसडर वहां के टेररिस्ट लीडर्रा से मिले हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाकर बकायदा उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। यहां तक कि गवर्नमैंट के जितने भी आफिसर है, उन सब को बुलाकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यह एक्सरसाइज चल रही है। उन्होंने उसके पहले वहा सारी बैकग्राउंड्स बनायी है। कल यही एम्बैसडर ऊधमपुर आ रहे हैं और फिर जम्मू आएंगे। इस तरह से अनऑफिशियल विजिट वर्चुअली सरकारी विजिट बनी हुई है। वे वहा क्या चाहते हैं ? वहा के गैस्ट हाउस में पिछले डेढ महीने से लगातार चार अमेरिकन आफिसर बैठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ क्या साठ-गांठ हो रही है, उन्हें कश्मीर से क्या लेना है, वे किस तरह कश्मीर इशू टैक्ल करते हैं और वे कश्मीर में क्या करना चाहते हैं ?

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) : कश्मीर मे चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, पाकिस्तान का ऐसा धमकी भरा समाचार आज 'नवभारत टाइम्स' में छपा है। हमें कभी अमेरिका धमकाता है और कभी पाकिस्तान धमकाता है। इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान भारत को इस तरह से धमकी देते रहेंगे।

श्री मंगल राम शर्मा (जम्मू) : जनाब, मेरा यह अर्ज है कि जब से, 1989 से टैररिज्म शुरू हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि कोई महीना खाली नहीं जाता जब अमेरिकन एम्बैसी या यूरोपियन कंट्रीज का कोई न कोई एम्बैसडर वहां न जाता हो। उन कंट्रीज़ के एम.पीज. वहा जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनल लैवल के लोग कश्मीर वैली में प्रो-पाकिस्तानियों से मिलते हैं, उनको दावतें देते हैं और हिन्दुस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग वहां जाते हैं, भारत सरकार उनकी छानबीन कराए। वह उन्हीं लोगों को जाने दे जो हिन्दुस्तान के दोस्त हैं। जो मुखालिफों को बहकाते हैं, हमारे खिलाफ वहां हवा पैदा करते हैं, पैसा दान देते हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए खतरे की बात है। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। गवर्नमैंट को चाहिए कि वह हिदायत दे कि बिना गवर्नमैंट की इजाजत के वहा कोई नही जाएगा। प्रो-पाकिस्तानियो के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और आने-जाने पर कंट्रोल होना चाहिए। कश्मीर जाना फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायें। श्री दासमुंशी आप जारी रखें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला हैं। मै सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल दो महीने पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्वि-पक्षीय बातचीत फिर से आरंभ हो सकती है और वे चाहते कि कश्मीर के मसले पर बातचीत हो। उनका विचार था कि अमरीका हस्तक्षेप करके बातचीत में पहल करे और भारत सरकार ने इसे तत्काल अस्वीकार कर दिया। इस वर्तमान संदर्भ में अमरीका के राजदूत की कश्मीर यात्रा और वहां जा कर विभिन्न राजनैतिक पार्टियो से मिलना और वह भी सेना अधिकारियों के साथ इस तरह के समचार 'द हिन्दू' मे प्रकाशित हुए है। यह चिन्ताजनक सकेत हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार आज ही इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करे। यह कोई हल्का मामला नहीं है। यह भारत की सुरक्षा से जुडा मामला है और काश्मीर का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। हमें सभा की इस मामले में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। मेरा विचार था कि सरकार स्वयं अपने आप वक्तव्य देगी। चूंकि यह मामला आज उठाया गया है अतः सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। चूंकि गृह मंत्री सदन में उपस्थित हैं अतः उनको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। हम इस बात की अनुमति नही दे सकते कि अमरीका के राजदूत भारत को अपना उपनिवेश समझें। यह भारत है और भारत को कश्मीर के हर मामले पर अधिकार है और यह साम्राज्यवादी ताकतों की सम्पत्ति

नहीं है। यह उनका गलियारा भी नहीं है। विदेश मंत्री द्वारा आज ही यह सन्देश संयुक्त राज्य के दूतावास को भेजा जाना चाहिये। विश्व के किसी अन्य हिस्से में वे ऐसा समझते भी हों तो भी उनको यहां पर ऐसा नहीं समझना चाहिये। यह आज इस सदन का संदेश है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी अखबारों में छपा है या जो कुछ आनरेबल मैमर्स ने कहा है, वह बहुत सीरियस चीज है और गवर्नमेन्ट को सीरियसली सोचना चाहिये। अगर गुप्ता जी कुछ कहना चाहें तो कहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : आप जानते हैं कि क्या हो रहा है... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : वह चुप नहीं रह सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जायें, वे जवाब देने वाले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक एक बोलें।

डा. मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में छपे इस समाचार के संदर्भ में कि अमरीका अपने परमाणु कार्यक्रम पर दृढ़ है और वह भारत को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये किसी न किसी तरीके से मजबूर कर देगा और उसके राजदूत भी वहां पर विद्यमानता और सुरक्षा बलों के साथ उनका मिलना वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत कष्टदायक है।

इन बातों के संदर्भ में यह जरूरी है कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे ताकि राजदूत को रोका जा सके। वह सुरक्षा बलों से नहीं मिल सकते। वह गवर्नर से मिल सकते हैं। वह उनके साथ किसी भी विषय पर बातचीत कर सकते हैं परंतु सुरक्षा बलों के साथ नहीं।...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : उनको चाहिये कि यह वक्तव्य दें...**(व्यवधान)** यदि सरकार यह सोचती है कि वह सारी जानकारी का दोपहर बाद पूरे तथ्यों के साथ विवरण दे सकती है तो उसे पूरी जानकारी मुहैया करानी चाहिये।...**(व्यवधान)** कम से कम जानकारी देने वाला वक्तव्य दिया जाना चाहिये। यदि हमने यह मामला यहां पर उठाया है और सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती तो यह ठीक नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री सत महाजन : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इतना गुस्से में क्यों बोलते हैं ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जानकारी एकत्र करने के बाद माननीय सदस्य की भावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। ... **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : महोदय, आज सत्र का आखरी दिन है। इसे आज प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये।

श्री श्रीकांत जैना : महोदय, हम आज कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुंडे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश-गौरव सुभाष चन्द्र बोस के माध्यम से इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया गया था। उस समय इस देश के अनेक लोग आजाद हिन्द फौज में स्वतंत्रता सेनानी बनकर भर्ती हो गए थे। लेकिन आज भी उन लोगों को और उनकी विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। उनके नेता लाल खां मियां ने इसके लिए अपने प्राणों का त्याग किया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आज ऐसे अनेक आजाद हिन्द स्वतंत्रता सेनानी और उनकी जो विधवाएं हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर उनकों पेंशन और अन्य सहूलियतें दी जाएं।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामटेक और विदर्भ में संतरों का उत्पादन बहुत अधिक होता है और उस वक्त रेलवे वैगन सुविधा न होने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेलवे वैगन उपलब्ध कराई जाएं। खानदेश भुसावल रेल मार्ग पर केले के लिए रेल भाड़े में रियायत दी गई है। हमारे विदर्भ और रामटेक से संतरा रेल वैगन से ही जाता है। मैं मंत्री महोदय को सिफारिश करता हूं कि जिस प्रकार आपने खानदेश में केले के लिए रियायत दी है, वे किसान हैं, उसी प्रकार संतरे का उत्पादन करने वाले भी किसान हैं। दोनों के साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा। जिस प्रकार खानदेश भुसावल रेल मार्ग पर आपने केले के लिए रियायत दी है, उसी प्रकार विदर्भ क्षेत्र के किसानों को संतरे के लिए रेल भाड़े में रियायत देने की कृपा करें।... **(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 27 जून और 2 जुलाई के संबंध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद के संबंध में मैंने 22 जुलाई को लोकसभा में मामला उठाया था। गृह मंत्री आज सदन में मौजूद हैं। लोक सभा 22 दिन के अवकाश के लिए आज ऐडजर्न

होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे साथ जो घटना हुई, उसके बाद आज भी जिलाधिकारी बार-बार धमकी देता है कि लोक सभा में मामला उठाने के बाद भी आज तक क्या हुआ। आगे विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं। कोई भी सदस्य इस हालत में जिलाधिकारी के साथ बैठकर किस प्रकार से काम कर पाएगा ? वह अधिकारी उसी स्थान पर बैठा है। मेरे साथ अगर न्याय नहीं होता है तो जो मैंने निवेदन किया है, मेरे इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी में दे दिया जाए और तत्काल गृह मंत्री द्वारा उनका स्थानांतरण किया जाए। ... **(व्यवधान)** अगर गृह मंत्री तैयार हैं तो वह जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तैयार हैं तो मैं उनको रोक नहीं रहा हूं। वह तैयार हैं तो जवाब दे दें।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमें न्याय कैसे मिलेगा ? इस मामले में गृह मंत्री जवाब दें। हमें जवाब तो मिलना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में लगभग दो दर्जन गांव ... **(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : गृह मंत्री जी इसका जवाब दें, हमें इसका जवाब मिलना चाहिए।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट रुकिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला तो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह मामला पहले भी सदन में उठ चुका है और यह प्रश्न माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों से संबंधित है, उनके सम्मान से संबंधित है। पहले सदन में मामला उठाया गया तो यह आशा की जाती थी कि सरकार जिलाधीश से रिपोर्ट मांगेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और फिर सदन को विश्वास में लेगी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका एक और बुरा पहलू सामने आ रहा है कि सदन में उठाने के बाद भी, जब कि जिला मजिस्ट्रेट से जवाब भी तलब नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह इनको ताने दे रहा है कि आपने संसद में मामला उठा लिया, मेरा क्या बिगाड़ लिया। अब अगर संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो मैं नहीं समझता कि यह कोई पार्टी का मामला रहता है या सरकार या प्रतिपक्ष का मामला रहता है। यह सबके सम्मान का मामला है, विशेषाधिकार का मामला है। सदस्य दलित जाति से संबंधित है इसलिए बात और भी बिगड़ जाती। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में गृह मंत्री महोदय आश्वासन दें कि वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और उस अधिकारी के आचरण के बारे में पूरी रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिये, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह एक माननीय सदस्य का सवाल नहीं है, अगर इसमें ठीक एक्शन नहीं होता है तो यह रांग सिगनल जायेगा, फिर सबके साथ हो सकता है। अब आपको जो कुछ कहना है कहिये।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सर, फिरोजाबाद के माननीय सदस्य ने यह सवाल सदन में उठाया था और मुझसे अलग से उन्होंने कहा भी था। लेकिन यह बात सही नहीं है कि वहां से हम लोगों ने कोई रिपोर्ट मंगवाने के लिए और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे कार्रवाई की जाए, ऐसा नहीं किया और कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई वगैरह, यह बात सही नहीं है। बल्कि मैंने खुद जो नये राज्यपाल महोदय बैठे हैं उनसे इस केस के बारे में टेलीफोन से बातचीत की है। मैंने उनको कहा कि सदन में यह सवाल उठ चुका है और जो हमारे मैम्बर साहब हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, इस बारे में स्वाभाविक हैं कि उत्तेजित है और इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यह जो फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर हैं इनके खिलाफ मैम्बर साहब ने यह शिकायत दी है कि उन्होंने किस ढंग से उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और धमकी दी है वगैरह-वगैरह। तो राज्यपाल महोदय ने नोट किया और कहा कि मैं उसको फौरन बुलाता हूं और मैं सोचता हूं कि यह सीरियस मैटर है और इस पर जो कार्रवाई मुझे करनी है वह मैं करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसको बर्खास्त भी करूंगा। फिर मैंने कहा कि यह जल्दी होना चाहिए। अभी तक तो राज्यपाल महोदय से डायरेक्ट कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है लेकिन मैं एक-दो दिन में आशा कर रहा हूं और शायद आज राज्यपाल महोदय किसी सरकारी काम से दिल्ली आ रहे हैं तो इस मौके पर मैं उनसे पूछूंगा।... **(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार के उन दो दर्जन जिलों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां बड़े पैमाने पर बाढ़ आई हुई है जिससे लाखों एकड़ जमीन में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति बर्बाद हो गई है। मैं आपको बिहार के बाढ़-प्रभावित जिलों के नाम बता देना चाहता हूं, वे जिले हैं-सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौर, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगरिया, अगरिया, मधेपुरा और पटना का दानापुर क्षेत्र। राज्य के इन इलाकों में बाढ़ आ जाने से लगभग चार दर्जन से अधिक लोग मौत के शिकार हो गए हैं। राहत देने के लिये पिछले साल बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से 1102 करोड़ रुपए की मांग की थी मगर केन्द्र सरकार ने पिछले साल मात्र 21 करोड़ रुपए आबंटित किए, मंजूरी दी लेकिन वह राशि आज तक राज्य सरकार को मुहैया नहीं कराई है। इस साल भी बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने क्षति के आंकड़े एकत्र करके केन्द्र से लगभग 51 करोड़ रुपए राहत सहायता देने की मांग की है मगर अभी तक एक पैसा भी राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पिछले साल की स्वीकृत राशि का भी एक पैसा अब तक न मिलने के कारण वहां स्थिति बहुत भयानक हो गई है, जगह-जगह पुल-पुलिया टूट गई है और किसी को राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है।

कृषि मंत्री जी हमारे यहां स्वयं स्थिति को देखकर आए हैं मगर आज तक उस पर उचित कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से

मांग करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को स्पष्ट तौर से लिखकर भेजा है कि बिहार में हर साल बाढ आती है और बाढ आने से पहले राहत राशि भिजवाई जाए मगर यहां उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहां स्थिति बहुत भयानक है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि पिछले साल की राहत राशि अविलम्ब बिहार सरकार को भेजी जाए और इस साल वहां बाढ के कारण जो क्षति हुई है, उसके लिए जो सहायता राशि देने की मांग आपसे की गई है, बिहार के प्रभावित जिलों में लोगों को राहत देने के लिये अधिक से अधिक राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा मृतक लोगों के परिवारों को, केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार, जो मुआवजा दिया जाना है, उसे भी तुरन्त दिया जाए ताकि वहां की गरीब बच सके, उसे राहत मिल सके। मेरी माग है कि केन्द्र सरकार अधिक से अधिक पैसा केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराए।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर इसी विषय से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री नवल किशोर राय के अलावा आप कोई न बोलें।

श्री नवलकिशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बिहार की बाढ से संबंधित गम्भीर विषय उठाना चाहता हू। माननीय राम कृपाल यादव जी ने विस्तार से आपको इस बारे में बताया है। पिछले दिनों भी आपकी इजाजत से मैंने इस सवाल को उठाया था और माननीय कृषि मंत्री जी ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया था तथा ऐलान किया था कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। समय बीतता जा रहा है लेकिन राज्य सरकार को यहां से राहत के नाम पर एक पैसा नहीं भेजा गया है। इसके साथ-साथ उल्टे बिहार सरकार से कहा जा रहा है कि राहत कार्य ठीक से चलाया जाए।

आप जानते हैं कि पिछली बार भी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। राहत सहायता देने के लिये केन्द्र में जो नेशनल कैलेमिटी फड से संबंधित कमेटी है, उसके पास राज्य सरकार की ओर से एक मैमोरेंडम पेश किया गया था। यहा से कुछ पदाधिकारी भी बिहार गए थे और उन्होंने स्थिति की जाच की थी। पिछले साल जो 21 करोड़ रुपए की राशि रोड्स की मरम्मत तथा लोगों को राहत देने के लिए रिकमैंड की गई थी, वह अभी तक वित्त मंत्रालय में लम्बित है। माननीय फाईनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हैं। मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं। आप पिछले वित्तीय वर्ष की स्वीकृत 21 करोड़ रुपए की राशि को तुरन्त रिलीज करने के संबंध में निर्देश दें। यदि आपका संरक्षण हमें मिल जाए और वह राशि तुरन्त रिलीज करके भिजवा दी गई तो पिछले साल जिन लोगों की क्षति हुई है, उन्हें राहत प्रदान की जा सकेगी। इस साल जो 500 रुपए प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति की घोषणा की गई है, सीतामढ़ी से लेकर तमाम जगह मंत्री जी स्वयं देखकर आए हैं और उन्होंने यह राहत देने की घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि उस क्षतिपूर्ति राशि का तुरन्त भुगतान होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। आपका मैं प्रोटैक्शन चाहता हूं।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हम एक बजे के बाद भी 10 मिनट और बैठ सकते हैं लेकिन सक्षेप में आप कहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सकें। यदि एक ही विषय पर 10 लोग बोलेंगे तो दूसरों को कम समय बचेगा। अब आप बोलिए।

अपराह्न 1.00

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हू कि वह मृतकों के आश्रितों को दो लाख रुपये का मुआवजा दें।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जिसको अलाउ करूंगा उसी की बात रिकॉर्ड पर आएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मैं 10-15 मिनट और देने को तैयार हूं। *इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल प्रधान मंत्री जी ने संसद में एक वक्तव्य देते हुए दिल्ली के बारे में यह कहा कि दिल्ली के अंदर 17 गैंग्स हैं जो किलिंग, किडनैपिंग और रैप केसेज का काम कर रहे हैं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के पास है, केन्द्र के पास है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि 17 गैंग्स यहां काम कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हू कि ये गैंग्स कब से काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या-क्या क्राईम किए हैं तथा होम मिनिस्ट्री ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं और क्या इन गैंग्स के पीछे और कोई ताकतें काम कर रही हैं ?

दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने स्थिति को और उलझा दिया है। पहले ही दिल्ली पुलिस केन्द्र के अंडर है और होम मिनिस्ट्री उसको देख रही है। अब कैसी टास्क फोर्स होगी और कैसे उसको प्राइम मिनिस्टर देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री का भी कॉर्डिनेशन नहीं होगा। मुझे यह कहना है कि सरकार यह तय करे कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर देखेंगे या होम मिनिस्टर देखेंगे। मेरा अनुरोध है कि इन गैंग्स के बारे में सारा रिकॉर्ड सरकार के द्वारा सदन के सामने रखा जाना चाहिए।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी से रेलवे विभाग में जो लालफीताशाही चल रही है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। मैं मुख्य कार्मिक अधिकारी, कलकत्ता की लालफीताशाही का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पूर्व रेलवे में 1992 में रोजगार सूचना संख्या आर.आर.बी./पटना/12/90-91 के तहत 72 लिपिकों का चयन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा किया गया था। लेकिन उन 72 व्यक्तियों को 1992 के बाद आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इनमें 55 अनारक्षित उम्मीदवार थे और 17 आरक्षित उम्मीदवार थे। लेकिन कलकत्ता के मुख्य कार्मिक अधिकारी ने 100 व्यक्तियों का चयन करके बहाल कर दिया।

जो नियम के अंदर है कि जो आपका महेन्द्रू, जमालपुर रेलवे कारखाना और धारवड़ मंडल इन सब जगहों में नियम कहता है कि जिनका चयन हुआ है उनको ही बहाल किया जाएगा। जब यह सवाल रेलवे बोर्ड में गया, रेलवे बोर्ड के कार्मिक सलाहकार श्री विश्वनाथ जी ने यह कहा कि ऐसी अनियमितता का काम क्यों किया ? नतीजा यह हुआ कि उनमें से सिर्फ सात आदमियों को बहाल किया गया और 65 आदमियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन गरीब परिवार के बच्चों ने बड़ी मुश्किल से पढ़-लिख कर यह परीक्षा दी थी और उनका चयन किया, लेकिन अब 1992 से यह मामला लटका हुआ है और अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने उस दिन कहा था कि रेलवे में लालफीताशाही को खत्म किया जाएगा। उनके इस वचन को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बचे हुए 65 लड़कों की बहाली रेलवे में अविलम्ब की जाए, क्योंकि वे लड़के इधर-उधर दौड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। बस महोदय मुझे इतना ही निवेदन करना है।... **(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, मुझे अफसोस है। *इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप अब जो कुछ कहना चाहें कह सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, हर मसला महत्त्वपूर्ण है। अब मैं एक महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। बंगलादेश अपना 25वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। उनके मुक्ति आन्दोलन में बांग्लादेश के लोगों ने भारत के लोगों का नैतिक समर्थन और प्रेरणा ली थी। भारत बांग्लादेश संबंधों को आगे मजबूत बनाने के लिये और सद्भावना के रूप में भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि एक कार्ययोजना तैयार की जाये ताकि भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध मजबूत किये जा सके। आपकी जानकारी के लिये कलकत्ता में पूर्वी कमान ने बांगला देश सेना तथा भारत की सेना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एक स्मारक का निर्माण किया है। इस वर्ष, भारत को पहल करनी चाहिये ताकि बांग्लादेश सेना तथा भारत की सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। यह सांस्कृतिक, खेल कूद कार्यक्रमों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान के जरिए भी किया जा सकता है और इस तरह हम अपने पडोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस के सामने बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। वैसे तो इनकी बात ठीक है कि जितना मर्जी सरकार का ध्यान खींच लीजिए, सरकार के पास कोई ध्यान ही नहीं है।

बिहार के किशनगंज में माता गुजरी नाम से एक मैडीकल कालेज है जिसमें 240 स्टूडेंट एग्जाम में एपीयर हो रहे हैं। वहां के विद्यार्थियों को एग्जाम में एपीयर होने से रोकने के लिए वहां के कुछ गुंडा गिरोहों, बदमाशों ने उनसे कहा कि पांच लाख रुपए उन्हें एक साल की फिरौती दी जाए। जब स्टूडेंट ने इसका विरोध किया और जब वहां झगडा हुआ, तो उनको उन्होंने कालेज से भगा दिया। उन्होंने जो वहां के ट्रस्टी थे एक श्री करतार सिंह और दूसरे श्री रस्तोगी और एक एडमिनिस्ट्रेटर दिलीप सिंह, उनको किडनैप कर लिया और धमकी दी कि इस कालेज को बन्द किया जाए।

महोदय, यह कालेज माधेपुरा युनिवर्सिटी से 1994 में अफीलिएट हुआ था और इंडियन मैडीकल कौंसिल ने इसकी एप्रूवल दी है तथा इसको सुप्रीमकोर्ट के आदेश से बिहार सरकार ने रिकगनाइज किया है और स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था।

महोदय, यह कालेज एक ऐसी महिला के नाम पर है जिसकी शहादत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इस महिला माता गुजरी के पति, पुत्र और पौत्रों ने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। हरियाणा और पंजाब को छोडकर हिन्दुस्तान में सिख कम्युनिटी के नाम पर यही एकमात्र मैडीकल कालेज है। इस कालेज को बन्द करने की धमकी दी जा रही है।

विद्यार्थियों को परीक्षायें देने से रोका जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि यह सरकार के नोटिस में आया, अखबारों में आया व हमारे पास टेलीग्राम आया लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और सरदार करतार सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। मैंने पहले भी बोला था कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमने 984 लाशों का मामला उठाया। तरनतारन की एक रिपोर्ट थी और आज शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान जत्थेदार गुरूचरणसिंह टोहरा का फैक्स आया है कि सारे पंजाब में ऐसे कई मामले हैं। हम चाहते हैं कि सी.बी.आई की जांच का दायरा बढाया जाये। पंजाब में जो लाशें हैं, जो माताएं विलाप कर रही हैं, बहनें विलाप कर रही हैं तथा जिनके भाइयों और पुत्रों की लाशें कुत्ते बिल्लियों की तरह फेंकी गयीं, उनका पता नहीं लग रहा। अतः सी.बी.आई. की जांच का घेरा बढाया जाये और सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करवाया जाये ताकि हमको यह तो लगे कि हम इस देश के बाशिन्दे हैं। क्या हम इस देश के शहरी नहीं हैं ? क्या हमें इस देश में रहने के लिए पांच लाख रुपये का टैक्स देना पडेगा ? क्या हम इस देश में अपने कालेज नहीं बना सकते ? हम पढ भी नहीं सकते और लोगों को पढ़ा भी नहीं सकते।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 180 विद्यार्थी जम्मू-कश्मीर के हैं।

उस कालेज में सारी कम्युनिटी के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसी को बंद कराने की धमकी दी जा रही है। लाशों का कुछ पता नहीं लगाया जा रहा। आपने होम मिनिस्टर साहब को बोला था।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करिये।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : आपने होम मिनिस्टर साहब को बोला था कि वे इस पर एक स्टेटमेंट दें लेकिन एक हफ्ता हो गया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसे ही न टाला जाये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा केवल श्री पासवान जी दिखाई दे रहे हैं। अगर वह कुछ कर सकें तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इस देश में रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते।... **(व्यवधान)** डिप्टी स्पीकर साहब, हमें एक मिनट देने के लिए तैयार नहीं हैं।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप समाप्त कीजिये।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष जी, इस देश की आजादी के लिए जो लोग फांसी पर चढ़े, उनमें से 93 प्रतिशत सिख कम्युनिटी के लोग थे।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगला नाम बुला रहा हूं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : जिन लोगों की जमीनें जब्त हुई उनमें से 90 प्रतिशत सिख लोग थे और 95 प्रतिशत... **(व्यवधान)** इसकी रिपोर्ट यहां पर है।... **(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सब जगह से एक-एक को बुलाना है। मैं सबको एक साथ नहीं बुला सकता... **(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार : हमारे देश में 100 प्रतिशत चटकल उद्योग हैं। कम्पलसरी जूट पैकेजिंग आर्डर को पिछले पांच साल में डाईलूट किया गया, उसको सहारा देने के लिए, सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून था, जो आर्डर था, उसका अपहोल्ड किया। मैं आपके माध्यम से टैक्सटाईल मिनिस्ट्री से अपील करना चाहता हूं कि जूट पैकेजिंग आर्डर को 100 प्रतिशत लागू करवाने का इंतजाम करें और उसका आर्डर दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन के सभी पक्षों को देखना है।...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको जरूर चांस दूंगा। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार श्री बनातवाला ने दिल्ली में एक मकान गिराने का मामला रेज किया था और श्री राम विलास पासवान जी ने सदन में यह कहा था कि हमारी सरकार के होते हुए किसी का मकान या झुग्गी नहीं गिराई जायेगी। कल मुझे चंडीगढ़ से फोन आया था। वहां पर दो तरह के लोगों के मकान हैं। एक तो वे लोग, जो कि प्राइवेट जमीन पर अपने मकान बनाये हुए हैं अर्थात् उनकी अपनी जमीन है। उनमें पेरीफरी कंट्रोल एक्शन का कोई ऑब्जेक्शन है और दूसरे गरीब आदमी, जो कि झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। ये लगभग डेढ़ लाख लोग हैं जिनमें से कोई बिहार से आया है, कोई यू.पी. से या कहीं और से आया है, प्रशासन उनके भी मकान और झुग्गियां गिराने जा रही हैं। मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। मैं श्री राम विलास पासवान जी से खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपने उस दिन आश्वासन दिया था।

वे बहुत गरीब किस्म के लोग हैं जिनके मकान वहां बने हुए हैं। उसमें सब धर्मों के लोग हैं, ज्यादा बैकवर्ड क्लास, शैडयूल्ड कास्ट्स, यू.पी., बिहार, राजस्थान के लोग हैं। मेरा निवेदन है कि आप चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दें कि किसी का मकान और झोंपड़ी न गिराई जाए। हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिया है कि यदि आपने किसी की झुग्गी गिरानी है तो पहले उसे ऑलटरनेटिव एकोमोडेशन दें। वहां पर बिना ऑलटरनेटिव एकोमोडेशन दिए मकान गिराए जा रहे हैं।

दूसरी बात, उन लोगों को बिजली, पानी नहीं दिया जा रहा है। वे लोग मांग रहे हैं। पासवान जी, जिसे लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहते हैं, वहां आठ लाख लोगों में से दो लाख लोग बिना बिजली, पानी के रह रहे हैं। मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही करें और गरीब व्यक्तियों के मकान उजड़ने से बचाएं। धन्यवाद।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) महोदय, उनको पहले भी मौका दिया गया था। अब मुझे बोलने का मौका दिया गया है... **(व्यवधान)**। बहुत ही गंभीर स्थिति है... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उजोक (तरनतारन) : यहां 240 विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो रही है।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बात हो गई है। जीरो आवर में हर चीज का जवाब देने के लिए मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : उस क्षेत्र में विद्रोह हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं और आप फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। ठहरिए, वे जरा शांत होकर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उजोक (तरनतारन) : वहां पर सभी स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने कह दिया है, आप कौन सी नई बात कह रहे हैं। उन्होंने सब कुछ कह दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से कल्याण मंत्री का ध्यान हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में धीरे-धीरे पैदा हो रही एक गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में हिमाचल प्रदेश के पुराने वासियों अर्थात् गूजरों और गद्दियों को जनजातियों का दर्जा दिया गया था जबकि पंजाब से आने वाले लोगों को इस दर्जे से वंचित रखा गया था। उसी समय से वे लोग इस दर्जे को पाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार ने यह मामला बार-बार उठाया है और अन्ततः हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने दलगत राजनीति से हटकर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया कि उन लोगों को यह दर्जा दिया जाये।

इसी तरह, गिरी के पार के शिल्लाई, चोपाल और दादरा क्वार क्षेत्रों के जोनसार तथा बावर जनजातियां भी उन्हीं सुविधाओं की मांग कर रही हैं जो उत्तर प्रदेश की जनजातियों को दी जा रही हैं। संविधान में उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में रखा गया है। वे विकसित लोगों के साथ स्पर्धा में नहीं ठहर सकते, उन लोगों के साथ जिन्होंने वन अर्थ व्यवस्था, पशुओं तथा साक्षरता का विकास कर लिया है। वे गद्दियों और गूजरों के साथ भी स्पर्धा नहीं कर सकते। 31 मार्च, 1994 को विधान सभा ने सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया था। कल्याण मंत्री, श्री रामूवालिया ने मुख्य मंत्री के एक पत्र के उत्तर में तुरंत आश्वासन दिया था कि इस शिकायत को दूर किया जायेगा। इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का और विशेष रूप से कल्याण मंत्री का, जिन्होंने मुख्य मंत्री के पत्र का तत्काल उत्तर दिया था, ध्यान वहां पैदा हो रही स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं। अन्यथा बहुत देर हो जायेगी और वहां पर भी पूर्वोत्तर राज्यों जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। हिमाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी और केन्द्र उसे नियन्त्रित नहीं कर पाएगा।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : श्री महाजन जी ने उन जातियों को ट्राईबल घोषित करने का जो मामला उठाया है मैं उसे उचित समझता हूं। उसे विधान सभा ने भी पास किया है। वहां के गूजर भाई पंजाब के एरिया से हिमाचल में गए हैं। वे एक जैसे लोग हैं क्योंकि हिमाचल में उनकी आधी जाति ट्राईबल है। मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्रासगिरी, शैलाई और चौपाल का एरिया है और डोडरा क्वार, जो यू.पी. बार्डर के साथ लगता है, यू.पी. का जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर तो जनजातीय क्षेत्र है लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उनके रिश्तेदार जनजातीय क्षेत्र में नहीं हैं। उन्होंने अपनी हाथी सभा बनाई है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : मैं यह चाहता हूं कि उन एरियाज को ट्राईब एरिया घोषित किया जाये।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न समुदायों से बड़ी संख्या में याचिकाएं तथा अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें या तो किन्हीं वर्गों को इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाने या इस श्रेणी से निकाले जाने की मांग की है। जहां तक श्री सत महाजन जी का उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री मुझसे दो बार मिले थे और उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है।

जहां तक गद्दियों और गूजरों की समस्याओं का संबंध है, आधे हिमाचल में उन्हें जनजातियों का दर्जा हासिल है और उसी राज्य के शेष भागों में उनको वह दर्जा हासिल नहीं है। यह मामला मेरे

विचाराधीन है। मैं सभा को इस संबंध में शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के गरीब और बेसहारा लोगों के दर्द को यहां व्यक्त करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोग वनों में निवास करते हैं और वन भूमि पर वर्षों से, 50 साल से भी ज्यादा अरसे से कब्जा किए हुए हैं। उस भूमि पर कृषि का काम करके वह अपना उदर पोषण करते हैं। उनको 50-50 साल उस भूमि पर कब्जा किए हुए हो गये, लेकिन आज तक उनको पट्टे नहीं मिले। इस साल वन विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनकी सारी फसलें नष्ट कर दीं, उनके छप्परों में आग लगा दी, उनको पकड़कर मारा गया, ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हुई हैं। यहां तक कि उनकी माताओं और बहनों को बेइज्जत भी किया गया, इसकी लगभग 13 रिपोर्ट तो मैंने अकेले ने शिवहर, विदिशा और रायसेन जिले में करवाई हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अमानवीय व्यवहार उन जनजातियों के साथ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और जिन वनवासियों के 1980 के पूर्व के कब्जे हैं, सरकार की नीति के अनुसार उनको पट्टे देने का काम वन व्यवस्थापन करके केन्द्र सरकार करे और प्रदेश की सरकार को कहे कि जब तक वन भूमि का व्यवस्थापन नहीं होता, तब तक अनुसूचित जनजाति के लोगों को उस वन भूमि पर से हटाया न जाय और जो वन विभाग के कर्मचारी उनके साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय। धन्यवाद। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में एक माननीय सदस्य ही बोल सकता है।

[अनुवाद]

श्री तिरुची शिवा (पुडुकोट्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम ने पहले भी सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष किया था, मुझे इस वास्तविक एवं महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिये भी संघर्ष करना पड़ा था इस मसले का संबंध एक राज्य से है, किन्तु चूंकि इस मसले से सदन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे लिये यह उल्लेख करना ठीक होगा कि संविधान का पहला संशोधन हमारे स्वर्गीय समाज सुधारक थन्थाई पेरियार और हमारे नेता अन्ना के प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिये किया गया था। कमजोर वर्गों अर्थात दलितों, पद दलितों की लम्बे समय से चली आ रही जरूरत को समझ लेने के बाद तमिल नाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मण्डल मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कुल मिलाकर आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं हो सकता। तमिल नाडु सरकार ने कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये एक कानून बनाया था और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया था। ऐसा करने में पीछे मंशा यह थी कि इसे किसी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। उदाहरण के रूप में विभिन्न राज्यो के भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनको नौवीं अनुसूची में समाविष्ट किया गया है।

परंतु उच्चतम न्यायालय ने बिना कारण बताये तमिल नाडु के आरक्षण कानून को लागू करने पर रोक लगा दी हालांकि यह नौवीं अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय का यह कदम संसद की शक्तियों हथियाना है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि किसी व्यक्ति की सनक एवं पसन्द संसद की शक्तियों से ऊपर कैसे जा सकती है।

यह अजीब बात है कि उच्चतम न्यायालय किस तरह संसद की शक्तिया ग्रहण कर लेता है। संविधान की अलघनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हू कि आप संसद की शक्तियों तथा संविधान की अलंघनीयता को बनाए रखने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। ....**(व्यवधान)**। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों; कमजोर वर्गों, पिछडे वर्गों तथा अति पिछड़े वर्गों के हितों के लिये तमिल नाडु सरकार ने आरंभिक कदम उठाया है। केन्द्रीय सरकार को इस पर विचार करना है और इस संसद के अधिकारों एवं संविधान की अलघनीयता को बनाए रखना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, कल मुम्बई में देश के 70 लाख मछुआरो का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल फिशरीज फोरम एक्शन कमेटी की नेशनल कनवेशन हुई थी। पहले पी. मुरारी कमेटी, जिसमे हम सभी सदस्य सम्मिलित थे, एकमत से यह रिपोर्ट दी थी कि छः महीने में डीप सी फिशिंग ट्रालर्स फारेन इंवेंचर्स को लाइसेंस दिए हैं, वह कैंसिल करने चाहिए। उसको छः महीने हो गए हैं। सबकी युनेनिमस रिकमंडेशन थी। कल जब मछुआरों की परिषद की बैठक हुई, उसमें घोषणा की गई कि 7 अगस्त से नेशनल फिशरीग फोरम के कनवीनर थामस कोचरी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले हैं और 18 अगस्त से हिन्दुस्तान के जितने भी बंदरगाह हैं, उनका घेराव करने वाले हैं। इससे मछुआरों को भी और दिक्कत होगी, साथ ही जो मछली खाते हैं उनको मछली खाने को नही मिलेगी। यह एक गम्भीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। इस सदन ने इस बात के लिए सिफारिश की है, मैं मांग करता हू कि सरकार तुरंत नेशनल फिशरीज फोरम को चर्चा के लिए बुलाए और जो फारेन ट्रालर्स को लाइसेंस दिए हैं, वह कैंसिल करे। उनसे चर्चा करे, नहीं तो एक गम्भीर समस्या सात सागरीय राज्यों, कोस्टल स्टेट्स में पैदा होगी। इसके बारे में सरकार को तुरंत चर्चा करनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बात करे। जो कोस्टल स्टेट्स हैं, सभी के साथ यह समस्या है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हम सब इस पर सहमत हुए हैं। और सभी मिलकर इसे कहते हैं इस पर तत्काल और गंभीर ध्यान दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : जितनी भी नेशनल ट्रेड यूनियंस हैं, सीटू है, बी.एम.एस. है, इंटक है, एच.एम.एस. है, सभी ने इस काल का सपोर्ट किया है। जब 10 तारीख को सारे बंदरगाह बंद होंगे तब उसकी गम्भीरता सामने आएगी। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी केन्द्रीय यूनियनें इस कार्यवाही का समर्थन कर रही हैं। यह गंभीर मामला है और सरकार को इस मसले पर विचार करना चाहिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : घुसपैठियों के बारे में हमारे देश में हल्ला करने वाले बहुत हैं। लेकिन मेरे देश की जमीन बंगला देश की तरफ जा रही है, उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले में पद्मा गंगा नदी के ऊपर, जो बंगला देश का बोर्डर है, 40 साल से लगातार कटाव हो रहा है। 100 से ऊपर गांव कटकर उस पार चले गए हैं। मुझे जो खबर मिली है, कल तक मेरे ब्लाक में 10 गांव कट गए हैं। इस कटाव के बाद जो जमीन बंगला देश सीमा में गई, जहां हमें कोई अधिकार नहीं है। बंगला देश के लोग वहां आकर बस गए हैं। यह भारत की सीमा है। भारत की भूमि है। बंगला देश के लोग बस गए हैं। वहां फसल आबाद कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। और बार-बार 16 साल से इस सवाल को उठा रहे हैं। लेकिन मेरे देश में कोई सरकार है या नहीं, यह मुझे आज तक मालूम नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सच है तो इस पर तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : बंगलादेश एक छोटा सा देश है। हमारे देश से बहुत गरीब है। लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ उस नदी के ऊपर पक्का बांध बना लिया है। हम 16 साल से बार-बार कह रहे हैं कि वहां के लोग फकीर हो गए हैं, उनको वहां रहने के लिए एक इंच भूमि भी नहीं है। इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहे हैं। इस सदन में इससे पहले श्री पी.जी.शुक्ला जब मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन किया था तथा मैंने इस बार भी कुछ दिन पहले मंत्री जी से मुलाकात की है। कम से कम इस सरकार से मैं जवाब चाह रहा हूं। हर सवाल पर कहते हैं कि कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जहां दूसरे मंत्री जी बैठे हैं, श्री राम विलास पासवान जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी खड़े होकर जवाब दें कि हमारे देश में जो भूमि कट रही है, उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? बंगलादेश में यह जमीन जाएगी, देश के बाहर चली जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर का सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ?.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है और हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। मामले पर विचार किये जाने की जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है और सरकार इसकी जांच करेगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान को बोलने दें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें ? मंत्री महोदय ने आपको आश्वासन दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, यदि आवश्यक हुआ तो मौके पर जांच के लिए एक दल भेजा जायेगा और रिपोर्ट मिलने के बाद, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी। सरकार इसकी जांच करेगी...(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, यह क्या है ? वे कह रहे हैं कि एक दल भेजेंगे। इस बारे में पहले ही कई रिपोर्टें हैं। उन्हें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह बात खत्म हो गई है। उनको अपनी बात कह लेने दें।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधानी (खुर्जा) : मेरे संसदीय क्षेत्र में नोएडा एक बड़ी औद्योगिक नगरी है, वहां 31 तारीख को भारी बारिश से 500 से ज्यादा झुग्गी और श्रमिकों के कच्चे पक्के मकान उजड गये थे। तीन दिन पहले नोएडा के कार्यपालक ने यह कहा कि जब तक उनके लिए दूसरी जगह नहीं दी जायेगी तब तक उन्हें वहां से उजाडा नहीं जाएगा। लेकिन तीन दिन के बाद उन्होंने परसों जब जबर्दस्त बारिश हो रही थी और सारे श्रमिक अपने कामों पर गए हुए थे और उनके बच्चे घरों में थे, तभी उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया और उनको वहां से हटा दिया, इससे

बच्चों को चोटें भी आई हैं, वे बच्चे अभी भी अस्पतालों में एडमिट हैं और मैंने जब जाकर पता किया तो कहने लगे कि यह तो हमारा बहुत पुराना कमर्शियल प्लॉट था जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उन सबके राशन-कार्ड हैं, उनका सब कुछ यहां मौजूद है।

वे लोग वहा पर 15-15 सालो से रह रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम दोबारा उनको सही जगह पर बसाया जाए और सारी सुविधायें दी जायें। उनके घर में बर्तन तक नहीं है और रात को वे लोग भूखे रहे हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग उजाड़े गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाए। ये लोग फाइव-स्टार होटल में बैठ कर फैसला कर लेते हैं। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कोई भी बोलने वाला नहीं है। हजारों रुपए का घेटाला वहां चल रहा है और वहां के लोगो से पैसे ले लिए जाते हैं।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मछुआ समुदाय के लोगों के बारे में बोलना चाहती हूं। इस देश मे मछवानी इलाकों मे या समुद्री किनारों पर जो मछुआ समुदाय के लोग बसे है, उनके साथ हर तरह के अत्याचार होते हैं। जो जमीन सरकार से लीज पर ली जाती है, यह बडे-बडे सरमाएदारों द्वारा ली जाती है और फिर उसे किश्तों में गरीब मछुआ लोगों को दी जाती है। उस जमीन पर वे लोग सब्जी-भाजी बोते है, जो आप सब को खिलाते है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जितनी भी नदियों के किनारे की जमीन है, जो लीज पर दी जाती है, उस जमीन को इन लोगों के नाम में पट्टे कर दिए जायें।

दूसरी बात, जो हमारे भाई ने भी कही है, 7 तारीख को मछुआ समुदाय के लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। मछुआ समुदाय के लोगों की यही रोजी-रोटी है, हम भी मछुआ समुदाय की बेटी है, अगर यही उनसे छीन ली गई, तो उनको भीख भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इस देश में जो बाहर से जहाज आने वाले हैं, उनके लिए हमारी सरकार से मांग है कि उनको लिखित रूप मे मना कर दिया जाए। इस देश के जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हीं लोगों को सम्पत्ति मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे। श्री बची सिंह रावत 'बचदा'।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पौने दो घन्टे हो गए हैं आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दो घन्टे अलाउ किया है, इससे ज्यादा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनको बोलने दें। आप उन्हें क्यों नहीं सुनते ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई विषय सामने नहीं है। व्यवस्था किस बात पर है ? आप बैठ जाइए। आप किस नियम के अन्दर मामले को उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कोई विषय सामने नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक घन्टे के बजाए दो घन्टे अलाउ किया है।

श्री एस. पी. जायसवाल (वाराणसी) : सीनियर मैम्बर तो बोल लेते हैं, लेकन...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जूनियर मैम्बर फूलन देवी को भी आपके सामने बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)*

1.40 अपराह्न

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये दिये जा रहे अनुदान को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बची सिंह 'बचदा' रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, देश के पहाड़ी क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों के संतुलित व द्रुत विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना से पहाड़ी क्षेत्रों को योजनागत विकास कार्यों के लिए विशेष केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रारम्भ की गयी। प्रारम्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय 'उत्तरांचल' क्षेत्र के विकास हेतु की जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता हिमाचल प्रदेश के समकक्ष प्रदान की जायेगी क्योंकि दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है परन्तु कालातर में हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ते-बढ़ते वार्षिक 300 करोड़ रुपए से अधिक हो गयी जबकि उत्तरांचल क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि अभी तक मात्र 285 करोड़ रुपए है। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 51 लाख की तुलना में उत्तरांचल क्षेत्र की जनसंख्या 60 लाख है।

समान भौगोलिक क्षेत्रफल तथा अधिक जनसंख्या होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता अनुपातिक रूप से उत्तरांचल के लिए बहुत कम है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु की जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उत्तरांचल क्षेत्र को चालू वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(दो) बाडमेर और जैसलमेर टी.वी. टावरों को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाडमेर) : गांव छोटा (बाडमेर) की पहाडी की चोटी पर तीन साल पूर्व 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक उच्च शक्ति का टी.वी. टावर बनाया गया था। इस टी.वी. टावर पर सभी अत्याधुनिक उदाहरण भी पहुंच चुके हैं। इस टी.वी. टावर की स्थापना का उद्देश्य पिछडे एवं सीमावर्ती रेगिस्तानी जिले बाडमेर को कवरेज प्रदान करना था।

इसी तरह, इसके पडौसी जिले जैसलमेर में भी एक उच्च शक्ति के टी.वी. टावर का निर्माण किया गया है। इस कार्य को 25 करोड रुपये की अनुमानित लागत से पूरा कर दिया गया है।

इन दोनों टी.वी. टावरों का निर्माण संवेदनशील जिलों में युद्ध स्तर पर पूरा किया गया था। स्थानीय जनता के द्वारा प्रदर्शन किये जाने और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इन टी.वी. टावरों को शीघ्र चालू करने के संबंध में दिये गये अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ऐसा समझा जाता है कि इन टावरों के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी कर्मचारियों हेतु मंजूरी प्रदान नहीं की है। कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा मंत्रालयों के बीच समन्वय न होने के कारण इस पिछडे क्षेत्र में दो उच्च शक्ति वाले टी.वी. टावर चालू नहीं किये गये हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण 55 करोड़ रुपये का खर्च व्यर्थ जा रहा है और उपकरणों को बरबाद होने दिया जा रहा है।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में यथाशीघ्र हस्तक्षेप करें।

अपराह्न 1.44 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीत हुए।)

[हिन्दी]

(तीन) बिहार के किसानों द्वारा 1989 तक लिये गये कृषि ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, 1989 में देश के ऋण ग्रस्त किसानों को राहत देने की नीयत से 10 हजार रुपये कर्ज से मुक्त करने की नीति बनाई गई थी। जनता दल की सरकार के शासन के दौरान अधिकांश किसान इस नीति से लाभान्वित भी हुए किन्तु बिहार के कुछ प्रखंडों के किसान इस सुविधा से वंचित रह गए, वहां के किसान इस भुलावे में रह गए कि ऋण मुक्त हो गए परन्तु एकाएक वित्तीय संस्थाओं में कड़ाई से कर्ज की राशि सूद जोड़ कर वसूलना आरम्भ कर दिया है। किसानों के पास हमेशा रुपया उपलब्ध नहीं होता। अतः उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की/जप्ती की धमकी दी जाती है, परिणामस्वरूप इस कर्ज को चुकाने के लिए वे बाजार से अधिक सूद पर कर्ज लेने को अभिशप्त हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के व्यापक हित में वर्ष 1989 तक 10 हजार के कृषि ऋण की आम माफी की घोषणा करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सभी विकास खंडों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : उपाध्याक्ष जी, नियम 377 के अधीन में यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के अंतर्गत सिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र में विकास खंड बडोखर खुर्द में कस्बा, सिन्दवारी, मटौन्ध चिल्ला, जहापुरा, पैलानी में एस.टी.डी. टेलीफोन की सुविधा नहीं हुई है जिससे हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि भारत सरकार की योजना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुविधा से जोड़ा जाएगा, लेकिन एक विकास खंडों के सभी ग्रामों में सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने एव जसपुरा, चिल्ला, सिन्दवारी, मटौन्ध में एस.टी.डी. सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार से माग करता हू।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान सुनिश्चित किये जाने और गांव मथुरा में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति महोदय मैं अपने

निर्वाचन क्षेत्र अर्थात कालाहांडी के गन्ना उत्पादकों की एक गंभीर समस्या को उठा रहा हूं।

उड़ीसा के जिला कालाहांडी में गांव मथुरा में वैस्टर्न शुगर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गन्ना नीति के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसने किसानों को उनकी अदायगियां नहीं की हैं। केवल 25 से 35 प्रतिशत ऋण दिये गये थे और किसानों को कोई अग्रिम नहीं दिये गये। पर्याप्त धन के अभाव में गन्ने की खेती पर खराब असर पड़ा है। किसानों को गन्ने की ढुलाई के लिये समय पर परिवहन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई थीं जिसके परिणाम स्वरूप जिले के किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा। क्षेत्र के बाहर के लोगों को कालाहांड़ी जिले में मथुरा में वेस्टर्न शुगर प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार दिया गया परंतु स्थानीय बेरोजगार युवकों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। पुनर्वास नियमों का भी समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहां है। प्रभावित श्रमिकों स्थानीय बेरोजगारों में इस बात को लेकर भारी रोष है। अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और किसानों को उचित अदायगी तथा कालाहांडी के स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

(छः) जोधपुर, राजस्थान में बेहतर संयम सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री आलोक गहलौत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी एवं सीमावर्ती क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक एवं पर्यटन केन्द्र जोधपुर जिले में दूर-संचार एवं डाक-सेवाओं को सक्रिय एवं प्रभावी बनाना आवश्यक है। शहर में टेलीफोन प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए 25 हजार लाइन की क्षमता वाले स्वीकृत टेलीफोन एक्सचेंज की अविलम्ब स्थापना हो तथा एक्सचेंज की जरूरतों के अनुसार पूरे शहर में केवल डाली जाए। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर एक सप्ताह में टेलीफोन स्थानान्तरित हों। दोष निवारण हर हालत में 24 घंटे में कर दिया जाय।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार सेवाओ का लाभ नागरिकों को पूरा नहीं मिल रहा है। अधिकांश गांवों में रेडियो टेलीफोन के पी.सी.ओ. तथा लाइन वाले टेलीफोन व पी.सी.ओ. ठप्प पड़े हैं। पूरे जिले में तहसील मुख्यालय, बड़े कस्बे व गांवों में टेलीफोन ट्रैफिक बढ़ रहा है, लाइनें कम हैं तथा वे भी देख-रेख के अभाव में खराब ज्यादा रहती हैं। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार कर्मी एवं लाइनों की संख्या बढाना जरूरी है।

जोधपुर क्षेत्र में डाक-वितरण व्यवस्था गड़बडा रही है, लोगों को आवश्यक संदेश समय पर नहीं मिल रहे हैं। विभाग की ओर से ग्रामीण डाक वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही की जाए।

(सात) माध्यस्थ्य और सुलह (तीसरा) अध्यादेश का निम्नुमोदन और माध्यास्थ्य और सुलह विधेयक के बारे में सांवधिक संकल्प दियारा, बिहार में एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की करीब 20 लाख हैक्टेयर भूमि दियारा क्षेत्र में पड़ती है जिसके कारण वहां सामाजिक, आर्थिक, कृषि एवं विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होती रहती है। दियारा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है।

बिहार के लक्खीसराय जिले में दियारा क्षेत्र की करीब एक लाख की आबादी का बाढ़ और वर्षा के कारण वर्ष में चार महीने देश के अन्य भागों से सम्पर्क टूट जाता है। दियारा क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं है। वहां न पुल है और न सडक है।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार दियारा क्षेत्र के विकास के लिए एक दियारा क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करे।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.51

माध्यस्थ्य और सुलह (तीसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन
और
माध्यस्थ्य और सुलह विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प

सभापति महोदय : अब हम यह संख्या 20 और 21 लेंगे। मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं। अब श्री गुमान मल लोढा उत्तर देंगे और मुझे विश्वास है कि वह आज संक्षेप में बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कल के स्पष्टीकरण का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कल वह काफी बोले थे और इसलिये हमें देर रात तक बैठना पड़ा था।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय उनको स्थिति स्पष्ट कर लेने दें।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त डी. खलप) : महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे और मेरा विचार है कि उसके बाद श्री लोढा भी अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि हमने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध सन्धि पर चर्चा के लिये 2.30 अपराह्न का समय तय किया है। इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को तत्काल पारित कर दिया जाये क्योंकि हमने इस पर काफी समय व्यतीत किया है। आज सुबह भी विधि मंत्री सभी नेताओं से मिले थे। अतः, हम इसे अविलंब पारित कर देना चाहिये।

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, इसे हमने माध्यस्थ्य और सुलह विधेयक की धारा 13, उप-धारा (5) और धारा 34 के उपबन्धों पर काफी देर तक विचार किया था। सारा विवाद खण्ड 13(5) के बारे में था जिसमें किन्हीं आधारों पर माध्यस्थ्य को चुनौती देने की बात कही गई है। इसके साथ ही आपत्ति का दूसरा आधार खण्ड 34 है जो माध्यस्थ अवार्ड को चुनौती के तरीके के बारे में है, जिसे अन्ततः पारित कर दिया गया है। मैंने यह बताया है कि ये दोनों उपबन्ध स्वतन्त्र उपबन्ध हैं।

खण्ड 13(5) में कहा गया है कि यदि हम किसी भी अध्ययन पर माध्यस्थ को चुनौती देंगे तो माध्यस्थता कार्यवाही तभी चलेगी जब वह चुनौती सफल नहीं होगी और अंत में माध्यस्थ अवार्ड को खण्ड 13(5) के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है। यह स्पष्ट कर दिया गया था। खण्ड 34 के अधीन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। अपत्ति 'केवल' शब्द पर उठाई गई थी जिसमें कहा गया है कि माध्यस्थता के विरूद्ध न्यायालय का सहारा उप-धारा (2) के अनुसार उक्त अवार्ड को रद्द कराने के लिये केवल आवेदन पत्र देकर ही लिया जा सकता है। 'केवल' शब्द स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप खण्ड 34 में उल्लिखित प्रक्रिया का ही सहारा ले सकते हैं तथा किसी अन्य तरीके का नहीं। इसका अर्थ यह है कि इसे चुनौती देने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता, इसे चुनौती देने के लिये इसके विरूद्ध रिट दायर नहीं की जा सकती और ऐसी किसी अन्य प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जा सकता जिसकी किसी अन्य प्रक्रियात्मक विधि के अन्तर्गत अनुमति हो। ऐसा खण्ड 34 के अन्तर्गत उपबन्ध के अनुसार आवेदन पत्र दायर करके ही किया जा सकता है। ये दोनों धाराएं अपने आप में पूरी हैं। इन दोनों को पढ़ने से यह साफ पता चलता है कि इन में कोई अस्पष्टता नहीं है। एक खण्ड दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है। किसी भी तरीके से इन दोनों खण्डों के कारण मध्यस्थ के समक्ष विवाद के किसी भी पक्ष के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरा यही विचार था और मैंने इसे ही सामने रखा और इसी पर दृढ़ भी रहा। परतु न्यायमूर्ति लोढाजी तथा माननीय श्री फर्नान्डीज इससे सहमत नहीं हुए और यहां तक कि उन्होंने मांग भी की थी कि महान्यायवादी को सदन में बुलया जाये और वे वक्तव्य दें।

आज सुबह मैंने महान्यायवादी से इस बारे में बातचीत की थी और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वे भी इस दृष्टिकोण से सहमत हैं जो मैंने कल रखा था और आज भी बैठक में सदस्यों को जिससे अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कहा है कि मान लिया जाये कि मैं गलत हूं, मान लिया जाये कि महान्यायवादी भी गलत है --क्योंकि अनन्ततः यह विचार ही तो हैं --और बाद में किसी कार्यवाही में यह पता चलता है कि अधिनियम में संशोधन की जरूरत है तब उस स्थिति कोई हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकता और मैं यहां पर आश्वासन देता हूं कि इस तरह का संशोधन सदन में पेश किया जायेगा। यदि सभा का सत्र चल रहा होगा तो हम संशोधन विधेयक पेश करेंगे और यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा होगा तो हम अध्यादेश प्रस्थापित करेंगे।

इस अवस्था में उस विधेयक को पारित करना जरूरी है क्योंकि राज्य सभा इस पर विचार कर चुकी है और इसे पारित कर चुकी है। यदि हम आज इसे पारित नहीं करते हैं तो यह राज्य सभा में वापस चला जायेगा। सत्र के इस भाग का आज आखिरी दिन है। अध्यादेश कुछ समय के बाद व्यपगत हो जायेगा। भारत में सैंकड़ों-हजारों मामले लम्बित हैं। यदि इसे पारित नहीं किया गया तो सभी याचिकाओं का भविष्य अधर में लटक जायेगा।

अतः मैं न्यायमूर्ति श्री लोढा तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा अन्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को आज पारित करने में सरकार से सहयोग करें ताकि शीघ्र ही यह कानून बन सके और समस्या हल हो सके। महोदय मैं मानवीय सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक पर कल हुई चर्चा के दौरान विद्वतापूर्ण ढंग से तर्क पेश किये गये मैं विशेष रूप से न्यायमूर्ति लोढा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विद्वतापूर्ण ढंग से उन्होंने कल इस पर बोलते हुए अपने बिचार व्यक्त किये। चर्चा के अंत में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूं और मैं समझता हूं कि मैं इस सदन के विद्वान साथियों के विचारों से सहमत हूं।

सभापति महोदय : श्री लोढा, मुझे विश्वास है कि आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

जस्टिस गुमान मल लोढा : जी हां, महोदय। मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा दिखाई गई उसी सह्रदयता तथा आदर की भावना के साथ कहूंगा क्योंकि उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया है कि यदि इसके दो संभव हैं तो एकरूपता लाने के लिये संशोधन पेश किया जायेगा। मैंने सुबह उनके साथ बात की थी। सामान्यता न्यायाधीश इसका अर्थ इस रूप में लेंगे कि धारा 34 के अधीन चुनौती का अधिकार दिया जा सके। परंतु यह कभी कभार ही होता है और यह स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में कानून बना दिया जायेगा। अतः हमें इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि महान्यायवादी से सलाह ली गई है।. जब कभी विसंगति हो या इस तरह की स्थिति पैदा हो जाये तो उनसे परामर्श लिया जाना चाहिये।

इस स्थिति में मामला हल हो जाने पर हमें इसे आगे नहीं खींचना है। हम माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को स्वीकार करते हैं।

मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है। वह संकल्प यह है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का मुख्य रूप से प्रायः दुरूपयोग किया जा रहा है और बिना किसी गंभीरता से किया जा रहा है और यह एक नित्यक्रम सा बन गया है। अतः इसकी निंदा करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में ग्यारह अध्यादेश जारी हुए हैं। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब माननीय विधि मंत्री और सरकार को, विशेष रूप से, विधि

मंत्री और श्री चिदम्बरम, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं और विख्यात न्यायविद्व हैं। यह पता होना चाहिये कि अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति की सीमाएं हैं। हम समझ सकते हैं कि राजनीतिज्ञ प्रायः ऐसा करते हैं। परंतु हर बार अध्यादेश के जारी किए जाने पर पहला, दूसरा, तीसरा अध्यादेश आता है और हमें बताया जाता है कि "देखें राज्य सभा का सत्र समाप्त हो रहा है और हमें जल्दी है और आप इसे पारित कर दें।"

महोदय, 15 या 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां आए प्रतिनिधि गूंगे एवं बहरे दर्शकों या एक रबड़ की मोहर मात्र नहीं हैं। वे अपने दिमाग की भी इस्तेमाल करते हैं। वे आपको कुछ सुझाव भी देते हैं। यह आप पर है कि आप उनको स्वीकार करें या न करें। परंतु उनको तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना हैं। यह संसद मुख्य रूप से विधायी सभा है। परंतु दुर्भाग्य से मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यद्यपि यह विधायी संस्था है, वास्तव में इसका 20 प्रतिशत समय ही इस काम के उपयोग में लाया जाता है। अन्य सभी बातों को महत्त्व दिया जा रहा है। विधेयक की धाराओं को पढ़ने, उनको समझने और पेचीदगियों को जानने में समय लगता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जाये।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा के दौरान न्यायपालिका के बारे में कुछ आक्षेप—मैं दोषारोपण शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा—लगाये गये। कहा गया, "लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं और वह मुकदमों का फैसला नहीं करते"। हमें मुकदमे बाजी की गंभीरता को समझना है। इस दृष्टि से विचार की जरूरत है और न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों का आधार ढांचा और बढ़ती मुकदमेबाजी से निपटने के लिये आवश्यक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि संविधान में अनुच्छेद 226 तथा 32 शामिल किये जाने से पहले रिट याचिका जैसे मुकदमे नहीं होते थे।

पहले केवल दीवानी मुकदमे, राजस्व मुकदमे व फौजदारी मुकदमे होते थे। अब मुकदमेबाजी का फैलाव इतना व्यापक एवं विशाल हो गया है कि सभी तरह के मुकदमे न्यायालयों के सामने आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी को बैंक में लॉकर नहीं मिलता तो वह उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर देता है कि उसे लॉकर मिलना चाहिये। वह यह भी दलील पेश करता है कि उसे बैंक द्वारा नियत कालिक जमाओं के लिये क्यों कहा जाये। इस तरह हर तरह के मामले न्यायालय में ले जाये जा रहे हैं। अतः हमें न्यायपालिका की आलोचना नहीं करनी चाहिये। आखिर यह एक निर्धन देश है और हम इस तरह का आधार ढांचा सहन नहीं कर सकते। शून्य काल के दौरान यह कहा जा रहा था कि हम एक स्वर्ण पदक भी हासिल नहीं कर सके हैं। खेलों में हमारी उपलब्धता शून्य है, मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हू कि मुकदमे बाजी की बाढ से निपटने के लिये न्यायपालिकाओं को भी संरक्षण, सहायता, वित्तीय आजादी और सरकारी सहायता की जरूरत है।

सभापति महोदय : इन सभी बातों पर भी चर्चा का अवसर आयेगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : ये किस चीज पर भाषण हो रहा है।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य अनुपस्थित थे क्योंकि उन को यह भी नहीं पता कि वाद विवाद के दौरान किस बात पर चर्चा हो रही थी। इस वाद विवाद में इसका उल्लेख हुआ था इसी कारण मैंने इसका उल्लेख किया है। अतः मेरा अनुरोध है कि जहां तक राष्ट्रीय विवादों का संबंध है, इस विधेयक की बात है, यह नई बोतल में वही पुरानी शराब है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंक इसमें उसी पुरानी प्रक्रिया का उल्लेख है अर्थात न्यायालय को निर्देशित करना, न्यायालय द्वारा आपत्तियां उठाया जाना। तब दीवानी न्यायालयों में अपील और उसके बाद उच्चतम न्यायालय को विशेष अपील का प्रावधान है। यही सब प्रक्रियाएं इसमें भी हैं। इनमें कोई कमी नहीं की गई है और फैसलों में वही समय लगेगा। परंतु फिर भी सुलह प्रक्रिया अच्छी है। मैं विधि मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सुलह प्रक्रिया का प्रावधान किया है। यह एक नई बात है और इस तरह की नवीनता की जरूरत है। इसी तरह जब मैं मुख्य न्यायाधीश था मैंने लोक अदालतों की प्रक्रिया लागू की थी। ये लोक अदालतें भी एक तरह से सुलह प्रक्रिया है मैं माननीय विधि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि एक सांविधिक संशोधन के जरिए निचली अदालतों में भी इस प्रक्रिया को लागू किया जाये ताकि इन सुलह प्रक्रियाओं के जरिए हम मुकदमों को निपटा सकें। ये विवाद किसी इलाके के इज्जतदार लोग मिल जुलकर बैठकर हल कर सकें और साक्ष्य लेने, न्यायालय द्वारा जाच, जिरह आदि जैसी तकनीकी बातों को छोड़ा जा सके। अतः यदि लोक अदालत की कल्पना को लागू किया जाये तो यह अच्छी बात होगी।

मैं सुलह की भावना की बहुत सराहना करता हूं। मैं इस संदर्भ में अपने संकल्प को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति मांगता हूं

सभापति महोदय: क्या जस्टिस गुमानमल लोढा को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना हैं कल चर्चा के दौरान मुझ से उन देशों की सख्या पूछी गई थी जिन्होंने इस कानून को अपनाया है। आरभ मे जो जानकारी मैंने दी थी, बाद में मुझे उस में सुधार करना पडा था। परतु आज मुझे फिर से उस वक्तव्य में शुद्धि करनी है जो मैंने दिया था क्योंकि हमने स्वयं संयुक्त राष्ट्र से कुछ जानकारी हासिल की है। इसमें बताया गया है कि इसे अपनाने वाले देशों की सख्या 40 नहीं है जैसा कि बताया गया था। ऐसे देशो की सख्या कम है।

इस बारे में आस्ट्रेलिया, बहरीन, बरमूडा, बुल्गारिया, कनाडा संघीय संसद तथा प्रांतों की विधानसभाओं में साईप्रस, मिश्र, फिनलैण्ड, अमेरिका, हांग कांग, हंगरी, भारत जैसे देशों की विधान सभाओं ने पारित किए हैं। भारत के नाम का उल्लेख इस कारण किया गया, क्योंकि हमारे द्वारा अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त केन्या, माल्टा, मैक्सिको, नाईजीरिया, पेरू, रूस फेडरेशन, स्काटलैण्ड, सिंगापुर, श्री लंका, टयूनीशिया, उक्रेन और अमरिका के भीतर केलीफोर्निया, कनैक्टीकट, ओटेगांम तथा रेक्सास प्रांतों ने भी इसे अपनाया है।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य वक्तव्य है जो समिति को दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि यू एन.सी.आई.टी.आर.ए. एक आदर्श कानून के आधार पर आस्ट्रेलिया, बहरीन, बरमूडा, बुल्गारिया, कनाडा (संघीय संसद एवं सभी प्रांतों की विधान-सभाओं के द्वारा), साइप्रस, मिस्र, फिनलैण्ड, हांगकांग, हंगरी, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, रूस फेडरेशन, स्काटलैण्ड, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के केलीफोर्निया, कनैक्टीकट, ओटेगांव तथा टैक्सास प्रांतों ने कानून पारित किये हैं। यह भी बताया गया है कि चिली, जर्मनी, केन्या, माल्टा न्यूजीलैण्ड तथा जिम्बाब्वे सहित अन्य अनेक देश भी ऐसा कानून बनाने पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न उन देशों के बारे में था जिन्होंने अपने घरेलू सुलह तथा मध्यस्थ प्रक्रियाओं के लिये इस आर्दश कानून को अपनाया है। मेरे पास स्वीडन के मध्यस्थता अधिनियम का प्रारूप है जिसमें पृष्ठ सात पर कहा गया है कि यह अधिनियम घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थताओं पर एक समान लागू होगा। इसी तरह मेरे पास नीदरलैण्ड के अधिनियम की प्रति है उसके पृष्ठ एक पर कहा गया है कि डच विधानसभा ने अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिये अलग कानून बनाना जरूरी नहीं समझा और यह समझा गया कि घरेलू मध्यस्थता के लिये सोच समझ कर बनाया गया कानून अन्तर्राष्ट्रीय अध्यस्थता के मामलो के लिये भी उपयुक्त होगा। अतः उन्होंने घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिये एक ही कानून बनाया है।

मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हू और अपने पहले दिये गये वक्तव्य में यह शुद्धियों भी करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देशीय माध्यस्थम् और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, जिनके अंतर्गत विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों का प्रवर्तन भी है, से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2 से 33

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 से 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 33 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला क्या आप खंड 34 पर अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : (पून्नाकी) महोदय माननीय मंत्री के विचारों का सम्मान करते हुए मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता ?

श्री रमाकांत डी. खलप : मैं बनातवाला का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34 से 86 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 से 86 कि विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है"

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र, विधेयक की प्रस्तावन और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, विधेयक की प्रस्तावना, विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिये गये।

श्री रमाकांत डी. खलप : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 2.10

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996

और

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 22 और 23 लेंगे।

सभा अब कर्मचारी भविश्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1996 राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार करेगी।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड 3 के अनुसरण में लोग सभा को राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा अनुपस्थित
श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं सरकार की अध्यादेश निकालने की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू यदि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं एम्पलाईज प्रोवडेंट फंड्स एड मिसलेनियस प्रोवीजन्स (अमेंडमेंट) बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू, वे स्पष्ट रूप से समझ लें कि मैं सिर्फ इस सरकार की अध्यादेश निकालने की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए खडा हुआ हू। यदि सरकार अध्यादेश निकालना छोड दे तो मैं विरोध करना छोड़ दूंगा। इस सत्र में कुल मिलाकर 11 अध्यादेश निकाले गए हैं-एक के बाद एक - कोई लोक सभा में चला गया, कोई राज्य सभा में अटक गया या लोक सभा में नहीं आ सका। मेरा निवेदन है कि सरकार को अध्यादेश उस समय निकालना चाहिए जब अति आवश्यक हो। बार-बार महामहिम राष्ट्रपति जी को कष्ट नही दिया जाना चाहिए। आप बार-बार उनके पास पहुंच जाते है और कहते हैं कि इस समय देश में आपत्कालीन स्थिति है, बडा सकट है, इस समय अध्यादेश निकालना बहुत जरूरी है और उनसे दस्तखत करा लेते हैं। मैं समझता हू कि इस तरह आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अधिकारों का प्रयोग करने के स्थान पर दुरूपयोग कर रहे हैं। इसलिए मै इस सरकार के बार-बार अध्यादेश निकालने की प्रवृत्ति का विरोध कर रहा हूं।

मंत्री जी, पहले आप हममें से एक थे और इधर ही बैठा करते थे लेकिन आज यहां से टूटकर वहां चले गए हैं इसलिए क्यों अपने को बदनाम कराते हो। थोडे दिनों बाद आपको फिर से इधर आना पडेगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह जे.डी. की सरकार है जिसका मतलब है जुलाई से दिसम्बर और नए वर्ष में आपको इधर ही आकर बैठना पड़ेगा। यहां आकर फिर आपको मेरी तरह सरकार की आलोचना करनी पडेगी कि सरकार अध्यादेश न निकाले। इसलिए मैं आपके हित मे सलाह दे रहा हू...(**व्यवधान**) जब हम उधर बैठेंगे तो पक्की तौर से बैठेंगे और जिन्दगीभर आपको वहां नहीं आने देंगे। इसलिये जितने दिन आप वहां बैठे हो, वह आपके लिए स्वर्ण अवसर है।

हम देखते हैं कि दिन में आप सरकार का विरोध भी करते हो, जीरो ऑवर में सरकार की सिंचाई भी करते हो लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है। सरकार के 13 बेटों में से अगर दो-चार बेटे भी टूट गए तो फिर चुनाव होंगे और चुनावों में आप फिर से नहीं आ पाओगे। इसलिये आपकी मजबूरी है कि चुप रहो। आप सरकार के विरोध का मजा भी लेना चाहते हो और आलोचना करने का आनन्द भी लेना चाहते हो। आप लड्डू भी खाना चाहते हो और विरोध भी करना चाहते हो, दोनों काम साथ साथ चलाना चाहते हो। लेकिन दुनिया इस बात को अच्छी तरह समझती है कि आप दोनों काम साथ-साथ कर रहे हो।

मैं मूलतः इस सरकार की अध्यादेश निकालने वाली प्रवृत्ति का विरोध करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि जो मेरे साथी यहां से टूटकर सरकार में गए हैं, कम से कम वे ऐसी गलती न करें और सीधे सदन में बिल लाएं। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को निश्चित रूप से मानेगी।

जहां तक बिल का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि सरकार एक अच्छी पेंशन योजना सदन में लाई है और प्रथम बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। और प्रथम बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह इन्होंने नहीं किया है, बल्कि यह बिल कांग्रेस सरकार के जो पूर्व श्रम मंत्री थे वे लाए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि सारी ट्रेड यूनियंस एक हो जाएं तो वे इस बिल को लाएंगे, वरना वे इस बिला को नहीं लाएंगे। यह धौंस उन्होंने ट्रेड यूनियंस को दी थी। लेकिन वह बिल अध्यादेश के माध्यम से आ गया। लेकिन इसका श्रेय भी उनके भाग्य में नहीं था और इसका श्रेय आप ले गए।

गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन योजना चालू की गई है इसमें भी विवाद है। ट्रेड यूनियंस और सरकार के बीच तो विवाद है ही, दुर्भाग्य से ट्रेड यूनियंस के बीच भी मतभेद हैं। जो नई योजना है इसमें यह कहा गया है कि जो प्रोविडेंट फंड है उसमें से दो टुकडे कर लिए जाएंगे। उसमें से एक राशि को लेकर जमा करेंगे और उसके बाद उसको पेशन के रूप में ये लोगो को देंगे। मेरी मांग है कि इसमें ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए और उस ट्रस्ट मे वह रकम जमा हो तथा उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो योजना सही रूप से चल पाएगी. वरना लोगों को इसके बारे मे सशय है।

आपने जो ऑर्डिनेंस निकाला उसका लाभ हुआ या नहीं हुआ, ट्रेड यूनियंस को पता हुआ या नहीं, उनको आप समझा पाए या नही, यह माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बताएं। लेकिन कई लोगों का एक सुझाव था कि जो मजदूर स्वैच्छिक रूप से इस योजना में शामिल होना चाहें वे शामिल हों। यानी यह कंपलसरी न हो, यह मजदूरों की मांग रही है। इस संबंध में भी मंत्री जी को बताना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा समर्थित एक ट्रेड यूनियन है जिसे इंटक के नाम से जाना जाता है। उसने भी इसका मजबूरी में ही समर्थन किया है। इंटक के मन में भी सुगबगाहट है कि कहीं यह योजना उसके लिए "कंटक"

न बन जाए। इसलिए इंटक भी संशय में पड़ी हुई है।

सरकार ने इस बिल में तीन तरह की पेंशन की बात कही है। पहली सुपरएनुएशन पेंशन की बात है। उसमें जो कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा की सेवा के बाद 58 साल में रिटायर होगा उसको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। दूसरी, जिसे रिटायरमेंट पेंशन कहा गया है उसमें कर्मचारी 20 साल या ज्यादा वर्ष की सेवा या 58 वर्ष की आयु से पहले रिटायर होता है और नौकरी छोड देता है उनको इसका लाभ होगा। तीसरी पेंशन में वे कर्मचारी आएंगे जो 10 साल या 20 साल से पेंशन के बिना सेवा कर चुके हैं। उन्हें शॉर्ट पेंशन कहा जाएगा। इस प्रकार ये तीन तरह की पेंशन का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले संसद की स्थाई समिति के पास यह बिल गया था। लेकिन उसकी रिपोर्ट आई नहीं, यह मालूम ही नहीं है कि उसने क्या-क्या सुझाव दिए और आप यह बिल ले आए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि असंगठित मजदूरों को पेंशन का लालच देकर अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी घोषणा कर उनके वोट प्राप्त करेंगे। लेकिन वोट प्राप्त करने का लाभ उनको नहीं मिल पाया और सरकार ने जो जल्दी करने का प्रयास किया था वह फैल हो गया। लेकिन आज भी लोगों के मन में इस सारी बात की शंका है। उनको शंका इस बात की है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं पैसा हजम तो नही हो जाएगा। इसलिए इन जारी बातो पर विचार करके कोई निर्णय करना चाहिए। नई सरकार ने अपने मिनिमम प्रोग्राम में मजदूरों के हित की बात कही है। ये तो कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के "गोद के बेटे" हैं।

महोदय, ये एक प्रकार से गोद लिए हुए बेटे हैं। इनके पूर्वज अब इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड गए हैं। इसलिए ये इसमें जल्दबाजी न करें। जो हमारे नेता लोग बोलेंगे, उन सबके आदेश से मैं इतनी बात कह सकता हूं कर्मचारी भविष्य निधि, जो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना रखी गई है, चाहे सरकार और ट्रेड यूनियनो के बीच मे हो या ट्रेड यूनियनो के बीच में आपस में झगडा हुआ हो, मगर भावनात्मक रूप से यह योजना अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईमानदारी से असंगठित मजदूरों को लाभ पहुंचे और कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उन सब को लाभ पहुंचे, इस पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, यदि माननीय मंत्री महोदय, मुझे आगे अध्यादेश न लाने की बात से संतुष्ट कर दें और कह दें कि हमारे पूर्वज जो अध्यादेश लाए वे लाए, लेकिन हम सौगंध खाते है कि हम अध्यादेश नही लाएंगे, तो मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार करूगा। मुझे यदि मंत्री महोदय यह विश्वास दिला दें कि वे और उनकी सरकार देश और मजदूरों के हित के लिए काम करेगी, तो मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

महोदय मैं अपने मित्र श्री भार्गव, जिन्होंने अध्यादेश जारी किये जाने का मामला उठाया, को संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं। उनको मालूम है कि संसद के सत्र में न होने के समय सार्वजनिक हित के तत्काल मामलों के बारे में और जब वह मामले और लम्बित नहीं रखे जा सकते, मंत्री-परिषद की सलाह पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किये जाते हैं। इसका बहुत कम उपयोग दिया जाता है।'

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय यह नियम 110 के अधीन है। यह सच है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश के लिये अपनी सहमति दी थी। परंतु स्वयं मजदूर संघों में इस मामले में मतभेद हैं और मजदूर संघों में इस विधेयक के बारे में सर्वसम्मति नहीं है।

महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और यह है कि सरकार इस विधेयक को नियम 110 के अधीन वापस ले सकती है। सरकार को इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहियें क्योंकि कुल विकल्प निकल सकते हैं। महोदय इसे अनिवार्य नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय : इसमें कुछ शर्तें हैं इन्हे जिस शर्त का आप उल्लेख कर रहे हैं वह वैध नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि अध्यक्ष पीठ विचार करे तो नियम 110 के अन्तर्गत एक उपबंध है।

सभापति महोदय : ऐसी कोई शर्त नहीं है।

खैर मंत्री महोदय आप जारी रखें।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, जैसा कि के माननीय सदस्य जानते हैं की सभी भविष्य निधियां और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियो के लाभ के लिये अनिवार्य भविष्य निधि और डिपाजिट से जुडी बीमा निधि शुरू करने का उपबन्ध है। ये योजनाए आय का मुख्य स्रोत है, श्रमिको को वृद्धावस्था मे और उनकी असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों तथा आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमारी भविष्य निधि योजना विश्व में सब से बडी योजना है, क्योंकि इसके अधीन सबसे अधिक लोग आते हैं और 20 अथवा इससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले अन्य प्रतिष्ठान

इसके अन्तर्गत हैं। 31 मार्च, 1996 के दिन कुल 2.64 लाख प्रतिष्ठान इसके अन्तर्गत थे और इसमें पैसा देने वालों की संख्या 195 लाख थी।

अपराह्न 2.24

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, परिवार पेन्शन योजना सन 1971 में लागू की गई थी। परंतु इस में कमियां पाई गई हैं क्योंकि इस में निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

(एक)अधिवर्णिता प्राप्त करने पर अथवा सेवा-निवृति पर सदस्य की पेन्शन;

(दो) अधिवर्णिता अथवा सेवा निवृति के पश्चात मृत्यु हो जाने पर परिवार को पेन्शन :

(तीन) स्थायी रूप से पूरी विकलांगता होने पर पेन्शन; और

(चार) बच्चों/अनाथों की पेंशन। इसमें बच्चों या अनाथों के लिये पेंशन का कोई प्राव्धान नहीं है।

महोदय, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का मुख्य प्रयास अधिक से अधिक लोगों को इसके अन्तर्गत लाना, लाभों में सुधार करना और अभिदाताओं को तुरंत सेवाएं मुहैया कराना रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारी भविष्य विधि अभिदाताओ के लिये उपयुक्त पेन्शन योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। समिति ने दिसम्बर 1980 में अपना प्रतिवेदन दे दिया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने योजना को मंजूरी दे दी और स्वीकृति हेतु इसकी केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर दी। केन्द्रीय सरकार के श्रमजीवी वर्ग की जरूरतों और आकंक्षाओं को ध्यान मे रखते हुए प्रस्ताव की जाच की और केन्द्रीय सरकार को कर्मचारी पेन्शन योजना तैयार करने हेतु शक्तियां देने के प्रयोजन के लिये कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया। इस संबंध में आवश्यक संशोधन विधेयक 21 मार्च, 1993 को राज्य सभा में पुरः स्थापित कर दिया गया। विधेयक तीन साल से अधिक समय से उस सभा मे लम्बित रहा है। इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदाय करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या पेन्शन के लाभ के बिना सेवा निवृत हो रहे हैं। विभिन्न पक्षों से पेन्शन योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये अभ्यावेदन मिले। श्रमजीवी लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और मामले में हो रही अवधि को देखते हुए राष्ट्रपति ने सहर्ष 17 अक्तूबर, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1993 के उपबन्धों को इन्हीं सरकारी संशोधनों के साथ प्रभावी बनाने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, अध्यादेश के द्वारा यथा सशोधित, के अन्तर्गत सरकार ने 16 नवम्बर, 1995 से कार्यान्वित करने के लिये कर्मचारी पेन्शन योजना तैयार एवं अधिसूचित कर दी। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित उपबन्ध हैं :

आंशिक देय पेन्शन

(क) अधिवर्णिता/सेवा निवृत होने पर सदस्य को

(ख) स्थायी रूप से पूरी तरह अक्षम होने पर सदस्य को : और

(ग) (बच्चों सहित) परिवार को :

(एक) सेवा काल के दौरान सदस्य की मृत्यु पर

(दो) अधिवर्णिता/सेवानिवृति के पश्चात सदस्य की मृत्यु; और

(तीन) स्थायी रूप से पूरी तरह अक्षम हो जाने के पश्चात सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में

कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को अथवा नियोक्ता को पेन्शन कोष के लिये किसी अतिरिक्त अंशदान करने की जरूरत नहीं है। पेन्शन निधि का गठन परिवार पेन्शन निधि के पैसे तथा 16.11.95 से अभिदाता के वेतन से काटे गये भविष्यनिधि अंशदान के 8.33 प्रतिशत हिस्से के नियोजन के हिस्से की राशि को अपवर्तित करके किया गया है और नियोजक का शेष हिस्सा भविष्य निधि अंश का हिस्सा रहेगा। कर्मचारी इस निधि में से उसी तरह से अग्रिम ले सकते हैं जिस तरह वह अब ले सकते हैं। इस तरह कर्मचारी को अपनी वास्तविक जरूरतों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि से प्रत्याहरण के लिये वर्तमान योजना में कोई बदलाव नहीं है।

पेन्शन हेतु पात्र बनने के लिये कम से कम 10 वर्ष की सेवा होना जरूरी है। पेन्शन योजना वर्तमान परिवार पेन्शन योजना के सभी सदस्यों के लिये अनिवार्य है। जो कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना के सदस्य नहीं हैं उनको भी नई पेन्शन योजना में शामिल होने का विकल्प हासिल है। परिवार पेन्शन योजना 1971 को उसकी अगत्तियों के साथ नई पेन्शन योजना में विलय कर दिया गया है परंतु परिवार पेन्शन योजना के लाभार्थियों को नई पेन्शन योजना से अपने लाभ मिलते रहेंगे।

कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में देय पेन्शन की राशि सदस्य के पेन्शन योग्य वेतन तथा उसकी पेन्शन योग्य सेवा के आधार पर हर मामले में अलग अलग होगी। 33 साल की अंशदायी सेवा के साथ सामान्य अधिवर्णिता पेन्शन पेन्शनयोग्य वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

नई पेन्शन योजना की आरंभ में आत्म-निर्भर योजना के रूप में कल्पना की गई थी। तथापि के मजदूर यूनियनों की मांग पर सरकार ने भी मजूरी के 1.16 प्रतिशत की दर पर योजना के लिये अंशदान देना स्वीकार कर लिया है।

ई.डी.एल.आई. योजना 1976 वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगी। तथापि योजना में केन्द्रीय सरकार के अंशदान को, जो लगभग 30 करोड़ रु. बैठता है, बन्द करने का विचार है क्योंकि ई.डी.एल. आई. निधि में पर्याप्त पैसा है और यह अपने में सक्षम है।

केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे प्रतिष्ठान अथवा किसी प्रतिष्ठान वर्ग को इस योजना को अपनाने से छूट दे सकती है, जिसके कर्मचारी किसी ऐसी पेन्शन योजना के लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो कर्मचारी भविष्य

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत तैयार की गई पेन्शन योजना के बराबर अथवा उससे बेहतर हैं।

विधेयक के उपबन्ध और योजना की संसद की श्रय एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच कर ली गई है और उसने किन्हीं सिफारिशों के अध्यधीन, इस जिनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है और योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, इसे मंजूरी दे दी है।

योजना को पुनःस्थापित किये जाने तथा उसके बाद केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ विस्तृत बातचीत की गई है और उनके द्वारा दिये गये अधिकतर सुझावों को स्वीकार किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे। हमें 2.30 बजे अपराह्न कार्यसूची की अगली मद को लेना है।

श्री एम. अरुणाचलम् : केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत के आधार पर जो महत्त्वपूर्ण सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए हैं उनमें पेन्शन के राशिकरण की सुविधा, लिंगभेद के बिना बच्चों को पेन्शन की एक समान हकदारिता, पेन्शन निधि के वार्णिक मूल्यांकन का उपबन्ध और नियोजक की भविष्य निधि अंशदान में चूक होने पर भी पेन्शन की गारंटी शुदा अदायगी....**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्यों ने अधिनियम के लिये संशोधन की सूचनाएं दी हैं। तथापि, इस तथ्य के मद्देनजर की यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना, 1971 के सदस्य थे, व्यक्तिगत रूप से विकल्प देना संभव नहीं पाया गया है। **(व्यवधान)**

सदस्यों को व्यक्तिगत विकल्प देने के सुझाव की जांच कर ली गई है। तथापि, निम्नलिखित के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से विकल्प दिया जाना संभव नहीं पाया गया है।

यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो कर्मचारी पेन्शन योजना 1971 के सदस्य थे... **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनें। जो लाभ उनको कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना के अन्तर्गत मिल रहे थे वे इस नई योजना के अधीन भी उनको दिये जा रहे हैं। अतः यह जरूरी है कि उनको नई योजना के अन्तर्गत भी लाया जाये। पेन्शन योजना को सक्षम बनाने के लिये यह जरूरी है कि पेन्शन निधि के अंशदान के बारे में कुछ निश्चितता हो। यदि व्यक्तिगत विकल्प दिये जायें तो जीवनाकिक परिकलन संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि उस स्थिति मे निश्चितता नहीं होगी। व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामूहिकता सामाजिक सुरक्षा का मूल तत्व है। इस भावना के अनुसार योजना में प्रतिष्ठानों को छूट देने का प्रावधान किया गया है यदि उनकी कोई अपनी तुलनीय अथवा बेहतर पेंशन योजना है।

इसी प्रकार पेंशन संबंधी लाभो को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने संबंधी सुझाव को भी निम्नलिखित कारणो से व्यवहारिक नहीं पाया गया। पेंशन योजना अंशदायी योजना है और इस तरह की अंशदायी योजना को सीमा रहित सूचकांक से जोडना संभव नहीं। पेशन में समय-समय पर वृद्धि तभी संभव हो सकेगी यदि निधि की स्थिति इसकी अनुमति दे। योजना में, जिस रूप में उसे आरंभ में अधिसूचित किया था, तीन वर्षों के अन्तराल पर पेंशन निधि के मूल्यांकन की व्यवस्था थी। केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की मांग पर सरकार वार्षिक आधार पर पेंशन निधि का मूल्यांकन करने तथा पेंशन संबंधी सभी लाभों का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण करने का निर्णय कर चुकी है। निधि की स्थिति ने यदि अनुमति दी तो कर्मचारियों को पेंशन में हर साल कुछ वृद्धि मिलती रहेगी।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं योजना को अधिसूचित किया जा चुका है और इसे 16 नवम्बर, 1995 से कार्यान्वित भी किया जा चुका है। अध्यादेश को प्रख्यापित किये जाने से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 प्रभावी नहीं रही है और लगभग 15 लाख परिवारों को पेंशन संबंधी जो लाभ पहले कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत मिल रहे थे अब पेंशन निधि में से दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप इनमें से कुछ बातों का उल्लेख चर्चा के अंत में उत्तर के रूप में कर सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, व्यक्तिगत अधिकारों को दबाया नहीं जा सकता। कोई न कोई विकल्प होना चाहिये। मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह विधेयक खराब है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने विधेयक पर चर्चा आरंभ नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मेरा विचार है कि आप गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त होने के बाद 6.00 बजे फिर शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आज आखरी दिन है। नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं। इसके लिये बहुत से सदस्यों ने विरोध किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, अध्यादेश व्यवगत हो जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप देखें इस पर कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक मे विचार किया गया था। वास्तव में उस बैठक में यह सहमति हुई थी कि जहा तक सभव हो सकेगा हमें उसे बिना चर्चा के पारित करना होगा।

परंतु तब श्री सोमनाथ चटर्जी ने अनुरोध किया कि अपने दल की ओर से वे इस विधेयक पर पंद्रह मिनट बोलना चाहेंगे। यह सहमति हुई थी...

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : परंतु यह 6.00 बजे के बाद नहीं होना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : परंतु यदि हमने इसे आज पारित नहीं किया तो यह अध्यादेश व्यपगत हो जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक, कृपया इस मामले में सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप एक और अध्यादेश जारी कर सकते हैं इसमें क्या है ? पहले भी चार बार अध्यादेश जारी किया जा चुका है। एक बार और जारी किया जा सकता है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा द्वारा इसे पारित किया जा चुका है। अतः एक और अध्यादेश जारी करना उचित नहीं होगा।

श्री राम नाईक : सरकार को यह विधेयक समय रहते लाना चाहिये था। किसी को भी वंचित नहीं किया जा रहा है। आप एक और अध्यादेश ला सकते हैं। आप कैसे यह उम्मीद करते हैं कि चर्चा के बिना इसे पारित कर दिया जायेगा ? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने कहने के उस अधिकार को हम कैसे छोड़ सकते हैं। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : हमने राज्य सभा में इस पर चर्चा की है। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सिवाय सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण भिन्न था। इसी कारण उन्होंने कहा कि वे केवल 15 मिनट के लिये बोलेंगे... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमारा मुद्दा एकदम स्पष्ट है। कर्मचारी इस विकल्प की मांग कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दास मुंशी (हावड़ा) : यदि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) इसका समर्थन नहीं करती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल भरतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य ही 15 मिनट के लिये बोलेंगे तथा अन्य इस विधेयक पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे।... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं महोदय, मेरे विचार से मैं गलती पर था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस पर चर्चा नहीं हुई। केवल मात्र समस्या यह है कि यदि विधेयक आज ही पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश व्यपगत हो जायेगा। एक अन्य अध्यादेश प्रख्यापित करना ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य सभा इसे पारित कर चुकी है। यह ठीक नहीं होगा...

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : परंतु सरकार इस ढंग से काम कर रही है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, चूंकि मैं श्रम मंत्री रह चुका हूं मैं इस विधेयक के बारे में काफी कुछ जानता हूं। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि कई सालों तक इस पर सम्बद्ध पार्टियों के साथ लगभग 1000 घंटों तक चर्चा हुई थी। यह विधेयक एटक के नेता की अध्यक्षता वाली त्रि-पक्षीय समिति के द्वारा तैयार किया गया है। जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था इस पर कुछ आपत्तियां थीं। अतः हमने सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। सभी राजनैतिक दलों ने सर्व सम्मति से सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव रखे थे। हमने इनको स्वीकार कर लिया और इसमें संशोधन किया। इस तरह इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है।

परंतु सभा को इस पर अनिवार्य रूप से चर्चा करनी चाहिये ! मैं जानता हूं कि सदन को इस पर चर्चा करनी चाहिये ! परंतु इस पर चर्चा 6 बजे के लगभग की जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : ये इसके पहले भी आर्डिनेंस लाये थे, तब विपक्ष के लोगों ने भी कहा था कि जल्दी में यह आर्डिनेंस लाया गया है। इससे मजदूरों को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इस पर सब लोगो को टाइम मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री जार्ज फर्नान्डीज बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : 17 अक्टूबर, 1995 से आर्डिनेंस ज़ारी हुए हैं। दो बार आर्डिनेंस लैप्स हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आज चर्चा पूरी करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा पर्याप्त होगा। मैं समझता हूं कि 6.00 बजे या सात बजे का समय ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और कोई विधेयक नहीं लिया जायेगा। केवल यही विधेयक लिया जायेगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपका सुझाव है कि विधेयक की प्रवर समिति को भंग किया जाये... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उस बारे में हम सहमत हो चुके हैं। उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। सभा के इच्छानुसार इसमें एक मिनट का समय लगेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक आस्थगित कर दिया जायेगा। विधि मंत्री पहले ही इसे आस्थगित करने की सूचना दे चुके हैं। और अनुसूचित जनजाति विधेयक के बारे में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं सरकार उन पर विचार करने को सहमत होगी।

श्री राम नाईक : मेरे विचार से मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिये। जब माननीय सदस्य ने पूछा तो यह कहा गया कि कोई अन्य विधेयक चर्चा के लिये नहीं लिया जायेगा और केवल पेन्शन विधेयक ही लिया जायेगा। वह कह रहे हैं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक भी लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि सदन की इच्छा मानी जायेगी। संशोधनों की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजनैतिक दलों के सभी सदस्य इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। वह इस से सहमत होंगे।

श्री राम नाईक : वह अध्यादेश था। जब वह अध्यादेश प्रवर समिति को भेजा जा सकता है तो इस विधेयक के बारे में जिद क्यों की जा रही है ? हम इसे समझने में असमर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अभी आपने यह बात कही कि एक हजार लोगों के साथ आपने बातचीत की है, ट्रेड यूनियनों से, सब के साथ बातचीत की है तो सिर्फ एक घंटे में हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं ? यह कैसे हो सकता है, कैसे पोसिबल है ? अगर इस पर एक-एक मैम्बर बोले तो एक-एक घंटे बात कर सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 180 लाख कामगारों को पेन्शन मिलने जा रही हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : आप व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि को 6 बजे ले सकते हैं। इस चर्चा को अभी जारी रखें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं इस पर चर्चा हो चुकी है। हम अब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि लेंगे। कार्यसूची में इसके लिये और 2½ घंटे का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण हमें अब समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

अपराह्न 2.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (सीटीबीटी) के बारे में भारत की स्थिति

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, परसों इस पर बहस शुरू हुई थी और मुझे अफसोस है कि इस बहस में जिस प्रकार की गम्भीरता रहनी चाहिए, वह गम्भीरता यह सदन ला नहीं पाया।

परसों बहस शुरू करते समय मंत्री जी ने अपने बयान को जब सदन के सामने रखा था, तब उन्होंने जकार्ता में जिन-जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, उनके नाम लिये थे। उनमें से एक व्यक्ति अमेरिका के विदेश मंत्री वारेन क्रिस्टोफर थे। हमारे विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि उनकी उनसे क्या बातचीत हुई थी, लेकिन जो भी उनसे बातचीत हुई हो, आज के समाचार से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमारे विदेश मंत्री का अमेरिकी विदेशी मंत्री की सोच पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा।

कल अमेरिका में सीनेट के सामने या कांग्रेस के सामने या जोइंट कमेटी के सामने अपनी बात को रखते हुए वारेन क्रिस्टोफर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो इस देश को बर्दाश्त करना संभव नहीं हैं। वे यह बोले हैं :

[अनुवाद]

"भारत एक मात्र ऐसा देश है जो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए टाइम-टेबल की मांग करके समस्याएं पैदा कर रहा है"

[हिन्दी]

यानि यह मांग करना कि विश्व में अणु शक्ति प्रयोग के बारे में पाबन्दी लगाने के लिए हम आगे बढ़े और सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण करें, तो उनका कहना है कि भारत की तरफ से समस्याओं का निर्माण किया जा रहा है। मगर इससे अगर जाकर वह और मजबूती से हम लोगों को डांट रहे हैं:

[अनुवाद]

"संयुक्त राज्य अमरीका का भी यह पक्का निश्चय है कि किसी एक राष्ट्र को..."

[हिन्दी]

यानि भारत, यहां पर और किसी देश की बात नहीं है।

[अनुवाद]

"परमाणु परीक्षण सन्धि पर सहमति में बाधक नहीं बनने देंगे और सितम्बर में सभी राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिये इसे रखेंगे"

[हिन्दी]

तो सीधी धमकी है कि हम भारत को यह कदम उठाने नहीं देंगे। आगे उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें से एक बात को दोहराना जरूरी है। मैं सारी बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता। वह यह बोलते हैं :

[अनुवाद]

"परमाणु, हथियार समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने की भारत की मांग व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि अमरीका उसे स्वीकार नहीं कर सकता।"

तो अगर किसी कालबद्धता के लिए अमेरिका आज इस मामले पर तैयार न हो तो फिर एक कम्प्रीहैंसिव टैस्ट बैन ट्रीटी का कोई अर्थ नहीं रहता है, जो बात मैंने परसों अपनी बात को शुरू करते समय कही थी। दो-तीन बातें अभी बहुत स्पष्ट हैं। तो अमरीका स्वयं मानता है कि हिन्दुस्तान चाहता है कि टोटल न्युक्लियर डिसार्मामेंट हो। लेकिन वह यह भी बोलता है कि हम भारत को इस दिशा में कोई पहल नहीं करने देंगे, जिससे हमें हर चीज को करने के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रूकावट आए। अगर भारत इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए पहल करे जिसमें इस सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करें, क्योंकि पहले से इस डिसार्मामेंट कांफ्रेंस में यह बात आई थी, उसके नियम में भी था कि अगर कोई भी एक राष्ट्र इसका विरोध करता है, यदि वह उसमें शामिल है, तो इस पर हस्ताक्षर नहीं होगा। आज उसे पता चला है कि इससे हटकर हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उसे हम सबक सिखा सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं और एक बात हम लोगों को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि सी.टी.बी.टी. में पांच राष्ट्रों के हाथों में अणु-शस्त्र हैं। उनके हाथों में वह बनाए रखने का और उसके साथ अमरीका का इसमें सबसे अधिक महत्त्व है, तो इसके महत्त्व को हमेशा के लिए बनाए रखने के एक साधन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है।

इसका दूसरा उद्देश्य है कि मात्र तीन राष्ट्र इसकी नजर में आते हैं, क्योंकि 175 राष्ट्रों ने कहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अनेक राष्ट्रों के लिए इसकी चर्चा करना भी सम्भव नहीं है। लगभग आधे ऐसे राष्ट्र हैं, जिनकी आबादी और साधनों के चलते उसमें कोई ठोस कदम इस दिशा में उठाना उनके लिए सम्भव नहीं है। लेकिन जब एन.पी.टी. पर दस्तखत करके उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए पिछले साल एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सहमति होने के बाद इन 175 राष्ट्रों का कोई सवाल नहीं आता। तीन राष्ट्र बच जाते हैं, जिनमें इस्राइल है, पाकिस्तान है और भारत है। इस्राइल की स्थिति यह है कि 1995 की सिप्रिका की रिपोर्ट, जो अभी-अभी आई है, वह बताती है कि इस्राइल के पास 100 से कुछ कम अणुबम आज की तारीख में हैं। लेकिन उसके हाथों में बम रहे या न रहे, उसका अमरीका के साथ जो रिश्ता रहा है, वह आज का नहीं है, वह 1945 से लेकर आज तक का है। उस रिश्ते को देखते हुए इस्राइल क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, पाकिस्तान की चीन हर तरह से मदद कर रहा है। वह खुलेआम नहीं कर रहा है, छिपकर कर रहा है, पकड़े जाने पर भी कर रहा है। अनेक तौर-तरीकों को अपनाकर पाकिस्तान को अणु क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में चीन ने पहल की है। हम जानना चाहते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है ? यह प्रश्न हिन्दुस्तान अपने से नहीं पूछे और उसका जवाब देने के लिए वह तैयार नहीं होगा, तो बहुत खतरनाक मोड़ पर जाकर हम खड़े हो जाएंगे।

आज के दिन हमें जो चिंता है, वह यह है कि यह सारी शक्ति अमरीका के इस्तेमाल में आ रही है। विश्व के मंच पर और उस सम्मेलन के मंच पर वह केवल एक राष्ट्र को निशाना बना रहा है, भारत को निशाना बना रहा है। दशकों से हमारा कहना रहा है कि एक राष्ट्र विश्व में ऐसा है जो इस देश को कभी खड़ा होते नहीं देखना चाहेगा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। सदन के अंदर और बाहर इस पर चर्चा होती रही है। लेकिन एक राष्ट्र है जो नहीं चाहता कि यह देश विश्व में एक बहुत मजबूत बने। इसकी जितनी क्षमता और शक्ति है उसको पाकर यह देश खड़ा हो जाए, यह अमरीका नहीं चाहता, यह मेरा मानना है। आज के दिन सी.टी.बी.टी. के मामले में हमें वही बात दिखाई दे रही है। वारेन क्रिस्टोफर ने जो कहना था, वह कह दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर हो और

अणुबम का टैस्ट करने वाले मामले पर हम लोग आड़े आ रहे हैं। ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस पर अमरीका की क्या नीति है, इसको जानना जरूरी है। हालांकि हम लोग छोटी-मोटी चीजों को जानते हैं।

यह राष्ट्रपति क्लिंटन का 11 अगस्त, 1995 का बयान है। उनका कहना है, उनका निर्णय है;

[अनुवाद]

वास्तविक हथियार शून्य व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के बारे में बातचीत के लिये अमरीका ऐसे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देगा जो किसी भी परमाणु शस्त्र परीक्षण विस्फोट पर या किसी अन्य परमाणु विस्फोट पर रोक लगाये।

[हिन्दी]

और यह भी कहा जाता है कि

[अनुवाद]

"वह ऐसे ठोस, विशिष्ट संरक्षण तय कर रहे हैं जो उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके अन्तर्गत अमरीका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि पर हस्ताक्षर करेगा।"

[हिन्दी]

यानि वे जो 75 राष्ट्र बैठ कर बात कर रहे हैं, उससे उनका मतलब नहीं है। उनका कहना है कि मेरे देश का अलग प्रोग्राम है, अलग टाइम-टेबल है, हमारी अलग सोच है, मगर वह सोच क्या है ? इसमें कहा जाता है कि

[अनुवाद]

(1) इन्टेलीजेन्स के क्षेत्रों में अमरीका की वचन-बद्धता को मजबूत करना।

(2) निगरानी और सत्यापन के वर्तमान आंधार ढांचे को मजबूत बनाना।"

[हिन्दी]

विवाद में हो सकता है।

[अनुवाद]

(3) पहले घोषित किये जा चुके हथियारें के जखीरे के प्रबन्धन कार्यक्रम को लागू करना।

(4) परमाणु प्रयोगशालाओं का रखरखाव।

[हिन्दी]

और अब अध्यक्ष जी, 5 और 6 पर गौर से सोचा जाए।

[अनुवाद]

(5) इतनी क्षमता को बनाए रखना कि अमरीका के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के समय हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सके।

[हिन्दी]

और आगे

[अनुवाद]

(6) उन परिस्थितियों का उल्लेख करना जिनके अन्तर्गत अमरीका को सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में परमाणु परीक्षण फिर से आरंभ करने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

फिर कौन से काम्प्रीहेंसिव टैस्ट बैन के बारे में वॉरेन क्रिस्टोफर हमारे विदेश मंत्री से बोलें और कल अमरीका में जाकर सीनेट कोंग्रेसनल कमेटी के सामने जस्टीफाई किया, वह कौन सा टैस्ट था जो आप बैन करना चाहते हैं जब वह स्वयं कहते हैं कि

[अनुवाद]

इतनी क्षमता को बनाए रखना कि अमरीका सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के समय हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सके और उन परिस्थितियों का उल्लेख करना जिनके अन्तर्गत अमरीका को सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

इसीलिए हम आज यह कहना चाहते हैं और दुनिया को यह बात बतानी चाहिए, विशेषकर अमरीका को जो हम लोगों के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालने के लिए खड़ा है। हमारे भी कुछ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट हैं। अपने देश के सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का रक्षक यह देश है, यह संसद है। उसको किसी भी एक विश्व सम्मेलन में हम लोगों को डांटकर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय लादने की बात नहीं हो सकती। हम लोग जहां सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं तो उत्तर की तरफ

पहले देखते हैं कि चीन के हाथों में आज कितने अणु बम हैं। सिप्री का ताजी रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा हो सकते हैं। चीन कभी सच नही बोलता है, मेरी ऐसी मान्यता है। यह मत कहिए कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत कहिए। उसने दोस्ताना खूब निभाया, इसका हमें अनुभव है और भविष्य में भी अनुभव करेंगे तथा मेरे जाने के बाद भी करेंगे। उसके पास 13,000 कि.मी. ...**(व्यवधान)** हम तो सिप्रा की रिपोर्ट दे रहे हैं कि उसके पास 300 न्यूक्लिअर वार-हिट हैं, इसमें 13,000 कि.मी. की रेंज तक जाने वाला उसका डिलवरी सिस्टम है इसका मतलब अमरीका है। अमरीका को और भी दुनिया के बड़े औद्योगिक या मजबूत राष्ट्र है, जिससे किसी से भी उसे तनाव हो सकता है। मगर हिन्दुस्तान तो है ही। 3,100 कि.मी. तथा 4,750 कि.मी. तक जाने वाला सिस्टम है। हिन्दुस्तान का कौन-सा हिस्सा बच जाता है ? वह अणु शक्ति कहां है ? यह अणु शक्ति तिब्बत में है। इस देश ने जो गलती की है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मुझे दुख होता है कि यह सदन तिब्बत की आजादी को लेकर पिछले 20 साल से चर्चा करने से इंकार करता रहा है। लेकिन आज चीन तिब्बत पर हावी है। मैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय के कांग्रेस पार्टी के एक-एक दस्तावेज को आपके सामने रख सकता हूं, जहां हिन्दुस्तान ने माना है कि इस देश की आजादी की लडाई लड़ने के लिए कांग्रेस का यह मत था कि तिब्बत आजाद देश है। हमारी उत्तरी सीमा चीन नहीं था, तिब्बत था और आज तिब्बत इस देश के ऊपर हावी होने के लिए चीन अपनी जमीन बनाकर बैठा है। इसलिए हमें उत्तर से जो परेशानी नजर आ रही है, उसको हमें किसी भी सूरत में नजरंदाज नहीं करना चाहिए। या उसकी जितनी भी चिंता है, उसे कम करके हम लोगों को किसी भी हालत में नहीं मानना चाहिए। यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी सवा लाख स्कवायर कि.मी. जमीन चीन के हाथ में है। हिन्दुस्तान के कई इलाकों में आज भी चीन हावी होना चाहता है, अपने अधिकारों का ऐलान करके बैठा हुआ है और मौका मिलने पर कब्जा करने से कभी भी नहीं हिचकेगा, यह बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन पूर्व में बर्मा की क्या स्थिति है ? वहां पर मिलिट्री का शासन है, लेकिन यह इस बहस के लिए महत्त्व नहीं रखता। लेकिन बर्मा के अन्दर आज चीन जहां तक हावी हो चुका है, इस बारे में यह देश कभी नहीं सोचेगा कि आज हिन्दुस्तान के लिए पूर्व से कितना खतरा पैदा हुआ है, क्या इसके बारे में बहस नहीं होगी।

मैंने अपनी तरफ से कई बार नोटिस दिया है कि बर्मा के मामले पर बहस होनी चाहिए। लेकिन उसको नहीं लिया जाता। पता नहीं, उसको किस टोकरी में डाल दिया जाता है, किस फाइल में लगा दिया जाता है ? पांच साल पहले बर्मा की सेना 1,70,000 हुआ करती थी परन्तु आज 500000 हो गई है। चीन इन 500000 जवानों को प्रशिक्षण दे चुका है। चीन ने इन 500000 जवानों की सेना को करोड़ो हजारों रुपए के अत्याधुनिक हथियार दिए हैं।

कोको आइलैंड, कोको द्वीप कहां है ? हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड हैं, उसके नुमाइंदे श्री मनोरंजन भक्त जी बैठे हैं, अंडमान और निकोबार के 40 कि.मी. उत्तर में कोको आइलैंड है, वहा चीन अपना नवल देश बना रहा है। 40 कि.मी. क्या चीज है ? सीधे हिन्दुस्तान की धरती पर आ गया। बर्मा की जो पश्चिमी सीमा है, बर्मा की पश्चिमी सीमा में जितने बंदरगाह हैं, वहां कहीं-कहीं जरूरत को महसूस किया है। चीन आज वहां नवल तथा अन्य चीजों के लिए देश बना रहा है, सडके बनी हैं, मिलिट्र के हवाई अड्डे बन रहे है, यह सब चीजें आज चीन वहां से कर रहा है। लेकिन इस देश को चिंता नहीं है। पड़ोसी देश है, ऐसा न हो कि हम लोग इस देश की सुरक्षा की भी चिन्ता न करें और जैसा मैंने पहले कहा कि चीन हर तरह से आज हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता ठीक ढंग से रखने के लिए मेहनत कर रहा है और अमरीका उसमें साथ दे रहा है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि चीन से पाकिस्तान को मदद नहीं मिल रही है। अणु शक्ति में कुछ दखलदांजी हो रही है, अमरीका को इस बारे में कुछ जानकारी है। अमरीका इस बारे में चीन से सख्ती से बात कर रहा है, यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यह भी मानता हूं कि चीन दुनिया में किसी की बात नहीं मानता। उन्हें जो चीज करनी है, वह करके रहता है। ऐसी हालत में हम यह मानते हैं कि आज हम लोगों के ऊपर यह जो तनाव आ रहा है, इस तनाव के बारे में पूरी गंभीरता से हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। 1974 में जिस समय पोखरन में प्रयोग हुआ था, उस समय मैं तिहाड़ जेल में था। उस रात को मैं सोया नहीं और गुस्से में था। उस गुस्से को मैंने एक लेख के रूप में बाद में एक पुस्तिका में प्रकाशित करवाया था। जैसी मेरी आदत है, कुछ तीखेपन में बोलने की, उसका शीर्षक दिया था :

[अनुवाद]

"भारत का बम और इन्दिरा का भारत"

[हिन्दी]

और मै जीवन भर अणु शक्ति का प्रयोग न करने की इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच में तनाव के मामलों को हल करने के लिए कहते रहे हैं। लेकिन हम आज बहुत परेशान हैं। हम एक प्रकार की मानसिक सोच, एक प्रकार के धर्म-संकट में स्वयं को पा रहे हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के चारों ओर आज हमको घेरे में लिया जा रहा है। हमको घेरने वालों के हाथ में अणु शक्ति है।

अपराह्न 3.00 बजे

आर्थिक मामलों में हमको दबाया जा रहा है और दबाने वालों में सबसे बडा राष्ट्र अमरीका है, जिसके हाथों में सारे विश्व को नेस्तनाबूद करने की शक्ति है। हर मामले में इस सदन मे पिछले पाच साल मे जब नई आर्थिक नीति लाई गई थी और उस नीति को लेकर जब यहां बहस हो गई, तो अमरीका के कहने पर पिछले सालों में कितनी बार तंग किया गया, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आज एक ऐसे धर्म संकट में हम अपने आप को पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीन अपना बम ले कर हिन्दुस्तान को अपने ढंग से किसी एक दिशा में ले जायेगा जबकि वह अपनी मनमानी को चलाने में अड़ा हुआ है। लेकिन अमरीका प्रतिदिन हम लोगों को धमका कर हर चीज को करवाना

चाहता है। जैसे अभी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की बात है। वह हम लोगों के भविष्य को निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाता है, तो फिर मैं मानता हूं कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ठोस निर्णय लेने का समय निर्णय आ गया है।

महोदय, मैं तीन-चार बातें और कहना चाहता हूं। पहली-विदेश मंत्री जी, जो कान्फ्रेंस चल रही है, उसमें हमें कहना चाहिए कि काम्प्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रिटी अगर होनी है, तो फिर शब्दों का खेल आज जो चला है, वह खेल छोड़ कर सही मायने में काम्प्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रिटी, जो आज की अपेक्षा है, जिसके लिए हिन्दुस्तान ने पिछले 40 सालों से प्रयास किया है, जिसमें अणुबम से दुनिया को मिटाने की बात थी, वही काम्प्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रिटी होनी चाहिए। अमरीका के विशेषाधिकार और अन्य पांच राष्ट्रों को विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार किसी भी राष्ट्र को नहीं होने चाहिए। सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। यह बात हम लोगों की तरफ से उनको स्पष्ट कही जाए। दूसरी - अमरीका को यह भी कहा जाए कि उनको किसी भी प्रकार का स्पेशल स्टेटस देने के लिए हिन्दुस्तान तैयार नहीं है। हमारी कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है और आज अमरीका हमारे ऊपर हावी होना चाहता है, चुनौती दिए बगैर सब चीजें हजम करना चाहता है। तीन - आज हिन्दुस्तान के लोगों को चुनौतियां कितनी हैं, उन चुनौतियों की जानकारी देना जरूरी है। अपने देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं होती है। पुरूलिया में कहीं हथियार डाल दिए, तो सारा देश उत्तेजित हो जाता है, लेकिन उत्तर-पूर्व-पश्चिम सब तरह से हमको घेर लिया गया है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है और न ही उसकी चर्चा होती है। हम लोग अपने राजनीतिक दलों में चर्चा करते हैं, लेकिन आम लोगों में राष्ट्र की सुरक्षा के तौर पर कभी कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि चीन और अमरीका द्वारा चलाए हुए दांव-पेचों से हिन्दुस्तान को क्या-क्या खतरे निर्माण हुए हैं, यह देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। चार - हम चाहते हैं कि यह भूमिका लेकर हम लोग आगे चलें कि इस देश के ऊपर कई खतरे आने वाले हैं। खतरे सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के मामले में और खतरे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आयेंगे। और जैसा कि मि. वारेन ने हम लोगों को धमकाया है कि आप आइसोलेट हो कर रह जायेंगे, ये सारी बातें अमरीका करेगा, तो हमें हिन्दुस्तान के लोगों को यह बात कह कर सचेत कर देना चाहिए कि किसी भी संभावना का सामना करने के लिए हम लोग खडे हो जायें।

अंत में, जैसा मैंने कहा कि मेरे सामने धर्म संकट है और मैं मानसिक पीड़ा से इस मामले में फंसा हुआ हूं, लेकिन मैं यहां महात्मा गांधी जी को याद करा देता हूं। मैं उनकी सौ बातों को नहीं, केवल दो बातों के बारे में इस संदर्भ में कह सकता हूं। जब कश्मीर में पाकिस्तान के हमलावरों ने हमला किया था, तो महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था कि अहिंसात्मक रास्ते से खड़े हो जाओ और काश्मीर जाने दो। गांधी जी ने कहा था - सेना भेजो। सेना गई, सेना लड़ी, बचाया, सब कुछ सम्पूर्ण बचा सकती थी और आज की सारी समस्यायें नहीं रहतीं, लेकिन आज उस बहस में नहीं जाना चाहिए। आज हम हर चीज में यह सदन कुछ एक राय बनाकर चले, इसलिए बहस में नहीं जायेंगे। मैं गांधी जी का नाम यहां पर लेता हूं कि गांधी जी ने काश्मीर में सेना भेजने के लिए आपको कहा था। दूसरी बात, सैद्धान्तिक बात जो गांधी जी ने कही थी, जिसको कि अपने जीवन में आदर्शवादी बात करके स्वीकार किया था, उनके शब्द थे "मैं हजार बार हिंसा का खतरा मोल लूंगा, लेकिन कौम को नपुंसक बनने नहीं दूंगा।" यह महात्मा गांधी हैं और कोई नहीं है। इसीलिए आज के दिन अगर हम लोगों को कटु निर्णय लेने का एक वक्त आया है, तो वह कटु निर्णय लेना होगा, ताकि कल कोई यह न कह सके कि महात्मा गांधी का यह देश किस दिशा में जा रहा है। महात्मा गांधी को याद रख कर इस देश की सुरक्षा को, इस देश के सुप्रीम नेशनल इन्टैरेस्ट को ख्याल में रखकर हम अपने फैसले लेंगे और उस दिशा में हम अपने कदम बढ़ायें।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत।

प्रो. रावत संक्षेप में बोलें क्योंकि माननीय मंत्री को 3.20 बजे उत्तर देना है।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया महोदया।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दें।

...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग-दिल्ली) : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं उससे अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह बहुत ही गंभीर चर्चा है।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बाद में।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बाद में, आप जो कुछ कहना चाहें, बाद में कहें। इस चर्चा के दौरान नहीं।

...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार : मैं केवल इतना... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्त्व का है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, राष्ट्रीय हित से अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवधान उपस्थित न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उठा सकते हैं किन्तु इस चर्चा के दौरान नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के बाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा में किसी तरह का व्यवधान नहीं देखना चाहता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शोर न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीटीबीटी के मामले में अमरीका ने हमको एक प्रकार से चुनौती दी है, अमरीका ने हमको एक प्रकार से धमकी दी है और कल मि. क्रिस्टोफर वारेन ने वहां की विदेश मामलों की समिति में एक प्रकार से भारत को चेतावनी देते हुए भारत के ऊपर अडंगा डालने का आरोप लगाया है और कहा है कि अमरीका इसको पारित कराने के लिए कृतसंकल्प है। जब भारत ने कहा कि पूर्ण निःशस्त्रीकरण की सीमा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तय होनी चाहिए, तो अमरीका के विदेश मंत्री, मि. क्रिस्टोफर वारेन ने कहा कि हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और भारत की मांग अव्यवहारिक है। मैं कहना चाहता हूं कि –

बाधायें कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को,
मुश्किलें कब रोक सकी हैं मर कर जीने वालों को,
बहादुर कब किसी का आसरा अहसान लेते हैं,
उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं,
दिल बर मर्द का लोहा सब मान लेते है,
जो कमजोर होता है, कान उसके सब पकड़ लेते हैं।

आज विश्व की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। सीटीबीटी के मामले में भारत को अकेला करके अमरीका अपने मित्रों के सहयोग से और अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के सहयोग से तथा जो पिछलग्गू देश हैं, जैसे पाकिस्तान और इजराइल, उन सब को पटाकर के भारत को एक तरह से कॉर्नर करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्यान में रखना चाहिए कि जो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का मामला है, वह हमारी सुरक्षा और अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। यह मामला हमारी प्रभुसत्ता से भी जुडा हुआ है। अभी जार्ज साहब और उनसे पहले भूतपूर्व लैफ्टिनैंट जनरल साहब ने जो बातें कही थीं जो हमारे अन्य मित्रों ने बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन भारत जब सब ओर से घिरा हुआ है, तो उसको गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान है, जिसको अमरीका आणविक हथियार प्रदान कर रहा है। उनकी मारक क्षमता इतनी है कि बड़े-बड़े शहर उनकी परिधि में आ सकते हैं। स्वयं चीन ने तिब्बत के अन्दर ऐसे मारक शस्त्रों और नाभिकीय शस्त्रों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। यदि वह इसको गम्भीरता से लेता तो सीटीबीटी के जनेवा सम्मेलन में हस्ताक्षर होने के एक-दो दिन पहले स्वतः ही वह परीक्षण नहीं करता उसने परीक्षण करके अपने हित को तो साध लिया और अब जब परीक्षण हो गया तो कहता है कि दस्तखत कर देगा। इसलिए भारत को चाहिए कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मान कर परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए और अणुशक्ति से सम्पन्न होना चाहिए। 1974 में पोखरन में हमने सफलता प्राप्त की थी और उस बात को काफी समय बीत गया है। अब आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और काश्मीर में नित नई घटनायें पैदा कर रहा है और उग्रवाद को प्रोत्साहित करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास कर रहा है।

आईएसआई की गतिविधियां बढ रही हैं। पाकिस्तान से दो-दो, तीन-तीन बार हम युद्ध कर चुके हैं, लड़ाई कर चुके हैं। चाइना भी हमारे ऊपर हमला कर चुका है। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का हम नारा लगाते हैं लेकिन वह भाई-भाई का नारा बाद में एक सपना सिद्ध हुआ। आज चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, भले ही वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। अमेरिका ने हमें जो चुनौती दी और जो चेतावनी दी है, मैं राष्ट्र का हित समझता हूं कि सारे राजनीतिक दलों ने अपने मतभेदों को भुला कर एक स्वर और एक मत से सी.टी.बी.टी. पर भारत के हस्ताक्षर न करने के निर्णय को उचित माना है और भारत सरकार को इस मामले में सहयोग प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मान कर राष्ट्र की प्रभुसत्ता को, एकता को, अखडता को और सुरक्षा को ध्यान में रख कर हमें यह निर्णय लेना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें

हस्ताक्षर करने से पहले अपने पास में शक्ति रख लेनी चाहिए। 'वीर भोग्या वसुंधरा' संस्कृत के अंदर एक श्लोक है वह कह करके तथा दो-तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सिंहदेव व्याघ्रनैव च, अजा पुत्रम् बलि दद्याद,
देदोपि दुर्बल घातक।''

देवता भी हमेशा कमजोर पर घात करने वाले होते हैं। देवताओं से पूछा गया कि बलि के लिए सिंह लाएं तो बोले, नहीं। बाघ लाएं, हाथी लाएं तो उन्होंने नहीं-नहीं कहा। फिर बोले, क्या लाएं तो उन्होंने कहा कि बकरी का बच्चा, बकरा लाओ। इसलिए देवता लोग भी कमजोर के ऊपर घात करने वाले होते हैं।

मान्यवर, हमें अपनी कमजोरी को दूर करना है और राष्ट्र की शक्ति का दुनिया को परिचय देना है। हमारी आणविक शक्ति का विकास तो हो चुका है उसके आधार पर हमें अणुबम का निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे और जो अमेरिका हिन्दुस्तान को एक तरफ करना चाहता है उसका वह सपना कोरा रह जाए।

मान्यवर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने कोई पत्र लिखा है और यदि लिखा है तो क्या उसमें सी.टी.बी.टी. के बारे में भी कुछ उल्लेख किया है, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि वारेन क्रिस्टोफर की जकार्ता के अंदर जो बात विदेश मंत्री से हुई है, उन्होंने अमेरिका में जाकर एक बयान दिया है कि हिन्दुस्तान का विदेश मंत्री ईमानदार और बुद्धिमान तो लगता है, तो कहीं इस प्रकार के शब्दों को कह करके हमारे विदेश मंत्री को या हमारे प्रतिनिधियों को झांसे में न ले लें।... **(व्यवधान)** महोदय, वहा के समाचार पत्रों में आया है। ईमानदार और बुद्धिमान हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी और बुद्धिमानी के नाम पर कहीं राष्ट्र के हित के साथ में कोई सौदेबाजी न हो जाए। यह पक्का आश्वासन हम आज सदन के अंदर चाहते हैं।

मान्यवर, मैं इस संदर्भ में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला यह है कि भारत को अपने परमाणु विकल्प पर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, परमाणु विकल्प खुला रखना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान कर भारत को अपने हस्ताक्षर नही करने चाहिए। भारत को ट्रासपिरेंट कोम्प्रीहेंसिव ट्रीटी कहता है, जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि है वह पारदर्शी होनी चाहिए। उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहियें। इसमे जो सब प्रकार के रास्ते रख दिए हैं, उनके हथियार प्रयोगशाल में परीक्षण करते रहे, उनके जखीरे बने रहे और दूसरे देश परीक्षण न करे। हम यह मानते हैं कि नाभिकीय निरस्त्रीकरण की ओर यह प्रथम निर्णायक कदम है। सी.टी.बी.टी. का जो मामला है इस मामले में हम जिस बात के लिए अडे हैं कि वास्तव में कैसे संसार को नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त किया जाए। हमारा कहना यह है कि जिन देशों के पास हथियार हैं वे पहले अपने हथियार समाप्त करें, जखीरे खत्म करें, फिर उसके बाद उपदेश दें।... **(व्यवधान)** मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारी डिप्लोमेसी की परीक्षा है। इसलिए सारे देशों के विदेश मंत्रियों को, हमारे दूतावासों को जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण है उससे अवगत करा कर वहां के राष्ट्राध्यक्षों को, वहां के विदेश मंत्रियों को भी इस बारे में सही स्थिति बतानी चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में वे यह नहीं माने कि भारत कोई लड़ाकू देश बनना चाहता है या भारत आक्रामक बनना चाहता है।... **(व्यवधान)** हमारे जो मिसाइल्स प्रोग्राम्स हैं वे धीमे नहीं पडने चाहिए। हमारे यहां जो अग्नि, आकाश या जो दूसरे प्रक्षेपण अस्त्रों का विकास हो रहा है उनके अभाव में कहीं सेना का नैतिक मनोबल कम न हो जाए। हमारी सेना का जो नैतिक बल है उसको बनाए रखने के लिए मिसाइल्स के प्रोग्राम जारी रखने चाहिए और

[अनुवाद]

अमरीका दबाव अथवा किसी अन्य प्रकार के दबाव का पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए।

[हिन्दी]

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे अवसर दिया जाये। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें अवसर नहीं मिलता... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हू कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु मैं क्या कर सकता हूं ? मंत्री महोदय को उत्तर देना है।

श्री रमेश चेन्नितला : यह सच है किन्तु यह बहुत ही गंभीर मामला है। केवल कुछ ही सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तब आपको आज सात बजे तक बैठना होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर-प.ब.) : महोदय, हर बार समय की कमी का हमारे ऊपर ही असर पड़ता है। यह कैसे है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मुझे सलाह दें, मुझे क्या करना चाहिये ?

(व्यवधान)

ले. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, माननीय मंत्री को उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, हम आपको अनुरोध करते हैं कि हमें भी अवसर दिया जाये। कृपया मुझे 2 मिनट का समय दें... **(व्यवधान)**

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को निलम्बित कर दिया जाये ?

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, विषय की गंभीरता को देखते हुए गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को निलम्बित करना उचित है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य 4.30 बजे लें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी पुकारूंगा।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, अन्य सदस्यों का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मेरा नाम तो हमेशा ही रहता है परंतु सूची में मेरे नाम के होने का क्या लाभ यदि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिले।

श्री रमेश चेन्नितला : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में माननीय विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी दलों से सलाह मशविरा करने का पूर्वोदाहरण स्थापित किया है और उस मामले में देश को एक बनाया है।

अपराह्न 3.10 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

महोदय, भारत ने हमेशा विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण का पक्ष लिया है। भारत विश्व शांति का अग्रणि रहा है। हम न केवल अहिंसा का प्रचार करते हैं किन्तु हमने इसको व्यवहार में भी उतारा है। हम किसी भी प्रकार के परमाणु युद्ध के विरुद्ध हैं जो सम्पूर्ण मानवता और सम्पूर्ण मानव जाति के विरुद्ध है। शांति और सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण के प्रति हमारी वचनबद्धता के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस पृथ्वी पर इसे जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता है।

परंतु इसके साथ ही जैसा कि मेरे विद्वान मित्रों ने यहां पर उल्लेख किया है हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के प्रारूप से सहमत नहीं हो सकते। यह परमाणु अप्रसार सन्धि की दूसरी किस्त है और इसने किसी गंभीर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध के बारे में कोई गंभीर सफलता हासिल नहीं की है। यह आंशिक है और यह केवल व्यापक परमाणु परीक्षण सन्धि के प्रवर्तक देशों जैसे कि अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस को सहायता देने के लिये है।

यहां तक कि रूस और चीन को भी आरंभ में मन में कुछ संशय थे परतु अब उन्होंने अपनी स्थिति को बदल लिया है। अब वह भारत पर सन्धि बेकार करने का दाब डाल रहे हैं। हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि भारत ने सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार मांग की है कि परमाणु हथियारों को नष्ट अथवा समाप्त किया जाये।

महोदय, विश्व के सभी मंचों पर भारत ने विश्व शांति के लिये अपनी आवाज उठाई है। चीन के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत इस सन्धि को बिगाड़ नहीं रहा है। भारत विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण चाहता है बशर्ते कि यह सन्धि व्यापक हो।

सभी जानते हैं कि भारत ने परमाणु अप्रसार सन्धि को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत का विचार रहा है कि परमाणु अप्रसार सन्धि के जरिए विश्व में निशस्त्रीकरण नहीं लाया जा सकता।

भारत चाहता है कि परमाणु हथियारों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रतिबंध लगाया जाये। समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस पर सहमति नहीं की जा पा रही है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि केवल विस्फोटकों को ही विचार में लिया गया है। सभी मसलों का हल इसमें नहीं है। परमाणु हथियारों पर अनुसंधान, डिजाईन करने और परीक्षण पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। यह सबसे महत्त्वपूर्ण मामला है। यहां तक कि समुद्र में या भूमि पर कुछ अन्य स्थानों पर परीक्षण किये जा रहे हैं परंतु संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व में अन्य ताकतवर राष्ट्र आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं ताकि वे अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर सकें। वे भी कम्प्यूटर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। अतः केवल आकाश एवं समुद्र में परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाये जाने से समस्या हल नहीं होगी।

विकसित देश अपने हथियारों के भंडार को सुदृढ करना चाहते हैं। यह उनका प्रयास है। अभी भी ऐसे उदाहरण है कि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर रहा है। दुर्भाग्य से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का प्रारूप जो तैयार किया गया है उसमें केवल विस्फोटों को ही लिया गया है। इस सन्धि के प्रोमोटरों के पास पर्याप्त आधारढाचा है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षण कर सकेंगे। यह एक ऐसी चाल है जो विकासशील देशों के साथ खेली जा रही है विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, इसरायल तथा अन्य अल्पविकसित देशों के साथ खेली जा रही है। वर्तमान संधि के अन्तर्गत (i) हथियारों की किसी प्रयोगशाला को बन्द नहीं किया जायेगा (2) उन प्रतिष्ठानों के कार्मिकों की संख्या कम नहीं की जायेगी, और (3) कोई भी कुशल वैज्ञानिक काम के बिना बेकार नहीं बैठेगा। इस स्थिति में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का क्या अर्थ हो सकता है ? विश्व की प्रमुख परमाणु व्यक्तियों की सुविधा के अनुसार अनुसंधान, डिजाईन करने तथा परीक्षण का काम चलता रहेगा। सारा विश्व उनके निदेशों पर नहीं चल सकता। सारा विश्व उनके दबाव में नहीं चल सकता। अमरीका द्वारा अब तक 1000 परीक्षण किये जा चुके है।

यह बहुत ही रूचिकर बात है कि तथाकथित चीन जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर कर रहा है, भारत तथा आगे बढने वाले देशों को सी.टी.बी.टी. प्रारूप पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध कर रहा है। 29 जुलाई को चीन ने सफलतापूर्वक एक परमाणु परीक्षण किया। मैं चीन की लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार के द्वारा 29 जुलाई,

1996 को जारी किए गए वक्तव्य के पहले पैरा को पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है "कि चीन की लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि यह सरकार 30 जुलाई, 1996 से परमाणु हथियारों को स्थगित करेगी। मैं इसके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। उन्होंने 29 जुलाई, 1996 को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया है। इस परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का क्या अर्थ है ? यह व्यापक नहीं है। चीन ने जो इस पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, 29 जुलाई को सफलतापूर्वक एक परीक्षण किया है।

वर्ष 2000 तक विश्व के कुल हथियार बाजार के 50 प्रतिशत पर अमरीका का कब्जा होगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है कि जब हम 20वीं शताब्दी के अंत पर पहुंच रहे हैं तो विश्व व्यापार के कुल 50 प्रतिशत बाजार पर अमरीका का कब्जा होगा। 21वीं शताब्दी की शुरूआत हो रही है। विकासशील देशों तथा गरीबी एवं सामाजिक बुराईयों से प्रभावित देशों की क्या स्थिति होगी ?

महोदय, मैं एक-दो बहुत महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। 1996 के आरंभ में विश्व में परमाणु हथियारों के 21000 आपरेशन हुए। विश्व के परमाणु हथियारों का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अमरीका और रूस के कब्जे में है। परमाणु हथियारों वाले ये राज्य-अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन कह रहे हैं कि वे अपने परमाणु हथियारों में कमी नहीं करेंगे। वास्तव में वे नई प्रौद्योगिकियों के जरिए, जिसका वे विकास कर रहे हैं और नई खोजों के जरिए अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना चाहते हैं। मेरे पास इसके अनेक उदाहरण है परंतु मैं समय की कमी के कारण ऐसा नहीं करूंगा।

भारतीय उप-महाद्वीप की सुरक्षा एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। परंतु भारत की सुरक्षा की समस्या की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। भारत परमाणु हथियारो वाले तीन राज्यो - रूस, चीन और पाकिस्तान का पडोसी देश है। चीन और रूस ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिये समझौता किया है। चीन के द्वारा पाकिस्तान को परमाणु मिसाइल अन्तरति करने की सभी को जानकारी है। स्वयं इस पवित्र सभा में, पिछली लोक सभा में अर्थात् 10वीं लोक सभा में स्वयं मैंने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नवाज आरीफ के पाकिस्तान के परमाणु बम पर दिये गये वक्तव्य का मामला उठाया था। उन्होंने उचित ही कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। किसी ने इस आरोप का विरोध नही किया। उनका चीन और रूस के साथ गुप्त समझौता किया हुआ है। अतः भारतीय उप-महाद्वीप की सुरक्षा खतरे में है। अतः हमें इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिये।

अमरीकी प्रशासन एक मात्र सुपर शक्ति है और सी.टी.बी.टी. का मुख्य प्रोमोटर है। वे हर तरह से भारत पर दबाव डालना चाहता है। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कल ठीक ही कहा था अमरीका सरकार ने एक वक्तव्य दिया था जो पूरी तरह से निन्दनीय है। हम उनकी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमेश चीन्नितला : वे यह कह रहे हैं कि यह राजनैतिक सन्धि है। इस तरह वे राजनैतिक आधार पर इस सन्धि को कराना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे भारत को धमकी देना चाहते हैं। वे अन्य उभरते देशों को भी धमकी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये जायें। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि भारत इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। हमें इसका विरोध करना है और इसे हटाना है। भारत को इस सन्धि का विरोध करना चाहिये और इसे वीटो करना चाहिये सी टी बी टी को देश के हितों में लागू नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। ग्रीन पीस संस्था अमरीका की एक विख्यात एन.जी.ओ. है। वे कहते हैं कि यदि पांच परमाणु हथियारों वाले राज्य अर्थात् चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमरीका चाहते हैं कि भारत इस सन्धि पर हस्ताक्षर करे तो उनको परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग करने के लिये परमाणु हथियारों का उपयोग विकास अथवा उत्थान नहीं करना चाहिये। अमरीका का उनका एक अपना एन.जी.ओ यह कह रहा है। माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह सारी सभा के मत को दलगत राजनीति के आगे चल कर देखें। भारत के लोग सरकार के साथ है। वे इस मामले सरकार में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मेरा विचार है कि हमें अमरीकी प्रशासन को इस बारे में उचित उत्तर देना है और अपने देश अर्थात् भारत के हितों की रक्षा करनी है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : माननीय सभापति महोदय, हम इस सभा में एक बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर चर्चा कर रहे हैं। एक भारतीय के रूप में हमें इस बात पर गर्व है कि स्वाधीनता के बाद से भारत द्वारा विश्व में शांति आन्दोलन का नेतृत्व अपने ही हाथों में लेने के बाद से हमारे देश ने विश्व शांति स्थापित करने और विश्व से साम्राज्यवाद को समाप्त करने की दिशा में प्रमुख भूमिका अदा की है। हमारे प्रिय प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जी के नेतृत्व में सारा विश्व विशेष रूप से अफ्रीकी-एशियाई देश विश्व की शांति के लिये एक जुट हुआ। भूतपूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में समाज वादी देश हैं हमारी शांति आन्दोलन के पीछे खड़े हुए और भारत की विदेश नीति का जबरदस्त समर्थन किया। वे भूतकाल में हमारे देश के बहुत से अहम मौकों पर मजबूती के साथ हमारे पीछे खडे हुए।

विश्व के सभी देशों ने भारत के शांति आन्दोलन और भारत की विदेश नीति की सराहना की है।

अपराह्न 3.30 बजे

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

महोदया, भारत की विदेश नीति की विश्व के सभी शांति प्रिय देशों ने सराहना की है। अतः शांति आन्दोलन तथा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक नेता के रूप में भारत ने 50 वर्ष पूर्व परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने और परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने की मांग उठाने में अग्रणी भूमिका अदा की।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बीढ़) : सभापति महोदया, यह बहस कब तक चलेगी ?

सभापति महोदय : सी.टी.बी.टी. एक घंटे के लिये अपराह्न 4.30 बजे तक बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदया भारत न विश्व की शांति के लिये, सी टी बी टी की जरूरत के बारे में सारे विश्व को समझाने के लिये बहुत भारी प्रयास किये हैं। परंतु अब इस समय यह एक प्रमुख प्रश्न है। एक मौलिक प्रश्न है कि क्या भारत वर्तमान रूप में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करेगा। भारत को विश्व परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का तब तक विरोध करना चाहिये जब तक इस दस्तावेज के वर्तमान प्रारूप में मौलिक संशोधन न कर दिया जाये।

मैं ए.आर.एफ. सुरक्षा ग्रुप की बैठक में इस देश के बुद्धिमान विदेश मंत्री के द्वारा उठाये गये रूख का समर्थन और उसकी सराहना करता हूं। ऐसे समाचार हैं कि सी.टी.बी.टी. के प्रारूप में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। उस मामले में भारत को तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये जब तक पांच घोषित परमाणु शक्तियां परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के बारे में निर्णय न कर लें।

भारत को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के अपने विचार को बिल्कुल बदलना नहीं चाहिये। सी.टी.बी.टी. एक वास्तव में पूरी तरह से व्यापक सन्धि होनी चाहिये। हम सी.टी.बी.टी. का समर्थन करते हैं। परंतु सी. टी. बी. टी. के प्रारूप में यह सम्मिलित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि अब से सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध होगा। यहां तक कि परमाणु हथियार रखने वाली शक्तियों को भी इसे मानना होगा। और बड़ी शक्तियों को अपने जमा परमाणु हथियार नष्ट करने होंगे।

सी.टी.बी.टी. में यह संकल्प होना चाहिये कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन देशों को परमाणु हथियारों के परीक्षण न करने का आश्वासन देना होगा। इसका यह अर्थ है कि परमाणु हथियारों वाली शक्तियां और जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं उनके बीच वर्तमान विसंगति समाप्त हो जानी चाहिये। हमारे जैसे सम्मान वाला देश भारत ही सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट सकता है। प्रश्न यह है कि हम अलग-थलग क्यों पड़ें। यह पुराना नियम है कि जिन के पास परमाणु हथियार हैं वे उनके उपयोग करने के हकदार हैं दूसरे नहीं। वास्तव में हम इसका समर्थन नहीं कर सकते और इसके वर्तमान रूप में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को व राष्ट्रीय हितों को बचाने का पूरा हक है। जब तक बड़ी शक्तियां, विशेष रूप से अमरीका अपने परमाणु हथियारों को नष्ट न कर दें और पूरी तरह से परमाणु हथियारों के अस्तित्व को खत्म न कर दें उनको सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने हेतु हमें सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक वह निर्धन देशों के प्रति अपने आक्रामक रवैये को बदल न ले तब तक उसे सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। हम बड़ी शक्तियों को अनुगृहीत नहीं कर रहे हैं। हमें अपने देश को बचाने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये परमाणु हथियार बनाने का पूरा अधिकार है और यह हमारा सार्वभौमिक अधिकार है।

वास्तव में हमें अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण का पूरा अधिकार है। हमें ऐसी किसी भी सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करने होंगे जो हमारे राष्ट्रीय हितों तथा सार्वभौमिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

अतः महोदय, मैं भारत सरकार के रूख का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से भारत सरकार से तथा विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय मतभेदों के बावजूद देश के हित में, देश की सुरक्षा तथा सार्वभौमिकता को बचाने के लिये हम एक आवाज में बोलते रहे हैं और इस तरह भावनाओं को समझें। मेरा विचार है कि हमारे बुद्धिमान विदेश मंत्री सभा की भावनाओं को समझेंगे और अमरीकी साम्राज्यवाद एवं अन्य बड़ी शक्तियों के दबाव के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं सी.टी.बी.टी. के बारे में केन्द्रीय सरकार के रूख का समर्थन करता हूं। जेनेवा में इसके लिये हो रही बातचीत का उद्देश्य (1) परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाना; (2) नए हथियारों के विकास तथा वर्तमान हथियारों में सुधार लाने के प्रयासों को रोक कर परमाणु हथियारों की दौड़ में गुणात्मक रूकावट लाना; और (3) परमाणु हथियारों के अनुप्रस्थ और ऊर्ध्व प्रसार को रोकना है। यह निशस्त्रीकरण पर हो रहे जेनेवा सम्मेलन के घोषित उद्देश्य हैं। परंतु जहां तक हम जानते हैं और हम इस बारे में विश्वस्त हैं, इस की मूल ताकत यह उद्देश्य नहीं है। इनके पीछे मूल बात अमरीका की विश्व नीति है। वे इस सम्मेलन के जरिए सेना क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की नीति को प्रभावी बनाना है।

निशस्त्रीकरण के उस लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी कोई रूचि नहीं है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अमरीका प्रशासन इसे नीतिगत षडयन्त्र मानता है और यह बात मि. वारेन क्रिस्टोफर द्वारा हाल में दिये गये कुछ वक्तव्यों से स्पष्ट होती है। पहले उन्होंने कहा कि हमारी सबसे ऊपर की राष्ट्रीय नीतिगत प्राथमिकता जेनेवा सम्मेलन का आयोजन है। यह उनका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में जैसा कि कल बताया गया, यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि जहां तक भारत की सी.टी.बी.टी. की निशस्त्रीकरण से जोड़ने की मांग है, मि. क्रिस्टोफर ने स्पष्ट रूप से जोरदार ढंग से कहा है कि ये बिल्कुल अलग-अलग मामले हैं और अमरीका इस समय उस तरह के निशस्त्रीकरण को सहमत होने को तैयार नहीं है। अतः उनकी इसमें रूचि नहीं है। वे निशस्त्रीकरण के समर्थक नहीं हैं और यह अमरीका के प्रतिनिधि, मि. वारेन क्रिस्टोफर के द्वारा कल दिये गये वक्तव्यों से पूरी तरह स्पष्ट है।

महोदया, हम देखें कि जेनेवा में अमरीका के प्रमुख वार्ताकार ने 24 अप्रैल को क्या कहा। वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है। मैं उद्धरण देता हूं :

"अमरीका सरकार ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा

जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के भण्डार में कटौती लाने के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी वचनबद्धता लागू करना या लागू करने के प्रयास करना है।"

मेरे विचार से यह बहुत स्पष्ट है कि वे ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो अमरीका को परमाणु हथियारों के भण्डार को कम करने को बाध्य करे।

मैं इस बारे में भारत की स्थिति का साफ तौर पर और संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। भारत चाहता है कि सी.टी.बी.टी. वास्तव में इतनी व्यापक हो कि सभी प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। यह निशस्त्रीकरण पैकेज का अंग होनी चाहिये और एक समुचित समय सीमाओं के भीतर लागू होने वाली होनी चाहिये। यह तीनों बातें बहुत स्पष्ट हैं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण भी हैं। इसका पहला तत्व व्यापकता है। वर्तमान व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि व्यापक नहीं है। अतः हम इसका विरोध करते हैं, हमें इसका विरोध करना चाहिये। दूसरा तत्व है इसे निशस्त्रीकरण से जोड़ना। वे इसे निशस्त्रीकरण से जोड़ने को स्वीकार नहीं करना चाहते। परंतु हम निशस्त्रीकरण की परिकल्पना के प्रति वचनबद्ध हैं। निशस्त्रीकरण परमाणु हथियारों के संदर्भ में ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रकार के निशस्त्रीकरण के संदर्भ में भी है। तीसरा तत्व समय सीमा है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण पूरा करें।

श्री चित्त बसु : ये तीनों तत्व बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। उनका बहुत अधिक महत्त्व है। अतः हमें या तो इन उद्देश्यों को, निशस्त्रीकरण के प्रति हमारी वचनबद्धता को छोडकर इस घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा या अपने इस विश्वास के परिणाम देखने पडेंगे, जिसके लिये हम संघर्ष करने को तैयार हैं।

इस मामले में यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है परंतु यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। कोई भी देश जिसमें थोड़ी सी सार्वभौमिकता भी है वह देश उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता जहां उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़े। अतः यह केवल इस सरकार या उस सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है परंतु यह राष्ट्र के सर्वोच्च हितों से भी सम्बद्ध है जो मांग करती है कि भारत इस राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ा रहे।

मैं जानता हूं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका दबाव डालने का प्रयास करेगा। इस मामले में मैं माननीय विदेश मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और भूतपूर्व माननीय विदेश मंत्री की क्यूबा का उदाहरण याद दिलाना चाहता हू या उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। अमरीका ने सभी प्रकार के दबाव-आर्थिक घेराबन्दी, सैनिक हस्तक्षेप, इन्टेलीजेन्स हस्तक्षेप, तोड-फोड और प्रति क्रांति - डाले और, फिर भी क्यूबा की जनता और क्यूबा की सरकार उन दबावों के आगे झुकी नहीं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। कुछ अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री चित बसु : यदि भारत सैद्धांतिक रूप से इस बात का विश्वास है, यदि हमें इस बात का विश्वास है कि हमारा लक्ष्य क्या है तब हमें परिणामों को स्वीकार करने को भी तैयार रहना होगा। मैं जानता हूं हमारे देशवासी सभी परिणामों का सामना करने को तत्पर हैं बशर्ते कि सरकार तथा इस देश के राजनैतिक दल इस दिशा में रास्ता दिखाएं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस रास्ते से न हटे जिस रास्ते को इसने अपनाया था और साम्राज्यवादी दबावों के विरूद्ध लड़ाई जारी रखे ताकि प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सार्वभौमिकता की रक्षा की जा सके और उसे बचाया जा सके।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : मैं सी.टी.बी.टी. पर उसके वर्तमान रूप में हस्ताक्षर करने अथवा न करने के बारे में सरकार के रूख का समर्थन करता हूं।

महोदया, सारा प्रश्न एक ही बात पर निर्भर करता है और वह है कि हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची में क्या मुद्दा होना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची पर होना चाहिये या सन्धि पर हस्ताक्षर करने के दबाव में आकर हमें सी.टी.बी.टी. पर इस वर्तमान स्वरूप पर हस्ताक्षर कर देने चाहियें। हमारे सामने आज केवल यही प्रश्न है। हमें इस तरह सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां तक संबंध है इसका उस पर असर पड़ने वाला है। इस विषय पर लंबा भाषण देने के स्थान पर मेरे विचार से हम सबको एक होकर खड़े होना होगा। निश्चय रूप से हमने ज्ञानशील भाषण विशेषरूप से श्री जार्ज फर्नान्डीज का और सी.टी.बी.टी. पर चर्चा आरंभ करने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य का भाषण सुना। मैं उनको तथा इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला है, धन्यवाद देता हूं। मैं यह समझता हूं कि राजनैतिक दलों के साथ अपने संबंधों के बावजूद भविष्य में हमें यह दिखाना होगा कि हम वर्तमान रूप में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताखर न करने पर उत्पन्न होने वाले खतरे का मिल कर सामना करेंगे। सन्धि का पाठ उसी रूप में हमारे सामने रखा गया है। यदि हमने उसे अस्वीकार किया तो क्या होगा ?

प्रश्न यह है। हम पूर्ण निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध हैं। यह हमारी राष्ट्रीय नीति है। हमने यहां पर ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और वह भी अनेक बैठकों में हमारे महान नेता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से लेकर हमारे देश द्वारा उठाये गये रूख को स्पष्ट किया हो अब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या हमें इस पर हस्ताक्षर करने को डराया जा सकता है। यदि हमने वर्तमान रूप में इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में ही असफल होंगे अपितु अपने देश के भविष्य पर भी भारी असर छोडने वाले हैं। हमारे माननीय मंत्री द्वारा जकार्ता में व्यक्त किया गया रूख, जब वे एसियान की बैठक में हिस्सा लेने वहां गये थे, बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रश्न यह है कि जब जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा था उसी दिन सुबह चीन द्वारा एक भूमिगत परीक्षण किया गया। इससे क्या पता चलता है ? यही मुख्य प्रश्न है। इसके अतिरिक्त अन्यों के द्वारा भी अनेक परीक्षण किये गये हैं। लगभग 500 परीक्षण अमरीका द्वारा किये गये हैं, 300 अथवा 400 परीक्षण रूस ने किये हैं। 40 के

लगभग परीक्षण चीन और ब्रिटेन ने किए हैं। इसी तरह अन्य देशों ने भी अनेक परीक्षण किए हैं। हमने लगभग 22 वर्ष पूर्व एक परीक्षण किया था। उसके बाद, हमने उस तरह का कोई परीक्षण नहीं किया है।

पाकिस्तान को एशियाई क्षेत्र की एक परमाणु हथियारों वाली शक्ति अर्थात चीज से हर प्रकार का समर्थन मिल रहा है। उस देश ने केवल परमाणु प्रौद्योगिकी की ही आपूर्ति नहीं की है परंतु वे पाकिस्तान को फाल्तू पुर्जों की आपूर्ति करके तथा एम 11 परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति करने की भी सामर्थ रखते हैं। उन्होंने इन सभी वस्तुओं की आपूर्ति की है। यदि यह स्थिति है और कोई भी इस तरह के परीक्षणों को रोकने की स्थिति में नहीं है तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमारे पड़ोसी देशों के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। वह द्वीप चीन के नियन्त्रण में है। हमारे पड़ोस में म्यांमार है जिसे चीन द्वारा अद्यतन शस्त्रों की आपूर्ति की जा रही है। हथियारों से सुसज्जित पाकिस्तान है। दूसरी ओर चीन है। इन परिस्थितियों में हमें इस मंच पर सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने को झुकना नहीं चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपने अमरीका की सीनेट की विदेश संबंध समिति के चेयरमैन, मि. बैंजामिन द्वारा दिये गए एक वक्तव्य का अध्ययन किया है। यह वक्तव्य दस-बारह दिन पहले दिया गया था। वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा है "एशियाई क्षेत्र में आशाओं की एकमात्र किरण भारत है। और भारत के चहुं ओर स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है। भारत को इस रूप में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिये अपने आप को दबाना नहीं चाहिये। यह उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से हमें ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये गये वक्तव्य से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। परंतु हमें इस तथ्य को अपने ध्यान में रखना चाहिये। जब अमरीका के विदेश मंत्री, मि. वारेन क्रिस्टोफर हमारे ऊपर तलवार रखने की कोशिश कर रहा है अतः हमें किसी भी कीमत पर अपने दृष्टिकोण को बदलना नहीं चाहिये।

सभापति महोदया : कृपया अब समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

एक और बात है जब हम निशस्त्रीकरण के मसले पर विचार करते हैं तो रासायनिक निशस्त्रीकरण की वास्तविक स्थिति क्या है ? हमारे बहुत से सदस्य, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, यह बात की है कि इस संबंध में प्रयोग भावनाओं में जो परीक्षण किये जा रहे हैं वह बड़ी शक्तियों के साथ हो रहे हैं। और जब उनके पास इतने अधिक परमाणु हथियार हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिये। अतः हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये सभी विकल्प खुले रखने चाहियें। हमारे सामने यही सर्वोत्तम राष्ट्रीय कार्य है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहमपुर) (प.बं.) : हम चर्चा का समय बढाये जाने का स्वागत करते हैं।

सभापति महोदया : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : भारत की रक्षा नीति तथा विदेश नीति से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय को बढाने में अध्यक्ष महोदय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मैं माननीय विदेश मंत्री द्वारा इस अवसर पर अपने आप दिये गये वक्तव्य की सराहना करता हूं। हम सी.टी.बी.टी. की विशेषताओं और उसके परिणामों को जानते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्धसन्धि पर हस्ताक्षर करना भारत तथा अन्य विकासशील देशों के हित में नहीं है। यह बहुत ही भेदभावपूर्ण है। हमने परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग की थी। हमने परमाणु हथियारों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग की थी किन्तु यह मांग हमारी राष्टीय सुरक्षा की लागत पर नही थी। मेरा यह सुझाव है कि भारत को परमाणु हथियारों वाले राज्यो की धमकियों के सामने झुकना नही चाहिये। भारत को अपनी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता और सुरक्षा को यूरो-अमरीकी साम्राज्यवाद के आगे नही झुकाना चाहिये कि वे अपने आधुनिक परमाणु हथियार अपने पास रख सकें। भारत को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव डालने का यह साम्राज्यवादी तरीका है। हमें इसका विरोध करना चाहिये। हमें हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देना चाहिये। हमने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् की स्थिति में क्या देखा ? हमने देखा कि विश्व के राजनैतिक मंच पर रूस एक बड़े ताकतपूर्ण राज्य के रूप में उभर कर आया। परमाणु हथियारों के मामले में अमरीका के समानान्तर रूस के उभर आने के कारण सारा विश्व दो-धुवीयविश्व में बदल गया। विश्व शांति का यह द्वि-धुवीय बंटवारा शीत युद्ध के तनावों, शस्त्रों की दौड़ और शस्त्र प्रसार के मूल में हैं। उस समय अमरीकी प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में हथियारों एवं परमाणु शस्त्रों के उत्पादन की अनुमति दी और उसके पास भारी मात्रा जमा हो गई। भारत ने उस समय अपने आप को द्वि-धुवीय विश्व के किसी हिस्से के साथ सम्बद्ध नहीं किया और न यह देश शस्त्र होड़ में शामिल हुआ। हमने गुट-निरपेक्षता की अपनी नीति की घोषणा की, हमने परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचन बद्धता की घोषणा की जो विश्व भर के बच्चों की सुरक्षा के लिये है। आज मैं सरकार एव विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विदेश नीति की इस परम्परा को बनाए रखा जाये।

हमने अस्सी के अंत तथा नब्बे के आरम्भिक दशक में हमने क्या देखा ? हमने सोवियत संघ का विनाश देखा। सोवियत संघ के बिखराव तथा अलग अलग राज्यों में बिखर जाने के साथ दो-धुवीय विश्व एक धुवीय विश्व में बदल गया। आज क्लिटन प्रशासन अपने परमाणु हथियारों के साथ एक धुवीय विश्व का मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। वे अपने हथियारों के लिये अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में स्थायी बाजार बनाने के प्रयास कर रहा है।

आज मैं सुझाव देता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि हमें छद्म अमरीकी साम्राज्यवादी ताकतों की इस धारणा का विरोध करना चाहिये। हमें अपने बाग को उनके द्वारा हथियारों की बिक्री के लिये उपयोग में लाने की अनुमति नही देनी चाहिये। इन साम्राज्यवादी ताकतों का लक्ष्य हमारे ऊपर परमाणु अप्रसार सन्धि लादने का है। भारत ने ही इसका

विरोध किया, इससे इन्कार किया और महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसे रद्द कर दिया।

आज यह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबद्ध सन्धि और कुछ नहीं परमाणु अप्रसार सन्धि की दूसरी किस्त है। हमें इसका विरोध करना चाहिये, हमें इसे इन्कार करना चाहिये और हमें इसे रद्द करना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में सर्व सम्मिति बनाने के लिये पहल करनी चाहिये और यह आवाज उठानी चाहिये कि "व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि नहीं" परंतु "व्यापक शस्त्र बिक्री प्रतिबन्ध सन्धि" लागू होनी चाहिये। यदि हम हथियारों की बिक्री को नियन्त्रित करेंगे तो सन्धि की बात विश्व के लोगों के सामने आ जायेगी।

मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं परंतु मैं समय की कमी के कारण उनको यहां दिखा नहीं सकता। आज अमरीका में 5-6 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के पास बड़ी संख्या में शस्त्र तथा परमाणु हथियार हैं।

सभापति महोदय : श्री प्रथमेस मुखर्जी आपने तो कहा था कि आप तीन मिनट में समाप्त कर रहे हैं किन्तु पांच मिनट से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

प्रमथेस मुखर्जी : महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं। बस एक मिनट और।

यह उनका व्यापार तथा उद्योग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बम बनाना बम संस्कृति का हल नहीं है। बम के साथ खेलना बम संस्कृति का हल नहीं है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने आप को तैयार करना चाहिये, हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता होनी चाहिये। परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर करती है। यदि देश की जनता को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा स्वतः मिल जाती है। और उससे आधी लडाई जीत ली जाती है।

अतः मैं माननीय विदेश मंत्री और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों की ओर ध्यान दिया जाये। हमें बम के व्यापार, बम उद्योग, बम संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं देना है। परंतु इसके साथ ही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपनी आवाज उठाकर कहे कि हम बम संस्कृति से बचना चाहते हैं, हमें इसे सीमित करना है और इससे लडाई करनी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैंने कई बातें कही हैं। मैंने माननीय सदस्यों के भी भाषण सुने हैं। परंतु केवल शब्दों की स्थिति की नहीं बता सकते या नीति की स्थिति नहीं बता सकते। स्थिति या नीति के गुण तो कामों से ही पता चलते हैं।

मैं माननीय विदेश मंत्री से तदनुसार कार्यकर्त्ता करने का अनुरोध करता हूं और आवाज उठाने और इस सभा की एक आवाज उठाकर भारत की जनता और विश्व की जनता को यह बताने का अनुरोध करता हूं कि हम डरपोक नहीं है और हम साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ सकते हैं। अतः हमें व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहियें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी. आर. दास मुंशी (हावड़ा) : मैं केवल कुछ टिप्पणियां ही करूंगा।

यह वर्ष अमरीका में मि. बिल क्लिंटन के लिये चुनाव का वर्ष है। सी.टी.बी.टी. उनके चुनाव के एजेन्डा की एक मद है। इस साल जनवरी में अपनी संसद के सामने दिये गये एक भाषण में उन्होंने कहा था :

> "रूस के साथ स्टाई—II सन्धि के कारण हमारे परमाणु हथियारों में 25 प्रतिशत कमी आ जायेगी। मैं कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि इसकी पुष्टि की जाये। हमें इस साल व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करके नए परमाणु हथियार बनाने की होड़ को बन्द करना चाहिये।

अमरीका में उनका यह चुनाव एजेन्डा है। मैं दूसरे देशों से इस पर हस्ताक्षर कराने के लिये उनकी गंभीरता को जानता हूं। मैं माननीय विदेश मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जकार्ता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय को स्थिति से निपटने के लिये तैयार किया। परंतु इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिये पूर्ण आदर की भावनाएं रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अपने दस्तावेज ठीक से प्रस्तुत करने और उनमें अपने दृष्टिकोण को साफ ढंग से प्रस्तुत करने और कमियों को बताने में असफलता दिखाई है। उसका दोष इस समय मैं विदेशमंत्री श्री गुजराल पर नहीं डाल रहा। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी उसने उस ढग से रुख नहीं बनाया जिस ढंग से चाहिये था।

श्री राजीव गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विशेष सत्र में 1988 में दिये गये भाषण में जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उस पर स्पष्ट बातों का उल्लेख किया गया था और उन खतरों का उल्लेख किया गया था जो आज सामने आ रहे हैं। यदि हमने उन का विश्व भर में अनुसरण किया होता तो आज सारे राष्ट्र को हमारे विचारों का पता होता। हमें हर एक के पास जाकर यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम इस सन्धि का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल स्पष्टकरण मांग रहे हैं और इसी कारण हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार है कि विदेश मंत्रालय ने अपेक्षित भूमिका अदा नहीं की।

मै एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज से दो मिनट मैं कुछ पढूगा यह मि. यू.सी. बोडान्सकी की अध्यक्षता वाली अमरीका के निचले सदन की अपारम्परिक युद्ध विषयक संसद की समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इसमें कहा गया है :

> "पाकिस्तान अपने राष्ट्रपति जिया के इस सिद्धांत पर अड़ा रहा कि भारत और सोवियत संघ के विरूद्ध आस्तित्व में रहने के लिये पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की जरूरत है परमाणु हथियार

परमाणु छतरी के अधीन भारतीय जवाबी कार्यवाही को देखते हुए कश्मीर में संघर्ष को तेज करने की इस्लामाबाद की निश्चयात्मक नीति का मुख्य आधार बन जाये।"

महोदय इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकलप खुले रखने चाहिये। हमें इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस पर हस्ताक्षर करने के लिये हमें क्या आपत्ति है, हम इस बारे में ठीक से प्रचार अभियान नहीं चला पाये हैं। ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से हट कर इस पर हस्ताक्षर न करने के लिये सरकार के साथ सहमत हो रही हैं।

हम सरकार से दो बातों का अनुरोध करते हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ द्वि-पक्षीय बातचीत में हमें सन्धि पर हस्ताक्षर न करने की प्रतिछाया नहीं पड़ने देनी चाहिये। रूस, पकिस्तान, चीन और अमरीका के साथ आर्थिक सहयोग या अन्य प्रमुख विषयों पर द्वि-पक्षीय बात चीत में हमें सी.टी.बी.टी. की छाया नहीं आने देनी चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो हम बरबाद हो जायेंगे। भारत को उस दिशा की ओर धकेलने में प्रयास किये जायेंगे। परंतु ऐसा न करें। मैं अपील करता हूं कि भारत में कोई भी ऐसा न करें।

दूसरी बात उस अभियान की है जो हमें आरंभ करना चाहिये। जैसा परमाणु अप्रसार सन्धि के समय पर हुआ था जब 1991 में सन्धि होने से पहले 1985 में हमने एक वैकल्पिक प्रस्तुत कर दिया था जिसमें विश्व भर में एक लहर पैदा कर दी थी। इस बार हम उस तरह का अभियान चलाने में किस कारण असफल रहे हैं ? मैं विदेश मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसी कारण मैंने उत्तरदायित्व लेकर यह कहा है कि हमारी सरकार उस तरह का कदम ठीक वक्त पर उठाने में व्यापक असफल रही जिस तरह का श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विशेष सत्र में उठाया था।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार के द्वारा उठाये गये कदम का समर्थन करता हैं। मुझे विश्वास है कि यदि सभी पार्टियां एक रहेंगी--चाहे कुछ भी षडयंत्र हो--और यदि परमाणु विकल्प को खुला रखा गया तो देश की आन्तरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाया जा सकेगा।

डा. जयंत रंगपी (स्वशासी जिला-असम) : अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहदी हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। जिस ढंग से सरकार तथा संसद ने लिया है मैं उस पर चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सर्व सम्मति बनाई जा सकती थी। परंतु मैं नहीं जानता कि सरकार संसद के सामने किस कारण में नहीं आई है। सरकार ने जकार्ता जाने से पहले या जनेवा जाने से पहले संसद के विचार जानने का भी प्रयास करना भी जरूरी नहीं समझा। संसद से मेनडेट बातचीत के दौरान सरकार के लिये अतिरिक्त ताकत सिद्ध हुआ होता। मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्री के इस सुविधा से अपने आप को वंचित रखा है।

संसद में भी इस विषय को बहुत लापरवाही से लिया है। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिये 2-3 मिनट का समय दिया गया है। इससे ऊपर चर्चा लगातार जारी नहीं रखी गई है। कल इसमें बाधा आई और आज भी इसे गैर सरकारी सदस्यों के समय में लिया गया और जारी रखा जा सका है। मैं इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत ही अहम मसला है। इसका संबंध देश की रक्षा और सुरक्षा से है। अतः भविष्य में हमें इस तरह के मसलों के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये। हमें अपने नियमों में संशोधन करने चाहिये ताकि इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि, जो अपरिवर्तनीय हो, संसद की 2 तिहाई सदस्यों की सहमति लिये जाने के पश्चात ही की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो चुका है।

डा. जायंत रंगपी : मैं सी.टी.बी.टी. के लाभों का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु मैं केवल एक बात का उल्लेख कर रहा हूं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ व्यवहार में किसी न किसी तरह भारत ने कमजोरी में संकेत दिये हैं। शायद हमने यही तरीका गेट समझौते अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उठाया। किसी न किसी तरह से यह संकेत भेजा गया कि भारत को दबाया जा सकता है, भारत को बाध्य किया जा सकता है और थोड़े से दबाव के साथ या लालच के साथ भारत को अमरीका की इच्छाओं के प्रति रोका जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को किसी न किसी तरह से जाने-अनजाने इस तरह का संकेत दिया गया है।

मैं यह कह अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि भारत अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हो और निश्चित तथा सोचविचार कर कदम उठाये। एक बहुत सी मजबूत प्रतिक्रिया भेजी जानी चाहिये। मि. वारेन क्रिस्टोफर ने धमकी दी है कि अन्तर्राष्ट्रीय लाबी भारत के विरूद्ध है और भारत ने यदि इस पर हस्ताक्षर नहीं किये तो इसे अलग-थलग कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा. जयंत रंगपी : हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे विरूद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे। अपनी नई पैदा हुई राष्ट्रीय ताकत के साथ हम दबाव की इन सभी नीतियों का सामना कर सकते हैं। भारत को ऐसे अवसर पर मौका मिला है। हम समय-बद्ध आधार पर सम्पूर्ण विश्व को परमाणु निशस्त्रीकरण के मार्ग पर और अन्तता विश्व-शांति की ओर ले जा सकते हैं।

मैं सरकार के सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आक्रामक राजनितिक नीति अपनायेगी ताकि परमाणु निशस्त्रीकरण पर अपने रुख को, जो सी.टी.बी.टी. से जुड़ा है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचायेंगे।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदया मैं भी माननीय विदेश मंत्री तथा सरकार द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है कि यह दृष्टिकोण या रुख केवल सरकार का न होकर राष्ट्रीय रुख है। इस देश के सार्वजनिक जनमत के सभी वर्गों का यह मत है।

हमें विश्वास है कि हमने जो प्रतिक्रिया दिखाई है उस पर दृढ

रहेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि "हम अब आगे क्या करें"। मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनके कारण हमने यह रुख अख्तियार किया है क्योंकि अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में उल्लेख किया है।

सो अब हम क्या करें ?

हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। कि पाकिस्तान ने क्या नया रुख अख्तियार किया है, अब तक पाकिस्तान कह रहा था कि जब तक भारत हस्ताक्षर नहीं करता पाकिस्तान भी इस सन्धि पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा। परंतु आज उसने कहा है कि उसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे चाहे भारत इस पर हस्ताक्षर कर भी दे। इस तरह इससे एक नई विचारधारा और एक नया खतरा पैदा हो गया है। अब हमारे सामने सुरक्षा का एक नया स्वरूप है। अतः हमें इस बिन्दु को भी ध्यान में रखना है।

दूसरी बात यह है कि अमरीका ने कहा है कि यदि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो, यह एक राजनैतिक सन्धि है, हमें परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा है। हम उन परिणामों का किस तरह सामना करेंगे यह हम माननीय विदेश मंत्री और भारत सरकार से सुनना चाहते हैं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा यह कहते रहें है कि हम पूर्ण निशस्त्रीकरण चाहते हैं। परंतु इस तरह के टुकड़ों में उठाये गये कदमों से, जिन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। क्या विदेश मंत्रालय का रुख राष्ट्रीय नीति में परिलक्षित होगा ? हम अपनी रक्षा सेवाओं पर बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। हमने यह रुख उठाया है कि जिसका अर्थ यह है कि हम और परमाणु परीक्षण करेंगे और अधिक परमाणु हथियार बनायेंगे। परंतु क्या हम रक्षा सेनाओं पर अधिक धन व्यय करके वास्तव में ऐसा कर रहे हैं ?

वास्तव में इस साल के बजट में कहा गया है कि हम रक्षा पर कुछ कम व्यय करेंगे क्योंकि पिछले साल की तुलना में वेतन बिल में जो वृद्धि हो गई है वह रक्षा बजट में इस साल की गई वृद्धि से पूरी नहीं की जा सकेगी। इस तरह यह हमारा दृष्टिकोण है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस तरह के दृष्टिकोण के साथ ही गर्व एवं प्रसन्नता हासिल नहीं हो जानी चाहिये कि हमने अमरीका के साथ कठोर रुख दिखाया है। इसे हमारे द्वारा दिये जा रहे कार्यों में भी प्रतिफलित होना चाहिये। केवल मात्र अपनी चतुराई दिखाने के लिये ही हमें यह नहीं कहना चाहिये कि हम अमरीका के रुख का विरोध कर रहे हैं और हम दबाव के आगे झुक नहीं रहे हैं। हमें ऐसा निश्चित रूप से करना चाहिये किन्तु हमारी अन्य नीतियों से भी यह दिखाई देना चाहिये।

अन्यथा, खाली दृढ़ शब्दों से ही परिणाम हासिल नहीं हो सकेंगे। महोदया, ऐसे भी देश हैं जो कोई परीक्षण नहीं कर रहे है। परंतु यह भी साध्य उपलब्ध है कि उनके पास परमाणु क्षमताएं हैं। अतः परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि मात्र ही किसी के लिये सहायक सिद्ध नहीं होन वाली है। परंतु हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिससे पूर्ण निशस्त्रीकरण लाया जा सके।

वास्तव में हमें आज अमरीका के नए रुख से हैरानी हो रही है। पहले यह देश दो महाशक्तियों के बीच निशस्त्रीकरण की बात करता था। अब वह देश उस स्थिति से नीचे आकर कह रहा है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि होनी चाहिये। जब माननीय मंत्री उत्तर दें तो उन्हें हमें यह बताना चाहिये कि सरकार अगला कदम क्या उठाने जा रही है।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : सारी सभा ने जो अभूतपूर्व समर्थन और प्रोत्साहन मुझे दिया है मैं उसके लिये सब का धन्यवाद करता हूं, मैं एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हूं। परंतु आज मैं जिस आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वह मेरी आवाज नहीं है। यह इस देश की संयुक्त आवाज है जो इस सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा उचित रुख से व्यक्त हुई है।

मैं जब अपने सामने बैठे हुए या अपने इस ओर व पीछे बैठे अपने मित्रों की ओर देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यह एक ऐसा बहुत बड़ा मौका है जब भारत की एक आवाज उठ रही है और यही भारत की भावना है। भारत की एक और दृढ़ता है अैर वह है भारत की प्रकृति। हम कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते और हम बहुत ही विनम्रता से यह बात कहते हैं जो हमें कहनी होती है। भारतीय कूटनीति की जहां तक बात है यही हमारी अभी तक आम नीति रही है। मैंने ही इसका पालन नहीं किया है अपितु मेरे पूर्वाधिकारियों ने भी इसी नीति का पालन किया। हम सबने एक ही नीति का अनुसरण किया है और वह है जब हमारे राष्ट्रय हितों का प्रश्न हो तो मजबूती के साथ हम इकट्ठे खड़े होते हैं। अतः मैं विभिन्न दलों के सभी नेताओं और सदन में सभी पक्षों के सदस्यों का, जिन्होंने इतने विद्वतापूर्ण ढंग से और मजबूती के साथ अपने विचार व्यक्त किये हैं, धन्यवाद करता हूं। इससे सरकार तथा हमारे पक्ष को बल मिला है।

इस सन्धि पर जिनेवा में ढाई वर्ष से बातचीत चल रही थी। इस संदर्भ में यह बताना रुचिकर होगा कि इन ढाई सालों में सरकारें बदली हैं मैं समझता हूं कि सत्ता में आने वाले सभी पक्षों ने, चाहे वे कुछ अधिक समय के लिये अथवा इस समय सत्ता में रहने वाले सभी पक्षों ने एक ही नीति का अनुसरण किया है। यही भारत की वास्तविक शक्ति है। पदासीन हुए सभी व्यक्तियों द्वारा भारत के जेनेवा स्थित राजदूत को एक समान आदेश रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि यहीं हमारी ताकत है। इस स्थिति में यह बड़ी विडम्बना की बात है कि कुछ परमाणु शक्तियों--पांच परमाणु देशों के पास ढेरों परमाणु हथियार जमा हैं और उनको इससे भी सन्तुष्टि नहीं है। मुझे याद है कि 1980 के दशक के आरंभिक भाग में जब हम परमाणु हथियारों के मसले पर चर्चा कर रहे थे तो यह अनुमान लगाया गया था कि इन पांचों देशों के पास जो हथियार जमा है वह सारे विश्व को नौ बार समाप्त करने के लिये काफी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वे विश्व को तेरह व चौदह बार क्यों समाप्त करना चाहते हैं। यही स्थिति जारी है। इस समय जिस सन्धि की वह बात कर रहे हैं मैंने एक बार कहा था कि वह एक पहेली है। इसके साथ उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी जिसके लिये यह की जा रही है। वास्तव में वे अपने हथियारों को और आधुनिक कर रहे हैं। मैं

इस संबंध में अपने मित्र ले. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी को इस बारे में की गई टिप्पणियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस बारे में उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से स्थिति का उल्लेख किया है।

इस समय दिक्कत यह है कि जेनेवा में जो भी बातचीत हो रही है वह उस आदेश को वास्तव में पूरा नहीं करती जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनको दिया गया था। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि बातचीत करने वालों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि ऐसी व्यापक परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि की जाये जो परमाणु निशस्त्री की प्रक्रिया के लिये सभी प्रकार के प्रसार को रोकने में प्रमावी योगदान करे और अन्तराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहायक सिद्ध हो।

यह आदेश था। क्या ऐसा किया जा रहा है ? क्या इसका पालन हो रहा है ? हमने बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से बार बार इस बात का उल्लेख किया है। इस जनादेश के अनुरूप मैंने अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि वास्तव में विस्तृत होनी चाहिये और इसमें ऐसी कोई कमियां नहीं रहनी चाहियें जिनके कारण परमाणु हथियारों वाले राज्यों को अपने परीक्षण स्थलों पर अथवा अपनी प्रयोगशालाओं में अपने हथियारों को अधतन बनाने व उनके विकास के लिये परीक्षण करने की अनुमति हो। मैं "प्रयोगशालाओं" शब्द पर बहुत बल देना चाहता हूं।

हम सी.टी.बी.टी. का महत्त्व यह समझते हैं कि इसके साथ एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया के गाग के रूप में विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण किया जा सके।

हम देखते हैं कि स्पष्ट ढंग से, साफ तौर पर खुले रूप पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा कदम व्यवहारिक नहीं है। और यदि यह अव्यवहारिक है तो इस सम्मेलन का क्या प्रयोजन ? ऐसा कहने वाले वही लोग हैं जो यह कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वे इस सन्धि के बहुत बड़े प्रचारक हैं। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि हथियारों को पूरी तरह खत्म करना संगव नहीं है। यह बहुत ही दुख की बात है कि सी.टी.बी.टी. आज जिस रूप से उगरी है, उस जनादेश के प्रति न्याय नहीं करती है। इसे परमाणु निशस्त्रीकरण के ढांचे में पूरी तरह उतारे बिना परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी।

मैंने यहा पर पहले गी कहा था कि हमारी परमाणु नीति बहुत साफ रही है। मेरे कुछ मित्रों ने पूछा है कि "हमारी परमाणु नीति क्या है" ? अब तक पालन की जा रही अपनी परमाणु नीति का हमारे सी.टी.बी.टी. के लिये हो रही बातचीत में पूरी तरह स्पष्टरूप से उल्लेख किया है। यह नीति पूरी तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से सम्बद्ध है। हमने कभी गी इस विचार को स्वीकार नहीं किया है कि कुछ दिन सुरक्षा के लिये परमाणु हथियारों पर निर्गरता बनाए रख सकतें हैं और दूसरों को उस अधिकार से वंचित किया जाये। यह हमारी निरन्तर नीति रही है और कुछ वर्ग पहले परमाणु अप्रसार सन्धि को अस्वीकार करते हुए गी हमने यहीं कहा था।

इस पर चर्चा भी हो चुकी है। मैं इन बातों का बाद में उल्लेख करूंगा। हमें यह भी कहा गया है और सदन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया है कि प्रौद्योगिकी जानकारी हासिल करने पर भी प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आखिर आज के विश्व में चाहे हम शांति की बात करें, चाहे हम परमाणु विज्ञान को ले हर कोई अपने ज्ञान को बढाना चाहता है। भारत ऐसे देशों में से एक देश है जिसके वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उनको ज्ञान और प्रौद्योगिकी उपलब्धतों तो की वास्तव में चमत्कार दिखा सकते हैं। परंतु इसे कुछ देशों की मनोपली बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं जो मैंने कहा है कि हमें मंजूर नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय दिक्कत यह है कि विकल्प क्या है। हमारे विकल्प का प्रश्न उठाया गया है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम चाहते हैं कि हम अपना विकल्प खुला रखें। क्यों ? इसका कारण यह है कि हम किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकें—मैं दोहराता हूं कि राष्ट्र के सामने पैदा होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिये। यदि अन्य देश अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बात को स्वीकार नहीं करते तो हम इस विकल्प पर कोई रोक लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम इस बात के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं कि अन्य देश तो अपने हथियार कार्यक्रमों को खुले अथवा छिपे ढंग से जारी रख रहे हैं। आज यह स्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण हम अपना विकल्प रख रहे हैं।

मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर के बाद दूंगा कि हम अपने इस विकल्प का उपयोग कब और कैसे करेंगे। इस समय मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुछ और प्रश्न पूछे गये हैं और उनका उत्तर देने से पहले मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं और वह है मिस्टर क्रिस्टोफर का वक्तव्य जिसकी ओर मेरे मित्रों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि अमरीकी विदेश मंत्री ने सी.टी.बी.टी. पर बातचीत के बारे में, भारत की स्थिति सहित, संसद की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की थी वह सरकार के ध्यान में आई हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं भारत ने सी.टी.बी.टी. पर बातचीत के दौरान एक उचित और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। सी.टी.बी.टी. गारत की पहल का परिणाम है और हम अभी भी उस सी.टी.बी.टी. के समर्थक हैं जो वास्तव में व्यापक हो और परमाणु निशस्त्रीकरण प्रक्रिया के ढांचे के अनुसार हो। यह कहना गलत है, जैसा कि कुछ ने कहने की कोशिश की है कि भारत बातचीत की प्रगति में बाधक बन रहा है। इसके विपरीत हमने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है परंतु हमें इस बात का दुख है कि निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जेनेवा से मिले समाचार इस बात के संकेत देते हैं कि अन्य शिष्टमंडलों, विशेष रूप से चीन की आपत्तियों को दूर करने के लिये कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सन्धि के समाकेत पाठ में संशोधन किये जा सकते हैं। हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि उचित मतैक्य पर पहुंचने के लिये हमारी आपत्तियों और अन्य देशों की भी अपत्तियों की ओर ध्यान

दिया जाये। इस विचार के साथ हम जेनेवा में बीतचीत में लगातार हिस्सा ले रहे हैं।

मैंने 31 जुलाई को दिये गये अपने वक्तव्य में सदस्यों को सूचित किया था कि भारत के वर्तमान रूप में उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त हम सन्धि के प्रारूप में ऐसी किसी बात को रखने पर सहमत नहीं हो सकते जिसके अनुसार भारत पर कोई दायित्व आ पड़े। यदि ऐसा कोई प्रारूप पारित कराने का प्रयास किया जाता है तो हमें ऐसे प्रयासों का विरोध करना होगा। यह हमारा निश्चित रूख है।

हमने समाचार पत्रों में ऐसे समाचार देखें हैं कि कुछ शिष्टमंडल निशस्त्रीकरण सम्मेलन को नजरंदाज करने और सन्धि के पाठ को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में रखने के तरीके खोजने में लगे हुए हैं। यह तो प्रकियात्मक तरीके हैं। हम सभी मंचों पर सन्धि के बारे में अपनी स्थिति का उल्लेख करेंगे परंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि मेरे विधि विस्तार से यह बताना उचित और समीचीन नहीं होगा कि हम किस का रुख अख्तियार करेंगे। अनेक देश यह समझते हैं कि सन्धि के प्रारूप में जो रुख अख्तियार किया जा रहा है वह सन्धि की बातचीत की प्रक्रिया में अभूतपूर्ण है। फिर भी, वे छोटी संख्या में कुछ देशों के कठोर रुख के कारण संशोधन करने के विरुद्ध हैं।

मैंने अपने वक्तव्य में जकार्ता में अनेक विदेश मंत्रियों के साथ हुई उपयोगी बैठकों का उल्लेख किया था। जैसा कि सभा को पता है मैं विदेश मंत्री, मि. क्रिस्टोफर से भी मिला था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही अच्छी और मित्रतापूर्ण बैठक थी। अनेक विषयो पर चर्चा करते हुए हमने सी.टी.बी.टी. पर भी बातचीत की थी और हम उस पर सहमत नहीं हो सके थे। अमरीकी विदेश मंत्री और मैंने भारत अमरीका संबंधों पर बातचीत की जो कि सकारात्मक हैं और हमारे दोनों देशों के हितों के अनुरूप है। इस स्थिति में हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि एक मसले पर मतभेदों का असर उस पर नहीं पड़ना चाहिये जो अन्यथा लाभकारी है और आपसी द्विपक्षीय संबंधों के लिय उपयोगी है। विभिन्न अन्य विदेश मंत्रियों के साथ हुई मेरी बातचीत में भी जिनके साथ सी.टी.बी.टी. मसले के बारे में आपस में हमारे मतभेद थे, इस बात पर बातचीत हुई और उनमें से सब ने इस बात पर बल दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचें को जारी रखा जाना भी चाहिये।

यद्यपि कुछ मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है, मैं फिर भी मैं अपने मित्र ले. जनरल त्रिपठी द्वारा पूछे गये दो-तीन प्रश्नों का उल्लेख करूंगा। श्री त्रिपाठी ने हमारे परमाणु विकल्प के बारे में पूछा और पूछा कि इसके प्रयोग के लिये उपयुक्त समय क्या होगा। मैंने बताया है कि हम अपनी सुरक्षा की स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। मानवीय सदस्यों को पता है कि हमने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद संयम की नीति का पालन किया है। "उचित समय" एक जटिल मसल है। उसके लिये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश पर और राष्ट्रीय सुरक्षा में सिद्धांत पर और नीति पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। इस अवस्था पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हू कि सरकार परमाणु विकल्प को बनाए रखने के लिये पूरी तरह वचनबद्ध है।

उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि क्या हम सी.टी.बी.टी. पर अपना रुख बदल रहे हैं या नहीं। मैं अपनी स्थिति फिर से स्पष्ट करना चाहूगा जैसा कि मैंने 15 जुलाई को किया था जब मैंने बतलाया था कि भारत सन्धि के प्रारूप को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने दो दिन पूर्व कहा था वह एन्ट्री-इन्टू-फोर्स" से सबंधित भाषा के संदर्भ में था वह हमारे लिये चिंता का तात्कालिक कारण है और मैंने सभा को सूचित किया था कि हम निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस तरह की भाषा के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि हमारे द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिये जाने के बावजूद हमारे ऊपर बाध्यता लागू किये जाने की कोशिश है।

जकार्ता में अपनी द्विपक्षीय बातचीज के दौरान मैंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम निशस्त्रीकरण सम्मेलन में मतैक्य में हम बाधा खड़ी करेंगे। 29 जुलाई, 1996 को जेनेवा में हमारे राजदूत ने भी इस तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं।

एक अन्य प्रश्न मेरे से पूछा गया है और वह भी ले. जनरल त्रिपाठी ने ही पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्यता में हमारे बाधा डालने का क्या होगा ? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस समय बातचीत चल रही है और हम समझते हैं कि हम जो कुछ कह रहे है उसके बारे में दूसरों को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि निशस्त्रीकरण सम्मेलन को नजरंदाज करने के प्रयास किये गये तो वह अभूतपूर्व होगा। यह नियमों के अनुसार है। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता।

मेरा ध्यान मेरे मानवीय मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कलकत्ता में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है। मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मैं उनका कितना आदर करता हूं। मैंने परमाणु रंगभेद के बारे में वक्तव्य देखा है और मैं उनके विचारों से सहमत हूं। अतः सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार की नीति उसी प्रकार की है जो कुछ श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है।

शायद, डा. मलिकार्जुन यहां पर उपस्थित नहीं है। उन्होंने भी कुछ बातें उठाई थीं। वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वह काफी समय तक इस देश में रक्षा मंत्रालय का काम देखते रहे हैं। मैं उनके द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों की नहीं लूंगा किन्तु एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछा था कि क्या हमें संसद के दोनों सदनों का संयुक्त संकल्प पारित करने चाहिये या नहीं। इसका उल्लेख दूसरे सदन में भी दिया गया है। में इस पर अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं स्थिति पर नजर रखना चाहता हैं। शायद ऐसा समय आ जाये जब हमें मिल कर अपनी भावनाएं प्रकट करनी पड़ें और हमें संकल्प पारित करना पड़े। परंतु इस समय तो मैं केवल स्थिति पर नजर रखना चाहता हूं।

मानवीय सदस्य, श्री रूपचन्द पाल ने भी मुझ से पूछा था कि क्या इस स्थिति मे हम कोई कूटनैतिक कदम भी उठा रहे हैं या नहीं। मैंने कहा है कि हमने विश्व के सभी विदेश मंत्रियों को अपने रुख के बारे मे पत्र लिखा है और उनमें से अधिकतर के साथ अभी भी सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैंने अपने अन्तिम वक्तव्य में बताया था कि जकार्ता की अपनी यात्रा के दौरान मैं अनेक विदेश मंत्रियो से मिला भी था।

मुझे मालूम नहीं की श्री स्वैल सदन में उपस्थित हैं अथवा नहीं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की बात उठाई थी। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि 26 जून को हमने निशस्त्रीकरण सम्मेलन को यह सूचित किया था कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के साथ सहयोजित नहीं हो पायेगा। हमने आई एम एस के भाग के रूप में बनने वाले अपने केन्द्रों को इस प्रणाली से हटाने की सूचना दे दी। इसे नोट कर लिया गया। अब आई.एम.एस. सूची में भारत का कोई केन्द्र नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आई एम एस की स्थापना सी.टी.बी.टी पर हस्ताक्षर होने के बाद होगी। पहले प्रयोग के आधार पर नेटवर्क पर विचार किया गया था और उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था।

हमारे अपने भौद्रमिपक केन्द्र हैं। यह केन्द्र परमाणु परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत हैं। यह केन्द्र हमें हाल ही में किये गये चीन के परमाणु परीक्षणों जैसी घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि परमाणु हथियारों को राज्यों के निरन्तर ऊर्ध्व प्रसार के बारे में टिप्पणियां की गई है। मैं समझता हूं मैं इस बारे में अपने विचार स्पष्ट कर चुका हूं।

कुछ सदस्यों ने पूछा है कि क्या सी.टी.बी.टी. का कोई नया पाठ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका यह वही पुराना पाठ है अतः इसके बारे में हमारे विचार बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह ज़ी के ज्ञान और स्थिति की गहरी पैठ का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने निशस्त्रीकरण सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं जिस ढंग से इस सन्धि पर बातचीत हो रही है वह अभूतपूर्व है। हम निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस पर मतैक्य बनने से रोक सकते हैं परंतु महासभा इस पर नये सिरे से विचार कर सकती है। मैं और विस्तार में इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा में पहले बता चुका हूं अच्छा होगा कि मैं जब तक यह समस्या हमारे सामने बनी हुई है मैं इस अवस्था पर अधिक विस्तार से कुछ न कहूं।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सी.टी.बी.टी. में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों की स्थिति के बारे में पूछा है। उन्होंने चीन की स्थिति के बारे में जानकारी चाही है। चीन ने एक प्रश्न उठाया था कि शांतिपूर्ण परीक्षणों की अनुमति होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि उसके कारण कुछ गल्तफहमियां पैदा हुई हैं। चीन ने इस विकल्प की मांग केवल पांच प्रमुख शक्तियों के लिये की थी और दूसरों के लिये नहीं। इसी कारण हम चीन का समर्थन नहीं कर सके। यदि शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षणों हेतु अनुमति दी जाती है तो वह अनुमति सभी के लिये होनी चाहिये। चीन ने केवल पांच प्रमुख शक्तियों के लिये इसकी मांग की थी इसी कारण हमने इस विचार पर समर्थन नहीं किया।

मैं समझता हूं कि मैंने सारी बातों का उत्तर दे दिया है। परंतु अपने स्थान पर बैठने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की ताकत मूल रूप इसकी एकता में है। हमने एक हो कर जो कुछ कहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। यह संगठित आवाज केवल ताकतवर ही नहीं होती अपितु निश्चयात्मक भी होती है। आपकी ओर से और मेरे में यदि कोई ताकत है तो उसकी ओर से मैंने कहा है कि हम अपनी ताकत को बिखरने नहीं देंगे। यदि आपको किसी दिन समाचार पत्रों में यह पढ़ने को मिले कि हम अपनी ताकत को बिखरा रहे हैं तो उसके बहाव में न आ जायें। हमने अपनी सीमाओं को साफ-साफ बता दिया है। हम जानते हैं कि हम क्या रुख ले रहे हैं। हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं और हमारी सुरक्षा किस पर निर्भर है। अपनी ओर से तथा सरकार की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं—मुझ में यह कहने की हिम्मत है कि आप सब की ओर से—हम मिल जुलकर खड़े होंगे और हम अपने हितों की रक्षा करेंगे।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर धरने पर बैठे हुए 15 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली ये ......**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे बाद में उठायें।

श्रीमती मीरा कुमार : एक महिला का उत्पीडन हुआ है।... **(व्यवधान)**। यह मामले काफी लम्बे समय से चल रहा था। दिल्ली सरकार के एक मंत्री का इसमें हाथ है। विधायक 'धरने' पर बैठे हुए हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह उचित व्यवहार नहीं है। कृपया बैठ जायें।

...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार : यह एक महिला की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह उचित व्यवहार नहीं है।

...**(व्यवधान)***

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री सत्यपाल जैन (चन्डीगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह किस नियम के अधीन उस मसले को उठा रही हैं ?...**(व्यवधान)***

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ?

...**(व्यवधान)***

सभापति महोदय : सदन में व्यवहार करने का यह ढंग नहीं है।

...**(व्यवधान)***

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस तरह का बेहेवियर बिल्कुल नहीं चल सकता है। आप बैठिये।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग बैठ जाएं। इस तरह का बेहेवियर नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य आरंभ हो गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जी बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मैम्बर्स आवर है। चित्त बसु जी आप शुरू करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 4.38 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269, आदि का संशोधन)

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने के प्रस्ताव को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित बसु : मैं विधेयक पुनर स्थापित करता हूं। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह वास्तव में भर्त्सना किये जाने योग्य है। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाये। मैं इस सब की अनुमति नहीं दे सकती।

...(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग हाउस को क्या बनाना चाहते हैं ? किसी को बोलने की परमिशन नहीं मिलेगी ?

[अनुवाद]

अपराह्न 4.39 बजे

इस समय पर कुमारी ममता बनर्जी

सभा पटल के निकट आकर खड़ी हो गई।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ममता जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सदन में व्यवहार करने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जायें। यह अच्छा व्यवहार नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदया, यह महिलाओं का मामला है।

सभापति महोदय : अभी कोई परमिशन नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप लोग बैठ जाईये। यह सदन नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कुछ भी चिल्लायें। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका अपना आवर है। क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस बात को उठाने का यह समय नहीं है। जिस समय उठाना चाहिये था, आपने उठाया नहीं। अब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पिछली बार भी पी.एम.बी. नहीं हो पाया था, क्या इस बार आप नहीं करना चाहते हैं ? क्या इसे करने की आपकी इच्छा नहीं है ?

[अनुवाद]

अपराह्न 4.43 बजे

इस समय पर कुमारी ममता कुमारी अपने स्थान पर वापस चली गई

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.44 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर रोज कितने शून्य घंटों का सदन सहन कर सकता है ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अतिरिक्त और कोई मामला नहीं उठाया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आपने इस महिला सदस्यों को इस मद के बाद मामला उठाने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी थी।

श्री मनोरंजन भक्त : उस कार्यमद के बाद क्या आप उसे अनुमति देंगे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है, हम पहले से ही कई घंटे बरबाद कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.45 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

श्री चित्त बसु (बरसाट) : मैं समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधी विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और इससे संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.45½ बजे

लोकपाल विधेयक

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक **व्यक्तियों और लोक सेवकों** के विरूद्ध दुराचरण के आरोपों तथा तत्संबंधी मामलों के लिये एक लोक पाल की नियुक्ति का प्राक्धान करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि **सार्वजनिक व्यक्तियों और लोक सेवकों के विरूद्ध दुराचरण** के आरोपों तथा तत्संबंधी मामलों की जांच के लिये एक लोक पाल की नियुक्ति का प्राक्धान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
(उद्देशिका, आदि में संशोधन)

श्री चित्त बसु : मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का-प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

---

* कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.47 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

अध्यक्ष महोदय : डा. सुब्बारामी रेड्डी को उनके विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहने से पूर्व हमें इस विधेयक के लिये समय नियम करना है। क्या हम दो घंटे का समय तय कर सकते हैं ? मेरे विचार से इस विधेयक के लिये 2 घंटे पर्याप्त हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

डा.टी. सुब्बरामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

शिक्षा मानव में ज्ञान की दीप जलाती है और अज्ञानता को नष्ट करती है। इसी कारण नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना सारे विश्व में हर देश की पहली प्राथमिकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में सरकार को शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश है और अनुच्छेद 41 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। परंतु दोनों अनुच्छेद, जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का भाग हैं, अभी तक केवल कागज पर लिखी बात ही रही है, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 45 में देश भर में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये सर्वव्यापी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिये 10 वर्ष की अवधि तय की गई थी। इसी तरह अनेक राज्य विधान सभाओं ने भी इस विषय पर कानून बनाये हैं परंतु यह कानून भी उनके महत्त्व के बावजूद कार्यान्वित नहीं किये गये हैं।

अपराह्न 4.48 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

इस संबंध में देश की स्थिति आज यह है कि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे प्रायः शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि या तो माता-पिता पुस्तकों, कापियों, यूनीफार्म, जूतें, लिखने की सामग्री, आदि जैसी जरूरी शिक्षा सामग्री अपने बच्चों को मुहैया कराने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि इन वस्तुओं का खर्चा उनकी पहुंच से बाहर होता है और या बहुत से माता-पिता कुछ हद तक अपने बच्चों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करते हैं या उनके काम से मिलने वाली आय पर निर्भर करते हैं हालांकि वह आय बहुत ही कम होती है। जब तक कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से पिछड़े मातापिता की उनके बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा सामग्री की व्यवस्था में सहायता नहीं करेंगी तब तक देश के बच्चों के लिए सर्वव्यापी शिक्षा का लक्ष्य दूर की बात बना रहेगा।

इसके साथ ही यदि सर्वव्यापी शिक्षा को वास्तविकता बनाया जाना है तो देश में वरिष्ठ माध्यमिक और अन्य स्कूलों की संख्या में कई गुणा वृद्धि की जानी होगी। यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं के बीच सक्रिय सम सहयोग है साथ ही हो सकता है।

अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकार देश में सर्वव्यापी शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिये उच्चतर माध्यमिक स्कूल पर्याप्त संख्या में स्थापित करें तथा निर्धन माता पिता के बच्चों को निशुल्क जरूरी शिक्षा सामग्री मुहैया कराये।

अतः मैं इस विधेयक को प्ररःस्थापित करने के महत्त्व पर बल देना चाहता हूं।

मैं इन दोनों विधेयकों को पुरःस्थापित करने के महत्त्व पर जोर देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमें अपने देश की महान सांस्कृतिक विरासत को याद रखना है। शायद हम सब जानते हैं कि यदि हम हजारों साल पहले के इतिहास को भी देखें तो देखेंगे कि हमने पहले संस्कृति पाई और बाद में दूसरे देशों ने हम से सब कुछ सीखा। इतना ही नहीं हम यह भी सुनते हैं कि वेदों ने हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान दिया। विश्व के आम देशों ने हमारे देश से ज्ञान हासिल करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है। परंतु दुर्भाग्य से आज हमारे देश में केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं और अधिकांश लोग शिक्षित नहीं हैं। मुझे इस पर बड़ा अफसोस है।

यदि हम इस देश में लोकतन्त्र के फलों का स्वाद लेना चाहते हैं, यदि हमें इस देश में लोकतान्त्रिक मूल्यों को हासिल करना चाहते हैं, यदि हम इस देश में लोकतान्त्रिक अधिकारों को देखना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा का बहुत महत्त्व है। ज्ञान, विज्ञान और विद्या से उद्‌भव जब होता है, तब इंसान को सब कुछ मिलता है। भगवत् गीता का यह दर्शन है। परंतु मात्र दुर्भाग्य से आजादी के इतने सालों के बाद भी हर कोई शिक्षा को बहुत कम महत्त्व दे रहा है।

अब ऐसा समय आ गया है जब सारे देश को एक जुट होकर यह समझना चाहिये कि हमें संविधान के अनुच्छेद 45 तथा 45 (1) के उपबन्धों को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करना चाहिये जिनमें 14 वर्षों तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की बात है।

हमें एक बात और भी याद रखनी है। तेलुगु और संस्कृत में एक कहावत है

"एन्दरो अमरजीवुलु वारि अमुल्य जीवितालनु त्यागमुचेसि, वारि वेच्चनि रक्तान्नि भारतमाता पादपद्मालकु पायणि काविन्चि एर्रकोटा बुरुजुपै त्रिर्णा पताकान्नि एगरवेसि, अंखकोटला भारतीयुलकु स्वातंत्रम प्रसादिन्चिना महनीय देशम"

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने अधिक महान देशभक्तों ने अपना जीवन न्यौछावर किया और अपने गर्म खून के साथ भारत माता के चरण कमलों का अभिषेक किया तथा लाल किले पर ध्वजारोहण करके आजादी दिलाई। यह इतना महान राष्ट्र है और आज हम देश में है कि गरीबी, निरक्षरता और हताशा तथा निराशा और निस्पृश्ता देखते हैं। हमें इस बात को देखना है कि इसके क्या कारण हैं ?

अपराह्न 4.53 बजे

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

एक ओर हम चाहते हैं कि सरकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे परंतु दूसरी ओर हमें देखना होगा कि लोगों के दिलों में अपने आप प्रेरक्षा और स्फूर्ति पैदा हो। हम देखते हैं कि निर्धनता तथा अज्ञानता के कारण ऐसा नहीं है। अतः इस अज्ञान को दूर करने के लिये, गरीबी को दूर करने के लिये सरकार को सक्रिय हिस्सा लेना चाहिये।

इतना ही नहीं ऐसे लोग हैं जो गांवों में लोगों को शिक्षा मुहैया करा सकते हैं किंतु वे इसकी चिंता नहीं करते हैं। यह उनकी अज्ञानता और असावधानी है। अतः अब हम यह देखते हैं कि एक ओर शिक्षा की दूरी है और दूसरी ओर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे को मजदूर बनाया जाता है। चाइल्ड लेबर को देख कर दुख होता है और उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। एक ऐसी अवस्था आ गई है। जब हम इस आधुनिक समाज में बच्चे को मजदूर की तरह काम करते देखते हैं तो शर्म आती है। मुझे वास्तव में उनके लिये अफसोस है।

अतः गरीबी के उन्मूलन के लिये, हमारे देश में से बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिये इस देश में शिक्षा का बहुत महत्त्व है। हमें इसे ध्यान में रखना है। भाषण देना बहुत आसान है। लेकिन इम्पलीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। हर काम के लिये पैसा चाहिये, हम यह जानते हैं। अतः मैं एक पैरा पढ़ कर बताता हूं कि हम इसे किस तरह सफल कर सकते हैं।

> "हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हमारे नेताओं के लिये शिक्षा मुख्य चिंता का विषय था। उन्होंने अनुरोध किया कि कुल परिव्यय के 10 प्रतिशत का शिक्षा के लिये प्रावधान किया जाये।"

वास्तव में जैसा मैंने कहा है शिक्षा चिंता का मुख्य विषय था। कांग्रेस की राष्ट्रीय आयोजना समिति ने 1938 में सुझाव दिया था कि शिक्षा के लिये कुछ परिव्यय के कम से कम 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाये।"

वर्ष 1944 में गांधी योजना ने भी सुझाव दिया था कि कुल योजना परिव्यय के कम से कम 10 प्रतिशत का सांविधिक रूप से शिक्षा के लिये अलग से आरक्षण किया जाना चाहिये। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है? हर श्रमिक पांचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये आबंटन में कमी आ रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कुल परिव्यय का 7.22 आवंटन का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह 6.2 प्रतिशत हो गया, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में घटकर 5.2 रह गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना में और घटकर 3.3 प्रतिशत रह गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह 3.9 प्रतिशत था। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि यह आबंटन केवल सिद्धांत रूप से थे और आबंटित राशियों को वास्तव में पूरी तरह खर्च नहीं किया गया। सांतवी पंच वर्षीय योजना में उदाहरण के रूप में, कुल परिव्यय का 3.9 प्रतिशत शिक्षा के लिये रखा गया था परंतु वास्तव में शिक्षा पर 3.6 प्रतिशत का ही व्यय हुआ। इस तरह सरकार उन महान नेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार, जिनके प्रयासों के परिणामस्वरूप हमें आजादी मिली थी, शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं की जा रही है।

अतः आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे देश में शिक्षा प्रणाली की स्थिति क्या है? विश्व के कुल निरक्षरों का 60 प्रतिशत नौं देशों में है। यदि आप सम्पूर्ण देश को देखें तो इन नौ देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, मैक्सिको, आदि देश आते हैं। वर्ष 2000 तक भारत में निरक्षरों की सबसे अधिक संख्या होगी। विश्व के हर 100 लाख निरक्षरों में से 50 लाख भारतीय हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण विश्व के 50 प्रतिशत निरक्षर भरतीय हैं। इसे देखकर हमें शर्त लगती है, दुख होता है और हम सोचते हैं उज्जवल दिन कब आयेगा।

क्या आप इसका स्वप्न देखेंगे। भारत के 600 से 700 लाख आदिवासियों में हर 100 महिलाओं में से 91 महिलाएं लिख-पढ़ नहीं सकतीं। आन्ध्रप्रदेश के मंडक जिले में, जहां से किसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता था, हर 100 आदिवासी महिलाओं में से 2 महिलाएं भी साक्षर नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इस कमी के लिये कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस सरकार के समय में इन आंकड़ों में गिरावट आई है क्योंकि 45 साल तक इस देश में कांगेस ने राज किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दें।

डा.टी. सुब्बरामी रेड्डी : मित्र यहां पर हमें मानवीय दृष्टिकोण से बात करनी है। आओ हम एक मिनट के लिये यह भूल जायें कि हमारा संबंध अलग अलग दलों से है और देश के अलग अलग हिस्सों से हैं हम एक उद्देश्य से एक जुट हैं। हम सबका यहीं फैसला, निष्ठा और विचार होना चाहिये। कृपया मेरी बात की ओर ध्यान दें। जब इंसान अच्छे काम करता है तो सबको उसे एक ही दृष्टि से देखना चाहिये, भाषा या दिल या मन के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिये।

अतः मैं यह नहीं कह रहा कि कांग्रेस महान है या कम्यूनिस्ट महान है व आजादी बड़ी है। आज हमें विश्व के इस सबसे बडे लोकतन्त्र, इस महान राष्ट्र के सम्प्रदाय की बात करनी चाहिये। आज हमारे लोग वोट के महत्त्व को नहीं समझते। दुर्भाग्यवश लोग बेकसूर हैं। वे नहीं जानते कि वोट किसे देना है। आप थोड़ी शांति रख लीजिए।

व्यक्ति एक बार शिक्षित हो जाये तो उसे इस लोकतान्त्रिक देश में वोट के महत्त्व का पता चल जायेगा और यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। अतः हम एक मिनट के लिये सारी राजनीति को भूल जायें। 1991 की जनगणना से पता चलता है कि आजादी में 47 साल बाद भी भारत की 52 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है और केवल 39 प्रतिशत को ही साक्षरता का लाभ मिल पाता है। देश के ऐसे 9 राज्य हैं जिनमें साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे है। उदाहरण के रूप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे चार राज्य हैं जिनकी कुल जनसंख्या देश की कुल जनसख्या का 39 या 40 प्रतिशत है। इसमें उड़ीसा और

आन्ध्र प्रदेश को जोड़ने से, जिनकी साक्षरता दर क्रमशः 48 और 45 प्रतिशत है, भारत के 6 सबसे बड़े राज्यों में रहने वाली जनसंख्या का लगभग 51 प्रतिशत अज्ञानता, निरक्षरता में रह रहे हैं और इसी कारण गरीबी है। देश में इन राज्यों में, जो सबसे बड़े राज्य हैं, बिल्कुल साक्षरता नहीं है। हम सभी को इसके लिये संघर्ष करना चाहिये कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आदि जैसे राज्यों की ओर जरूरी ध्यान दिया जाना चाहिय। सच्चाई यह है कि इन सभी राज्यों में, महिलाओं में साक्षरता की दर 35 प्रतिशत से कम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में साक्षरता दर क्रमशः 28, 39, 26 और 23 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री राजेश पायलट (दौसा) : राजस्थान की क्या है ?

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : राजस्थान की दर केवल 26 प्रतिशत है। महोदय मैं आपको अब बताता हूं कि हमारे देश में शिक्षा की इस दुर्गति का क्या कारण है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 180,000 करोड़ रु. था। इसमें से शिक्षा का परिव्यय 6000 करोड रु. था। इसमें से राज्य क्षेत्र से हिस्से 3994 करोड़ रु. था। हमने आज किस तरह के शिक्षा आधार को तैयार किया है ? छात्रों की अधिकांश संख्या प्राथमिक स्कूलों में पढती है और अधिकांश प्राथमिक स्कूलों की इमारतें नहीं है, शिक्षा के न्यूनतम सहायक उपकरण नहीं है, उनमें फर्नीचर तक नहीं है। आज भी देश एक ही अध्यापक वाले स्कूलों से भरा पड़ा है।

इसके ऊपर मिडल स्कूल प्रणाली है। इन स्कूलों में पांचवी पास करने वाले छात्रों में से आधे भी दाखिला नहीं लेते। वर्ष 1991 में मिडिल स्कूलों में दाखिला न लेने वाले छात्रों की प्रतिशतता 42 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह है कि बच्चे स्कूल में प्रवेश तो लेते हैं किन्तु बाद में पढ़ाई बंद कर देते हैं। वे आठवीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं करते। इस तरह देश में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तथापि हमारा प्रयास यह होता है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले परंतु वास्तविकता यह है कि ऐसा बच्चा, जिसने स्कूल छोड़ दिया हो निरक्षर और अज्ञानी है। मिडल स्कूलों की स्थिति भी प्राथमिक स्कूलों से थोड़ी सी बेहतर हैं जहां से उनके पास बच्चे आते हैं, आठवीं कक्षा पास करने वाला छात्र, विशेषरूप से ग्रीमाण क्षेत्रों का छात्र कुछ हद तक साक्षर हो सकता है किन्तु उसकी अज्ञानता खत्म नहीं हुई होती।

हमें यह भी ध्यान में रखना है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। करोड़ों रुपए इस पर व्यय किये जा रहे हैं परंतु हम इससे वास्तविक परिणाम हासिल कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इस व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियां कुछ भी हों नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्ष बहुत ही दुखदायी स्थिति दिखाते हैं। आरंभिक लक्ष्य यह था कि 10+2 छात्रों मे से 10 प्रतिशत छात्र 1992 तक व्यावसायिक प्रणाली के अन्तर्गत आ जायें। परंतु इसकी सफलता केवल 2.21 प्रतिशत ही है। अतः इस दिशा में समय सीमा को 1995 कर दिया गया था। परंतु तब भी आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इस प्रणाली के अन्तर्गत क्षमता का उपयोग बहुत कम हुआ है। 1994 में 12 राज्यों में इस में दाखिला लेने वाले 5,00,000 छात्रों में से केवल 1,19,000 छात्र ही सफलता हासिल कर सके।

जहां तक उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करने की बात है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 487 करोड़ रुपए में से 59 प्रतिशत अर्थात केवल 289 करोड़ रुपए का राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया गया। यहां तक 198 करोड़ रुपए 1995 के अंत तक मंत्रालय के पास अप्रयुक्त रहे।

यदि सार्वभौमिक शिक्षा को वास्तविक बनाना है तो देश में वरिष्ठ माध्यमिक तथा अन्य स्कूलों की संख्या में कई गुणा वृद्धि करने की जरूरत है। ऐसा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों एवं निजी संस्थाओं के बीच सक्रिय सहयोग के साथ ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जब तक संघ सरकार और राज्य सरकारें निर्धन माता-पिता को अपने बच्चों को निशुल्क शिक्षा सामग्री मुहैया कराने में सहायता करने के लिये आगे नहीं आयेंगी तब तक सार्वभौमिक शिक्षा का उनका लक्ष्य देश के लिये दूर का सपना मात्र ही रहेगा। मैं सुझाव देता हूं कि पढ़ाई बंद कर दिये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदमं उठाये जायें :

(एक) निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, छात्रवृत्तियां, दोपहर काल का भोजन- जो व्यवस्था पहले से है —जैसे प्रोत्साहन मुहैया कराना;

(दो) साक्षरता के लिये समुदाय का सहयोग जुटाना, महिला अध्यापकों की भर्ती, छोटे बच्चों की देखभाल के लिये 'डे-केयर' केन्द्रों की व्यवस्था, होस्टल सुविधाएं-जो बहुत महत्त्वपूर्ण हैं- 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करना।

(तीन) प्रोत्साहनों के लिये नए कार्य केन्द्रों को कवर करना और शिक्षा एवं प्रशिक्षण को जिला संस्थाओं की स्थापना करके स्कूल अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था करना।

अतः उचित यह है कि सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर के और अधिक स्कूल स्थापित करे और निर्धन माता पिताओं के बच्चों को निशुल्क जरूरी शिक्षा सामग्री मुहैया कराना ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपको कितना समय और चाहिये ?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं लगभग 9½ मिनट का और समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसका जवाब भी देना है। उसके लिये भी तैयार रहिये।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : यदि आप चाहते हैं कि जनता की याददाश्त बेहतर हो और विश्व भर में अद्वितीय हो तो आपको इस देश में शिक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता देनी होगी। मेरा यह निश्चित मत है कि हर पार्टी इससे सहमत होगी।

लोकोत्रः न संघटनः न निरूपामान ''न सनिवेशः न द्वितीय''

हमारे माननीय प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि वे बडे मजबूत नेता हैं। वे ऐसा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राष्ट्र एक कीर्तीमान राष्ट्र बनेगा और इस लिये मैं यह विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा आप इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : दस-पांच मिनट और।

मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिये आबंटित किया जायेगा और सन् 2000 तक इसे हासिल कर लिया जायेगा और 50 प्रतिशत धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिये होगी और तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये विशिष्ट राशियां तय की जायेंगी ताकि 1998-99 तक 10 करोड़ व्यस्कों को स्व-रोजगार मिल सके और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य पूरा हो सके।

यह एक बहुत अच्छा और अभूतपूर्व उद्देश्य है। अतः इस उद्देश्य को कार्यान्वित किया जाना चाहिये और इसकी उपलब्धियां इस लोकतान्त्रिक देश में आने वाली सदियों के लिये याद रखी जाने योग्य होंगी।

मैं निष्कर्ष में यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमें एक सिद्धांत तय करना चाहिये। हमें ठोस आलोचना करनी चाहिये। हमें हमेशा प्यार करना चाहिये और अपनी उपलब्धियों को याद रखने योग्य बनाना चाहिये। हमें हर बात का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिये। हनें यह नहीं सोचना चाहिये कि "मैं बड़ा हूं और वह बड़ा नहीं है।" हमें इस बात में विश्वास नहीं करना चाहिये "कि मेरी पार्टी अच्छी है और दूसरी पार्टी कम अच्छी है।" एक महान उद्देश्य के लिये, एक कीर्तिमान भविष्य के लिये हम सब को एकता की जरूरत है और हमें एक चट्टान बन कर खड़े होना है और देखना है कि विश्व के भावी मानचित्र में एक उज्जवल विरासत छोड़ें।

अतः मैं कहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा का बहुत महत्त्व है। यह ठीक है कि हम शिक्षा में आगे बढ़े हैं। हमने कहा कि माता-पिता के सिर पर यह डर रहना चाहिये कि यदि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकेंगे तो उनको सजा मिलेगी। यह ठीक है कि हमारा देश लोकतान्त्रिक देश है। यहां पर बल के प्रयोग से कोई सहमत नहीं होगा। उससे विद्रोह पैदा होगा।

सर यह डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। थोड़ी-सी धमकी देकर, बाद में प्यार से और मानवता से इसे करना है।

हमें ऐसा विचार पैदा करना है कि "तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, केवल पांच या दस रुपये की बात न सोचो जो आपको अपने बच्चे को मजदूरी का काम करने के लिये भेज कर मिलते हैं। आपको उन्हें स्कूल अवश्य भेजना चाहिये।" इस तरह सरकार को कार्यवाही करनी है। स्वयंसेवी संगठनों को आगे बढ़ना चाहिये और ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिये जिनकी भावनाएं अच्छी हैं और बेकसूर माता-पिता को मानसिक रूप से इस बात के लिये प्रशिक्षण देने में सहायता करनी चाहिये कि वे अपने बच्चों को स्कूल में जाने से रोकने की गलती नहीं करनी चाहिये।

अतः मैं निष्कर्ष में यह कहना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक को लोकसभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। और इससे पता चलता है कि आप यह समझते हैं कि यह अच्छा काम है। मैं समझता हूं कि यहां पर बोलने वाले माननीय सदस्य निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। प्रधान मंत्री जी का बहुत अच्छा दिल है, अच्छा मन है और सेवा करने की भावना है।

यह संयोग की बात है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित थे। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से यह कहेंगे कि यह एक अच्छा विचार है और उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्देश्य है। यदि वे अपने स्वर के साथ घोषणा करते हैं तो यह बड़ी खुशी की बात होगी। हमें उससे प्रसन्नता होगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समिति देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आपके द्वारा प्रधान मंत्री के प्रति उद्गार प्रकट करने के बाद मैं प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.10 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर राज्य को ऋण राहत, केन्द्रीय योजना सहायता, विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के विकास के संबंध में।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, हमने जम्मू-कश्मीर के बारे में कुछ राहत के कदम उठाये हैं मैं उनके बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

आतंक से प्रभावित छोटे व्यापारियों को ऋण-राहत

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 23 जुलाई, 1996 को मैंने सभा में जम्मू-कश्मीर राज्य में संचार और बिजली क्षेत्रों में किन्हीं दीर्घावधि आधारढांचा परियोजनाओं के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्या मेरे साथ सहमत होंगे कि पर्यटन, बागवानी और हस्तशिल्प जम्मू-कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल हैं। लघु व्यापार और उद्योग, परिवहन और होटल जैसी अन्य गतिविधियां पर्यटन क्षेत्र का साधन बनती हैं। पिछले 6-7 साल में आतंकवाद के कारण इस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। 1986-87 में घाटी में आने वाले पर्यटकों की सात लाख की अधिकतम सख्या पिछले कुछ सालों में नगण्य मात्र रह गई है। इसका असर पर्यटन और सम्बद्ध गतिविधियों पर आश्रित हजारों परिवारों की जीविका पर असर पड़ा है। इससे प्रभावित होने वाले यूनिट और

व्यक्ति, जिन्होंने बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लिये थे ऋणों को अदा नहीं कर सके हैं क्योंकि पैसे की आवद रूक गई थी और ऋण के फंदे में फंस गये हैं। राज्य सरकार की पहचान के अनुसार लघु खेत्र के उद्योग और व्यापार, परिवहन, होटल तथा हाऊसबोट व्यापार से जुड़े 31000 लोगों ने 181.87 करोड़ रुपए के ऋण ले रखे हैं। पिछले 6 वर्षों में ऋणों की शायद ही कोई वापसी हुई है और इन ऋणों पर ब्याज की राशि ही बढ़ कर 212.76 करोड़ रुपए हो गई है। माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि आतंकवाद से पर्यटन में बाधा आई और पर्यटकों के न आने के कारण बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई और बढ़ती बेरोजगारी ने आतंकवाद को बढ़ने में सहायता दी। इस तरह एक कुचक्र शुरू हुआ।

अब जब हम लोकातन्त्रिक प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर रहे हैं और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि उन बेसहारा लोगों को, विशेषकर छोटे ऋण लेने वालों को कुछ राहत देना जरूरी है। अतः सरकार का विचार 50000 रुपए या उससे कम मूल ऋण लेने वाले सभी लोगों के बकाया ऋण तथा उस पर ब्याज को माफ करने का है। इससे ये छोटे ऋण लेने वाले अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिये बैंकों से फिर से नए ऋण ले सकेंगे। जहां तक 50000 रुपए से अधिक ऋण लेने वालों का संबंध है उनके ऋणों की वापसी की मोहलत बढ़ाने, ऋणों की वापसी को स्थगित करने, ब्याज की दरें कम करने और इस तरह की अन्य की जा सकने वाली राहतों पर विचार करने के लिए एक अन्तः मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को 1995-96 के लिये विशेष केन्द्रीय योजना सहायता

आतंकवाद के परिणामस्वरूप पैदा हुई जम्मू-कश्मीर राज्य की खतरनाक वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार समुचित वार्षिक आयोजना खर्चे को पूरा करने के लिये ही नहीं अपितु गैर-योजना खर्चे को भी पूरा करने के लिये भी जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए सहायता करती रही है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के डगमगाते बजट में पिछले तीन सालों में कुछ स्थिरता आई हैं। पिछले साल अर्थात् 1995-96 में संसद ने राज्य के लिये एक संतुलित बजट पारित किया जिसमें गैर-आयोजना व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था ताकि 1050 करोड़ रुपए का स्वीकृत योजना परिव्यय बनाये रखा जा सके। इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य ने पिछले साल पहली बार 1050 करोड़ रुपए का परियोजना व्यय पूरा खर्च किया। इस चालू साल का परियोजना व्यय फिर से 1050 करोड़ रुपए तय किया गया है। तथापि, पिछले साल की केन्द्रीय सहायता के साथ भी चालू साल के राज्य के बजट में 352 करोड रुपए का चालू खाते में घाटा है। इसका कारण विभिन्न मदों पर राज्य सरकार की अतिरिक्त वचनबद्धताएं हैं।

जब तक संसाधनों के इस अन्तर को इतनी ही राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरा नहीं किया गया तो राज्य के सामने अपने आयोजन व्यय को घटाकर 668 करोड़ रुपए करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण व संवेदनशील मौके पर जब राज्य सम्पूर्ण सामान्य स्थिति के रास्ते पर अग्रसर हैं, इस विकल्प से बचने की जरूरत है। अतः केन्द्र ने चालू साल में राज्य के बजट में 352 करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिये विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता देने का निर्णय किया है। ताकि 1050 करोड रुपए का सम्पूर्ण योजना परिव्यय का कुछ भी हिस्सा गैर-योजना खर्चे को पूरा करने के लिये अपवर्तित किये बिना विकास योजनाओं के लिये ही उपयोग में लाया जा सकें।

3. जम्मू में विस्थापित शिविरों में सुविधाओं में सुधार : माननीय सदस्य जानते हैं कि घाटी से विस्थापित हुए लोगों के 27000 परिवार जम्मू में स्वयं अपने द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत अथवा शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू में 13 शिविरों में दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है। यह सुविधाएं शौचालयों एवं स्नानगृहों जैसी सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करना, एक-दूसरे वाले और अधिक टेनमेंट बनाना, शिविरों में चलाये जा रहे स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण, शिविरों में जल निकासी सुविधाओं का सुधार आदि से संबंधित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य की प्रति हमें क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है ? पहले तो ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता था। क्या यह कोई नई प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है।

श्री एच. डी. देवेगौडा : सरकार द्वारा चालू वर्ष में शिविरों में उपरोक्त अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 6.16 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी।

4. लेह जिले में पर्यटन के लिये आधारढांचे का विकास : जबकि कश्मीर घाटी पर्यटकों का परम्परागत रूप से आखरी गन्तव्य रही है अब जम्मू, ऊधमपुर, लेह और करगिल जिलों में नए पर्यटन केन्द्र बन रहे हैं। लेह विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है और राज्य सरकार की जिले के स्मारकों को नया रूप देने की पहले से ही एक योजना है। क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिये मेरा विचार लेह में सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिये 2.40 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन करने का है।

5. कारगिल में हवाई अड्डे का विकास : माननीय सदस्यों को पता है कि जोगीला में भारी हिमपात के कारण शरत ऋतु में श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप कारगिल का संबंध साल में सात महीनों में शेष राज्य से कट जाता है। अतः सरकार ने 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कारगिल में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने को उच्च-प्राथमिकता दी है। इसका काम सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा चुका है। उसके द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण दो सालों में पूरा कर लिया जायेगा ताकि कारगिल नियमित वाणिज्यिक उड़ानों के लिये उपयुक्त हो सके। इस बीच सरकार का विचार वर्तमान पाक्षिक सेवा के स्थान पर गर्मियों के महीनों में कारगिल के लिये साप्ताहिक हैलिकाप्टर सेवा आरंभ करने का है। आवश्यक सबसिडी का भार सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. जम्मू शहर का दर्जा बढ़ाना : काफी समय से यह मांग है कि जम्मू शहर को बी-2 का दर्जा दिया जाये। किसी शहर को यह दर्जा

दिये जाने का मानदण्ड चार लाख जनसंख्या है। तथापि, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि राज्य में 1991 जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी थी। भारत के यहां पंजीयक का तथापि, विचार है कि जम्मू शहर की अनुमानित जनसंख्या 4.30 लाख है। अतः हमने जम्मू शहर को बी-2 नगर का दर्जा देने का फैसला किया है।

7. मुझे विश्वास है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप राज्य में आर्थिक गतिविधि के फिर से शुरू होने में काफी मदद मिलेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं ट्रैवल और टूरिज्म व्यापार का राज्य के लिये बहुत महत्व है। भारत सरकार राज्य सरकार की सलाह के साथ अपेक्षित आधारढांचा सुविधाएं मुहैया कराने और इस व्यापार से जुड़े लोगों तथा यूनिटों को सहायता देने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी ताकि कश्मीर जल्द से जल्द पर्यटकों के स्वर्ग के अपने पहले के दर्जे को फिर से हासिल कर सके।

8. मैं इस अवसर का लाभ उठा कर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने की सरकार की वचनबद्धता को फिर से दोहराता हूं। एक बार निर्वाचित सरकार के पदासीन हो जाने पर हम मतैक्य पर पहुंचने के लिये उसके साथ बातचीत करेंगे। ऐसा करते समय हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के जम्मू, लद्दाख तथा कश्मीर घाटी के सभी लोगों की आकांक्षाओं की ओर ध्यान दिया जाये।

9. मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि राज्य में लोकतन्त्र की बहाली, सामान्यता की बहाली में तथा राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता दें।

श्री सत्यपाल जैन (चन्डीगढ़) : महोदय, प्रधान मंत्री ने कश्मीर के विस्थापितों के लिये कुछ रियायतों की घोषणा की है... **(व्यवधान)**। कुछ विस्थापित ऐसे भी हैं जो दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में रह रहे हैं। क्या उन्होंने अभी अभी जो रियायतें घोषित की हैं उनका लाभ ऐसे विस्थापितों को भी मिलेगा ? यह मेरा पहला प्रश्न है ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें प्रधान मंत्री को इसके लिये बधाई देनी है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें।

श्री सत्यपाल जैन : मैंने पहले आपकी अनुमति ली है। सुबह एक मामला उठाया गया था... **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : यदि आप उनको अनुमति देंगे तो हमें भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। आपको एक व्यक्ति की इस ओर से तथा एक व्यक्ति को इस ओर से तथा एक व्यक्ति को उस ओर से... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लीजिये

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नार्मली स्टेटमैन्ट पर क्वश्चंस एलाउ नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी आप एक-एक क्वश्चन पूछ लीजिए।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई नहीं पूछ पायेगा।

...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

...**(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन : मैं प्रधान मंत्री से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं... **(व्यवधान)** पहला यह है कि क्या आपने जम्मू में रहने वाले विस्थापितों के लिये जिन रियायतों की घोषणा की है वह देश के अन्य भागों में रहने वालों को भी मिलेंगी। कुछ विस्थापित दिल्ली में भी हैं और देश के अन्य भागों में भी हैं। यह तो पहली बात है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने जिन रियायतों की घोषणा की है क्या जम्मू के अतिरिक्त अन्य स्थानों के विस्थापितों को भी वह रियायतें मिलेंगी अथवा नहीं।

सुबह भी एक मामला उठाया गया था। सारे वक्तव्य मे उसका कोई उल्लेख नहीं है। आपने वक्तव्य में यह उल्लेख नहीं किया है कि आप आतंकवाद को खत्म करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। सुबह मामला उठा कर यह कहा गया कि अमरीका के राजदूत वहां पर गये हैं और वह वहां पर कश्मीरी आतंकवादियों से बात कर रहे हैं। वह अन्य भागों में जाकर भी लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। उनका अपहरण किया जा रहा है। कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि आप आतंकवाद को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। अन्यथा आप वहां चुनाव नहीं करवा सकेंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैं शुरू में प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उनके द्वारा 23 जुलाई को दिये गये अपने वक्तव्य में कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया था। सभी राजनैतिक दलों के मन में संशय बने हुए थे और उनको कोई विश्वास नहीं था। मैं प्रधान मंत्री को उनके वक्तव्य के अन्तिम भाग में इस बात का उल्लेख करने के लिये बधाई देता हूं कि वह सभी राजनैतिक दलों से सलाह मशविरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपने अपेक्षित स्वायत्तता देने की सरकार की वचनबद्धता पर भी बल दिया है और आगे कहा है कि एक बार निर्वाचित सरकार के पदासीन हो जाने के बाद उसके साथ बातचीत की जायेगी। यह बहुत ही अच्छी घोषणा है। हमारी सरकार भी पिछले 2-3 सालों से इसी विचार पर काम कर रही थी।

मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं कोई प्रश्न नही पूछ रहा हूं। जम्मू-कश्मीर में इस तरह की भावना है कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को शिक्षा जैसे क्षेत्र में राज्य के बाहर जा कर ऊँचे पदों पर काम करने का अवसर नहीं दिया जाता। यह उनकी भावना है। अतः यदि माननीय प्रधान मंत्री इस पर विचार करें तो इससे सहायता मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में शिक्षा संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। हमारी सरकार के शासन काल

के दौरान हमने उनको कर्नाटक जैसे देश भर के सभी भागों में भेजा था। 10 से 20 लडकों को भेजा गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद करता हू कि जब वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे तो 15.20 लड़कों को इंजीनियरिंग कालेज तथा डेन्टल कालेज में दाखिला लेने में मदद की थी। अतः जम्मू-कश्मीर के लोगों को इन बातों की जानकारी दी जा सकती है। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि कुछ लोगों को, कुछ विशेष दल को जम्मू-कश्मीर में ऊंचे पदों पर भेजने पर विचार करें।

दूसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति बहुत सामान्य नहीं है ? जब हम भर्ती शुरू करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी के बीच कुछ मतभेद थे जिसके कारण हम अपने विचारों के अनुसार काम नहीं कर सके। मैंने सुझाव दिया था कि अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिये कद में 2 सेन्टीमीटर की छूट देने पर विचार किया जाये। यह निश्चित है कि इस से ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। यदि माननीय प्रधान मंत्री कुछ दया दिखायें तो उससे सहायता मिल सकती है। यह छूट महानिदेशक दे सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से उन्होंने यह मामला मंत्री महोदय के सामने रख दिया और हम दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गये। अन्ततः मुझे सफलता नहीं मिली। यदि प्रधान मंत्री उम्मीदवारों को कद में 2 सेंटीमीटर की छूट देने की रियायत देने का सुझाव मान लें तो कम से कम काफी संख्या में लड़कों को अर्द्ध सैनिक बलों में जाने का अवसर मिल सकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

श्री राजेश पायलट : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में जाने दिया जाये। मैं तो केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। आखरी बात नजरबन्द लोगों के बारे में है। पिछले 5 से 10 साल से लोग नजरबन्द हैं। क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूं कि गृह मंत्रालय में एक छोटी समिति का गठन करें और चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने से पहले सभी मामलों की समीक्षा करें। कई बार लोग कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और इसके कारण उनको परेशानी हो रही है। यदि सरकार इस बारे में निर्णय करे तो इससे मदद मिलेगी। 2500 मामलों में से 700 ऐसे मामले हैं जो कानून की पकड से निकल नहीं सकते। अन्य मामलों की समीक्षा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इससे जम्मू-कश्मीर के भाईयों को अच्छा सन्देश मिलेगा। मैं समझता हूं कि वे सभी बातों का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी सभी बातों का उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रधान मंत्री को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देता हूं। कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिये यह सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही सकारात्मक कदम है। उनकी कुछ लम्बित मांगों को पूरा किया गया है। प्रधान मंत्री ने ईमानदारी के साथ यह आश्वासन दिया है कि नई निर्वाचित सरकार के साथ आवश्यक स्वायत्तता दिये जाने के बारे में पूरी बातचीत की जायेगी। मुझे विश्वास है कि यह सरकार श्री राजेश पायलट और उनके वरिष्ठ लोगों द्वारा की गई गल्तियों को सुधारने की कोशिश करती रहेगी। श्री राजेश पायलट अब अपनी पिछली गल्तियों से सबक सीख रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : मैं विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि अब के बाद श्री राजेश पायलट और अन्यों का हमें सहयोग मिलेगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमेशा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ कितने लोग हैं। परंतु यह ऐसा अवसर है जब मैं उनकी भलाई की कामना करता हूं। परंतु हम सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की दिल से सराहना करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हम जम्मू-कश्मीर की नई सरकार की स्थापना करेंगे।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिये कुछ योजनाओं की घोषणा की है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। परंतु मैं उनके वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरणों की मांग करता हूं। उन लोगों का क्या होगा जो जम्मू के बाहर हैं और देश में अन्य स्थानों पर शरण लिये हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले पूछा जा चुका है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उनकी स्थिति क्या है ? कश्मीर से जम्मू लाये गये लोगों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। वे उनको स्नानगृह, शौचालय तथा अन्य सुविधाओं के साथ मकान मुहैया कर रहे हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि उनको स्थायी रूप से उन्हीं जगहों पर रहने के लिये कहा जायेगा। क्या उनको वापस उनके मूल स्थानों पर भेजने की कोई योजना है। यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है।

इसके अतिरिक्त आज सुबह ही इसी सभा में अमरीका के लोगों के वहां जाने के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। वे जम्मू-कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सेना-कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आदि आदि। क्या किसी बाहरी देश के लिये उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना उचित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री ने इन अमरीकी अधिकारियों को उन लोगों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने की अनुमति दी थी ? इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर इस समय क्या स्थिति है ?

अंत में हम इन आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हर रोज वे हत्याएं कर रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया है। हम सब जो इस देश में रहते हैं वहां पर होने वाली मौतों को लेकर चिंतित हैं। इसको देखते हुए यह सरकार वहां पर इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात साफ है कि इसे चर्चा में नहीं बदला जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री ने अभी जो जम्मू कश्मीर के संबंध में घोषणा की है, उसका स्वागत होना

चाहिए। प्रधान मंत्री जी की चिंता स्वाभाविक है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ मिनट के लिये इस ओर ध्यान दें। आपने यहां जम्मू-कश्मीर के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके पहले भी आपने जम्मू-कश्मीर को इकोनोमिक पैकेज देने के नाम पर, नई रेल लाइन बिछाने के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये की घोषणा दूसरे सदन में, राज्य सभा में की थी। आज आपकी घोषणा के अंदर इकोनोमिक पैकेज भी है और पोलिटिकल पैकेज भी है। इकोनोमिक पैकेज के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। यह प्रश्न कई लोगों ने भी उठाया है कि कश्मीर में जो आतंकवाद पनपा है, जिस प्रकार से उसका पोषण और संवर्द्धन किया गया है, माननीय राजेश पायलट यहां बैठे हुए हैं, पांच साल का इनका कार्यकाल था। इनका आतंकवाद आपस में था। बड़े मंत्री का छोटे पर और छोटे मंत्री का बड़े मंत्री पर। ये इसी लड़ाई के चलते यहां तक चले आए। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने की योजना है, उसमें इकोनोमिक पैकेज दे दिया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आतंकवाद के चलते न केवल पर्यटन बर्बाद हुआ, बल्कि वहां से लाखों की संख्या में जो सदियों से वहां रहते थे, उनका इतना ही दोष था कि वे अल्पसंख्यक हैं।

उनका इतना ही दोष था कि वे अल्पसंख्यक हैं।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में 'हिन्दु अल्पसंख्यक हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनको अपनी बात पूरी करने दें।

श्री सत्य देव सिंह : यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप खड़े होकर मुझे रोक सकते हैं। परंतु आप व्यवधान को क्यों डालते हैं ? आप सुन लीजिए। आप बीच में क्यों खडे हो जाते हैं ?

आप निराधार बातें कर रहे हैं।... **(व्यवधान)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में जो उनकी सेंसिटिविटी है, उसी से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। अगर वे लोग कश्मीर से बाहर के लोग है तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि उन्हें वापस लाया जाए और उनके लिए भी कोई इकॉनोमिक पैकेज दें। जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, प्रधान मंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ भी जाना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत होनी चाहिए और टूरिज्म की बात करने से पहले मैं सर्पोतदार जी से अपने को जोड़ता हूं। कश्मीर घाटी के लिए स्वायत्तता के नाम पर आप पोलिटिकल पैकेज देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बस करें।

...**(व्यवधान)**

श्री सत्य देव सिंह : आप इतने उत्तेजित क्यों हैं... **(व्यवधान)**

मैं समाप्त कर रहा हूं। परंतु एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री के लिये यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वह राष्ट्रीय एकता जैसे बहुत ही संवेदनशील मामले पर किसी की सुनना नहीं चाते हैं... **(व्यवधान)** ... आप जम्मू-कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं... **(व्यवधान)**... इसमें गलत क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : हमें दूसरी सभा में भी जाना है।

श्री सत्य देव सिंह : ठीक है, तो क्या करें ?

श्री श्रीकांत जेना : पहले इस ढंग से नहीं हुआ है।

श्री सत्य देव सिंह : यह नहीं हुआ है परंतु अब इसकी अनुमति दी जा रही है।

इसी ओर बैठ कर आप मंत्रीयों द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने के प्रयास करते थे...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : आप क्या कह रहे हैं ?.. **(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि चुनाव के बाद नए असेम्बली में आए नए नेताओं से चर्चा करके अधिक स्वायत्तता देने के बारे में आप किसी निर्णय पर आएंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए तथा वह चर्चा खुले दिमाग से होनी चाहिए। मैं प्रोपराइटी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह सरकार भी प्रोपराइटी की बात गूल गई है। जो लोग वहां बैठे हैं।... **(व्यवधान)** सुनिए, क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्य देव सिंह अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्य देव सिंह : जी हां।

उपाध्यक्ष जी, मेरा यह सबमिशन है कि यहां पर पोंइट्स उठाए गए हैं, आपके संज्ञान में रहने चाहिए और आपकी नेक-नीयती का लाभ पूरे जम्मू-कश्मीर को मिले, यही मेरी सद्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रधान मंत्री जी।

श्री एच. डी. देवेगौडा : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री राजेश पायलट, जो भूतपूर्व आतंरिक सुरक्षा मंत्री हैं और जो कुछ समय के लिये काश्मीर मामलों के प्रभारी भी थे, ने भी कुछ सुझाव दिये हैं और सरकार उन सभी सुझावों पर विचार करने को तैयार है।

आतंकवादियों द्वारा हाल में की गई हत्याओं के बारे में एक और बात है। यह कुछ बड़ी बात है। जम्मू-कश्मीर में संसदीय चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद हमारे पडोसियों ने आतंकवादियों को फिर से प्रोत्साहन दिये हैं। वह पडौसी कौन हैं इसके बारे में मुझे इस पवित्र सभा में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है—सारा विश्व जानता है।

महोदय, मैं इस पवित्र सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इन आतंकवादियों को काबू करने के लिये सभी आवश्यक कठोर कदम उठाएगी और देखेगी कि विधान सभा चुनाव भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित किये जायें।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। बाधा उपस्थित मत करें।

प्रधान मंत्री जी, अमरीका के राजदूत के बारे में उल्लेख किया गया है।

श्री एच. डी. देवेगौडा : मैं इसका अभी उल्लेख करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी सभा में भी जाना है।

यह बात आज सुबह हुई जिस समय मैं यहां पर नहीं था। यह एक वक्तव्य का ही प्रश्न नहीं है। पिछली सरकार ने कश्मीर के मामले में अधिक पारदर्शिता करने का निर्णय किया था। मैंने इस सभा में इस मामले पर चर्चा उठने के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। केवल 112 विदेशी राजनयिकों को कश्मीर जाने की अनुमति दी गई है इनमें से 67 पहले विदेशी सांसद रह चुके हैं।... **(व्यवधान)**। यह अनुमति जिन लोगों को दी गई उनमें राजदूत, संसदीय शिष्ट मंडल तथा विभिन्न देशों की सीनेटों के सदस्य सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य यह रहा है कि भारत सरकार किसी बात को गुप्त नहीं रखना चाहती। यह अधिक पारदर्शिता चाहती है और इसी कारण पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था। मैं पिछली सरकार के इस निर्णय को गलत नहीं ठहरा रहा।

आज इस सभा में यह भी मामला उठाया गया कि एक राजदूत श्रीनगर के दौरे पर गया है और वहां पर बहुत से लोगों से मिला है। वह वहां पर गृह मंत्री एवं विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ गये हैं। गर्वनर को यह सूचित कर दिया गया था और उसी के आधार पर वह लोगों से मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सभा से छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने वहां जाने के लिये गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की अनुमति हासिल की है। गर्वनर को इसकी सूचना दे दी गई थी। वह कल अपने अन्य अधिकारियों के साथ गर्वनर एवं मुख्य सचिव से मिलने वाले हैं। मुख्य सचिव की उपस्थिति में उनका एक-दो सेना अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है।

एक अन्य बात यह भी है कि वह राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं से भी मिलेंगे जिनमें डा. फारूख अब्दुल्ला भी शामिल हैं। आज वह कुछ अन्य राजनैतिक पार्टी के दलों से भी मिले हैं और वे कल भी उनसे मिलने वाले हैं। यह पहले सूचित कर दिया गया था। अतः इसमें नई बात कुछ नहीं है।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूं। गृह मंत्री अमरीका के राजदूत को सेना अधिकारियों को मिलने की किस तरह अनुमति प्रदान कर सकते हैं ? गृह मत्री इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

श्री मधुकर सर्पोतदार : गृह मंत्री सुबह सदन में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने सदन को इसकी सूचना नहीं दी।

श्री एच. डी. देवगौडा : मैं आपको बताता हूं कि मुझे दूसरे सदन में जाना है। अन्यथा अपने वक्तव्य में राजदूतों सहित उन सभी 112 विदेशी हस्तियों के मैंने नाम बता दिये होते जो पिछले चार साल में, तारीखवार उनसे मिले तथा किस-किस की अनुमति से मिले थे। गृह मंत्रालय ने यह सब जानकारी उपलब्ध कराई हैं। यह मेरे पास है। यह सभी जानकारी मेरे पास है। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे चर्चा न बनायें।

श्री राजेश पायलट : प्रश्न यह नहीं है। हम प्रधान मंत्री से पूरी तरह सहमत हैं।

श्री श्रीकांत जेना : इस प्रश्न पर हमने पहले ही सूचना दी है कि हम विस्तृत वक्तव्य देंगे। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि प्रधान मंत्री को दूसरे सदन में जाना है। विस्तृत विवरण तैयार है और हम वह वक्तव्य पढ सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने निवेदन कर सकते हैं।

श्री एच. डी. देवे गौडा : इसमें नई बात कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा फिर से शुरू कर सकते हैं। श्री द्वारिकानाथ दास बोलेंगे।

श्री जी. एल. कनौजिया (खेरी) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। विदेशी आकर हमारे अधिकारियों से मिल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार वक्तव्य दे रही है। उसके बाद यदि कोई बात होगी तो देखेंगे।

श्री जी. एल. कनौजिया : हमें वक्तव्य की प्रति दीं जानी चाहिये।

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी वक्तव्य दे सकता हूं या गैर-सरकारी अधिकारियों का काम पूरा होने के बाद दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास वक्तव्य तैयार हैं।

री जी.एल. कनौजिया : यह बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि विदेशी हमारे देश में आकर हमारे राजनीतिक नेताओं से मिल रहे हैं। यह विश्वास को भंग करने की बात है। यदि मैं अमरीका जाऊं और वहां जाकर उनके राजनैतिक दलों के नेताओं से मिलूं तो क्या वे मुझे इसकी अनुमति देंगे ?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि मैं किसी की बात को सुनने में समर्थ नहीं हूं। यदि इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को भी सुन नहीं सकूंगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : इस पवित्र सभा के प्रत्येक सदस्य का गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर चर्चा में

हिस्सा लेने का अधिकार है। एक विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और उस पर चर्चा हो रही है। उसे फिर से शुरू किया जाना चाहिये। अतः कृपा करके गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण से मैं पहले ही श्री द्वारिका नाथ दास का नाम पुकार चुका हूं। वक्तव्य गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेने के बाद दिया जायेगा।

अपराह्न 5.40 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

श्री द्वारिका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं आरंभ में डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी को इस तरह का अच्छा विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये बधाई देता हूं।

"अनिवार्य शिक्षा" मेरे विचार से भारत के संदर्भ में बिल्कुल प्रासंगिक अभिव्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से यह विधेयक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा के लिये है। जहां तक उद्देश्य की बात है यह विधेयक काफी अग्रिम चरण पर है। हमें देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विचार करने की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है और वे बच्चे दो-तीन सालों में हमेशा के लिये स्कूल छोड जाते हैं। स्थिति यह है। 94 करोड़ जनसंख्या वाला देश में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिएं। परंतु इस बारे में सरकार के आज तक के प्रयास काफी नहीं लगते।

निश्चित रूप से यह प्रासंगिक नहीं है परंतु फिर भी मुझे यह कहना है कि प्रौढ शिक्षा या जिसे "पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम" कहा जाता है पूरी तरह से एक ढकोंसला मात्र है। यह किसी को शिक्षित नहीं बनाता केवल पैसे का अपव्यय है। मैंने अपने जिले में देखा है कि "सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम" असफलता है और सरकार के द्वारा पैसे की बर्बादी है।

एक ही पातयक्रम के लिये अनेक प्रकार के स्कूल हैं। उदाहरण के रूप मे केन्द्रीय विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों के स्कूल हैं, सरकार द्वारा चलाये जा रहे नवोदय विद्यालय हैं, आदि आदि। ऐसे स्कूलों का वर्गीकरण भी है। ऊपरी वर्ग के लिये, तथा ऊपरीमध्य वर्ग के लोग ऊँची श्रेणी के स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि यह ऊपरी वर्ग के लोग और ऊपरी-मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को इन उच्च वर्गीय स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिये क्यों उत्सुक हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस तथाकथित शिक्षा प्रणाली के जरिए अपने नागरिकों को भिन्न-भिन्न श्रेणियां उच्च, निम्न और मध्यम, में बांटना चाहती है।

अनिवार्य शिक्षा, विशेष रूप से भारत के इस श्रेणियों में बटे समाज में एक कल्पना की बात लगती है। आज तक 40 प्रतिशत से कम जनता निर्धनता के नीचे के स्तर पर रह रही है। किसानों तथा असंगठित मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाये बिना आप इस देश में अनिवार्य शिक्षा की उम्मीद किस तरह कर सकते है ? यह असभव है। अतः सब से पहले हमें किसानों और असगंठित मजदूरों सहित श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को उठाने पर विचार करना है।

तभी हम अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। अब जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है मैं समझता हूं कि आज तक वे दलित हैं। मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों में साक्षरता की दर लगभग 15 प्रतिशत है और जहां तक महिलाओं का संबंध है यह 10 प्रतिशत से कम है। अतः आप बच्चों को किस प्रकार अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने की बात सोच सकते हैं ? यह असमव बात है।

अतः मेरा सुझाव है कि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिये। इसके लिये कोई आर्थिक पैकेज होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने के बारे में सोचना केवल कल्पना है।

मेरा अगला सुझाव है कि सरकार को एक ही पाठ्यक्रम वाले अनेक प्रकार के स्कूलों के बीच भेदभाव समाप्त करने के प्रयास करने चाहियें क्योंकि इनसे समाज में मतभेद पैदा होंगे। सरकार को ग्रामीण स्कूलों तथा ग्रामीण पब्लिक स्कूलों को सुधारने के लिये सभी प्रयास करने चाहियें। इसको नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये क्योंकि इसके कारण समाज में भेदभाव पैदा होगा। आने वाली नवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिये सभी प्रयास करने चाहिये। मेरे विचार से ऐसा किया जा रहा है।

इस विधेयक में सभी उच्च स्तरों पर शिक्षा की बात कही गई है। परन्तु मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और तभी वे उच्च शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र डा. सुब्बारामा रेड्डी के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर हैं। जब हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ रहे हैं, तो शिक्षा की मांग कई गुणा बढ रही है। विगत में शिक्षा का लक्ष्य बहुत सीमित था। इसका उद्देश्य ज्ञान, कुशलता तथा मूल्यों की जानकारी देना था। परंतु आज मानवता के विकास के वर्तमान काल में शिक्षा इन सीमित लक्ष्यों से आगे बढ जाती है। इसे विकास की आवश्यकताओं, आर्थिक असन्तुलन समाप्त करने आदि जैसे प्रौद्योगिकीय उन्नयन, भूमण्डलीकरण की मांगों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की जरूरतों को पूरा करना है।

अपराह्न 5.50

मंत्रियों द्वारा विवरण
1996-97 मौसम के लिये खरीफ की फसलों तथा कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996-97 मौसम की खरीफ फसल तथा कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : सरकार ने वर्ष 1996-97 मौसम के लिये उचित औसत किस्म की धान (सामान्य) का 380/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। यह दर्शाता है कि 1995-96 मौसम के दौरान निर्धारित किये गये 360/- रुपये मूल्य में 20/- प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। धान की अच्छी तथा उत्तम किस्म का मूल्य क्रमशः 396/- तथा 415/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह भी दर्शाता है कि उपर्युक्त दोनों किस्मों में गत मौसम के मूल्य की तुलना में 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई।

2. मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा तथा रागी) की उचित औसत किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 310/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो कि गत मौसम के दौरान निर्धारित राशि से 10/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है। मक्का के लिये भी यह वृद्धि 10/- रुपये हुई तथा इसका समर्थन मूल्य 320/- रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है।

3. उचित औसत किस्म की खरीफ दालों यथा अरहर (तूर) मूंग तथा उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में गत वर्ष के मूल्य से 40/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है तथा 1996-97 मौसम के दौरान 840/- रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

4. उचित किस्म की मूंगफली (छिलके सहित) के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य 920/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारित राशि से 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई।

5. सोयाबीन (पीला) के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य 700/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा यह वृद्धि 1995-96 मौसम के दौरान निर्धारित की गयी राशि से 20/- रुपये अधिक है। इसी प्रकार काला सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 620/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिसमें कि गत मौसम में निर्धारित मूल्य से 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि पायी गयी।

6. सूरजमुखी के बीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 920/- रुपये प्रति क्विंटल पर पिछले मौसम की अपेक्षा 10/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शायी।

7. तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 870/- रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित हुआ जिसमें पिछले मौसम के दौरान 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। इसी प्रकार रामतित के 720/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष के निर्धारित मूल्य की अपेक्षा 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शायी।

8. कपास के एफ-414/एच-777 का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1180 पर निर्धारित हुआ जिसने पिछले वर्ष के दौरान 30/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शायी। इसी प्रकार एच-4 कपास के 1380/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य में भी पिछले मौसम के निर्धारित मूल्य पर 30/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शायी।

9. सरकार ने असम में कच्चे पटसन के टी.डी.-5 ग्रेड के लिये, 1996-97 मौसम के लिये कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 510/- रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया जिसे 1995-96 के मौसम में 490/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। कच्चे पटसन की दूसरी किस्मों के इन्हीं मूल्यों को सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के प्रकाश में निर्धारित किया जायेगा।

10. ऐसी आशा की जाती है कि उक्त न्यूनतम समर्थन मूल्यों से किसानों को इन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये अधिक पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय मंत्री जी ने सपोर्ट प्राईस में क्या दिया है ?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिये। क्योंकि प्राईवेट मैम्बर्स बिल में पहले ही काफी समय चला गया है, और फिर समय न चला जाये, इसलिये मैं कह रहा हूं कि उन्होंने टेबल पर रख दिया है। उसकी कॉपी अभी आपको सरकुलेट हो जायेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : पता तो चले क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, ऐसे तो आपका टाईम चला जायेगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.53 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

श्री रमेश चेन्नितल्ला : हमारे देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शासन काल से ली गई है। अब सारे विश्व में शिक्षा के बारे में विचार बहुत व्यापक हैं। शिक्षा बहुत ही अधिक न्यायपूर्ण, स्वतन्त्र एवं उदार और उससे भी ऊपर अधिक शांतिपूर्ण और सम्पन्न विश्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमें अगली शताब्दी के लिये नागरिको को तैयार करना है। सब लोगों की जानकारी तक पहुंच अन्यों की दया पर निर्भर अथक घटनाओं द्वारा प्रभावित नहीं होनी चाहिये। हमें हर एक को सर्वोत्तम शिक्षा हासिल करने के लिये अवसर प्रदान करने हैं। अतः सभी को शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि सभी को अवसर दिये जायें तभी हम मानवता के प्रति न्याय कर सकेंगे। निश्चित रूप से विकासशील और विकसित देशों के बीच अन्तर है। विकासशील देशों के आने वाली मुख्य समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता है।

विकासशील देश इन सामाजिक बुराईयों को हल करने की स्थिति में नहीं हैं। इन देशों में आधार सुविधाएं नहीं हैं। इस शोषण को समाप्त करने का समय आ गया है। मैं बिल क्लिंटन के एक भाषण का उद्धरण देना चाहता हूं। उन्होंने 23 जनवरी, 1996 को एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा :

> "हमारी दूसरी चुनौती अमरीका के लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है जिनकी हम सब को इस नई शताब्दी के लिये जरूरत होगी। हमारे स्कूलों में अमरीका में प्रत्येक कक्षा राष्ट्रीय सुपर राजमार्ग से, कम्प्यूटरों से तथा अच्छे साफ्टवेयर तथा पूर्ण प्रशिक्षित अध्यापकों से जुड़ी होनी चाहिये। हम इस बसन्त तक केलीफोर्निया की 20 प्रतिशत कक्षाओं को और सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक पुस्तकालय को वर्ण 2000 तक दूरसंचार उद्योग, शिक्षकों तथा माता पिता के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं। मेरा कांग्रेस से अनुरोध है कि शिक्षा प्रौद्योगिक की इस पहल का समर्थन करे ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि यह राष्ट्रीय साझीदारी सफल हो"

यह तरीका है जिसमें विकासशील देश शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। मैं इस पवित्र सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या हम अपने देश में प्रवृत शिक्षा प्रणाली को इससे आधा समर्थन भी देने की स्थिति में हैं ? यह निश्चित है कि विकासशील देश में हमारी अपनी समस्याएं हैं। परंतु हमें मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमारी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई थी। हमने शिक्षा पर आबंटन को बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया है। यह बहुत ही अचम्बे की बात है कि 120 देशों ने केवल 56 प्रतिशत दिया है। परंतु उनको सहायता का 12 प्रतिशत भी नहीं मिलेगा।

महोदय 1990 में आयोजित किया गया जोम्टियन सम्मेलन शिक्षा के इतिहास में एक युगान्तर आदि घटना थी। इस सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया कि 116 देशों में 90 करोड़ जनसंख्या निरक्षर है और 10 करोड़ लोग स्कूलों में नहीं जाते। शिक्षा के लिये भारी कमी हो रही है। 1990 में हुए जोम्टियन सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 116 देशों की हम यह हालत देख रहे हैं।

मानव संसाधन विकास के लिये धन के आवंटन को बढ़ाने हेतु केन्द्रित प्रयास किया जाना चाहिये। हम शिक्षा के क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे देश में भी हम गांवों में स्थित स्कूलों में मूल सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकते। निश्चित रूप से निरक्षरता को मिटाने के लिये भारत सरकार ने काफी कुछ किया है। हमारा साक्षरता कार्यक्रम बहुत सुचारु और प्रभावी ढंग से चल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में हम इस बारे में काफी कुछ कर सके हैं परंतु हमें इस पर और अधिक बल देना है। हमें निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिये और अधिक गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग हासिल करना है और निरक्षरता के विरुद्ध एक जंग का एलान किया जाना चाहिये। जैसा कि मेरे मित्र डा. सुब्बारामी रेड्डी ने उल्लेख किया है राजस्थान में साक्षरता की प्रतिशतता 23 प्रतिशत है और लगभग अन्य सभी प्रमुख राज्यों में यह 30 प्रतिशत है। प्रश्न यह है कि ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिये, निरक्षरता के विरुद्ध जंग की जानी चाहिये। धन मुहैया कराने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिये अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिये।

लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। अन्यथा हमारा देश प्रगति नहीं कर सकेगा और हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पायेंगे।

जहां तक आरंभिक शिक्षा का संबंध है हमने अनेक कार्यक्रम आरंभ किये हैं। मुझे पता चला है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड को इस कारण से बंद किया जा रहा है कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश बिहार तक कुछ दक्षिणी राज्यों में हमने यह कर दिखाया कि खाली कागजों में स्कूल है और वास्तव में नहीं हैं। पेड़ों के नीचे स्कूल चलाये जाते हैं और हाजिरी भी ली जाती है। उनके ऊपर किसी की निगरानी नहीं है। बच्चों को किसी तरह की कोई मूल तथा आधार सुविधा मुहैया नहीं की जाती। अब सरकार आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम को बंद करने पर विचार कर रही है। यह कार्यक्रम हमारे देश में हमारे बच्चों के लिये काफी सहायक सिद्ध हुआ है। सांसदों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा गंभीर विचार किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को पैसा मुहैया कराने वाली एजेन्सियों तथा अन्य एजेन्सियों से अधिक पैसा हासिल करना चाहिये और यह पैसा निरक्षरता के उन्मूलन के कार्यक्रम के लिये दिया जाना चाहिये।

वर्ष 1993 में युनेस्को ने मि. जेक्वीस डेलोर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिये शिक्षा पर एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। युनेस्को के उस आयोग ने जिस ज्ञान के जिन मुख्य स्तम्भों की पहचान की है। वह हैं कुछ जानने की चाह, कुछ करने की चाह, अस्तित्व की चाह और मिलकर रहने की चाह। हमारा विश्व बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हम एक अलग ही विश्व में रह रहे हैं। विश्व के वर्तमान परिदृष्य से निपटने के लिये हमारे बच्चे अगली शताब्दी के लिये तैयार होने चाहिये परंतु दुर्भाग्य से विकासशील देश होने के नाते हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं और इसलिये हम मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा पर अधिक जोर नहीं दे सकते।

आज भी हम प्राथमिक शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। निश्चित रूप से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी नवीनतम पहल तथा अनेक कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन का गठन शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य हासिल करने के लिये किया गया है। परंतु अब तक हम अपने आधे लक्ष्य को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं जो हमने अगली शताब्दी के सामने रखा है। यह 21वीं शताब्दी है। यह हमारी अभिलाषा है। यह एक ऊंचा विचार है परंतु भारत यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। यह एक कटु सत्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये केन्द्रीय हस्तक्षेप क्वालिटी को समता के साथ मिलाने पर जोर देने का है। क्या हम इसे हासिल कर सकते हैं ? वास्तविकता क्या है ?

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। आज हमें शिक्षा प्रणाली के बारे में, जो आज हमारे

देश में व्यवहार में है, हमें गंभीर विचार करने की जरूरत है। एक ओर लोग, जो गांवों में रह रहे हैं, शिक्षा से वंचित है और दूसरी ओर समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है और वह वर्ग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तथा अन्य स्कूलों में भेजते हैं। अतः हमें उन निर्धन लोगों के बारे में सोचना है जो खतरनाक हालात में रह रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में एक स्वतन्त्र देश के रूप में हम गांवों में रहने वाले बच्चों का विकास करने के लिये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को मुहैया कराने में सफल नहीं हो पाये हैं। हमें अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है। पिछले वर्षों में हमने कुछ कार्यक्रम तथा परियोजनाएं लागू की हैं। कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है। परंतु असलियत यह है कि हम उन कार्यक्रमों को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिये जो धन नियत किया गया है उसे ठीक ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा रहा और हमारे लोग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये समुचित मार्गदर्शन और सहायता नहीं पा रहे हैं।

महोदय मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। हमें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में विचार करना चाहिये। मैं उन ब्यौरों का उल्लेख नहीं करुंगा जिनके बारे में हमारे माननीय मित्र उल्लेख कर चुके हैं। एक नया दृष्टिकोण होना चाहिये। हमारा देश 21वीं शताब्दी की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारे लोग अगली शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार होने चाहियें। इसको करने के लिये हमें अपने लोगों को और विशेषरूप से अपनी ग्रामीण जनता को स्थिति से निपटने हेतु अधिक से अधिक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करनी चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामकृष्ण कुसमरिया।

...**(व्यवधान)**

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : महोदय, अब पेन्शन विधेयक लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्पीकर साहब की तरफ से यह इंटीमेशन मिली है कि सात बजे तक प्राइवेट मैम्बर बिजनेस चलेगा। शायद उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अनाउंस तो यह किया था कि 6 बजे पेंशन वाला ले लेंगे। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस जो डिसाइड करे, मुझे कोई एतराज नहीं है।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : 6 बजे पेंशन वाला ले लेंगे, यह अनाउंस हुआ था। स्पीकर साहब से काफी डिस्कस भी हुआ था। हाउस में तय किया था कि 6 बजे यह ले लेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, गैर-सदस्यों का कार्य एक घंटे के लिये आस्थगित किया गया था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पेंशन बिल करना जरूरी है तो लेट बैठना पड़ेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : इस प्रकार से क्यों लम्बी बातें करें। अब एक घंटा नॉन-आफिशियल चलेगा, फिर हम कभी भी कोरम का प्रश्न उपस्थित करेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, अनावश्यक रूप से इन बातों को लगातार खींचा जा रहा है। छह बज चुके हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : पांच-पांच मिनट करके बोलने दीजिए। आधा-आधा और एक-एक घंटा बोलेंगे तो टाइम लगेगा।...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : हाउस के समय को बरबाद किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, क्या वर्कर्स के लिए हम काम नहीं करेंगे और ऐसे ही बोलेंगे ?

[अनुवाद]

महोदय, इससे इस देश के हजारों श्रमिकों के हित जुड़े हैं।

श्री सत्यदेव सिंह (बलराम पुर) : सरकार बचना चाहती है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा भाषण समाप्त किये जाने के बाद हम इस पर निर्णय करेंगे।

[हिन्दी]

इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। अभी तो एक सदस्य का नाम लिया है उनको बोलने दीजिए, इस बीच में स्पीकार साहब का डिसीजन आ जायेगा, फिर इस पर कर लेंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) :-किसी ने अगर कोरम का प्रश्न उठा दिया तो ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री कुसमरिया

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में विचार के लिए आया है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों मिनिस्टर्स वहां बात करने के लिए गये हैं, डिसीजन हो जाए तो करेंगे।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : महोदय, संस्कृत में कहा है--

विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम,

पात्रत्वाप धनमापनोति, धनः धर्मः तथा सुखम्।

और विद्या के लिये यह भी कहा गया है—विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम् लेकिन शिक्षा के अभाव में आज हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है।

यहां बहुत से आंकड़े दिए गए जिनमें कहा गया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा 94 प्रतिशत है लेकिन हमें लगता है कि इन आंकड़ों के कारण भी हमारा देश ज्यादा पिछड़ा हुआ है। दूरदराज के गांवों में अगर आप जाएं, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कलदा नाम का आदिवासी क्षेत्र हैं जहां 5 प्रतिशत लोगों ने भी शायद शिक्षा ग्रहण न की हो। वहां के लोग यह भी नहीं जानते कि बिजली क्या है, बिजली कैसी होती है। बिजली की चमक भी उन्होंने आज तक नहीं देखी। महिलाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा अशिक्षित हैं।

इस बिल में कहा गया है कि एक किलोमीटर से दो किलोमीटर के भीतर शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं ताकि गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में सहूलियत हो सके लेकिन आज कई इलाके ऐसे हैं जहां 10-10, 20-20 या 50-50 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। शिक्षा के बारे में इतना प्रचार-प्रसार करने और दूसरे तामझाम होने के बावजूद वास्तविकता यह है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए हमने आज तक जितने प्रयास किए ये बहुत कम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन योजनाओं के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अभी हमारे यहां राजीव शिक्षा मिशन के द्वारा साक्षरता अभियान चलाया गया जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित करने के नाम पर करोड़ो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन मैं आपके सामने ऐसा मामला प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वहां जो सामान खरीदा गया, चाक खरीदे गए, फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड खरीदे गए, मजीरे, ताल, ढोलक खरीदी गई, आपको ताज्जुब होगा कि 100 रुपए की ढोलक 500 रुपए में खरीदी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजीव शिक्षा मिशन में कितना भ्रष्टाचार फैला है। इस भ्रष्टाचार के कारण हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच जाए और हमारे सभी लोग शिक्षित हो सके।

मेरा निवेदन है कि हमारे देश के गांवों में आज भारी गरीबी व्याप्त है जिसके कारण गरीब लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नही कर पा रहे हैं। भूख के कारण छोटे-छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे आदिवासी इलाके के अधिकांश लोग यहां दिल्ली में आकर परिवार-सहित बसे हैं, अब उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे। हमारे सामने ऐसी स्थिति है। उनके रोजगार के सवाल को भी हमें इसके साथ साथ देखना पड़ेगा तथा गरीबी दूर करने के उपाय भी करने होंगे। जब ऐसा हो जाएगा तभी हम सही मानों में गरीबों को शिक्षित कर पाएंगे और वे अपने बच्चों को स्कूल में पढा सकेंगे। अगर उनका पेट खाली होगा, वे भूखे होंगे तो उनके सामने अपने छोटे छोटे बच्चों से काम कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।

अभी पिछले दिनों बाल मजदूरी बंद करने के विषय में एक विधेयक यहां आया था। लेकिन उस धरातल पर आप देखें तो वास्तविकता यह है कि केवल भूख और रोजी-रोटी के कारण वे काम की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं। उनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। आपको इन बातों पर भी विचार करना पड़ेगा।

आपको महिला शिक्षा के लिए भी विशेष कार्ययोजना बनानी पड़ेगी। इसमें बच्चियों की शिक्षा के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। ज्यादातर गांवों में, देहात में दूर-दूर स्कूल होते हैं, 5-5 किलोमीटर दूर होते हैं, इसलिए वहां पढ़ने के लिए माता-पिता अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं। इसलिए आवश्यक है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत सक्षम प्रयास करें। उसके लिए कोई कारगर योजना बनाएंगे तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं।

आज स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। एक-दो शिक्षक ही स्कूल चला रहे हैं। कई-कई स्कूल तो महीनों तक खुलते नहीं है, ताले लगे हुए हैं, जंग लगी हुई है। अब कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो टाटपट्टी नहीं है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के लिए जो अत्यंत जरूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। आज जितनी भी योजनाएं बनती हैं वे गांव और गरीब के लिए नहीं बनतीं, बल्कि बड़े-बड़े, जो 20-25 प्रतिशत उच्च लोग हैं उनके लिए ये योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ ये लोग ही उठाते हैं और गरीबों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। यदि हमें वास्तव में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के द्वारा लोगों को ज्ञान देकर उनको उन्नत बनाना है, उनको प्रगतिशील बनाना है तो हमें गांव और गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हम उनका विकास कर सकते हैं

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं कि रेड्डी साहब द्वारा शिक्षा पर जो बिल लाया गया है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं रेड्डी साहब द्वारा कंपलसरी एजुकेशन के लिए लाए गए बिल का समर्थन करती हू। आज हायर सैकण्डरी तक कंपलसरी एजुकेशन बहुत से स्टेट्स में है, लेकिन कई स्टेट्स मे नहीं भी हैं। केरल में 100 प्रतिशत लिट्रेसी रेट है, तमिलनाडु में भी लिट्रेसी रेट ज्यादा है, नॉर्थ स्टेट्स में भी ज्यादा हैं। लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे--उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान हैं, इनमें जितनी लिट्रेसी रेट होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। हमारे पश्चिमी बगाल में भी यही हाल है इसके पीछे कई कारण हैं। मैं आंकड़े नहीं बता रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस पर और भी सदस्यों को बोलने का मौका मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पाइंट ही बताना चाहती हूं। मेरा पहला पांइट है कि आज हमारे एजूकेशन सिस्टम में "हैव्स" और "हैव्स नाट" का फर्क है। जिसके पास पैसा है, वह अच्छे और बड़े पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वह डोनेशन भी दे सकता है और अच्छी संस्था में भर्ती हो सकता है। अच्छी शिक्षा ले सकता है, लेकिन जो गरीब हैं, जों आम आदमी हैं, किसान हैं, जो गांव में रहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वह पढ़ नहीं सकता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बिल को पास करने से पहले इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारे देश में एक यूनीफार्म एजूकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसमें यूनीफार्मिटी न होने के कारण जो सी.बी.एस.ई. से लोग पास होते हैं और जो केन्द्र की संस्था है, उससे पास हुए बच्चों को हमारे राज्य में 10 अंक कम करके ऊंची शिक्षा संस्थाओं में भर्ती करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में फर्क होने से सारा गड़बड़ हो जाता है। मेरा यही कहना है कि शिक्षा के बारे में एक सी पढ़ाई और एक से स्टेंडर्ड पूरे देश में होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनमें छत नहीं है। जहां छत है वहां बैठने के लिए कोई साधन नहीं है। मुझे मेरे मित्र क्षमा करेंगे यह कहने के लिए कि ग्राम पंचायतों में शिक्षक, शिक्षा देने की बजाय पार्टी का काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का मैम्बर हो गया, तो वह शिक्षा या स्कूल की तरफ ध्यान देने की बजाय पार्टी के काम की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि यह सिस्टम चेंज होना चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए।

महोदय, आज मुझे राजीव जी की याद आ रही है। उनके जमाने में जो लिट्रैसी मिशन का काम शुरू हुआ था, जैसे "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" आदि, लेकिन हमारे देश में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना रुपया भारत सरकार की तरफ से जाता है वह गांवों तक नहीं पहुंचता है। बीच में काफी बड़ा हिस्सा बिचौलियों द्वारा खा लिया जाता है। राजीव जी के जमाने में चला आपरेशन ब्लैक बोर्ड आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जितना पैसा यहां से गया वह सब बिचोलियों ने साफ कर लिया।

महोदय, आज बिल्डिंगों के लिए सरकार के पास धन नहीं है जिसके कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंदर जो धन सांसदों को प्राप्त होता है, प्लानिंग कमीशन के फाल्टी कानूनों के कारण हम उस धन में से भी स्कूलों की कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन की डायरेक्टिव के अनुसार प्राइवेट स्कूल को पहले जमीन जिसके ऊपर भवन-बनना है, उसे सरकार के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर भवन निर्माण के लिए सांसद इस निधि में से धन की अनुशंसा कर सकता है। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि हमारे बंगाल में जहां जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए माना किसी शिक्षा संस्था की है, वह एक या दो लाख रुपए लेने के लिए अपनी जमीन को क्यों सरकार के नाम ट्रांसफर करेगी। इसलिए मेरा कहना है कि मानव संसाधन मंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिए और नियमों को शिथिल करना चाहिए ताकि सांसद इसमें से धन दे सकें।

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्रालय को यह मामला योजना आयोग के साथ उठाना चाहिये। सांसदों के कोण से हम कम से कम पाठशाला भवन कोण की सहायता कर सकते हैं।

[हिन्दी]

महोदय, हमारे देश में जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, वह भी ठीक नहीं है। चौथी, पांचवीं और छठी कक्षाओं के बच्चों का सिलेबस बहुत ज्यादा है जिसके कारण उनके बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है जो उनके लिए ठीक नहीं है। मेरे कुछ भतीजे हैं। उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जब मैंने उनके बड़े-बड़े बस्ते देखे, तो मुझे भी हैरानी हुई कि इतनी छोटी क्लासों में इतने भारी बस्ते जिनको लेकर उन्हें जाना भी मुश्किल है, कैसे ये पढ़ेंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि स्टेट गवर्नमेंट, सैंट्रल गवर्नमेंट तथा शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था एक मीटिंग करें और बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए, सिलेबस को ठीक करने के लिए कुछ करें। मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि बच्चों के ऊपर से सिलेबस कम कर के बच्चों का बोझ कम नहीं किया गया, तो सोसायटी में डैथ रेट ज्यादा हो जाएगा। पेरेंट भी क्या करेंगे। बच्चा सुबह उठकर स्कूल चला जाता है। हर मां-बाप चाहता है कि हमारा बच्चा डाक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा अधिकारी बने, बड़ा स्पोर्ट्समैन बने, लेकिन जो मासूम बच्चा है उसका तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन का जो सिलेबस है।...**(व्यवधान)** एम. पी. बनने से मर जायेगा। उसे पोलिटिशियन नहीं बनना चाहिए। पोलिटिशियन बनने से यही हुआ है। **(व्यवधान)** पोलिटिशियन ज्यादा भाषण देता है और काम कम देता है....**(व्यवधान)** मैं भी इसी में हूं इसलिए बोला है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पॉइंट पर बालूंगी। जो सिलेबस है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक जॉइंट मीटिंग करके कुछ ट्रायल करे तो यूनीफोर्म एजुकेशन सिस्टम हम देश में have end, have not नहीं कर सकते।

मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि माइनोरिटीज़ की एजुकेशन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवल मुस्लिम को माइनोरिटी नहीं कह सकते। किसी स्टेट में हम माइनोरिटी में हैं तो किसी स्टेट में सिख बन्धु माइनोरिटी में हैं। इसी प्रकार हर स्टेट में कोई न कोई माइनोरिटी में होता है। हमारे माइनोरिटी के क्रिश्चियन्स स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां बच्चों की फीस का खर्चा भी ज्यादा है लेकिन वे उनकी देखभाल भी करते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो उनकी एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुस्लिम कम्युनिटी में हर स्टेट में उर्दू की एक भी अकादमी नहीं है। जहां ज्यादा उर्दू बोलनें वाले हैं वहां पर उर्दू भाषा को सैंकेड रीजिनल लैंग्वेज कहना चाहिए।...**(व्यवधान)** उर्दू अकादमी को किसने बनाया है।...**(व्यवधान)** जी हां उन्होंने नींव तो रख दी है किन्तु अकादमी

नहीं है। हमारी मातृभाषा बंगाली है। अगर मैं बंगला में बोल सकती हूं सो जो उर्दू होने वाला है, वह उर्दू में बोल सकता है। जो सिख है, वह पंजाबी में बोल सकता है, जो मराठी है, वह मराठी में बोल सकता है। इसलिए मैं कहती हूं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

जो संस्कृत में बोलना चाहता है वह संस्कृत बोल सकता है।

[हिन्दी]

संस्कृत हमारे देश की भाषाओं की आदि भाषा है। इसलिए माइनोरिटीज की एजुकेशन और साथ-साथ रिजिनल लैंग्वेज में उर्दू को सैंकेंड लैंग्वेज करने के लिए मैं रिक्वैस्ट करती हूं।

हमारे जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन उनको यह ठीक ढंग से नहीं मिलती। गवर्नमेंट की जो इम्पलीमेंटेशन की पालिसी है, वह बहुत ढीली-ढाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हैं कि जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वे उसी को मिले। कार्य का अधिकार मौलिक अधिकार है।

इसी प्रकार राइट टू एजुकेशन भी हमारे मूल अधिकार में है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नही बोलना चाहती क्योंकि मैं अपने दूसरे मित्रों को बोलने का मौका देना चाहती हूं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम एम्पलॉयमेंट ओरियेन्टेड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में माइनोरिटीज का एम्पलॉयमेंट एक परसेंट है। महिलाओं का एम्पलॉयमेंट दो परसेंट है। आप परसेंट के लिए कैस बैलेंस कर सकते हैं। शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रधान होनी चाहिये। लेकिन सबको नहीं कर सकते।

सरकार को गैर सरकारी संस्थाओं को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन जो संस्थायें रुपया लेकर काम करती हैं, उनको देने के लिए कुछ नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपकी आभारी हूं किं आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं मंत्री जा की भी आभारी हूं जिन्होंने यह बिल पेश किया। लेकिन यूनीफार्म एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस के बारे में आप कुछ करें। जैसे हमारा देश कॉस्ट के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो रहा है, क्रीड के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो रहा है, धर्म के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो रहा है, वर्ण के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो रहा है। अगर एजुकेशन के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा तो हमारी यूनिटी और इंटीग्रेटी कैसे रहेगी। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूं कि यूनीफार्म एजुकेशन सिस्टम लायेंगे तो सबका हित होगा।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कम्पलसरी एजुकेशन बिल, जो माननीय रेड्डी जी लाए हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट रुकिए। मैं एक जानकारी दे दूं। कुछ नाम पहले से आए हुए हैं। यह प्राईवेट मैम्बर्स-बिल पर डिसकशन है। जो नाम पहले आते हैं, उसी आर्डर में लिखे जाते है, जो बाद में आते हैं, बाद में लिखे जाएंगे। इसमें पार्टी लैबल पर ज्यादा कुछ नहीं होता है। यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं माननीय श्री रेड्डी जी का इस बिल को इस सदन के सामने लाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं आज हमारे वरिष्ठ सम्माननीय सदस्य श्री चित्त बसु जी का भी इसी प्रकार का दूसरा बिल इस सदन के अंदर लाया गया। मैं आपसे इस बात की विनती करूंगा कि इस बिल में महत्व को देखते हुए, भले ही यह सरकार की तरफ से नहीं आया है, हम इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे और आप मुझे थोड़ा बोलने का अवसर देंगे। वैसें कम्पलसरी एजुकेशन की बात आज पहली बार नहीं हो रही है। इस देश में शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में इस सदन में या सदन के बाहर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। इस सदन के अंदर अनेक आयोग बने हैं और इस सदन से बाहर अनेक विधान सभाओं में भी शिक्षा नीति और उसके दुष्परिणामों से देश को जो हानि हो रही है, उसके बारे में चर्चा हुई।

इस देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 में बनी। लेकिन इस पॉलिसी का यह परिणाम था कि अगले दस वर्षों में यह कार्य करेगी और उसके बाद इस नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में जो गुणात्मक परिवर्तन होंगे, शिक्षा जितनी धरातल पर जाएगी और अपने उद्देश्यों में जितना सफल होगी, दस वर्षों के बाद हम उसका पुनः आकलन करेंगे। लेकिन 7 मई, 1996 को ही सरकार ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने का निर्णय लिया और उस कमेटी को रिव्यू करने के लिए जो संदेश भेजा, उसमें उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

मैं उद्‌धृत करता हूं :

"स्वधीनता प्राप्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये किए गए प्रयासों के बावजूद बहुसंख्यक लोग निरन्तर शिक्षा से वंचित रहते हैं। यह भी बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारी निरक्षर आबादी विश्व की निरक्षर आबादी की 50 प्रतिशत है..."

यह हमारे बारे में प्रशंसा की बात नहीं है। इसमें आगे कहा है :

"और बच्चे की बड़ी संख्या प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाती है।"

तब सरकार आगे जोर देकर कहती रहती है :

"सरकार शिक्षा को एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक विनयशील और प्रबुद्ध समाज के लिये परिवर्तन लाने के उपाय के रूप में उच्चतम प्राथमिकता देती है।"

[हिन्दी]

बहुत अच्छे शब्द हैं, इसके इंदर बहुत अच्छी बातें कहीं गई हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय नीति सन् 56 में बनी, सन् 58 आते-आते उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ गई। ऐसी आवश्यकता क्यों आई ?

शिक्षा का परिदृश्य और शिक्षा के कारण अलग हैं। किताबी शिक्षा और शिक्षित होना, ये दो अलग-अलग परिणाम हैं जो हमको देखेने को मिलते हैं। आज धीरे-धीरे इस सदन के अंदर और सदन के बाहर अनेक राजनीतिक दलों में अनेक अवसरों पर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल करने की भी मांग की गई है। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल करन का कहना एक चीज है लेकिन जब तक हमारे देश में इस प्रकार की पूंजी और प्रतिभा उपलब्ध नहीं है, जब तक इस प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक संविधान के इस अधिकार को अगर हम जोड़ भी लें तो हम नहीं समझ पाते कि सबको रोजगार दे पाएंगे। आज शिक्षा को सीधे जोड़ना, शिक्षा को नौकरी से जोड़ना एक बात है और शिक्षा को रोजगार से जोड़ना दूसरी बात है। शिक्षित होना और रोजगारपरक बनना अलग-अलग बातें हैं। वह रोजगार व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैकाले की शिक्षा का यह आयाम बन गया है, ब्रिटिश पीरियड से जो शिक्षा प्रणाली हमने स्वीकार की है, उसमें शिक्षित होने का अर्थ नौकरियों में जाना है और उन नौकरियों में भी नॉन प्रोडक्टिव जॉव में जाने की ज्यादा होड़ मच गई है, इसलिए भारत का पूरा ही परिदृश्य उलट-पुलट गया है।

स्वतंत्रता के बाद हमारी आर्थिक अवस्था बिगड़ी, विषमता बढ़ी, तनाव उत्पन्न हुए और आज उसका परिणाम है कि यह देश एक रूप में नहीं देखा जाता। अभी सुश्री ममता बनर्जी बह्न ही कह रही थी कि शिक्षा को कम से कम हम अलग-अलग करके न करें। शिक्षा और शिक्षित होने का जो कारण हो, उसमें देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आर्थिक तरक्की और लोगों के अन्दर सामाजिक समरसता उत्पन्न करने वाली शिक्षा हमें मिलनी चाहिए।

यहां पर जो बिल लाया गया है, उसमें शिक्षा का अर्थ है, "12वीं कक्षा तक शिक्षा" मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कम्पलसरी एजुकेशन के बारे में हमने आज कोई पहली बार बात नहीं की है, इससे पहले भी जब भारत का संविधान बना तो हमने उसमें जो बात कही है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। हमारी धारा 45 है, जिसमें

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत। मैं "सार्वभौमिक" शब्द पर जोर दे रहा हूं। यह क्या कहता है ? मैं उदाहरण देता हूं "राज्य 10 वर्षों के भीतर—और तब से अनेक दशक व्यतीत हो चुके हैं—संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को, जब तक वह 14 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिये प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

यही क्रंच है। शिक्षा नीति के बारे में ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन भी हुआ है और ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस बात को स्वीकार किया है,

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार लगभग एक मौलिक अधिकार है और व्यक्ति के जीवन का अहस्तान्तरणीय भाग है।

[हिन्दी]

लेकिन आज हो क्या रहा है, आज यह प्राइमरी एजुकेशन, जहां की बात हम करते हैं, दर्जा आठ तक की बात मैं करना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे माननीय कुसुमरिया जी यहां बहुत कुछ बोल गये कि शिक्षा शुरू कहां से होती है। पहली शिक्षक तो मां होती है, हमारे यहां उदाहरण है, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में भी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन परिवार के अन्दर यदि महिला शिक्षित नहीं है, स्त्री शिक्षित नहीं है, बहन शिक्षित नहीं है, मों शिक्षित नहीं है, तो पहला जो घर का स्कूल है, वहां पर ही शिक्षक की कमी पड़ जाती है। जब हम महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो पूरे देश का चित्र ही विचित्र है।

महात्मा गांधी जी ने नई तालीम की बात कही थी और वह नई तालीम की बात आजादी के बाद नहीं कही थी। यहां पर महात्मा गांधी का नाम लेकर जिन्होंने 44 वर्षों तक इस देश को लूटा है, शोषण किया है और आज इस नई सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने नई तालीम की बात कही थी, आज नहीं कही थी, 1937 में कही थी और नई तालीम का उनका थ्रस्ट क्या था, नई तालीम के बारे में महात्मा गांधी जी की क्या नीति थी कि एक ऐसी शिक्षा हो, एक ऐसी नई तालीम बने, जो सच्चाई और अहिंसा को पुष्ट करे।

1990 में हमने जो तीन मुख्य बिन्दु नई शिक्षा प्रणाली में लिए, आपके समय में सरकार आ गई थी, आप सरकार में थे, यूनीवर्सलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड डीसेंट्रलाइजेशन, इन तीन चीजों की बात कही गई थी। आज इस देश में शिक्षा के बारे में हम खोज कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह राष्ट्र जितना पुरातन और जितना शिक्षित रहा है, दुनिया के इतिहास में आज तक कोई राष्ट्र उतना शिक्षित नहीं रहा है। हमें दूसरे देशों से शिक्षा के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में कुछ प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अन्तर्मुखी होकर हमें देखना पड़ेगा।

आज प्राइमरी एजुकेशन की बात, कम्पलसरी एजुकेशन की बात तो हमने 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए की है। 14 साल के बच्चों की मंशा आठवीं क्लास तक के लिए होती है, आठवें दर्जे तक बच्चे शिक्षित हों, इस बात की चिन्ता है। महात्मा गांधी ने आगे क्या कहा था, आखिर

हमारी शिक्षा किस बात के लिए होनी चाहिए, हम क्यों शिक्षित होना चाहते हैं, शिक्षा के आयाम क्या हैं, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव क्या है। अगर हमारा जीवन प्रभावित होता है, तो हम समाज की इकाई होने के नाते कहां तक उसको प्रभावित करते हैं। जब समाज को प्रभावित करने की बात आती है तो वह केवल गांवों, गलियों-गलियारों और मोहल्लों में होती है। हम इस सदन में बैठकर बात करते हैं या एलीट एजुकेशन की बात करते हैं, उसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। महात्मा गांधी ने अपने देश की स्थिति पर चिंता करते हुए इंग्लैंड में बात कही थी, मैं उसको कोट करूंगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस पर ध्यान दें।

उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषरूप से जो प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा है, मैं समझता हूं बिहार भी उससे पीछे नहीं है, स्कूल नहीं हैं, स्कूल हैं तो अध्यापक नहीं हैं, अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं हैं यह इसलिए है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारी सोच नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग इसीलिए देश के अंदर नहीं चल पा रही, क्योंकि उसका आर्थिक आधार नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग पाकर कहां जाएंगे, क्या उद्यम होगा, कौन नौकरी देगा जहां काम कर पाएंगे। इसलिए उसकी ग्राह्यता नहीं हो रही है। आप प्रौढ़ शिक्षा में जा रहे हैं, दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं, उस पर करोड़ें रूपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। महात्मा गांधी ने चेतम हाउस, लंदन में 30 अक्तूबर 1921 को कहा था, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। यह उनका दर्द है, जो देश का दर्द है, उसको समझते हुए उन्होंने कहा था।

[अनुवाद]

"मैं हरेक से अपील करता हूं कि एक शताब्दी के भीतर इस जनता को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के कार्यक्रम को पूरा कर दिखाया गया"—शताब्दी अब पूरी होने को है।

[हिन्दी]

जब उन्होंने यह बात कही थी, तो सेंचुरी के 70 साल बाकी थे। इंग्लैंड में कही थी। आगे क्या कहा।

[अनुवाद]

"मेरा यह गरीब देश इतने खर्चीले तरीके को सहन नहीं कर सकता।"

[हिन्दी]

वह मैथेड क्या था, जो इंग्लैंड से लोग यहां आकर पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"हमारी सरकार को ग्रामीण स्कूल मास्टर प्रणाली को फिर से शुरू करना चाहिये और हर गांव में लड़कों तथा लड़कियों के लिये स्कूल स्थापित किये जायें।"

[हिन्दी]

उन्होंने उस समय यह कल्पना की थी कि संचुरी के अंत तक संविधान बनाते समय आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट में आपने कहा था कि भारतवर्ष में 14 के सभी बच्चों को यह सरकार, यह राज्य मुफ्त शिक्षा देगा। उसका पता उन्हें पहले से था कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत इसे पूरा नहीं कर पाएगा। भाग्य से हम आजाद हो गए। सारी चीजें, सारे आयाम हमारे सामने आ गए। हमें इस पर चिंता करना चाहिए थी, लेकिन आज की सरकार क्या इस बात को कह सकती है कि आठवें दर्जे तक आप कम्पलसरी फ्री एजुकेशन दे पाएंगे। यह बिल सरकार को लेकर आना चाहिए था। इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है। क्लाज 5 में प्रावधान किया गया है। ये कहते हैं कि बच्चों को प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी गार्जियंस की होगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपने सजा की व्यवस्था की है। यह प्रावधान बिल में है। आप कहते हैं।

[अनुवाद]

"कोई भी मातापिता जो, किसी भी कारण से..."

[हिन्दी]

एनी रीजन वटसोएवर—इसका मतलब क्या है ? इस देश में कोई मां-बाप ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद छोड़कर, जो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं देखना चाहता। कोई ऐसा मां-बाप नहीं है जो अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल नहीं देखना चाहता। उसकी परिस्थिति क्या है, दीनता क्या है, उसकी गरीबी कितनी है, इसके बावजूद भी उसके मन में एक कल्पना होती है कि उसके बच्चे का राष्ट्र में नाम हो, वह भी आगे बढ़े। इन परिस्थितियों से ऊपर उठकर कितने मां-बाप ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप यह बात कहते हो कि उन्हें शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। आपको पता है कि छः साल से आठ साल तक के अनेक बच्चे आज दो रुपये, चार रुपये रोजाना कमाना शुरू कर देते हैं। उनकी जवानी होटलों में थाली मांजते हुए बीत जाती है। आज इस देश के सात-आठ करोड़ स्कूल जाने लायक बच्चों में से आधे ड्राप आउट हो जाते हैं। वे कभी जवान नहीं होंगे। वे आठ साल, दस साल होते-होते वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी सारी दुनिया वही गरीब की झोपड़ी, उनके लिए किताब वही खेत में अपने मां-बाप के लिए रोटी ले जाने का काम होता है, वही होटलों और शहरों में चौकीदारी का काम, यही नियति बन जाती है। सजा का प्रावधान हम उस समय कर पाएंगे, जब उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और उनके मां-बाप

को अपने कार्यों से और अपनी योजनाओं से आर्थिक नीति बनाकर इन लोगों को रोजी-रोटी देने की व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चे बर्तन मांजते रहेंगे, तब तक ये बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। आज अगर देश के अंदर करोड़ो बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, आज यहां आतंकवाद की बात हो रही है, आप इकोनोमिक पैकेज दे रहे हैं।

आपको पता है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ? उनके मन में यह जो व्यवस्था बनी हुई है कि जहां एक तरफ झोंपड़ी में चिराग तक नहीं जलता और दूसरी तरफ पांच सितारा होटल चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में इतनी गहरी खाई है कि सड़कों पर जो भीख मांग रहा है, कार में बैठा हुआ व्यक्ति उसको हिकारत की दृष्टि से देखता है। उसको ऐसी नजर से देखा जाता है जैसे सबसे बड़ा अपराधी हमारे सामने खड़ा हुआ हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए दिल्ली में जो हत्याएं होती हैं, वे इतनी ब्रूटली की जाती हैं।

आज आतंकवाद के पनपने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। इस देश बेईमानी और भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है। इसलिए नई आने वाली पीढ़ी को हमारे आपमें से कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसे महात्मा गांधी जी थे, जैसे लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे और शिक्षाविद श्री मदन मोहन मालवीय जी थे। यह नई पीढ़ी किसका अनुसरण करेगी ? इन कठिनाइयों के साथ इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा अनेक बार हुई है और यह शिक्षा की जो नियति है, इसमें जिस तरह से देश के अन्दर शिक्षा से भी दो प्रकार का देश बन रहा है। एक तो अंग्रेजी का इंडिया, जिसमें हमारे तथा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा भारत गांव के गरीब लोगों के झुग्गी-झोपड़ी में तथा शहरों की झुग्गी-झोंपड़ी में पड़ा हुआ है। यह इंडिया और भारत यह हमारी नियति नहीं है। यह हमारे दुष्कर्मों का परिणाम है। हमारे यहां कोई भी बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। बल्कि उसको अवसर नहीं मिल पाते। इन अवसरों को उपलब्ध कराने की भी आपकी जिम्मेदारी है। यह फ्री एजुकेशन का जो बिल सदन में लाया गया है, उस पर विचार करते समय हमें इतनी सारी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

अपराह्न 6.43 बजे

(अध्यक्ष महोदय पाठीसीन हुए)

इस देश के अन्दर टोटल रिवोल्यूशन की बात कही गई है। श्री जय प्रकाश नारायण जी यहां पर थे। हम लोग 1977 की एमरजेंसी में जेल में बंद थे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार दो-ढाई वर्ष के लिए आई थी। उस पर ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जय प्रकाश नारायण जी ने भी शिक्षा के बारे में बहुत विचार किया और 1978 में उन्होंने जो शिक्षा की नियति के बारे में कहा था, वह मैं यहां पर कोट करता हूं :

[अनुवाद]

यह उनको भी (बच्चों को) पराश्रयी वर्ग बनाती है जो जनता की निर्धनता को और उत्कट बनाती है, यहां तक शास्वत बनाती है। यह प्रणाली व्यक्ति के विकास में सफल सिद्ध नहीं हुई है। सह समाज में बराबरी लाने में सहायक बनने के स्थान पर बाधक बनी हैं।

[हिन्दी]

मैकाले की शिक्षा जो थी, उसके अन्दर क्लॉसेज से मॉसेज को ले जाने की बात थी। क्लॉस क्रिएट कर दो, उनके नीचे चलकर जो लोग उनकी सेवा करते हुए शिक्षित होंगे, वे मॉसेज में होंगे। उन्होंने जो भी काम किए, भवन भी बनाए या पार्लियामेंट का भवन भी बनाया हो, चाहे वह साउथ और नोर्थ ब्लाक हो, हजारों वर्ष राज्य करने की नीयत से बना था। आज जो बन रहे हैं, दस साल में उसकी मरम्मत होने लगती है और 25-30 साल में गिर जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था कि उनको बहुत जल्दी यहां से चला जाना था। वह यहां स्थायी रूप से रहने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने देश में दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली चलाई। एक तो वे जो सीधी सेवा कर सकें और दूसरे जो उनके सेवकों की सेवा कर सके। बस मत कहिए। यह विषय बहुत गंभीर हो सकता है। हो सकता है मेरे पास उतनी बुद्धि न हो जितनी आपके पास है और आपको ऊब लग रही हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आप इस बात को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। आपने हल्के ढंग से देश को 40 साल चलाया है और बर्बाद किया है तथा शिक्षा के बारे में भी जो फैसला किया है, उसका परिणाम आज यह देश भोग रहा है। उसी के परिणामस्वरूप जातिवाद तथा आतंकवाद पनप रहा है। उसी के परिणामस्वरूप आज देश बिखरने के लिए तैयार है। मैं पीड़ा के साथ कुछ बातें और आपके समक्ष कहना चाहता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बहुत दुर्दशा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, संविधान में डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की मंशा थी कि 14 साल के बच्चों के लिए आप कम्पलसरी एजूकेशन दें। कम से कम इसकी तरफ आप चलें। इस देश के अन्दर जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे सरकारी आंकड़े हैं। मेरे आंकड़े नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़े हैं। उनका कहना है कि पांच करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 25 परसेंट बच्चे विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं। अभी आपने चाइल्ड लेबर की बात कही और कहा कि चौदह साल से नीचे के बच्चों और इन्टरमीडियट बच्चों को जो नौकरी पर रखेगा, उसको सजा दी जाएगी। इसमें आपकी मंशा बहुत अच्छी है और भावना ऐसी है, जैसी की रेड्डी साहब ने कहा कि थोड़ा धमकाकर और प्यार से काम कर सकते हैं। मैं पूछता हूं, किसको धमकाइएगा ? जिसका पेट जलता है और भूख लगती है तथा जिनके मां-बाप रोजी-रोटी नहीं कमा सकते हैं, उनके बच्चों को कमाना है। इसलिए अर्थ तन्त्र की तरफ भी आपको सोचना पड़ेगा। धमकाकर और पुचकार कर काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं, वे 1986 के आंकड़े हैं। एक से पांच तक दर्जे में बच्चों की संख्या 93 प्रतिशत है। अब मैं यह नहीं समझ सका हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं या नहीं। मेरे प्रदेश

में आंकड़े झूठ बोलते आंकड़े हैं। दूसरा आंकड़ा है, 6 से 8 साल के बच्चों का, जिनका 48 प्रतिशत है। अगर यह सही भी मान लिया जाए, तो पांचवी क्लास में 93 प्रतिशत बच्चे हैं और छठी क्लास में उनका प्रतिशत 48 हो जाता है। इनको देखने से लगता है कि भयंकर ड्राप-आउट्स हो रहे हैं। यह कौन सी पूंजी हमारे देश के हाथ से निकल रही है, इस पर विचार करने की जरूरत है।

हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ी है। यह ठीक है कि सौ करोड़ जनसंख्या होने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली सदी में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे करके दुनिया में पहले स्थान पर आ जाएगा। सौ करोड़ आबादी और दो सौ करोड़ हाथ—इन दोनों में तारतम्य बनाने की जरूरत है। हमारी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की कोशिश नहीं हुई। मैं समझता हूं कि यह त्रासदी खत्म होने वाली नहीं है। कवियों की कल्पना में पश्चिम बंगाल के रविन्द्र नाथ जी ने अपनी गीतान्जलि में कहा था, उन्होंने जो कहा था वह आज नहीं कहा था, पश्चिम बंगाल से हमारी बहन जी सदन में नहीं हैं, मैं कोट कर रहा हूं—

[अनुवाद]

"जहां मन में डर नहीं होता और सिर ऊंचा होता है, जहां ज्ञान मुक्त है..."

[हिन्दी]

हमारे पश्चिम बंगाल के बन्धु बैठे हुए हैं, वे सहमत होंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : चित्त जथा भाय शुत्री, उच्च जया शीर।

श्री सत्यदेव सिंह : धन्यवाद समझ तो नहीं पाया, लेकिन मेरा समर्थन किया है। इसलिए आपको साधुवाद देता हूं। जो नहीं पता है, उसको समझना चाहिए कि ठीक ही बोल रहे हो...**(व्यवधान)** मैं बिहार को क्या समझा सकता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति तो एक ही तरह की है। हम लोग भाई-भाई हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : रविन्द्र नाथ जी ने कल्पना की थी—

[अनुवाद]

"जहां मन में डर नहीं होता और सिर ऊंचा होता है, जहां ज्ञान मुक्त होता है..."

[हिन्दी]

हमारे पश्चिम बंगाल के भाई राष्ट्र कवि को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नालेज फ्री है, कम्पलशन की बात नहीं कही थी। कवि के मन में आसक्ति हो सकती है, प्रेम हो सकता है, इसलिए उन्होंने यह बात कह कर छोड़ दी थी। आगे उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"जहां ज्ञान युक्त है, जहां विश्व घरों की तंग दीवारों में बंटा हुआ नहीं है...।"

महोदय, यह देश हर रोज हर घंटा तंग घरेलू दीवारों के साथ बांटा जा रहा है। हमें उन दिखावटी दीवारों को खत्म करना है और तोड़ना है जो दीवारें सार्वजनिक धन का दुरूपयोग करके खड़ी की जा रही हैं। देश के विकास के लिये प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जा रहा है। यदि हम इसे रोकेंगे नहीं, हममें से हर कोई टूटकर गिर पड़ेगा। हमारे पूवर्जों ने, जिन्होंने हमें संविधान दिया।

हमें बोलने का यह अधिकार दिया। यह ठीक ही कहा गया था कि देश की जनसंख्या में युवाओं की संख्या शत प्रतिशत नहीं होगी किन्तु देश के भविष्य में उनका शत प्रतिशत योगदान होगा।

मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। उनको इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस पर विचार किया भी होगा। सरकार को इस बारे में एक व्यापक विधेयक लेकर आये और यह सुनिश्चित करे कि हर किसी को आठवीं कक्षा तक अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं यह देश के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। आपको सरकार चलाने का अवसर मिला है, सरकार चलाने के साथ-साथ देश को भी चलाइये, देश से गरीबी मिटाइये, तनाव मिटाइये और यह तभी हो सकते हैं जब शिक्षा सबके लिए उपयोगी और सुखद हो।

इन्हीं शब्दों के साथ माननींय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सब कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार करेंगे।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पिछले विधेयक पर चर्चा इस के बाद फिर से शुरू होगी। अब हम कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। अब न्यायमूर्ति लोढा बालेंगे।

...**(व्यवधान)**

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

अपराह्न 6.51 बजे

यमन हवाई अड्डे पर 14 भारतीय लड़कियों को निरूद्ध किया जाना

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय उस से पहले मैं यमन हवाई अड्डे पर 14 भारतीय लड़कियों को निरूद्ध किये जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। प्रो. कुरियन ने यह मामला 22 जुलाई, 1996 को सभा में उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, जैसे ही सरकार की इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि 12 नर्सें तथा 2 प्रयोगशाला तकनीशियन, सभी महिलाएं, साना के हवाई अड्डे पर कठिनाई में हैं क्योंकि यमन में उनके मूल प्रायोजक। नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सका है। मेरे मंत्रालय ने टेलीफोन और फैक्स के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिये कि उन लड़कियों को खाने-पीने, ठहरने आदि की सुविधाएं मिलें, भारतीय दूतावास, साना के साथ तत्काल सम्पर्क स्थापित किया। हमारे दूतावास ने यह सन्देश भेजा कि ये 14 लड़कियां, जिनकी भर्ती मैसर्स शेपरा टूरज एण्ड ट्रैवल्स के द्वारा की गई थी, दो दलों में 3 और 4 जुलाई, 1996 को साना पहुंची थीं। यह सूचित किया गया कि चूंकि यमन के विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा दी सहायता के बावजूद यमन प्रायोजकों का पता नहीं लगाया जा सका था, इस लिये दूतावास ने उनको दूतावास के परिसरों में ठहराया था और उनको खाना पीना तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यह भी बताया गया है कि इन सभी का स्वास्थ्य ठीक है और उनमें कोई भी बीमार नहीं है। आगे यह भी सूचित किया गया है कि कुछ अन्य स्थानीय प्रयोक्ताओं ने इन लड़कियों की स्थानीय अस्पतालों/क्लिनिकों में भर्ती के लिये साना में हमारे दूतावास से पूछताछ की है। हमारे दूतावास ने मेरे मंत्रालय से इस बात की मंजूरी मांगी है कि क्या इन लड़कियों को रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। मेरे मंत्रालय ने तुरंत ही इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी कि स्थानीय नियोजकों ने वेतन तथा सुविधाओं के बारे में जो पेशकश की है वह उचित हो और इन लड़कियों को करार स्वीकार्य हो।

महोदय मुझे इस सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दूतावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार छह स्टाफ नर्सों तथा दो प्रयोगशाला तकनीशियनों को यमन में दो गैर-सरकारी हस्पतालों में नौकरी मिल चुकी है। एक नर्स 31 जुलाई, 1996 को भारत लौट आई क्योंकि वह यमन में काम करना नहीं चाहती थी। शेष पांच लड़कियों को भी कुछ प्रस्ताव मिले हैं परंतु दूतावास ने उनको पेशकश किया गया वेतन उपयुक्त नहीं लगा। उनके लिये रोजगार की तलाश करने में प्रयास जारी है और हमें उम्मीद है कि उनके लिये शीघ्र ही कोई उपयुक्त रोजगार मिल जायेगा। इस बीच हमने मैसर्स शेप्रा टूअर्ज एण्ड ट्रैवल्स का, जिन्होंने इन लड़कियों की यमन में रोजगार के लिये भर्ती की थी, पंजीकरण रद्द कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री जी. एल. कनौजिया (खीरी) : जरा इसे पढ़कर सुनाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इसे सभा पटल पर रख चुके हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.52 बजे

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन

तथा

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प-जारी

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय यह बड़े संयोग की बात है कि यह विधेयक आपके द्वारा 1993 में रखा जाने वाला था और इस पर आप के हस्ताक्षर हैं। परंतु यह बड़ी दुखः की बात है कि ऐसी युग में जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं इस विधेयक को पेश होने में 1993 से अब 1996 तक का समय क्यों लग गया। मंत्री महोदय को इस का स्पष्टीकरण देना होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं या श्रमिकों द्वारा इसका विरोध किया गया था और मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका था और या ऐसा ही कोई कारण था।

यह विधान अधिकार देने वाला कानून हैं इस कानून की मूल पेन्शन योजना है। पेन्शन योजना कैसे तैयार की गई है, इसके उपबन्ध क्या हैं, कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होंगे या नहीं होंगे, आदि ऐसे मामले हैं जिनके साथ संगठित क्षेत्र के 1.68 करोड़ श्रमिकों का भाग्य जुड़ा हुआ है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि अध्यादेश कब प्रख्यापित किये गये थे, तथा योजना के खण्ड 5(7) में निम्नलिखित उपबन्ध होने के बावजूद इस सभा में इस पेन्शन निधि योजना पर चर्चा क्यों नहीं हुई थी। खण्ड 5(7) में कहा गया है।

"पेन्शन योजना, उप-धारा (1) के अन्तर्गत तैयार की गई, इसे तैयार कर लिये जाने के यथाशीघ्र बाद, संसद के प्रत्येक सदन में, जब सदन सत्राधीन हो कुल 30 दिन की अवधि के लिये चल रहा हो, प्रस्तुत की जायेगी। तीन दिन की वह अवधि एक सत्र अथवा दो सत्रों तथा लगातार अधिक सत्रों में पूरी हो सकती है। और यदि सत्र के या उपरोक्त क्रमिक सत्रों के तत्काल बाद, दोनों सदन योजना में कोई संशोधन करने को सहमत हो जायें या दोनों सदन इस बात से सहमत हों योजना तैयार

नहीं की जानी चाहिये तो उसके बाद योजना उसी संशोधित रूप में प्रभावित होगी या नहीं प्रभावी होगी।"

अतः महोदय योजना के लिये कानूनी मंजूरी इस सभा से ली जानी है। तीन अध्यादेश पारित किये गये...(**व्यवधान**)

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अध्यादेश जारी किए गये न कि पारित किए गए।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : मैं इसे ठीक कर देता हूं। अध्यादेश माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए। माननीय राष्ट्रपति द्वारा तीन अध्यादेश प्रस्थापित कर दिये जाने के बाद योजना 30 दिन के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी गई।

हमें इस पर चर्चा करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ? हमने इसे स्वीकार किया होता, सुधारा होता और इसका संशोधन किया होता या इसे पूरी तरह से रद्द किया होता। यह बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि मंत्री महोदय ने इस बारे में पहले कुछ नहीं कहा है। हम चाहते हैं कि वह अपने उत्तर देते समय इसका स्पष्टीकरण दें। दोनों सदनों में ऐसा नहीं किया गया। यह एक गंभीर संवैधानिक चूक है और यह चूक स्वयं यह बात बताती है कि माननीय मंत्री को शायद इस बात का विश्वास नहीं था कि सभा इसे पारित करेगी या फिर गल्ती के कारण ऐसा हुआ तथापि, वह ही इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

जहां तक इस अधिनियम का संबंध है यह भविष्य निधि के अतिरिक्त भविष्य निधि में जमा पैसे में बंटवारा करके पेंशन देने का अधिकार देने का अधिनियम है। यह कोई नया उपबंध नहीं है। नियोजक अथवा सरकार अथवा किसी अन्य के द्वारा कोई अतिरिक्त लाभ दिये जाने की कोई बात नहीं है। कर्मचारियों को भविष्य निधि में जमा उनके पैसे में, जो इनकी सैवानिवृति पर मिलने वाला है, कुछ हिस्सा लेकर सेवा निवृति पर उनको दिया जाने वाला है।

मूल रूप से एक गंभीर बात जिस पर मानवीय मंत्री को विचार करने की जरूरत है और जिस पर मजदूर यूनियनें तथा मजदूर चिंतित वह प्रश्न विकल्प का है क्योंकि ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो समझते हैं कि यह उनके लिये फायदेमंद नहीं हैं मजदूरों को फायदा पहुंचाने के नाम पर, समाज कल्याण संबंधी कानून बनाने के नाम पर ऐसा वातावरण पैदा करने के नाम पर जिसमें सेवानिवृति के बाद कर्मचारियों के लिये फायदा हो, वे ऐसा कर रहे हैं। यदि बहुत बढ़ी संख्या में कर्मचारी यह समझते हैं कि यह उनके लिये फायदेमंद नहीं होगा, उनके हितों के विरूद्ध होगा, तो आप उन पर यह योजना किस लिये थौपं रहे हैं।

उस प्रयोजन के लिये मेरी इस बारे में एक आपत्ति यह है कि ग्रह विधेयक पारित कर दिया जाता है और यह योजना लागू कर दी जाती है तो इसे वैकाल्पिक बनाया जाना चाहिये और इसमें शामिल होने का विकल्प किसी प्रतिष्ठान को ही नहीं, किसी फैक्टरी अथवा मजदूर को ही नहीं अपितु हर कर्मचारी को होना चाहिये कि इसमें शामिल होना उसके लिए ऐच्छिक है। यह ऐसा मामला है जिस पर माननीय मंत्री महोदय को गंभीर रूप से विचार करना चाहिये और यदि इसे वैकल्पिक नहीं बनाया गया तो यह अनिवार्य होगी। यह ऐसे कर्मचारियों पर थौंपी जायेगी जो समझते हैं कि यह उनके लिये फायदेमंद नहीं है।

इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग पेंशन पाने के हक में है। यह कहना मुश्किल है कि किन लोगों की संख्या अधिक है और किन की कम है परंतु फिर भी वर्तमान रूप में पेन्शन योजना मूल रूप से मजदूरों के हितों के विरूद्ध नहीं है। अतः मैं कर्मचारियों के लिये पेंशन की वयवस्था करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं परंतु उस संशोधन के साथ जिसका मैंने सुझाव दिया है। इसे ऐच्छिक बनाया जाना चाहिये।

मैं एक अन्य सुझाव भी देना चाहता हूं। पिछले दिन हमें बताया गया था कि समझौता तथा माध्यस्थ्य अधिनियम, जो यह ही पारित किया गया है मैं सांविधिक रूप से 18 प्रतिशत ब्याज की अनुमति है। हम देखते हैं कि 18 प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था इसी संसद द्वारा पारित एक कानून के जरिए की गई है। परंतु इस मामले में गरीब कर्मचारी को 12 प्रतिशत ब्याज देने की भी व्यवस्था नहीं की गई है जो दर सार्वजनिक भविष्य निधि में दी जाती है। 12 प्रतिशत की दर से ब्याज तो अनेक बैंक भी सांविधिक रूप से अदा करते हैं। परंतु यहां पर निर्धन कर्मचारियों को उस से वंचित किया जा रहा है। अतः माननीय मंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिये। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये कि पेन्शन में कर्मचारियों के ब्याज की अनिवार्य अदायगी हो। निर्धारित की गई राशि में से जो 8.33 प्रतिशत पर इसी तरह की कुछ है, पूल में से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि 12 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम ब्याज अदा किया जायेगा।

अपराह्न 7.00 बजे

और 12 प्रतिशत ब्याज की दर न्यूनतम होनी चाहिये अधिकतम नहीं। अधिकतम दर बैंक दर आदि के आधार पर होनी चाहिये। यदि इसे मान लिया जाता है तो कर्मचारियों के लिये कुछ फायदे की बात होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों को उस पैसे पर ब्याज से वंचित किया जा रहा है जो उनके भविष्य निधि लेखे में उनके नाम जमा है। इस तरह कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि पूल के पैसे पर ब्याज से वंचित करना और फिर उनको पेंशन देना कर्मचारियों के लिये फायदेमंद नहीं होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री को उत्तर देने से पहले इस पर भी विचार करना चाहिये।

इस कानून को पारित करने की मांग करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सुधार ताकतवर संगठित यूनियनों को देने के साथ साथ साधारण कर्मचारियों को काम देने के प्रयोजन से महत्वपूर्ण हैं। मुझे बताया गया है कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य राजनैतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं परंतु उनकी यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उनकी अपनी इस सरकार के साथ यह स्थिति कैसे चल सकती है।

अब मैं कुछ सुझाव देता हूं। जो मासिक पेंशन अदा की जानी है वह कर्मचारी के सेवानिवृत होने के समय उसके नाम जमा कुछ पैसे

की 1.25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिय। पूंजी पर प्रतिशत पेंशन की अतिरिक्त राशि का सौ गुणा हो सकता है या कुल जमा का सौ प्रतिशत हो सकता है। ऐच्छिकता का अधिकार उसी तरह दिया जाना चाहिये जिस तरह 1971 की परिवार पेन्शन योजना के मामले में दिया गया था। यह बड़ी अजीब बात है उस पेंशन योजना में तो ऐच्छिकता का अधिकार था जिसके स्थान पर आप इसे लागू कर रहे हैं। अब हम उस अधिकार को मामूली से बहांने पर वापस ले रहे हैं और यह कर वापस ले रहे हैं कि यदि इस शर्त को उसमें रखा जायेगा तो यह योजना लागू नहीं हो सकेगी। ऐसा क्यों है ? यदि यह फायदेमंद है तो मजदूर इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे ? वे इसे क्यों स्वीकार नहीं कर रहे ? जब परिवार पेंशन योजना के अधिक ऐच्छिकता का अधिकार था तो इसे भी उसी तरह ऐच्छिक बनाया जाना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों की तरह इस पेंशन को भी उपभोक्ता सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिये और कुछ हद तक इसे मूल्यों में वृद्धि या जीवन यापन में वृद्धि के स्तर के साथ जोड़ा जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि पेंशन की राशि को पेंशन योग्य सेवा और/या पात्र सेवा के आधार पर तय की जानी चाहिये और न कि आयु के आधार पर। परिवार पेंशन के लिये स्वीकृत मानी जानी सेवा को ही पेंशन योग्य सेवा माना जाना चाहिये। 25 वर्षों की पेन्शन योग्य सेवा को 70 : 50 के अनुपात से बांट कर पूरी पेंशन की अदायगी की जानी चाहिये। इसके साथ ही विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांगों के लिये पेंशन की सारी अभिदाता के पेंशन से कम नहीं होनी चाहिये और उसके लिये आयु की सीमा हटा दी जानी चाहिये। उसके लिये 2 वर्षों के स्थान पर पांच साल की छूट दी जानी चाहिये। ऐसी बहुत सी बातें हैं परंतु मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे अन्य मित्र अधिक व्यवस्थित ढंग से बोलेंगे। मैं केवल इतना अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया जाये।

परंतु यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिये कि पेंशन योजना बातचीत करने के बाद और इसके कामों के बारे में पता करने के बाद अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बाद इसे लागू किया जाना चाहिये।

मैं आखिर में एक चेतावनी देना चाहता हूं। हमें इस बारे में अनुभव है। श्री हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में हमने देखा कि बैंकों और भारतीय युनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा इस तरह की अनेक सार्वजनिक कम्पनियों ने करोड़ों रु. इधर उधर किये। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने जनता की जीवन भर की बचतों का पैसा इधर-उधर किया या वास्तव में बरबाद किया। इस बात की क्या गारंटी है कि यह राशि सुरक्षित रहेगी ? भविष्य निधि में से इस राशि को लेने के बाद, पेंशन के लिये रखने के बाद यदि इसे भी लूटपाट की गई तो यह जले पर नमक छिड़कने के समान होगा।

अतः इस पैसे से इस ढंग से एक ट्रस्ट बनाया जाये कि कम से कम यह पैसा सुरक्षित रह सके, इस पर 12 प्रतिशत ब्याज मिल सके और आगे दिया जाये।

श्री श्रीवल्लभ प्राणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक 1996 का समर्थन करता हूं।

इसे पिछली 16 नवम्बर, 1995 से लागू किया जा चुका है और हमारे देश के मजदूर यूनियन आंदोलन के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक विधेयक है।

यह योजना एक ही रात में नहीं तैयार की गई है।

अपराह्न 7.06 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

यह हमारे काम करने वाले लोगों देश के कामकाजी तबके, औद्योगिक मजदूरों और संगठित मजदूरों के लम्बे आन्दोलन का परिणाम है। उन्होंने अनेक अवसरों पर आंदोलन किये और मजदूर यूनियनों के साथ हुई बातचीत का यह परिणाम है। सीटू के सिवाय बाकी सब के बीच इस बारे में सर्वसम्मति हो गई। इस सर्वसम्मति पर सहमत होने से पहले अलग अलग मजदूर यूनियन केन्द्रों की इस पर कुछ आपत्तियां थीं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि कुल मिलाकर मजदूर यूनियनों को यह मंजूर नहीं थी।

अलग-अलग मजदूर संगठन हैं—ए.आई.टी.यू.सी. राजनीतिक रूप से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ी है। इसी तरह भारतीय मजदूर संघ भाजपा से जुड़ी है...**(व्यवधान)** आमतौर पर कुछ बातों के छोड़कर सब में सहमति बन गई। हालांकि जिनमें सहमति हुई उनकी कुछ आपत्तियां हैं।

यह विधेयक राज्य सभा में पारित होने के लिये यहां पर लाया गया है। पहले यह विधेयक, श्री पी.ए.संगमा के नाम पर परिचालित किया गया था जो तत्कालीन श्रम मंत्री थे और इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने इसे तैयार करने में काफी परिश्रम किया था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी, श्री जी. वैंकट स्वामी ने इसमें योगदान किया। इसे प्रवृत भी किया जा चुका है।

लगभग 11 लाख श्रमिकों ने इसको अपना लिया है। इससे पहले परिवार पेंशन योजना लागू थी...**(व्यवधान)**। उसके बाद अब यह कर्मचारी सामान्य पेन्शन योजना है। इसके द्वारा उसका विस्तार किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस के लाभ मिलने की संभावना है। मुझे बताया गया है कि 10 लाख से अधिक व्यक्ति इस योजना में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शामिल होने वालों की संख्या 1 लाख है। वास्तविक संख्या के बारे में मतभेद हो सकता है। मैं अधिकार के साथ संख्या के बारे में कुछ नहीं बता सकता। परंतु इतना निश्चित है बड़ी संख्या में मजदूर इसमें शामिल हो चुके हैं।

जो मजदूर यूनियनें इसके विरूद्ध थीं उन्होंने इसके विरोध में आन्दोलन चलाया। उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया। परंतु उनकी संख्या इसका समर्थन करने वालों से जो तत्काल इसे कार्यान्वित करना

चाहते थे उन से कम रह गई।...(व्यवधान) आप कुछ भी कह सकते हैं किन्तु में वास्तविकता बता रहा हूं। कई क्षेत्रों में जहां उनका जोर था उनको कुछ सफलता हासिल हुई। परंतु आमतौर पर वह हड़ताल असफल रही। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर यूनियनों तथा मजदूरों ने इसके तुरंत कार्यान्वयन की मांग की है। वह उत्सुकता के साथ संसद की कार्यवाही की ओर नजरें फैला रहे हैं। वह चाहते हैं कि इसे स्वयं इसी सत्र में पारित कर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं हो सका तो फिर से चौथी बार अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ेगा।

मैं इसी पृष्ठभूमि में यह कहना चाहता हूं कि हम भी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है। हम इस विधेयक के सभी उपबन्धों से पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। परंतु जब भी कोई नई योजना लागू की जाती है, अनिश्चितता अथवा आशंका की भावनाएं तो उठती ही हैं। अतः मैं प्रभारी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन बातों की ओर ध्यान दें। निश्चित रूप से लोकप्रिय मांग के जवाब में इसमें अच्छा उपबन्ध भी है। इसमें इस व्यवस्था के कार्यकरण की अनिवार्य वार्षिक समीक्षा का उपबन्ध है। अतः अनुभव के आधार पर सरकार इसमें बिना हिचकिचाहट आवश्यक संशोधन करेगी।

मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस के बारे में दो आपत्तियां हैं। पहली यह है कि वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कर्मचारियों के कुछ वर्गों को इससे कोई वित्तीय फायदा नहीं पहुंचने वाला। दूसरी दूसरे उनका कहना है कि इसमें ऐच्छिकता का अधिकार होना चाहिय। यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से इसमें सम्मिलित होना चाहता है तो उसे ऐसा करने की आजादी होनी चाहिये। यदि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो भी उसे इसकी आजादी होनी चाहिये। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय संसद तथा अन्य लोम इन्हीं आधारों पर इसका विरोध कर रहे हैं। परंतु भविष्यनिधि योजना के अन्तर्गत भी इस तरह का विकल्प हासिल नहीं है। हमारी भविष्य निधि योजना सारे विश्व में ऐसी सबसे बड़ी योजना जिसकी कवरेज सदस्यों की वृद्धि से तथा दिये जाने वाले लाभों की दृष्टि से सब से अधिक है। उस योजना में भी यह छूट नहीं है जिसकी अब इसमें मांग की जा रही है। मैंने इस के बारे में अनेक मजदूर यूनियनों से बात की थी। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि हम समझते हैं कोई कारखाना प्रतिष्ठान या कोई संगठन इसमें सम्मिलित होने या इसमें शामिल होने के लिये अधिकार रखता है। परंतु व्यक्तिगत सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। यदि हर व्यक्ति को इस का अधिकार दिया जाता है तो विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह योजना सक्षम नहीं रह पायेगी और बिल्कुल भी चल नहीं सकेगी। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

यहां पर अपने अनुभव के आधार पर एक बात और कहना चाहता हूं। जब परिवार पेंशनयोजना 1971 में पहली बार लागू की गई थी तो अनेक व्यक्तियों ने इस से बाहर रहने के अधिकार का उपयोग किया। परंतु बाद में इसके फायदे देखने के बाद वे इसमें शामिल हो गये। अब वे सभी परिवार पेंशन योजना में भी सम्मिलित हो गय हैं। बिना किसी अन्तर्विरोध के मैं इस सभा को बता सकता हूं कि ऐसी बात अब भी होने वाली है।

मैं अब विकल्प तथा कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये संशयों, उनकी आपत्तियों आदि का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा है कि यदि इस योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वित किया गया तो श्रमिकों के कुछ वर्गों को वित्तीय रूप से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। इस में कुछ सच्चाई जरूर है। वास्तव में इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। जहां तक वरिष्ठ कार्मिकों का संबंध उनके बारे में कोई समस्या नहीं है। उनके लिये कोई समस्या नहीं है। जो अब सेवा में आ रहे हैं या अब योजना में शामिल हो रहे हैं समस्या हो सकती है क्योंकि उनको सेवा निवृत होने में 30 साल का समय लगेगा। इस बीच अनेक परिवर्तन हो चुके होंगे। परिवर्तनों का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन। हमारे जैसी व्यवस्था में वास्तव में प्रगतिगामी परिवर्तन नहीं हो सकते। कुछ ऐसे सुधारात्मक कदमों की जरूरत है जिनके साथ इस समस्या का हल निकल जायेगा। कर्मचारी का वेतन कुछ भी हो इसमें 5000 रु. की अधिकतम सीमा तय की गई है। वास्तव में इसी के कारण समस्या पैदा होती है। यदि इसे हटा दिया जाये तो मेरे विचार से जहां तक वित्तीय फायदे का संबंध है इस बारे में कोई आपत्ति नहीं रह जायेगी। मेरा अनुरोध यह है कि इस अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाये।

सरकार को हमेशा उदार होना चाहिये। सरकार को अपने व्यवहार में विशाल ह्रदय होना चाहिये। सरकार यहां पर इसमें व्यापार के लिये नहीं है। जो पैसा इस योजना के अधीन जमा किया जायेगा काफी ज्यादा होगा। मजदूरों को उस पर क्या ब्याज मिलेगा ? यह केवल आठ प्रतिशत है—जबकि अन्य किसी भी योजना में—यहां तक कि भविष्य निधि योजना में भी—यह दर बारह अथवा तेरह प्रतिशत है। मजदूरों को इस पर अधिक दर पर ब्याज मिलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों और इस तरह के मजदूरों में अन्तर पैदा किया जा रहा है। दोनों में जो भी अन्तर हो सरकार को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इन मेहनतकशों को कुछ ज्यादा लाभ दिये जाने चाहियें। सरकार को यह देखना चाहिये कि मजदूरों को कुछ और लाभ मिलने चाहियें और इसकी गणना करते समय कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

यह योजना एक बहुत अच्छी शुरूआत है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। इस काम को हमें शुरू कर देना चाहिये और कुछ समय के बाद इसके काम काज का पुनरीक्षण किया जाये और कमियों को दूर किया जाये। इन सभी कमियों को दूर करने के लिये कुछ सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिये।

इस विधेयक को काफी पहले जरूरत थी। मैं पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित समय पर विकल्प, आदि के उपबन्ध के बारे में स्पष्टिकरण दे। उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहियें।

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि उदारता का रुख अपनाते हुए मजदूरों को कुछ और फायदे दिये जायें।

श्री अजय मुखोपाध्याय : यह अवधेयक सरकार को भविष्य निधि की वर्तमान अंशदायी प्रणाली के स्थान पर एक नई पेंशन योजना लागू करने का अधिकार देता है।

परंतु अब यह एक निर्विवाद तथ्य बन गया है। पहली सरकार ने संसद की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की। उस सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 16 नवम्बर, 1995 से इस पेंशन योजना को कार्यान्वित कर दिया। अतः 'यह स्पष्ट है कि यह पिछली सरकार की विरासत है जिसे इस संयुक्त मोर्चा सरकार को ढोना पड़ रहा है। यह संयुक्त मोर्चा सरकार का सौतेला बच्चा है। यदि यह सरकार इस योजना पर नए सिरे से विचार करती तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती।

इससे पहले कि मैं इस बारे में आगे बोलूं में इस विधेयक के अनेक उपबन्धों के बारे में अपनी तीव्र आपत्तिया व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले यह विधेयक मजदूरों को मिलने वाले वर्तमान लाभों की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं है। बल्कि यह तो कई तरह से सारी मजदूर जाति के हितों के विरूद्ध है। इस योजना के लिये अपेक्षित राशि कर्मचारी भविष्य निधि में से नियोजकों के 8.33 प्रतिशत हिस्से को लेकर इसका गठन किये जाने पर विचार है। इसका मतलब यह है कि इस पेंशन योजना की मजदूरों का भविष्य निधि के लगभग आधे हिस्से को लेकर लागू किया जायेगा। इस बारे में कोई जीवनांककीय गणना करने की जरूरत नहीं है। गणित की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि नियोजक के अंशदान के रूप में मूल राशि के रूप में जमा कुल पैसा और उस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की सारी राशि मजदूरों को वापिस नहीं मिलेगी।

उनको भारी लगने उठानी पड़ेगी। महोदय, फायदे की बात छोड़ कर उनको भारी हानि उठानी पड़ेगी। अंशदायी पेंशन निधि से निकाले गये मजदूरों के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया में इस बात का प्रचार करने पर खर्च कर दिया गया है कि यह एक अभूतपूर्व कदम है और इस देश के मजदूरों के लिये पूरी तरह से फायदेमंद है। परंतु मजदूर जानते हैं कि इसमें क्या अभूतपूर्व है और क्या नहीं है।

यह भी प्रचार किया गया है कि इस देश का कामगर वर्ग काफी लम्बे समय से इसके लिये आन्दोलन कर रहा था। परंतु वास्तविकता क्या है ? वास्तविकता यह है कि मेहनतकश वर्ग तीसरे लाभ के रूप में पेंशन की मांग कर रहा था। परंतु इस योजना में कोई अतिरिक्त लाभ दिये जाने के स्थान पर पहले से मिलने वाले लाभ में कटौती की जा रही है। काफी लम्बे संघर्ष के बाद मेहनतकश वर्ग के द्वारा अर्जित पैसे में इस नई योजना के जरिए कटौती की जा रही है। भविष्य निधि तो मजदूर की सम्पत्ति है और सरकार एक तरफा रूप से और बल्कि ताकत के साथ उस सम्पत्ति का आधा हिस्सा ले रही हैं। इसमें स्वैच्छा का विकल्प नहीं रखा गया है। यह अगर गैर कानूनी नहीं है तो कम से कम अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनैतिक अवश्य है। मैं नहीं जानता कि यह कानून सम्मत है या नहीं। परंतु यह सच है कि जिन श्रमिकों की मृत्यु हो जायेगी या जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जायेंगे उनको सेवा की आरंभिक वर्षों में कोई लाभ निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। यह मृत्यु की स्थिति में लाभ देने की योजना नहीं है। यह आवश्यक रूप से सेवानिवृति की हालत में लाभ देने वाली योजना है। परिवार पेंशन योजना तो पहले से ही थी। यह असफल क्यों सिद्ध हुई ? परिवार पेंशन योजना में वस्तुतः कितना पैसा आता था और कितनी उसमें से अदायगी होती थी ? उस निधि में 1000 करोड़ रु. की राशि कैसे जमा हो गई ? उसमें पैसे के आगम तथा निर्गम का अनुपात 10 : 1 था। परंतु आवक की तुलना में निर्गम 10 प्रतिशत कम था। क्या इस का यह अर्थ है कि मृत्यु प्राप्त करने वाले श्रमिकों के परिवारों को परिवार पेंशन नहीं मिली ?

विधेयक पुरःस्थापित करते हुए माननीय मंत्री ने बताया था कि परिवार पेंशन योजना में अनेक कमियां थीं। इस कारण इस योजना को लाने का एक कारण यह भी था। परंतु इसके साथ ही आप परिवार पेंशन योजना में संशोधन क्यों नहीं करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु ऐसा किया नहीं गया है।

सरकार चाहती है कि जनता विश्वास कर ले कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इस योजना से सबसे अधिक फायदा पहुंचेगा। क्या यह काल्पनिकता नहीं है ? क्या यह सच है कि जिन श्रमिकों को हम परम्परागत रूप से असंगठित कहते हैं, वह इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं ? अतः वे इस पेंशन योजना के अधीन किस तरह आयेंगे ? वे ऐसा नहीं कर सकते ?

जहां तक लघु क्षेत्र—आकस्मिक और ठेका मजदूरों के मजदूरों का संबंध है, उनके मामले का क्या होगा ? उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। ऐसा किस कारण से है ? उनके मामले में वार्षिक विकास दर 5-6 प्रतिशत के बीच होगी। इस योजना के प्रबंधक जिन्होंने राज्य सभा में प्रवर समिति के सामने साक्ष्य दिया था, इस बात से सहमत थे कि यह योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि मंजूरी की वार्षिक विकास दर 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। यह मंजूरी की राष्ट्रीय विकास दर है। परंतु क्या बीड़ी मजदूरों, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों, निर्माण श्रमिकों का नैमितिक आधार पर काम करने वाले श्रमिकों या समेकित वेतन पाने वालों को कोई लाभ मिलेगा ? नहीं—उनको कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। पिछले सप्ताह राज्य सभा में गठित की गई प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देने वाले इस योजना के प्रबंधक का विचार था।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में संगठित मजदूर वर्ग विशेष रूप से ऐसे वेतन पाने के विरूद्ध जिनका वेतन 5000 रु. प्रतिमास से अधिक है, एक सोचा समझा और निरन्तर प्रचार शुरू किया गया है। क्या इस वर्ग को उपरि वर्ग आना जायेगा ? क्या इस वर्ग को श्रमजीवी वर्ग के भीतर सम्पन्न वर्ग माना जायेगा ? आज किसी फैक्टरी का अर्द्ध कुशल श्रमिक, सरकारी विभाग में श्रम करने वाला प्रवर श्रेणि लिपिक मुद्रास्फीर्ति की पृष्ठभूमि में 5000 रु. प्रतिमास से अधिक अर्जित करता है। परंतु यदि आप का वेतन 5000 रु. से ऊपर है तो 5000 से ऊपर के हिस्से की पेंशन के लिये गणना नहीं की जायेगी। यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि संगठित श्रमजीवी वर्ग हमारे देश के श्रमजीवी वर्ग की रीढ़ की हड्डी है ? आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। परंतु आज क्या हो रहा है ? क्या यह उनका दोष है ? क्या यह उनका अपराध है कि उन्होंने अपने संघर्ष के जरिए बेहतर मंजूरी में कुछ वृद्धि हासिल करली है ? क्या यह

उनका अपराध है ? क्या इसके लिये उनको दंडित किया जायेगा ? कर्मचारी भविष्य निधि का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है ? क्या यह सारी योजना को चलाने के लिये पर्याप्त है ?

महोदय एक अन्य बात यह है कि जब भी सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत होता है, यदि वह पेंशन पाने के लिये पात्र है, तो उसको पेंशन की तत्काल अदायगी हो जाती है। परंतु इस योजना के अनुसार यदि कर्मचारी 40 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत होता है, सरकार की वर्तमान नीति के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति की योजना या किसी अन्य योजना का लाभ उठाते हुए, तो उसे अपनी पेंशन के लिये 18 और साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसे उसकी पेंशन सेवानिवृति की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही मिलेगी, यह योजना में हैं। वित्त मंत्री महोदय यह योजना में है।

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वह 40 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत क्यों होगा ? यह वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं है ?

श्री अजय मुखोपाध्याय : हजारों-हजारों मजदूर 40 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत हो रहे हैं ? आप कुछ भी कहें वास्तविकता उससे भिन्न है। बीड़ी मजदूरों तथा कथित असंगठित वर्ग, निर्माण मजदूरों का क्या होगा। वे भीड़ में खो कर रह जायेंगे। उनका सेवाकाल 20-25 वर्ष से अधिक नहीं होता। उनको पेंशन पाने के लिये 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है। आप समझते हैं कि यह फायदेमंद योजना है। योजना के पैरा 26 में कहा गया है कि पेंशन कोष भारत सरकार के सार्वजनिक लेखे में निवेश किया जायेगा जिस पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत है। भविष्य निधि के काम की यह बराबरी कैसे कर सकता है जिस पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। आप इस पैसे के साथ क्या करेंगे ? क्या सरकार इस पैसे का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये करेगी ? यह मजदूरों के द्वारा मेहनत से कमाया गया पैसा है और इसे अन्य कार्यों के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

महोदय, क्या ऐसा किया जा सकता है ?

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, मैं 2-3 मिनट का समय और लूंगा।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं और वह यह है कि इस के अतिरिक्त निधि के एक हिस्से की कटौती प्रशासनिक खर्चों के लिये की जायेगी जो तीन प्रतिशत तक हो सकता है। इस तरह यह तो 8.5 प्रतिशत भी नहीं रहेगी। इसमें और कमी आ जायेगी।

महोदय, मुझे इस बात से बहुत दुख है कि अधिकतर केन्द्रीय मजदूर संगठन इस योजना को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह अभूतपूर्व विधेयक है यदि ऐसा है, यदि यह इतना अच्छा है तो सदस्य इस संबंध में आशंकाएं क्यों व्यक्त कर रहे हैं और यह मांग क्यों कर रहे हैं कि मजदूरों को अलग अलग ऐच्छिकता का अधिकार दिया जाये ? उनको किस बात की आशंका है ? इस बारे में किसी आशंका की बात नहीं है ? यदि यह इतना अच्छा है, श्रमिकों के हितों के लिये लाभकारी है तो मजदूर स्वयं इसे स्वीकार करेंगे। आप इस तरीके से मजदूर से पैसा नहीं लूट सकते।

आप उससे सहमति लिये बिना उसको ऐच्छिकता का अधिकार दिये बिना भविष्य निधि का उसका आधा पैसा नहीं ले सकते।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं और आप से भी अपील करता हूं कि पार्टीगत बातों को छोड़कर इस पर एक बार फिर से विचार करें। इस देश के श्रमजीवी वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। उनके बलिदान के बिना इस देश में विकास एवं प्रगति संभव नहीं है। अतः उनकी भावनाओं से खिलवाड़ न करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना में व्यक्तिगत ऐच्छिकता देने का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : यह हरेक के हितों के सरकार एवं मजदूर यूनियनों के हितों के विरूद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, यहां पेंशन के संबंध में जो विधेयक आया है और उसके लिए जो आर्डिनेंस निकाला है, मैं उस आर्डिनेंस का विरोध करना चाहता हूं। साथ ही मैं बिल पर अपने विचार भी रखना चाहता हूं। यह बताया गया कि बहुत बढ़िया बिल है, कई सालों से इसकी राह देखी जा रही थी और 1990 में ट्राईपार्टाइट कौन्फ्रेंस ने इसके संबंध में अपनी राय बना ली और कहा कि ऐसा-ऐसा बिल बनाना चाहिए। इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर जब एकमत हुआ तब इस सदन में बिल लाने के लिए उस समय की सरकार को केवल तीन साल लगे। बहुत महत्त्व के बिल, गरीबों के, मजदूरों के हितों के बिल को सदन में आने में तीन साल लगे। इतने महत्त्व का, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, सारे मजदूरों को न्याय देने वाला बिल राज्य सभा में तीन साल रखा। मतलब यह है कि यहां कहने की बात एक है और समझने की बात दूसरी है। यहां मजदूरों को साफ-साफ धोखा देने वाली बात है।

यदि इतना अच्छा बिल था तो राज्य सभा में तीन साल क्यों पड़ा रहा ? इसका मुख्य कारण यह है कि मजदूरों का इस विधेयक के लिए विरोध था। अब कौन सा, किसका, कितना विरोध था, उसके बारे में अलग-अलग बातें कहीं जा रही हैं, उस पर भी मैं आउंगा। लेकिन उसके पहले एक विधेयक के लिए चार आर्डिनेंस निकालने पड़े, यानि सरकार कितनी गंभीर नहीं है, इसके लिए यदि किसी सबूत की आवश्यकता किसी को हो, समझ में आ सकता है कि एक दफा एक आर्डिनेंस निकाला, फिर वही दूसरी दफा, वही तीसरी दफा... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राम नाईक जी, आप इस तरफ देखकर बात कीजिए।

श्री राम नाईक : जब मिनिस्टर ही मुझे बैठे-बैठे उकसा रहे हैं तो. ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.चिदम्बरम् : आप इसका कारण जानते हैं। सरकार बदल गई है।

श्री राम नाईक : वह तो 1996 में हुआ। पिछले साल में क्या हुआ।

श्री रमेश चेन्नितल्ला (कोट्टायम) : आप ने हर सत्र में उसका विरोध किया। क्या किया जा सकता था।

श्री राम नाईक : मैं तो अब भी विरोध करूंगा। विरोध तो करेंगे।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब रिप्लाई में सारा जवाब दे देंगे। आप इस तरफ कहिए, आपको जो कहना है, कहिए।

श्री राम नाईक : यह मुद्दे की बात है कि चार आर्डिनेंस निकालना अपने आपमें संविधान को धोखा देना है। यह मैं भी जानता हूं कि सरकार है, लेकिन देरी क्यों होगी। अब चुनाव के दिन आ रहे हैं, चुनाव तो पांच साल के बाद ही है, चुनाव तो अचानक नहीं आये और जब चुनाव अचानक ही नहीं आये तो तीन साल बिल क्यों रोककर रखा था ? इसलिए इस बात को आप कांग्रेस की ओर से कहिए, सी.पी.एम. की ओर से कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हकीकत बात यह है कि आपने इसके लिए देरी लगाई।

इस विधेयक का आर्गेनाइज्ड सैक्टर के जहां-जहां मजदूर हैं, उन्होंने बड़ी कड़ाई से विरोध किया है। यह ठीक है कि ऑल इंडिया लेवल पर कुछ कहा जा रहा है कि अकेले सीटू ने इसका विरोध किया। यह बात पूरी तौर पर सही नही है। हर एक सैंट्रल आर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में रिजर्वेशन बताए हैं। मैं मुम्बई शहर से आता हूं, अब बैठे-बैठे उन्होंने बात करते समय यह कह दिया कि स्ट्राइक फेल हुई। किसने कहा कि स्ट्राइक फेल हो गई ? मुम्बई शहर में स्ट्राइक सफल हुई। जहां-जहां कामगार जागरूक हैं, सब जगह पर स्ट्राइक सफल हुई और इसलिए आर्गेनाइज्ड सैक्टर के जो सारे मजदूर हैं, उनको इस प्रकार का विधेयक मंजूर नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों में यह एक विषय था। कौन से विषयों के आधार पर हमने मेंडेट लोगों से लिया है, उसमें यह जो जल्दबाजी में इस प्रकार का आर्डिनेंस निकाला था, उसका विरोध मेंडेट का एक महत्त्वपूर्ण पहलू था। जिस शहर से मैं आता हूं, वहा छह की छह लोक सभा सीटों पर यदि कांग्रेस को हार मिली है तो उसके कारण भी मिली है कि इस विधेयक का हम लोगों ने डटकर विरोध किया था। इसलिए यह कहना कि इसको सब की मान्यता है, यह अपने आपमें सही बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मुम्बई, ठाणे, यहां शरद पवार जी नहीं है, कलमाड़ी जी भी नहीं हैं, नहीं तो वह बता देते ...(व्यवधान) आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपका भी विरोध है। आपका भी विरोध है, यह आप सफाई से अभी भी बता दें तो कम से कम इतनी बात तो साफ हो जाएगी। प्रत्येक कहता है कि इसके लिए समर्थन है, समर्थन है और हर माननीय सदस्य बोलते समय कहता है कि इससे हमारा विरोध है और इसलिए यह भूमिका विधेयक की सही नहीं है। जिस भूमिका में मजदूरों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, वहां मजदूरों का पैसा लूटा जा रहा है। इतने सालों का लोगों का प्रोविडेंट फंड में जो पैसा दिया हुआ है और उसके साथ जो एम्पलाइज का कंट्रीब्यूशन है, वह अपने आप में दिन-दहाड़े डाका डालने जैसी बात है। इससे उनका सब अधिकार चला जाएगा, यानि जो कोई मजदूर हैं, सामान्य तौर पर जिसकी 5000 या 5500 रुपए तक की तनख्वाह है, वह जब रिटायर होता हे तो उसको जो सब मुनाफे मिलते हैं,

[अनुवाद]

उसको सेवा निवृति के समय 8 लाख से 10 लाख रु. मिलता है।

[हिन्दी]

अब वह उसको नहीं मिलेगा। इसलिए यह मजदूरों के हितों पर एक बड़ा डाका दिन-दहाड़े डाला जा रहा है और इस बात को लेकर मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

एक बात महत्त्व की आती है कि यदि इतना अच्छा विधेयक है तो उसके बारे में कम्प्लशन क्यों, इसके लिए आप्शन क्यों नहीं है ? मेरा सरकार से आज भी अनुरोध है कि आप कम्पलसरी करके करेंगे तो मजदूरों में जो असंतोष होगा, वह सहन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि योजना अच्छी है तो उसको वालंटियरी रखिए, मजदूरों को बताइए। आप मजदूरों को वालंटियर नहीं रखेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे हित में है, तो वह भी अपना हित समझता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं

[अनुवाद]

तो इसके कोई छिपा उद्देश्य जरूर है।

[हिन्दी]

मजदूरों का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वह उनको नहीं देते हुए आप अपनी ओर से अन्य कार्यों के लिए लेने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो बताएं कि पैसा कहां जाने वाला है, जिससे उनको भी पता चलेगा।

समाज कल्याण की जो भी योजनाएं होती हैं, उसमें मजदूर हो, गरीब तबके का आदमी हो, उसके अधिकार को कम नहीं किया जाता। कोई भी जनहित की योजना हो, यह अधिक लाभ देने वाली होगी। आप

अधिक लाभ नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

पेंशन देते समय प्राइस इंडेक्स के साथ पेंशन के अमाउंट को जोड़ना उसका बैलेंस बिठाना बड़ा आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भी मालूम है कि पैसे की कीमत दिनों-दिन कम हो रही है, उससे मजदूरों को और नुकसान होगा। इसलिए इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह बात बड़ी आवश्यक है और यह करनी चाहिए। उसी प्रकार से रेट आफ इंटरेस्ट के बारे में कहा गया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। यह क्या बात हुई कि यदि कोई कर्मचारी या मजदूर मकान बनाने के लिए या अन्य किसी चीज के लिए लोन लेता है तो उसे 15 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। यदि उसका पैसा लिया जाता है तो उसको केवल 12.5 प्रतिशत इंटरेस्ट ही दिया जाता है, वह अन्याय है। जो बैंकों का लैंडिग रेट है, उसका इंटरेस्ट उसको अपने अकाउंट में मिलना चाहिए। इसी प्रकार से इंटरेस्ट का रेट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। आप मजदूरों से कम करके पैसा ले रहे हैं, और किसी से लेकर देखें, वैल्थ टैक्स वालों का लें, वहां से नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह बात सही नहीं है, मैं इसका भी विरोध करता हूं।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा रहा है कि मजदूरों के पास यदि दस-बारह लाख रुपया आ गया तो उसको पता नहीं चलता है कि उसे कैसे इंवैस्ट करे। यह बात वह अच्छी तरह से जानता है। यदि उसे वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम से पांच-छः लाख रुपया मिलता है, तो उस समय यह बात क्यों नहीं ध्यान में आती ? इसका मतलब तो यही है कि दोहरा तरीका सब जगह चल रहा है। वह कहां और कैसे अपना पैसा इंवैस्ट करे, यह बात मजदूर अच्छे ढंग से समझते हैं। लेकिन बैंक वाले ही नहीं समझते हैं। मजदूर हो या वेतनभोगी क्लास हो, वह हमेशा अच्छे ढंग से जानते हैं कि उसकी मेहनत की कमाई की रक्षा कहां हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए।

अब मैं सीलिंग की बात करना चाहता हूं। आप पांच-छः हजार रुपये तक सीलिंग की बात कर रहे हैं। यह आप किस जमाने की बात कर रहे हैं। आज शहरों में पांच-छः हजार रुपये में पति-पत्नी और उनके दो बच्चों का परिवार नहीं रह सकता। इसलिए आप पेंशन की सीलिंग पांच-छः हजार रुपये रखकर उन मजदूरों के साथ मजाक करना चाहते हैं, जिन्होंने 20-25 साल तक मजदूरी की है। यह नहीं होना चाहिए। यदि इसको नहीं निकालते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा।

मैं सी.पी.एम. के मित्रों की कठिनाई को समझ सकता हूं। इन्होंने कभी इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब कैसे कर सकते हैं, इनको सरकार चलानी है और उसके लिए सरकार को समर्थन चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं। इसमें ये कहेंगे कि एट्रोशियस है और एटोशियस होने के बाद हम समर्थन कर रहे हैं।

यह तब तो नहीं चल सकती। आखिर मज़दूरों के हितों की रक्षा करनी है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाको (मुकुंद पुरम) : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। ...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : उन्होंने कहा कि यह क्रूरता है।... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

इसलिए जब एंट्राशियस स्कीम कहते हैं तो समर्थन कैसे करेंगे और इसलिए इन सारी बातों को रखकर मैं आग्रह से कहना चाहूंगा कि सारी योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। केवल मजदूरों को विश्वास में लेना काफी नहीं है क्योंकि आप फेट अकम्पली करके यहां पर आर्डिनेंस लाए हैं, इसलिए सदन की एक विशेष कमेटी बनाइये और उसमें पुनर्विचार करिए। अब आर्डिनेंस है, इसलिए बिल तो पास करना है, कौंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी हो गई है, ऐसे कहा जा सकता है।

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री राम नाईक : मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन यह माना जाए कि इस विधेयक का हम समर्थन कर रहे हैं तो यह बात बराबर नहीं है। कौंस्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन पूरा करने की एक सीमित बात को लेकर हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। लेकिन इस पर पुनर्विचर करने के लिए सरकार को दोनों सदनों की एक कमेटी बनानी चाहिए तभी मजदूरों को न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं आरंभ में भूतपूर्व श्रम मंत्री को जो इस समय इस सभा के अध्यक्ष हैं, उनको इस व्यापक कानून बनाने से पहले कशमीर से कन्याकुमारी तक में श्रमजीवी वर्गों के नेताओं से मिलने और उनकी बात को धैर्य से सुनने के लिये धन्यवाद करता हूं।

परंतु मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि दूसरी ओर के लोगों के अर्थात संयुक्त मोर्चे के लोगों ने यह कहा कि उनको सौतेला बच्चा सौंप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनको भूतकाल की विरासत को ढोना पड़ रहा है। हम यहां पर संयुक्त मोर्चे को विरासम को ढोने के लिये बाध्य नहीं करना चाहते हैं। उनको अपने विचार बदलने की पूरी आजादी है। हमारे नेता ने इस समझौते के पहले दिन ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह समर्थन बिना शर्त है और उनको पूरी आजादी है। हम ने कभी उनको नहीं कहा कि वह हमारे संरक्षण में हैं। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है—बच्चा सौतेला है अथवा अवैध है या वैध है। आप बेहतर जानते हैं। इसके बावजूद यदि आप ऐसा कहते रहेंगे तो मैं नहीं जानता। परंतु वास्तविकता यह है कि आप संविधान की परिधि में रहते हुए सरकार चलाने के लिये कुछ भी करें विरासत तो रहेगी ही चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। यदि कोई बुरी हो तो हम सब मिल बांट लें और यदि कुछ अच्छी बात है तो हम मिलबांट कर खुश हो लें।

यह वास्तविकता है और समय की मांग है। अन्यथा आप उनको केवल मौका देंगे। मैं जानता हूं कि डी.एम.एस. और सीटू कभी भी राजनैतिक रूप से और सिद्धांत रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते। आज इस विधेयक में जिस बात की सावधानी से जांच की जरूरत है वह यह है कि विधेयक में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मेरे विचार से उन विख्यात व्यक्तियों ने जो श्रम मंत्री रहे, जो समिति के सदस्य रहे जिन्होंने गोष्ठियों में हिस्सा लिया उन्होंने श्रमिक वर्ग के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से पेंशन की अवधारणा के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं।

मैं एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस मसले पर चुनाव के दौरान भी गंभीरता से चर्चा की गई थी। मैं जिस भी औद्योगिक क्षेत्र में गया मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि चाहे यह ठीक हो अथवा नहीं, अधिकतर औद्योगिक मजदूर इस बात को पसन्द नहीं करते कि (क) 5000 रु. की अधिकतम सीमा लागू रहनी चाहिये और (ख) 12 प्रतिशत ब्याज जो उन्हें किसी भी बैंक में मिल सकता है वह भी उनको न मिले और उनका अंशदान इस तरह रख लिया जाये। उनको अभी तक यह स्पष्ट नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको : 16 प्रतिशत ...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : जी नहीं। उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं ?

श्री पी. सी. चाको : बैंकों में आप को अधिक मिल रहा है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : बैंको में भी हमें ज्यादा मिल सकता है। परंतु श्रमिकों का प्रश्न वही है जो चुनावों में आपके सामने था। मैं इस सभा में उसका उल्लेख कर रहा हूं। हमें वह ब्याज भी नहीं मिल रहा है जो हम बैंकों में प्राप्त कर सकते हैं। इस विधेयक में इस मुद्दे पर सरकार का क्या उत्तर है। हमें सारे मजदूर वर्ग को एक मानना है। मेरे विचार से सरकार का आय न्यूनतम कार्यक्रम भी यही है। आपको श्रमजीवी वर्ग। किसानों और गरीब वर्गों को विश्वास में लेना है। प्रधान मंत्री भी हमेशा यही कहते रहे हैं। इसी कारण मैं श्रम मंत्री से अपील कर रहा हूं कि वे इस पहलू पर विचार करें और इस विधेयक में कुछ सुधार करें।

मैं इसके दोषों का उल्लेख करता हूं। यह राजनीति से प्रेरित आरोप नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भविष्य निधि से संबंधित विभागों का प्रबन्धन किस तरह होता है। देश भर में लाखों मजदूर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे उनके नामों की सूची देने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां इसका उल्लेख करके दुख हो रहा है। मुझे विश्वास है कि अगले सत्र में मुझे मंत्री महोदय से उत्तर मिलेंगे। मेरे विचारों से भविष्य निधि की चूक संबंधी मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात हैं। इतना ही नहीं चूककर्त्ता दिन रात खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। और उन को कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उनको कौन बचा रहा है। मजदूरों ने आत्म हत्या कर ली है। प्रदर्शन हो रहे हैं, शहर में बंद के बाद बंद आयोजित किये जा रहे हैं। और फिर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। वे अभी भी खुले घूम रहे हैं।

आज देश का कानून क्या है ? कर्मचारी भविष्य निधि के विभिन्न उपबन्धों का क्या हुआ ? सभी उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है। इसके बावजूद, यहां तक कि भविष्य निधि आयुक्त भी चुप बैठे हैं। वे मजदूरों से मिली शिकायतों तक पावती नहीं भेजते, वे मजदूर यूनियनों के नेताओं के द्वारा भेजी गई शिकायतों की भी पावती नहीं भेजते। यह तंत्र इस ढंग से काम कर रहा है। अब आप पेंशन की बात कर रहे हैं। आप श्रमजीवी वर्ग के पैसे का एक ओर हिस्सा अलग कर रहे हैं। एक निश्चित आयु के बाद उनको पेंशन कहां मिलेगी। आप 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हुं कि श्री अजय मुखर्जी ठीक कह रहे थे। अब स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना लागू की जा रही है। आप मजदूरों को समय से पहले सेवानिवृति को मजबूर कर रहे हैं। आज कल इसी तरह के अन्य तरीके भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस विधेयक का क्या उद्देश्य है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं यदि यह सिर्फ सरकार द्वारा प्रबन्धन वाले संगठित क्षेत्र के लिये ही हो। इसका काम बड़े कम्पनी क्षेत्र तथा अन्य प्रबंधकीय क्षेत्रों द्वारा उठा लिया जायेगा। वे इसका पूरा फायदा उठायेंगे।

महोदय मैं व्यक्तिगत रूप से चिन्तमुक्त हूं कि अलग अलग विकल्प अपनाने की जोर शोर से भाग की जा रही है। इस विधेयक में उपबन्ध है और श्रम मंत्री इससे सहमत भी हैं कि संगठनों को ऐच्छिक अधिकार देने पर विचार किया जा सकता है ? संगठन का अर्थ है मजदूर यूनियन और प्रबन्ध। यह यूनियन कौन सी यूनियन होगी मान्यता प्राप्त यूनियन या संगठन की पंजीकृत यूनियन ? यदि आप पांच मजदूर युनियनों को मान्यता देंगे और उन पांच में से तीन सहमत हों और दो सहमत न हों तो स्थिति क्या होगी ? यदि दूसरी पांच पंजीकृत यूनियनें जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, कहती हैं कि वे हमसे सहमत नहीं हैं और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दें तो आप संगठनात्मक ऐच्छिकता का निर्णय किस तरह करेंगे। इस स्थिति को विधेयक में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि अन्ततः इसका फैसला स्थानीय थाने के एस.एच.ओ. या पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जायेगा जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। इस तरह आप पुलिस स्टेशन जायेंगे और थानेदार आकर आपका फैसला करेगा। वास्तव में यही हो रहा है। हमें इस की जानकारी है क्योंकि मजदूर यूनियनों का काम देखते हैं। इस तरह इन बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अलग अलग विकल्प दिये जाने को मजदूर आज भी पसन्द कर रहे हैं उसका एक सीधा सा कारण यह है कि वे भविष्य निधि मामलों की तरह डरते हैं। उनको ब्याज के बारे में भी आशंका है। तीसरे उनको इस 5000 रुपए की सीमा से भी डर है। जब तक आप मजदूरों के दिमाग से इन संशयों को दूर नहीं कर देंगे और जब तक आप उसमें यह सुधार नहीं कर देंगे आप श्रमजीवी वर्ग का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे ? मैं यह नहीं कह रहा कि यह कड़ा कानून है। मैं यह कह रहा हूं कि अभी भी उम्मीद है। परंतु श्रमजीवी वर्ग ने जिन संशयों को उठाया है उनका उद्देश्य किसी के उद्देश्यों के विरुद्ध उंगली उठाना नहीं है। जब श्रमजीवी वर्ग बोलता है वह सच बोलता है। मैं यह नहीं कह रहा कि क्या केन्द्रीय मजदूर यूनियन नेताओं ने मंत्री महोदय को और सरकार को गुमराह किया है। मेरा अनुरोध केवल यह है कि उनके विचारों को ध्यान में रखें और फिर

भी यदि आप यह समझें कि आप इस कानून में सुधार कर सकते हैं तो भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कार्यकरण पर विचार करें।

अपराह्न 8.00 बजे

पेंशन योजना के लिये बनाये गये ट्रस्ट के काम करने का ढंग क्या है ? उसको भी आप को यहां पर बताना है क्योंकि मुझे उनके कार्यकरण के बारे में संशय है कि वह किस तरह काम करेंगे। आपने वार्षिक पुनरीक्षण के बारे में भी कुछ कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन पुनरीक्षणों पर टिप्पणियां केन्द्रीय मजदूर यूनियनों को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगी अथवा नहीं।

श्री एम. अरूणाचलम : लगभग मजदूर यूनियनों ने अध्यादेश भेजे हैं।

श्री पी. आर. दास मुंशी : मैं यह अनुरोध करता हूं कि यद्यपि इस कानून की परिधि में यह नहीं है, फिर भी इस अवसर का लाभ उठा कर मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। जब आज इस विधेयक पर सदन में चर्चा होनी थी तो मुझे दुर्गापुर से एक टेलीफोन किया कि दुर्गापुर में काफी शोर-शराबा है। इस सारे औद्योगिक क्षेत्र में काफी समय से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कोई कार्यालय नहीं है। उन्होंने मुझे माननीय मंत्री को सूचना देने के लिये फोन किया। हालांकि दुर्गापुर इस्पात नगर है और यहां अन्य सम्बद्ध उद्योग भी स्थिति हैं फिर भी यहां पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय नहीं है। उनकी यह बहुत पुरानी शिकायत है। हालांकि उन्होंने आप के इस कानून का स्वागत नहीं है और यह एक अलग मसला है। उन्होंने मुझे से अनुरोध किया है कि यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाई जाये।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री चर्चा के आधार पर कुछ सुधार कर सकते हैं और बिना किसी विवाद के हम निश्चित रूप से इस कानून का समर्थन करेंगे। हमारा इस अवस्था पर किसी संघर्ष का विचार नहीं है। परंतु मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि सभा के विचारों को ध्यान में रखें और यह न सोचें कि चूंकि इसे इसी रूप में अपना कर यहां भेजा गया है अतः इसे पारित किया जाये। अन्यथा यह मेरी समस्या नहीं होगी।

चूंकि मेरे माननीय सदस्य ने विरासत की बात की है हम मानते हैं कि हमें अपनी विरासत की चाहे वह अच्छी है या खराब, कैसे रक्षा करनी है। परंतु माननीय मंत्री महोदय की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस समय उनका रंग कुछ चमक रहा है। क्या यह अच्छा है अथवा खराब ?

श्री पी. आर. दासमुंशी : इसके बारे में श्री चिदम्बरम बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार में इसकी मांग की थी और मैं उस समय यहां पर नहीं था।

मेरा अब भी यही विचार है कि यह एक अच्छा कदम है परंतु इसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। जब तक इसमें सुधार नहीं किये जाते मजदूर इसे स्वीकार नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति जी, कांग्रेस की जो नीति थी यह सरकार भी उसी नीति को अपना रही है। अभी मेरे साथी दास मुंशी जी ने कहा कि इन्होंने अन-कंडीशनल सपोर्ट दी है। सभापति जी, इन्होंने अन-कंडीशनल सपोर्ट नहीं दी है। जब इनकी सरकार बनने जा रही थी तब सपोर्ट करते समय पहले इन्होंने कहा था कि अन-कंडीशनल सपोर्ट देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हम कंडीशनल सपोर्ट देंगे।

सभापति महोदय : मिस्टर रावले, आप बिल पर बोलिये।... **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : सभापति जी, मैं बिल पर ही आ रहा हूं। अभी जो बिल लाया गया है इसमें पहले फैमिली पेंशन स्कीम थी, वह फैमिली पेंशन स्कीम बंद हो रही है। फैमिली पेंशन स्कीम करके ये लोग अब लागू कर रहे हैं। 1971 से जो फैमिली पेंशन स्कीम थी वह वाइप-आउट हो रही है। आज मुम्बई शहर में लाखों लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा निकाला है। इस बिल को चिदम्बरम जी, जो पिछली सरकार में थे, 16 अक्टूबर, 1995 को लागू करने वाले थे।

25 जून और 27 मार्च को यह बिल लैप्स हुआ। यह बिल मजदूरों के ऊपर दबाव डालता है। इससे लाखों मजदूरों को नुकसान होने वाला है और कई लोगों को लाभ मिलने वाला है। मजदूर अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तान के सभी मजदूर और मजदूर यूनियन्स इनके साथ नहीं हैं।

इस एक्ट की एक धारा के मुताबिक मजदूरों का 1.7 परसैंट अंशदान है और वह मजदूरों को अपनी व्यक्तिगत आय समझी जाएगी। उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उस राशि को उपयोग करने का अधिकार होगा। रिटायरमेंट के समय कामगार बहुत समझदार हो जाते हैं। मेरी भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री वेंकटस्वामी जी से इस बारे में बहुत बहस हुई थी। उनका कहना था कि मजदूर पैसा उड़ा देते हैं। मजदूर मेहनत से काम करते हैं। वे बहुत कैपेबल होते हैं। रिटायर होने पर क्या वे कैपेबल नहीं होते, समझदार नहीं होते, क्या उन्हें पैसा खर्च करने की समझ नहीं होती ? जब उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी होती है या घर लेना होता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है लेकिन तीसरा लाभ न मिलने के कारण वे इससे वंचित हो जाते हैं।

यह सरकार मजदूरों का 9 हजार करोड़ रुपया हड़प करना चाहती है। इनसे पहले की गवर्नमेंट के समय कई स्कैम हुए। उस समय यूरिया घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ और गोल्ड का घोटाला हुआ। इन घोटालों को लेकर सत्ताधारी पक्ष ने कांग्रेस की बड़ी आलोचना की थी। आज यह कांग्रेस की नीति पर ही चल रहे हैं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोहन रावले, आपको अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें और उनको नहीं। आप उनको सम्बोधित नहीं करें। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मुखोपाध्याय जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। शरद पवार जी ने इस बिल का विरोध किया था। ममता बहन जी जब इस पर बोलेंगी तो वह शरद पवार जी की बात मानेंगी या नरसिंह राव जी की बात मानेंगी, यह हम देख लेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारी पार्टी डैमोक्रेसी की नीति पर चलती है।

श्री मोहन रावले : ठीक है, लेकिन बिल पास होने पर पता चल जाएगा।

सभापति महोदय : आप बिल पर बोलिए।

श्री मोहन रावले : पिछली सरकार ने मजदूरों का पैसा हड़प किया। पता नहीं 9 हजार करोड़ रुपया कहां गया ? वह सरकारी तिजोरी में जमा है या नहीं ? स्कैम का पांच हजार करोड़ रुपया कहां गया, कौन लेकर गया, पता नहीं। वह कैसे वापस आएगा ?

सभापति महोदय : आप बिल पर बोलिए।

श्री मोहन रावले : मैं बिल पर ही आ रहा हूं। मैं 9 हजार करोड़ रुपए के घोटाले पर बोल रहा हूं। इससे सरकार को कई हजार करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।

हमारे साथी राम नाईक जी ने कहा कि यह सरकारी डाका है। सरकार ने मजदूरों के ऊपर डाका डाला। मुखर्जी साहब ने कहा कि 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। आप उन्हें 40 साल में रिटायर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

हमारे यहां कई टैक्सटाइल मिल्स हैं। आपने बी.आई.एफ.आर. बना दिया। आप मिल नहीं चला सकते हैं। एन.टी.सी. सरकारी मिल है। उसको आप चला नहीं पा रहे हैं। इसके कारण मजदूर बेकार हो गए हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से मजदूरों को वहां से निकाला जा रहा है। आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। इन्हें अपनी पूर्व की नीति भूलनी नहीं चाहिए।

श्रीमन्, भविष्य निधि का पैसा निकालने में कठिनाई हो रही है। हमारी मांग है कि इसको कम्पलसरी नहीं बल्कि आप्शनल बनाना चाहिये। अगर आप सारे देश में शान्ति चाहते हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शान्ति चाहते हैं तो आप्शन रखना चाहिये। इसके पहले भी यह बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और 1993 में बिल लाये हैं जिसका हमने विरोध किया था। इस पर इतनी बहस हुई कि इसका विरोध किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पहले स्कीम थी, वह कितनी अच्छी थी। क्या बुरी थी ? आज आप नयी स्कीम लाने जा रहे हैं। पहले वाली स्कीम में 1.70 परसेंट मजदूरों का, 1.70 सरकार का और 1.70 मालिकों का मिलता था और अब सरकार यह सब पैसा छीन रही है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध तो कर रहा हूं परन्तु कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी या पैंशन को अलग ग्रुप से दिया जाना चाहिये। पेंशन की जो रकम है, वह आखिरी के 60 महीने की औसत में रखा हुआ है। मेरी मांग है कि उसमें दस वर्ष का आप्शन रखना चाहिये और पैंशन में पूर्व की तरह अंशदान होना चाहिये। एक मजदूर की 40 वर्ष की सेवा के बाद या उसके गुजरने के बाद उसके बेटे को पेंशन या पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिये और आप लोग जो अन्याय कर रहे हैं, मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री राम नाईक और अन्य साथियों ने कहा कि पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि आये दिन मूल्यों में वृद्धि होती रहती है और यह पेंशन योजना कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। उनकी तो रक्षा होनी चाहिये। अभी सरकार भविष्य निधि पर 12 परसेंट ब्याज दे रही है जिसे साढ़े आठ परसेंट करने जा रही है और इसमें मूल राशि की कोई गारंटी नहीं है। आज एक मजदूर यदि महीने में एक हजार वेतन पाता है तो इसे रिटायरमेंट के बाद 63 हजार रुपया मिलता है जबकि वही पैसा 20 साल तक बैंक में रखा जाये तो 7 लाख, 30 हजार 381 रुपया मिलता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिये। इसलिये सरकार से इस योजना में आप्शन रखे जाने की मांग करता हूं। यदि नहीं रखेंगे तो मेरी और मेरी पार्टी की ओर से विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सभा का समय आठ बजे तक के लिये बढ़ाया गया है। अब आठ से ऊपर का समय हो गया है।

सभापति महोदय : मुझे दुख है। मैं यहां पर नहीं था। क्या सदन 9.00 बजे तक बैठना चाहता है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सभा की बैठक का समय 9.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, विधेयक के गुण-दोषों पर चर्चा की जा चुकी है और लगभग सभी बातों का उल्लेख किया जा चुका है। मैं अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं कामरेड अजय मुखोपाध्याय के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं।

मेरा भी यह विचार है कि इस विधेयक में नई बात कुछ नहीं है। श्रमजीवी को कोई नया लाभ नहीं दिया जा रहा है। विचार करने की बात अंशदायी भविष्य निधि से पैसा नई पेंशन योजना को अन्तरित किये जाना है। नियोजक के अंशदान का 8.33 प्रतिशत नई पेंशन योजना को

अंतरित किया गया है। वास्तव में नियोजक का अंशदान मजदूर की आस्थगित अदायगी होता है। भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान के मजदूर की आस्थगित अदायगी होने के कारण इस पैसे को यह कह कर पेंशन योजना में अन्तरित किया जा रहा है कि यह नया विधेयक है और मजदूरों को दिया जाने वाला नया और अतिरिक्त लाभ है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि इसमें भविष्य निधि से पेंशन योजना को पैसा अन्तरित किये जाने के सिवाए नया या अतिरिक्त लाभ कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्याज की कम दर है जो 8.5 प्रतिशत है। मेरे तथा मेरी पार्टी के विचार से यह ठीक नहीं है। हमारी पार्टी की मुख्य मांग यह है कि भविष्य निधि और ग्रेच्युइटी के अतिरिक्त पेंशन तो तीसरा लाभ होना चाहिये। यह सेवा निवृति पर मिलने वाला तीसरा लाभ होना चाहिये। यह पैसा भविष्य निधि से नहीं लिया जाना चाहिये।

इसके आधार पर मैं कुछ असंगतियों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन पर चर्चा की जा चुकी है। मैं सबसे पहले जिस असंगति का उल्लेख कर रहा हूं उसके लिये मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लें कि एक मजदूर को सेवा में आने पर 1000 रुपए प्रतिमास का वेतन मिल रहा है। यदि हम गणित की दृष्टि से गणना करें तो पता चल जायेगा कि यह विधेयक श्रमिक वर्ग के हितों के विरुद्ध है।

जैसा कि मैन कहा, यदि हम यह मान कर चलें कि मूल वेतन 1000 रुपये है, तो दस साल के बाद प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि के अनुसार वह 2593 रुपए होगी और 15 साल के बाद यह 4177 रुपए एंव 20 साल के बाद 6727 रुपए हो जायेगी। दस साल के बाद भविष्य निधि पैसे से कितना पैसा पेंशन निधि में अपवर्तित किया जायेगा? गणित की गणना के अनुसार यह 25606 रुपए होगी और 15 साल के बाद 64816 रुपए तथा 20 वर्ष के बाद भविष्य निधि का जमा पैसा 1,45,935 रुपए होगा। मेरा अनुरोध है कि इस वेतन के आधार पर किसी श्रमिक को नई पेंशन योजना में मिलने वाली मासिक पेंशन 10 साल के बाद 370 रुपए 15 साल के बाद 895 रुपए और 20 साल के बाद 1571 रुपए होगी। नई पेंशन योजना के अनुसार उसे यह पेंशन मिलेगी। मेरा अनुरोध यह है कि यदि वर्तमान भविष्य निधि योजना लागू रहे और श्रमिक को अंशदायी भविष्य निधि योजना का लाभ उठाने का विकल्प हो तो 20 वर्षों की सेवा पर सेवानिवृत होने पर उसे 145935 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। मान लिया जाये कि वह इस राशि को राष्ट्रीय कृत बैंक में अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास जमा करा दे तो उसे 12-13 प्रति ब्याज मिलेगा और ब्याज के रूप में उसे 10 साल के बाद 277 रुपए प्रतिमास, 15 वर्षों के बाद 702 रुपए और 20 वर्षों के पश्चात् 1500 रुपए मिलेंगे जो उसे मिलने वाली पेंशन से अधिक है। इस गणितीय गणना के आधार पर ही यह श्रमिक वर्ग के हितों के विरुद्ध है। इसी कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं।

दूसरी विसंगति यह है कि यह मूल्य वृद्धि के सूचकांक से जुड़ा नहीं है और मुद्रास्फीति के अनुसार रुपये के अवमूल्यन से भी नहीं जुड़ा है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

तीसरी विसगति राशि की अधिकतम सीमा के बारे में है। इस 5000 रुपए की सीमा पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह वेतन के आधार पर होनी चाहिये। पेंशन का आधार सेवानिवृति के समय लिया जाने वाला वेतन होना चाहिये।

मैं इन्हीं तीन विसंगतियों का उल्लेख करना चाहता था। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि ऐच्छिकता का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस बारे में इस सभा में केवल यही समझौता हो सकता है कि श्रमिकों को ऐच्छिकता का अधिकार दिया जाये। यदि श्रमिक यह समझते हैं कि यह योजना उनके हित में नहीं है तो उनको इसे स्वीकार करने के लिये बाध्य क्यों किया जाये? यदि वे यह समझते हैं कि वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि योजना इस नई पेंशन योजना से बेहतर है तो उनको उसे स्वीकार करने की छूट रहनी चाहिये।

मैं यहां पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन से एक पैरा पढना चाहता हूं। इसका पाठ इस प्रकार है : "इस समिति का यह विचार है कि अलग अलग श्रमिक को योजना से बाहर रहने की अनुमति देना व्यवहार्य नहीं, क्योंकि उस मामले में श्रमिकों में से सम्पन्न वर्ग उससे बाहर रहने के अधिकार का उपयोग करेंगे और योजना आरंभ नहीं हो सकेगी।"

महोदय, यहां पर सम्पन्न वर्ग कौन है? पिछले साल सीटू तथा ए.आई.टी.यू.सी. ने हड़ताल आयोजित की थी जिसे काफी सफलता मिली थी। इसी कारण मेरा अनुरोध है कि इस सभा में इसी बात पर समझौता हो सकता है कि श्रमिक को ऐच्छिकता का अधिकार दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री सत्यपाल जैन उपस्थित नहीं हैं। कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं विस्तार में नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य लगभग प्रत्येक बिन्दु पर बोल चुके हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती।

महोदय, मैं समझती हूं कि सरकार के सामने इस अध्यायदेश को लेकर समस्या है क्योंकि सरकार संसद की इस पर अनुमति नहीं ले सकी इस कारण इसे तीन बार यह अध्यायदेश प्राख्यापित करना पडा। सरकार के सामने परेशानी है परंतु इसके साथ ही सरकार को श्रमिक वर्ग की परेशानी को भी देखना चाहिये। हमारे देश में एक कहावत है।

[हिन्दी]

"धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करता है
मजदूर बेचारा रो-रोकर तकदीर का शिकार होता है"

[अनुवाद]

महोदय, मैं यह नहीं कह सकती कि सभी कुछ खराब है। निश्चित रूप से इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं जैसे कि सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के मामले। यह अच्छी बातें हैं। परंतु मेरी एक बात पर जबरदस्त आपत्ति है। मैं नहीं जानती कि सरकार ने उस पर गंभीरता

से चर्चा क्यों नहीं की। मुझे इस बात से हैरानी है कि दोनों साम्यवादी दल अर्थात् भारतीय साम्यवादी पार्टी और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी में भी इस मुद्दे पर मतभेद है। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो सभी यूनियनों ने कुछ आपत्तियों के साथ इसका समर्थन किया है। यह सर्वसम्मति नहीं है। इसी कारण मेरी आपत्ति यह है कि...

श्री एम. अरूणाचलम : मुझे सभी मजदूर यूनियनों अर्थात इंटक, हिन्द मजदूर सभा, डी.एम.एस. तथा एटक से एक पत्र मिला है। क्या मैं उनको पढ़ सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं महोदय, मुझे उसका पता है। आपका धन्यवाद... **(व्यवधान)**। महोदय, मैंने कहा कि कुछ ऐसी यूनियनें हैं जो इसके लिये तैयार हैं। परंतु उनकी कुछ आपत्तियां भी हैं। क्या यह अब स्पष्ट है ? क्या आप कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं ?... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वह उत्तर देते समय ऐसा कर सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कई बार हमें दलगत बातों को छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें तथा अन्य मसले होते हैं जिनसे केवल पार्टी का ही नहीं अपितु जनता के दिलों से भी संबंध होता है। मुझे केवल दो बातों के बारे में आपत्तियां हैं। पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, यह हमारा संविधानिक अधिकार है। अतः कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार किसी दूसरे को क्यों दे। दूसरी बात यह है कि यदि आपको नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगानी है तो पहले संविधान में संशोधन करें।

अन्यथा कार्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, जीवन के अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार और मतदान करने के अधिकार का क्या होगा ? आप व्यक्तिगत अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकते। यह संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है। यह संविधान के पूरी तरह विरुद्ध है।

महोदय, मेरा मजदूर यूनियनों का कोई अनुभव नहीं है। मैं मजदूर यूनियनों के बारे में कुछ नहीं जानती। सरकार यह विधेयक लायी है और मैं यह समझती हूं कि सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था। इसे कई अवसर मिले हैं। विधेयक काफी समय से ही लम्बित पडा है। परंतु आप पुरानी सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं जबकि यह विधेयक नई सरकार द्वारा लाया गया है ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक पर विचार करे। पहली तो यह है कि आप हर एक श्रमिक को ऐच्छिकता का अधिकार दें। उदाहरण के रूप में क्या आप यह कह सकते हैं कि परिवार के पांचों भाईयों को एक स्थान पर रहना होगा ? बड़ा भाई किसी एक जगह रह सकता है और मझौला किसी अलग जगह रह सकता है। अतः आप यह नहीं कह सकते कि सभी को इकट्ठा रहना होगा अथवा सभी को अपने अधिकार एक स्थान पर रखने होंगे। आप व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं।

मेरे राज्य में, महाराष्ट्र में और गुजरात में अनेक पटसन मिलें हैं। निर्माण मजदूरों या एन टी सी मिलों में काम करने वाले मजदूरों या पटसन मिलों के मजदूरों का क्या होगा ? क्या आप जानते हैं कि गैर-संगठित क्षेत्र में बीडी मजदूरों की क्या स्थिति है ? मजदूरों को उनका भविष्य निधि का पैसा नहीं मिल रहा। आप भविष्य निधि के चूक-कर्ताओं की सूची देख सकते हैं। उसमें मेरा राज्य सब से ऊपर है और इस बात में कोई शक नहीं है परंतु आप सूची में अन्य नाम देखें। निजी क्षेत्र में प्रबंधकों के द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि का पैसा नहीं दिया जा रहा है। वे मजदूरों को ग्रेचुटी अदा नहीं कर रहे हैं। आप को यह जान कर हैरानी होगी कि सेवा निवृति के बाद अनेक अध्यापक भूख के कारण मर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। इसी कारण मैं यह कह रही हूं कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ऐच्छिकता का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि सम्बद्ध संगठन या यूनिट इस अधिकार का दुरूपयोग न कर सके। कई बार मैंने देखा है कि व्यापारी एक यूनिट को खरीदता है और एक साल के बाद — मेरे राज्य में तो यह प्रवृति है— उस यूनिट को वह बेच देगा। इस तरह श्रमिकों की स्थिति क्या होगी ? मैं आपको बता दूं कि वे यूनिट या जो कुछ भी आप उनको नाम दें, जनता को गुमराह करते हैं या लोगों को धोखा देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मजदूर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इसी कारण मेरी इस बारे में जबरदस्त आपत्ति है। मैं सरकार की सराहना करती हूं किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसको श्रमिकों की समस्याओं को भी समझना चाहिये। इस बारे में सर्व सम्मति है परंतु दलगत बातों को छोड़ कर सभी यह मांग कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से ऐच्छिकता का अधिकार दें और आपको ब्याज भी देना है। वे अपने बैंक ब्याज से क्यों वंचित हो। 9000 करोड़ रुपये की यह राशि कहां है ? हर कोई इस कार्यक्रम के भविष्य के बारे में जानना चाहता है। इसी कारण से अच्छा होगा कि सरकार आवश्यक संशोधनों के साथ एक व्यापक विधेयक पेश करें। मेरा यह प्रस्ताव है कि सरकार व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे और मेरा यह आपसे अनुरोध भी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तब मुझे इस बात का खेद है कि इसके विरोध में हम सभा से बहिर्गमन करने को तत्पर हैं।... **(व्यवधान)** व्यक्तिगत अधिकार को संरक्षण दिया जाना चाहिये।

अपराह्न 8.29 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, सदन में इस समय हम कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल में पूरी तरह से समर्थन करने लायक कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर इधर जाएं तो कुंआ है और दूसरी तरफ जाएं तो खाई है। कुल मिलाकर अभी जो पेंशन संबंधी व्यवस्था है वह अधिकांश क्षेत्रों में श्रमिकों के हित में सिद्ध हो रही है और श्रमिकों को उसके कारण ज्यादा लाभ हो रहा है।

यह जो विधेयक लाया गया है उसके विषय पर पिछले तीन वर्षों से इस सदन में, राज्य सभा में और बाहर चर्चा होती रही है, किन्तु अभी तक इसको पास नहीं किया जा सका है और सारे देश में अनेक ट्रेड यूनियनों ने इसका जमकर विरोध किया है। माननीय मंत्री जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ट्रेड यूनियनों के पत्र उनके पास आए हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने जो पत्र लिखे हैं वे पत्र सीधे-सीधे समर्थन के लिए नहीं लिखे गए हैं। उनमें अनेक बातों के सुझाव दिए गए हैं और उन सुझावों को जब तक यह सरकार नहीं मानती है तब तक यह मजदूरों के हित में नहीं होगा, कर्मचारियों के हित में नहीं होगा तथा कांग्रेस सरकार जो उल्टा-सीधा कर गई है उसका परिणाम इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा।

सभापति महोदय, वर्तमान में जो पेंशन मिलती है वह इकट्ठी मिलती है। इसके कारण बहुत सारे श्रमिक, जो अपने पैसे का अन्य छोटे-मोटे उद्योग लगाने या सम्पत्ति खरीदने या फिक्स्ड डिपोजिट करने और उसके ब्याज से अपना परिवार चलाने में उपयोग करते हैं वह नहीं होगा। इस बिल में पेंशन की जो व्यवस्था की गई है उसमें 58 वर्ष की उम्र बंधनकारी हो गई है। अनेक संस्थाओं ने आज भी अपने स्लैब बना रखे हैं कि 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट लेना चाहेंगे तो इतने दिन की सर्विस दे दी जाएगी। यह परसेंटेज तय करके रखा हुआ है। लेकिन इसमें यह मजबूरी हो गई कि 58 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। आपने इसमें विकलांग होने पर पेंशन की पात्रता का प्रावधान कर दिया, लेकिन कोई व्यक्ति अशक्त हो गया, बीमारी के कारण काम करने की स्थिति में नहीं है और वह कंपलसरी रिटायरमेंट लेना चाहे और यदि 40-42 साल की उम्र में यह कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता 58 वर्ष तक मिलने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका परिवार बर्बादी की ओर चला जाएगा, बच्चे पढ़ाई-लिखाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसमें ऐसी व्यवस्था करें कि अशक्त होने की स्थिति में आप 10-15 साल की सेवा-अवधि निर्धारित की जाए और उसके बाद उसको पेंशन की सुविधा दी जाए।... **(व्यवधान)** यह मेरा पहला ही भाषण है, मैडन स्पीच है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आपका पहला भाषण है। मुझे इस में व्यवधान डालते हुए बहुत दुख हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गहलोत : इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें अंतिम तीन वर्ष के जो वेतन-भत्ते हैं उनको आधार बनाकर उसकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। अनेक संस्थाओं में यह व्यवस्था है कि आखिरी तीन महीने के वेतन-भत्ते जोड़कर उसके आधार पर उसको पेंशन देने की व्यवस्था है। लेकिन यह सरकार तीन साल के वेतन-भत्तों का एवरेज निकालेगी उसके कारण से कर्मचारी को नुकसान होगा। वैसे भी आजकल इनकम-टैक्स के कारण उनको नुकसान हो रहा है। उनको जो पे-स्लिप मिलती है उसके कारण वे इनकम-टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। आज हिन्दुस्तान में बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापारी ऐसे हैं जो अपनी बैलेंस-शीट फर्जी बनाते हैं, रोकड़ खाते फर्जी बनाते हैं और इनकम-टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन कर्मचारी और श्रमिक वर्ग ऐसा है जो किसी भी तरह से इनकम-टैक्स की चोरी नहीं कर पाता। यह योजना लागू होने के बाद उसको और नुकसान हो जाएगा। अगर यह पेंशन का पैसा मिलने के बाद वह एफ.डी. करा देता तो उसको 12-13 प्रतिशत ब्याज मिल जाता। अन्य संस्थाओं में लगा देता तो ज्यादा कमा सकता था। लेकिन उसको केवल आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जो सामान्यतः बहुत कम है। इसलिए पेंशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़कर दी जाए। अगर ऐसा करने में सरकार को कोई मजबूरी है तो उनको ब्याज बढ़ाकर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जो लोग कम्पलसरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। अगर रोकड़-खाते के हिसाब से या बनिया की दृष्टि से देखा जाए, तो 58 साल में मान लें किसी कर्मचारी ने, किसी श्रमिक ने यदि नौकरी कर ली, तो उसका लगभग डेढ़ लाख रुपया बनता है और इस पर यदि बैंक रेट का ब्याज भी 12-13 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से लगाएं, तो वह कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास बनता है और सरकार जो पेंशन देने वाली है, वह 1400 रुपए देने वाली है। इससे सीधा-सीधा नुकसान कर्मचारी या श्रमिक का होगा। इसके अलावा इसमें जो मिनीमम पेंशन की व्यवस्था की गई है वह 500 रुपए है और अधिकतम पांच हजार रुपए की सीलिंग रखी गई है। मेरा इस बारे में कहना यह है कि इस न्यूनतम सीमा को कम से कम एक हजार रुपए और अधिकतम की सीमा को हटाया जाए। यानी जो सीलिंग है, उसको समाप्त किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो कर्मचारी या श्रमिक का कुछ भला हो सकता है।

सभापति महोदय, मैंने बहुत से बिन्दु यहां पर उठाने के लिए लिख रखे हैं। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं उन बिन्दुओं को उठाना नहीं चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाइंट मैंने बोले हैं, उन पर और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव यहां पर दिए हैं उनके आलोक में कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के कामों पर विचार करें क्योंकि श्रमिकों का बहुत शोषण होता है।

महोदय, आज स्थिति यह है कि जहां एक तरफ श्रमिक एक दिन में 50 रुपए में अपना जीवन यापन करते हैं वहां आज मिल मालिक एक दिन में 25 करोड़ तक मुनाफा कमाते हैं। इसके कारण आज अमीरी और गरीबी का अन्तर बढ़ता चला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस अन्तर को कम किया जाना चाहिए और इस में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए जिसके अन्तर्गत मिल मालिक की कमाई में से कुछ प्रतिशत मुनाफा ज्यादा काटकर श्रमिक और कर्मचारी के फंड में डाला जा सके, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके।

महोदय, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों का उत्तर दूंगा।

अनेक सदस्यों ने और विशेष रूप से श्री गिरधारी लाल भार्गव ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस निधि का संचालन कौन करेगा। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि के लिए पहले से ही एक केन्द्रीय न्यास बोर्ड है वह बोर्ड ही इस पेंशन निधि को भी संचालित करेगा। सरकार, कर्मचारियों तथा नियोजकों के प्रतिनिधि इस केन्द्रीय न्यास सदस्य हैं। अतः सदस्यों के दिल में इस तरह की आशंका नहीं रहनी चाहिये।

जस्टिस लोढा ने यह पूछा है कि इसे सदन में पहले क्यों नहीं लाया गया। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 16 नवम्बर, 1995 को योजना को लागू किये जाने के बाद 16 नवम्बर, 1995 के पश्चात् होने वाले संसद के प्रत्येक सत्र में संशोधन विधेयक पर विचार करने व पारित करने की सूचनाएं दी गई थीं, परंतु किसी न किसी कारण वश विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जा सका। इस कारण तीन अवसरों पर अध्यादेश प्रख्यापित करने पड़े ताकि योजना में निरन्तरता बनी रहे। अध्यादेश के स्थान पर यदि तत्काल कानून पारित नहीं किया गया तो एक शून्य की स्थिति पैदा हो जायेगी जिसमें न तो परिवार पेंशन योजना होगी और न कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1995 प्रवर्तन में होगी। उस स्थिति में समाप्त हुई कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अधीन पेंशन पाने वाले लगभग 1.5 लाख परिवारों को पेंशन लाभों की अदायगी करना मुश्किल हो जायेगा। इसी तरह हमारे 70000 पेंशन पाने वालों उनके आश्रितों को, जिनको कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अधीन पेंशन प्राप्त होना शुरू हुआ है, पेंशन के किसी लाभ की अदायगी करना भी मुश्किल हो जायेगा।

श्रम और कल्याण विषयक स्थायी समिति ने संशोधन विधेयक तथा योजना के उपबंधों की जांच की थी। स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रति 6 मार्च, 1996 को इस सभा के पटल पर रखी गई थी। राज्य सभा की प्रवर समिति ने भी संशोधन विधेयक तथा पेंशन योजना की जांच की थी और योजना को मंजूरी दी थी। राज्य सभा द्वारा संशोधन विधेयक को 31 मार्च, 1995 को पारित किया था।

महोदय, कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस योजना को मजदूर यूनियनों के साथ परामर्श करके तैयार नहीं किया गया है। मैं एक पत्र पढ़ता हूं...

एक माननीय सदस्य : इस पत्र को मत पढ़ें।

श्री एम. अरूणाचलम : सारा नहीं है। मैं उसका जरूरी हिस्सा ही पढूंगा।

"... देश के चार प्रमुख राष्ट्रीय मजदूर यूनियन संगठनों के सोचे समझे निर्णय को फिर से बताने का उद्देश्य आपसे तथा सरकार से यह अनुरोध करने का है कि कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बद्ध श्रमिकों की पेंशन योजना को संसद के इस चालू सत्र में पारित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।"

महोदय, मैं पत्र के आपरेटिव अंश की ओर आ रहा हूं। श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या चाहती है कि पेंशन कानून पारित कर दिया जाये परंतु साथ ही उनका इसमें महत्वपूर्ण संशोधनों अर्थात् जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाकर पेंशन लाभों में भारी वृद्धि, इसे मूल्यसूचकांक से जोड़ना, वेतन की अधिकतम सीमा को हटाना आदि की मांग करने और उनके लिये आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं छोड़ा जायेगा।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे लिये सरकार को इस योजना में बाधाएं डालने व टालने के विरुद्ध, जिसकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, जो पेंशन निधियों को खुद हड़पना चाहती हैं, चेतावनी देना जरूरी हो गया है। सरकार मजदूर विरोधी इन लोगों की चाल समझ जायेगी और किसी भी स्थिति में इस पेंशन संबंधी अध्यादेश को व्ययगत नहीं होने देगी क्योंकि उससे लाखों गरीब मजदूरों पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी।

इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि योजना में पेंशन कानून की श्रम समिति से जुड़ी दोनों संसदीय समितियों के द्वारा तथा भारतीय श्रम सम्मेलन 1995 के द्वारा पूरी जांच कर ली गई है। इंटक—श्री आई.ए.मित्तल, सचिव-एटक तथा भारतीय मजदूर संघ—सभी ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

मेरे मित्रों ने अलग-अलग विकल्प अपनाने का अधिकार देने का जो मुद्दा उठाया है मैं उसके बारे में यह अनुरोध करता हूं कि इसकी अनुमति देना संभव नहीं है... **(व्यवधान)**... कृपया मेरी बात सुनिये।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। उनको उत्तर देने दें। उसके बाद यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिये होगा तो मैं उसकी अनुमति दूंगा। परंतु अब व्यवधान न डालें।

श्री एम. अरूणाचलम : सबसे पहली बात यह है कि यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य हैं। पुरानी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत जो लाभ उपलब्ध हैं वे इस नई योजना में भी दिये जा रहे हैं। अतः यह जरूरी है कि उन सभी को इस योजना के कवर किया जाये।

दूसरी बात यह है कि पेंशन योजना की सक्षमता के लिये जरूरी है कि पेंशन निधियों के अंशदान के बारे में निश्चितता हो। वास्तव में यदि व्यक्तिगत रूप से इसमें सम्मिलित होने न होने की छूट दी गई तो इसका गणित ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि उस स्थिति में निश्चितता की स्थिति नहीं होगी।

तीसरी बात यह है कि पेंशन योजना में पहले से ही उन प्रतिष्ठानों को छूट देने की अनुमति हो जिनकी अपनी तुलनीय या बेहतर पेंशन योजनाएं हैं।

कुछ सदस्यों ने तीसरे लाभ का प्रश्न उठाया है...

श्री अजय मुखोपाध्याय : मंत्री महोदय, यदि बैंक एवं बीमा क्षेत्र में यह संभव है तो यहां पर यह संभव किस कारण नहीं है ? आप इसका

स्पष्टीकरण दें, अंशदायी भविष्य निधि योजना है और पेंशन है और उसमें ऐच्छिकता का अधिकार भी था। यहां पर यह संभव किस कारण नहीं है?

यदि बीमा क्षेत्र में और बैंक क्षेत्र में यह संभव है और वहां कर्मचारी उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं तो यहां पर यह संभव क्यों नहीं है ? आप इसका स्पष्टीकरण दें।

कुछ सदस्यों ने तीसरा लाभ देने का मामला उठाया है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तीसरे लाभ के रूप में पेंशन देना मुश्किल होगा क्योंकि सबसे पहले पेंशन तथा भविष्य निधि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं और दूसरे न तो कर्मचारी और न नियोजक इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त अंशदान करने को सहमत नहीं होगा क्योंकि सरकार मजूरी का 1.16 प्रतिशत पहले से ही अंशदान के रूप में दे रही है और सरकार के लिये कोई अतिरिक्त अंशदान देना संभव नहीं है। तीसरी बात जो मजदूरों की इस योजना के जरिए तीसरे लाभ के रूप में पेंशन देने का संबंध है इसके जहां तक केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों का संबंध है, गंभीर परिणाम निकल सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पेंशन लाभों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने की बात की है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पेंशन लाभों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो पेंशन योजना अंशदायी योजना है और इस तरह की अंशदायी योजना को अंतहीन सूचकांक के साथ जोड़ना संभव नहीं है। पेंशन में समय-समय पर वृद्धि तभी संभव होगी यदि निधि की स्थिति उसकी अनुमति देगी। दूसरे मूल रूप से अधिसूचित योजना में तीन साल के अन्तराल पर पेंशन निधि के मूल्यांकन का उपलबन्ध था। केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठनों की मांग पर सरकार ने पेंशन निधि और सभी पेंशन लाभों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर करने का निर्णय कर लिया है। यदि पेंशन निधि की स्थिति अनुमति देगी तो कर्मचारियों की पेंशन में हर साल वृद्धि दिया जाना संभव हो सकेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : उनको अपना उत्तर पूरा कर लेने दें और उसके पश्चात आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : माननीय सदस्य की पाणिग्रही जी ने अधिकतम सीमा का प्रश्न उठाया था। मजूरी की अधिकतम सीमा इस समय 5000 रुपए है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा इस सीमा को हटाये जाने की सिफारिश की जा चुकी है। यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। सरकार के द्वारा शीघ्र से निर्णय लिये जाने की संभावना है।

कुछ सदस्यों ने ब्याज एवं निवेश के संबंध में कुछ आशंकाओं का उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कर्मचारी पेंशन निधि के पैसे का 16.11.1996 से निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर शुदा पद्धति से किया जा रहा है। निवेश की इस पद्धति के अनुसार 25 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में; 15 प्रतिशत राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में; 30 प्रतिशत विशेष जमा योजना के अन्तर्गत तथा शेष 30 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों में निवेश किया जा रहा है। इस पर 12-15 प्रतिशत तक का औसत प्रतिफल मिल रहा है और जैसा कि सदस्यों का विचार है यह 8.5 प्रतिशत नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप उनके उत्तर के बाद स्पष्टीकरण हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दें।

श्री एम. अरुणाचलम : हम अभिदाय करने वालों को 12 प्रतिशत की दर पर अदा कर रहे हैं। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करने पर विचार कर रहा हूं कि क्या इस ब्याज दर में वृद्धि की जा सकती है।

जहां तक श्री राम नाईक द्वारा उठाया गया प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा सामूहिक अंशदान के सिद्धांत पर निर्भर करती है। जरूरत मंदों को लाभ मिलता है। यह हो सकता है कि मिलने वाला लाभ अंशदान के बराबर न हो। लाभ का स्तर बैंकों में रखे निवेश पर प्रतिफल की दर के साथ तुलनीय नहीं है।

मेरे एक मित्र ने यह पूछा है कि लाभार्थी को पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी। पुरानी योजना के अन्तर्गत 5000 रुपए मासिक वेतन पर मिलने वाली परिवार पेंशन की अधिकतम मासिक राशि 1050 रुपए थी और नई योजना के अधीन 5000 रुपए के वेतन पर मासिक पेंशन की राशि 1750 रुपए तथा दो बच्चों के लिये 875 रुपए प्रतिमास होगी।... **(व्यवधान)**

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यदि बीमा क्षेत्र में बैंक क्षेत्र को ऐच्छिकता का अधिकार दिया जा सकता है तो यहां पर अलग-अलग सदस्यों को क्यों यह अधिकार नहीं देते ?

श्री एम. अरुणाचलम : हम योजना का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण कर रहे हैं... **(व्यवधान)** मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। बैंकों तथा बीमा कम्पनियों ने गारंटी दी है कि यदि निधि का दीवाला भी निकल गया तो वे लाभ देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो सामान्य अंशदान पद्धति पर चलना है। हमने इसमें पुनरीक्षण का उपबंध रखा है। हम वार्षिक आधार पर उसका पुनरीक्षण करेंगे।

श्री अजय मुखोपाध्याय : इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उनको ऐच्छिकता का अधिकार क्यों नहीं दिया जाये।

श्री एम. अरुणाचलम : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने संशोधन वापस ले लें और विधेयक को पारित होने दें।

श्री राम नाईक : माननीय मंत्री ने कहा है कि 5000 रुपए की अधिकतम सीमा को समाप्त करने या उसे बढ़ाने पर विचार चल रहा है। यदि इसे बढ़ाया जा रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना बढ़ाया जा रहा है ? अधिकतम सीमा क्या रखने पर विचार हो रहा है ?

श्री एम. अरुणाचलम : यदि आपका कोई सुझाव है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री राम नाईक : उन्होंने कहा कि यह विचाराधीन है। परंतु किस राशि पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एम. अरूणाचलम : कितनी ही सिफारिशें हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं। हमें उन पर निर्णय करना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : एक मजदूर अच्छा होता है, उसका एक पांव अच्छा होता है, उसके दो पांव अच्छे होते हैं, उनमें से एक अच्छा पांव इन लोगों ने काट लिया और बैसाखी लगाकर कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे तीन पांव हैं यानि यह बैनीफिट करके आप बता रहे हैं। थर्ड बैनीफिट मिलना ही चाहिए। यह मजदूरों के साथ द्रोह कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया है। आप यह ओप्शन रख दीजिए न, जिसकी मर्जी होगी, वह ले लेगा। थर्ड ओप्शन चाहिए, इनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हिन्दुस्तान के बहुत से लोगों को चाहिए। यह मजदूरों से द्रोह करने वाली सरकार है। हम इनके लिए यह जॉब चाहते हैं, आपको थर्ड ओप्शन देना ही चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी क्या आपको कुछ कहना है ?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमें थर्ड ओप्शन ही चाहिए। हम बिल ही पास नहीं होने देंगे, हमें थर्ड ओप्शन चाहिए। यह मजदूरों के साथ द्रोह करने वाली सरकार है। आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, आप मजदूरों का पैसा छीनना चाहते है। मजदूरों का पैसा यह छीनना चाहते हैं, आप इन लोगों पर डाका डाल रहे हैं। यह मजदूरों के पैसे के ऊपर डाका डाल रहे हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ कहना था कह चुके हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : तीसरे लाभ के लिये यह तर्क दिया गया है कि यह दोनों अलग अलग मदें हैं। निश्चित रूप से यह अलग अलग हैं इसी कारण तो तीसरे विकल्प की मांग की गई है। मैं नहीं समझता कि यह तर्क उनके पक्ष में कैसे जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐच्छिकता का अधिकार देने के बारे में क्या आपत्ति है ? मैं यह भी नहीं समझता कि इसे सूचकांक के साथ जोड़ने पर क्या आपत्ति है। यदि आज ब्याज की दर अधिक है और इस कारण उनको 12.5 या 13 प्रतिशत प्रतिफल मिल रहा है। परंतु यदि तस्वीर इतनी ही रंगीन है तो वह पक्की तरह से—तीन-चार महीने बीत चुके हैं परंतु अभी पुनरीक्षण नहीं किया गया है—क्यों नहीं कहते कि "हां इसको बढ़ाया जायेगा" ?

पुनरीक्षण का यह उपबंध काफी खतरनाक है। इससे तो पेंशन राशि को घटाने का भी रास्ता खुल जाता है। कभी वह यह भी कह सकते हैं कि ब्याज की दर कम होकर 6 प्रतिशत हो गई है या सात प्रतिशत हो गई है और इस कारण पेंशन पुराने स्तर पर अदा नहीं की जा सकती। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है।

अतः हमने अपने संशोधन को केवल एक प्रश्न तक सीमित कर दिया है अर्थात एच्छिकता का अधिकार दें। इस बात का फैसला मजदूरों पर छोड़ दिया जावे कि उनको किस में फायदा है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं ?...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह ऐच्छिकता का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता... (व्यवधान)

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय, मैं यह विधेयक खुले दिल के साथ पेश कर रहा हूं और इस सभा को आश्वासन देता हूं कि पेंशन निधि का निरन्तर मूल्यांकन किया जायेगा और यदि निधि की स्थिति इतनी मजबूत हुई तो सरकार श्रमजीवी वर्ग के व्यापक हितों के मद्दे नजर पेंशन लाभ अधिक उदार बनाने के प्रयास करेगी... (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मंत्री महोदय को यह विकल्प देने में क्या आपत्ति है ?... (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इसका पहले उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उनको उत्तर देने दें... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वसुदेव आचार्य वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने यह कहा है। आप और क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी हां... (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा..(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने कहा कि उदारता से समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा। वह केवल इतना ही बताना चाहते हैं। ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी क्या आप यह बात दोहराना चाहते हैं ?

...(व्यवधान)

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय मैं यह कारण फिर से दोहरा सकता हूं जिनके कारण मैं इस पर विचार नहीं कर सकता। पहला कारण यह है कि यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो कर्मचारी परिवार पेशंन योजना 1971 के सदस्य हैं, उस समाप्त हो चुकी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अधीन उनको जो लाभ मिल रहे थे नई योजना में भी उनको दिये जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि पहले गल्ती हुई थी तो अब आपको उसे सुधारने का मौका मिल रहा है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह पहले उत्तर दे चुके हैं। अब मैं सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य से बोलने का अनुरोध करता हूं।..

(व्यवधान)

श्री एम. अरूणाचलम् : यूनियनों के साथ निरन्तर बात की जायेगी. .**(व्यवधान)**

श्री बसु देव आचार्य : महोदय, यह विकल्प देने के बारे में सर्वसम्मति है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मंत्री जी किसी को संतुष्ट नहीं कर सके, यह मेरा आरोप है। इन्होंने यह बात कही- जो मैंने शुरू में कही थी कि श्रमिकों के पैसे के लिए एक ट्रस्ट बने और सभी ट्रेड यूनियंस के श्रमिक शामिल हो, एक्ट में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं है। केवल मात्र संतुष्ट करने के नाते और सदन को गुमराह करने के नाते यह बात कह रहे हैं।

मेरा दूसरा आरोप यह है कि राज्य सभा में तीन वर्ष वाली बात नहीं, एक वर्ष वाली बात मानकर और 500 रुपये उनको मिलेगा तथा दस साल वाली बात भी मानकर कि दस साल सेवा करते हो गए तो उनको पेंशन देना शुरू कर दें, यह राज्य सभा में आश्वासन दिया गया।

अपराह्न 9.-00 बजे

तो फिर यहां लोक सभा में आश्वासन क्यों नहीं दिया गया ? यह मेरा दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि तीन प्रकार की पेंशन की स्कीम है। इसमें जैसे सभी लोगों ने कहा है 1,60,000 लोगों को लाभ होगा। 9,000 करोड रुपए का आपके पास हिसाब नहीं है और पेंशन के नाम पर प्रोवीडेंट फंड में से आधा आप ले लेंगे तो एक प्रकार से थोथी वाहवाही लूटने का काम सरकार कर रही है। मजदूर का पैसा है। मजदूर को कम रकम मिलेगी। लेकिन सरकार पेंशन के नाम पर प्रोवीडेंट फंड में से आधा पैसा काटकर सरकार वाहवाही लूट रही है। यहां पर पैसा मजदूर का ही है। मेरा मतलब है कि लोक सभा में 30 दिन में आना चाहिए, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा निवेदन है कि इन सभी ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया है। ये जो आपके साथ सरकार में बैठे हुए हैं, इनकी यूनियन का नाम सी.आई.टी.यू. है। सी.आई.टी.यू. ने कहा है कि आज विषम स्थिति है। जो सरकार में बैठे हुए हैं।... **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : यह योजना मजदूर का खात्मा करने वाली है। यह मजदूरों के विरूद्ध बिल है। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं।... **(व्यवधान)** इनकी वजह से सरकार चल रही है।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप सांसद बनकर आ गए हैं।... **(व्यवधान)** अब मैं यहां पर निवेदन कर रहा हूं कि सभी ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा समय में आधे घंटे की और वृद्धि के लिये सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : समय में आधे घंटे की वृद्धि की जाती है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह वापस निवेदन कर रहा हूं। यह ऐच्छिक नहीं है। यह कम्पलसरी नहीं होना चाहिए। यदि यह योजना अच्छी है तो मजदूरों को अच्छी लगेंगी और वे आपकी योजना में शामिल हो जाएंगे और यदि योजना अच्छी नहीं है तो उसका विरोध करेंगे। इसलिए योजना ऐच्छिक होनी चाहिए।

मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि बैंक में, लाइफ इंश्योरेंस और भारत सरकार की योजनाओं में ब्याज ज्यादा है। यह केवल मजदूरों के मामले में 8 प्रतिशत है। दूसरे मामलों में 12 प्रतिशत है या 13 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है। आज को-आपरेटिव बैंक में 13.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इसलिए ब्याज की दर बढ़ाई जाए। मजदूरों के हित में ब्याज की दर बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों पर आप विचार करें, पेंशन की रकम प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ी जाए, सीलिंग 5,000 की समाप्त की जाए और वेतन के आधार पर हो। मालिक अगर प्रोवीडेंट फंड जमा नहीं कराता है, कमिश्नर कहीं पर उन पर रोक नहीं लगा सकता। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा लेकुना है कि मालिक तो मौज करता रहेगा और मजदूर का पैसा सरकार खा जाएगी। प्रोवीडंट फंड के नाम पर आप पेंशन की योजना के नाम पर कोरी वाहवाही लूटना चाहते हैं। इसलिए मालिक भी अपना प्रोवीडेंट फंड ठीक समय पर जमा कराये और उसके लिए ठीक व्यवस्था करें। माननीय

मंत्री जी इसको जल्दी न करके आप सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात करें। सरकार योजना पर...**(व्यवधान)** पहले आप बोल लीजिए। आप थक जाएं तो मैं बोल लूंगा।

सभापति महोदय : आप बैठ रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ठहरिए। मुझे अपनी बात तो पूरी करने देंगे ? पहले इनको आप चुप कराइये।...**(व्यवधान)** ये नए-नए आ गए हैं। इनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इन्हें यह नहीं मालूम है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप सारी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात कर ले। सारे राजनैतिक दलों से बात कर लें, संसद की कमेटी बना लें। पहले भी संसद की कमेटी बनी थी। उस संसद की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसको भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : आप विदड्रा करते हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी बात को समझ लीजिए। मैं बड़ा रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं। इसको जल्दी में पास न करें। सारी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुला लें। ये राजनैतिक नेता जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनको बुला लें। इनकी पार्टी के अध्यक्ष को बुला लें और सबको बुलाकर समस्त राजनैतिक नेताओं के साथ बैठकर फिर बिल को लाया जाए। बिल तो वास्तव में अच्छी भावना से लाने का प्रयास हैं। लेकिन इसमें अनेक कमियां हैं।

इसमें बहुत कमियां हैं और यह मजदूरों के हित में नहीं होगा। इस बिल की भावना तो बढ़िया है, लेकिन यह मजदूरों के हित में नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को जल्दी पास न कर के इस संबंध में पुनः विचार करें। संसदीय समिति रिपोर्ट दे, उस पर आप विचार करें। इसके साथ ही राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदनों की समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद डिसाइड करें।

सभापति महोदय : आप रिजोल्यूशन वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं रिजोल्युशन वापिस नहीं ले रहा हूं।... **(व्यवधान)** आज इनकी अजमाइश हो जाएगी। ममता बनर्जी जी सदन से वाक-आउट कर गई हैं और सरकार के जो पिछलग्गू बने हुए हैं काम्यूनिस्ट पार्टी के लोग, ये अपने आदर्शों को छोड़ रहे हैं।... **(व्यवधान)** आज मैं उनको भी देखना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 4) को निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं इस पर विचार करने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

...**(व्यवधान)**

अपराह्न 9.06 बजे

इस समय श्री मोहन रावले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, विधेयक पर, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर जायें।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको अपने स्थान पर जाने को कहा है। कृपया अपने स्थान पर जायें।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपने स्थान से भी अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपको विचार प्रकट करने के लिये पर्याप्त अवसर दे चुका हूं। कृपया अपने स्थान पर जायें।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे बाध्य न करें कि मुझे आपका नाम पुकारना पड़े। कृपया अपने स्थान पर जायें।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

...**(व्यवधान)**

अपराह्न 9.08 बजे

इस समय श्री मोहन रावले अपने स्थान पर चले गये।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इतने समय से डिसकशन हो रहा है, लेकिन अब क्या हो गया।

श्री मोहन रावले : मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : विरोध में यदि आपको सदन से जाना है, तो जाइए।

श्री मोहन रावले : मैं सदन में रह कर विरोध कर रहा हूं। हमारे इस बिल के प्रति विरोध है। यह सरकार मजदूरों का खून चूसने वाली सरकार है। मजदूरों के नाम पर और मजदूरों की हमदर्द बनकर यह सरकार चुन कर आई है...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज अन्तिम दिन है। हमें विधेयक पारित करना है। श्री आचार्य आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : यह सरकार कांग्रेस की नीति अपना रही है।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं।

अपराह्न 9.09 बजे

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इन्हीं लोगों ने कहा था...(**व्यवधान**) इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था...(**व्यवधान**) इन्हीं सब लोगों ने कांग्रेस के बारे में कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

टेलीविजन कैमरे बंद कर दिये जायें। इसके बाद आज के कार्यक्रम को टेलीविजन पर नहीं दिखाया जायेगा।

यदि आप को कोई आपत्ति है और यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप मतविभाजन की मांग करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आप खड़े नहीं हो सकते। अन्यथा मुझे बाध्य होकर आपका नाम पुकारना पड़ेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। आप इस तरह का सभा में व्यवहार नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आप मुझे निकाल दीजिए, आप मुझपर कार्रवाई कर दीजिए। आपका मैं आदर करता हूं। यह मजदूरों के खिलाफ बिल है, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपका नाम पुकारता हूं। यह कोई तरीका नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा और सभी कुछ कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

खण्डकरण विचारण

खण्ड 2 से 4

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 5

धारा 6क और 6ख के लिये नई धारा का प्रतिस्थापन-कर्मचारी पेंशन योजना।

श्री वसुदेव आचार्य : हम अपने संशोधन अलग से पेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन संशोधनों को अलग से प्रस्तुत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 5, संशोधन संख्या 1 श्री अजय मुखोपाध्याय क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं :

"पेंशन योजना" शब्दों के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित

पृष्ठ 2 पंक्ति 18—

"स्कीम विर चित कर सकेगी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"जो उन सभी कर्मकारों के लिये वैकल्पिम होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं अथवा होंगे।" (1)

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 5, संशोधन संख्या 21 श्री बादल चौधरी।

खण्ड 5, संशोधन संख्या 3 श्री वसुदेव आचार्य।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 2,

पंक्ति 28 से 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(क) भविष्य निधि अंशदान, जैसा कि पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाये, को छोड़कर, ऐसी राशियां जो कि, कर्मचारी और नियोजक के समान अंशदान में से विहित की जायें।" (3)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय हम संशोधन संख्या 1 पर मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लाबी खाली कराई जायें।

अब लाबी खाली करा दी गई हैं।

अब मैं श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा के मतदान के लिये रखूंगा

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 18—

"स्कीम विर चेत कर सकेगी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"जो उन सभी कर्मकारों के लिये वैकल्पिक होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं अथवा होंगे।" (1)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सदस्यों को अभी डिवीजन संख्या आबंटित नहीं की गई है अतः स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन के जरिए मत विभाजन संभव नहीं है। अब मत विभाजन नियम 367 क क के अन्तर्गत पर्चियां बांट कर होगा।

पर्चियां वितरित की जायें।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 18—

"स्कीम विर चित कर सकेगी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"जो उन सभी कर्मकारों के लिये वैकल्पिक होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं अथवा होंगे।" (1)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 2 **अपराह्न 8.30 बजे**

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

कृष्णादास, श्री एन. एन.

खान, श्री सुनील

खालसा, श्री बसन्त सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोविन्दन, श्री टी.

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

डोम, डा. रामचन्द्र

दास, श्री द्वारका नाथ

नाईक, श्री राम

पाल, श्री रूप चन्द

प्रेमचन्द, श्री एन. के.

बक्सला, श्री जोआचिम

बर्मन, श्री उधव

बाला, डा. असीम

बौरी, श्रीमती संध्या

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भारथन, श्री ओ.

मुखर्जी, श्री प्रमथेस

मुखर्जी, श्री सुब्रतो

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुर्मू, श्री रूप चन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहले, श्री पुन्नू लाल

रंगपी, डा. जयन्त

राय, श्री बलाई चन्द्र

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

लहिरी, श्री समीक

वर्मा, श्री आर.एल.पी.

सम्पथ, श्री ए.

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अनन्था, श्री वेंकटरामी रेड्डी

अरुणाचलम, श्री एम.

इस्लाम. श्री कमारूल

उदयप्पन, श्री एस. पी.

उपेन्द्र, श्री पी.

कंडासामी, श्री के.

कारवीधन, श्री एस. के.

कोजलगी, श्री शिवानन्द एच.

गणेशन, श्री वी.

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चाक्को, श्री पी. सी

चारी, डा. एस. वेणूगोपाल

चिदम्बरम, श्री पी.

चेन्नित्तला, श्री रमेश

जालप्पा, श्री आर. एल.

जेना, श्री श्रीकान्त

डार, श्री मोहम्मद मकबूल

तिरिया, कुमारी सुशीला

तीर्थरामन, श्री पी.

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

देव, श्री संतोष मोहन

नरसिम्हन श्री सी.

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

बालू, श्री टी. आर.

भगवती देवी, श्रीमती

भारद्वाज, श्री परसराम

महन्त, श्री केशव

महाराज, श्री सतपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मेहता, प्रो. अजित कुमार

यादव, श्री अनिल कुमार

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

रमना, श्री एल.

राघवन, श्री वी.वी.

राजा, श्री ए.

रामनाथन, श्री एम.

रामसागर, श्री

रामलिंगम, डा. के. पी.

वर्मा, श्री चन्द्र देव प्रसाद

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वेंकटेस्वरलु, डा. यू.

वेणुगोपाल, श्री डी.

शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, डा. अरुण कुमार

शर्मा, डा. प्रवीन चन्द्र

शिवप्रकाशम, श्री डी. एस. ए.

षण्मुगम, श्री पी.

षणमुगा सुन्दरम, श्री वी. पी.

सईद, श्री पी. एम.

सिंह, श्री तिलक राज

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार

सिंह, श्री शत्रुघन प्रसाद

सिंह, श्रीमती कान्ति

सैकिया, श्री मुहीराम

सैनी, श्री प्रताप सिंह

स्वामी, श्री सी. नारायण

हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना

हाण्डिक, श्री विजय

श्री राम नाईक : महोदय श्री मोहन रावले कमले हो गये हैं। अतः टेलीविजन को चालू किया जा सकता है। अन्ततः देश की जनता इसका परिणाम देखना चाहेगी। यह मेरा आप से अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय ' आपके अनुरोध पर अब कैमरे चालू किये जा सकते हैं।

श्री राम नाईक : आप का धन्चवाद।

अध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 33

विपक्ष में : 67

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री बादल चौधरी तथा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हो गये।

खंड 5

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जाने दिया गया

खंड 6 और 7

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 8 अनुसूची III के स्थान पर

नई अनुसूची की प्रतिस्थापना

अध्यक्ष महोदय : खंड 8 में श्री अजय मुखोपाध्याय और श्री बादल चौधरी के संशोधन हैं। श्री बादल चौधरी उपस्थित नहीं है। श्री अजय मुखोपाध्याय क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"नियोजक" **के पश्चात्** "और कर्मचारियों के" **अन्तःस्थापित** किया जाये। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"भविष्य निधि में" शब्दों का लोप किया जाये। (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,—

"केन्द्रीय सरकार" **के स्थान पर** "केन्द्रीय भविष्य निधि न्यासी बोर्ड" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (6)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 4,5 और 6 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 9

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र, पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम. अरूणाचलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

अपराह्न 9.34 बजे

(इस समय श्री निर्मल कांति चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदान

तथा

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 24 और 25 को एक साथ लेगी। श्री लोढ़ा यहां पर उपस्थित नहीं है। श्री गिरधरी लाल भार्गव। क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 27 जून, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 30) का निरनुमोदन करती है।"

जैसा कि सदन में कहा गया था कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेजा जायेगा मैं उसके लिए सहमत हूं। मुझे इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं तो अध्यादेश जो बार-बार निकाला जाता है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बिल में मूलतः जो जातियां जोड़ी जानी हैं, वह बात अलग है लेकिन सरकार और माननीय मंत्री जी इसे सलैक्ट कमेटी को भेज दें।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस बिल को विचार के लिये सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए"।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितल्ला (कोट्टायम) : महोदय हमने स्थायी समितियों का गठन किया है। स्थायी समितियों का काम विधेयकों की संवीक्षा करने का है। अतः अध्यक्ष पीठ से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को स्थायी समिति के निर्देशित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : स्थायी समिति और प्रवर समिति में अन्तर है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका इस दृष्टि से महत्व है कि अनेक समुदायों द्वारा इस सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये अनेक मांगे की गई हैं। अतः इस समिति को देश के अनेक भागों में जाना पड़ सकता है। स्थायी समिति की बैठकों पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। मैं कुछ नहीं जानता फिर भी इसका निर्णय सरकार को करना है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, अन्ततः स्थायी समिति के पास बजट की संवीक्षा का काम होगा। इस कारण उसके पास इस विधेयक क लिये समय नहीं होगा। यह वांछनीय है और यह बेहतर होगा कि एक अलग प्रवर समिति का गठन किया जाये। उससे ही उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है

डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) : महोदय, यह विधेयक प्रवर समिति को किस कारण से निर्देशित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे निर्देशित नहीं किया गया है।

डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा : महोदय, इसे प्रवर समिति को भेजने का निर्णय क्यों किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? इस विधेयक को यहीं पर क्यों पारित नहीं किया जाता ?

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, अध्यादेश कांग्रेस सरकार के शासन काल में लाया गया था। इस अध्यादेश को कई बार प्रख्यापित किया गया है। अब, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य विधानसभा का सदस्य बन गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) महोदय, सरकार इस बात को जानती है कि इस विधेयक का भारी विरोध किया जा रहा है क्योंकि अनेक लोग बहुत से समुदायों को इस सूची में सम्मिलित कराना चाहते हैं। इस प्रकार के भी विचार है कि व्यापक प्रयास किया जाना चाहिये। मुद्दा यह है जैसा असम गण परिषद के मेरे मित्रों ने उठाया है कि उन की क्या स्थिति होगी जो इस बीच विधायक चुन लिये गये हैं या लाभान्वित हो चुके हैं ?

सरकार ने विधि मंत्रालय से परामर्श किया है और हर बात पर चर्चा कर ली गई है। अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने से 21 अगस्त तक जो कोई भी लाभान्वित हो चुका है उसकी स्थिति को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। यह केवल असम राज्य तक सीमित है और केवल एक समुदाय तक ही सीमित है।

सभा के माननीय सदस्यों के द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के बारे में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी मांग को स्वीकार करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजवंशी को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे, अर्थात्–

(1) श्री अमर राय प्रधान

(2) श्री द्वारका नाथ दास

(3) श्री ललित उरांव

(4) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते

(5) श्री पवन सिंह घाटोवार

(6) श्री पी.आर. दासमुंशी

(7) श्री पिनाकी मिश्र

(8) श्री उधव बर्मन

(9) श्री पी. कोदंड रमैया

(10) श्री एस. एस पलानीमनिक्कम

(11) डा. जयंत रंगपी

(12) डा. अरुण कुमार शर्मा

(13) डा. प्रवीन चंद्र शर्मा

(14) श्री एम. सैल्वारासु

(15) श्री एस. के. कार्वीधन

और उसे शीतकालीन सत्र, 1996 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1996 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 30) का निरनुमोदन करती है।"

"कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजवंशी को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे, अर्थात्–

(1) श्री अमर राय प्रधान

(2) श्री द्वारका नाथ दास

(3) श्री ललित उरांव

(4) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते.

(5) श्री पवन सिंह घाटोवार

(6) श्री पी. आर. दासमुंशी

(7) श्री पिनाकी मिश्र

(8) श्री उधव बर्मन

(9) श्री पी. कोदंड रमैया

(10) श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम

(11) डा. जयंत रंगपी

(12) डा. अरुण कुमार शर्मा

(13) डा. प्रवीन चंद्र शर्मा

(14) श्री एम. सैल्वारासु

(15) श्री एस. के कारवींधन

और उसे शीलकाल सत्र, 1996 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : क्या वे मछुआरा, आदि के बारे में आपके मंत्रालय के पास लम्बित अन्य मांगों पर भी विचार करेंगे ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो स्वतः हो जायेगा।

श्री राम नाईक : यह केवल असम राज्य की अनुसूचित जन-जातियों तक ही सीमित है। इसका कार्यक्षेत्र इसी तक ही सीमित है। इसके द्वारा दूसरी किसी बात पर विचार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल असम के बारे में है

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : इसका विषय केवल यही है।

श्री पी. सी. चाको (मुकुन्द पुरम) : मंत्री महोदय से एक विस्तृत वक्तव्य की उम्मीद की जाती थी। उसके स्थान पर...**(व्यवधान)**। अन्यथा इससे उद्देयय की पूर्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री पी. उपेन्द्र : आप इस विधेयक को आप वापस क्यों नहीं ले लेते ?

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : कोई भी कोच–राजवंशी जाति को सूची में सम्मिलित किये जाने के विरूद्ध नहीं है। एक-दो पार्टियों को छोड़कर सभी को यह मंजूर है। मैं नहीं जानता कि वे एक-दो पार्टियां कौन सी हैं। हमारे पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। हमने इसे पारित किया है। प्रश्न हिमाचल प्रदेश से है। कुछ लोगों के प्रतिनिधि मंडल आये हैं। मैं प्रत्येक का उल्लेख करूंगा। केरल से मिला है। अन्य राज्यों से भी हैं। उनकी मांग है कि कुछ अन्य समुदायों को भी सम्मिलित किया जाये। तब केन्द्र सरकार ने तत्काल कोच-राजवंशी जाति को सम्मिलित करने का फैसला किया। मुख्य मंत्रियों सहित इन सब प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया। हम जिनको मिले थे उनमें से कुछ ने बताया कि जब विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तो व्यापक विधेयक पेश किया जायेगा क्योंकि अभी उसके लिये समय बहुत कम है। अब यदि आप यह कहते हैं कि यह तो केवल असम तक सीमित है। यह ठीक बात नहीं है। यह भी बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों में इन छोटी जनजातियों के लोगों की संख्या काफी कम है। अतः आप को अनुसूचित जन जातियों से सलाह मशविरा के लिए उस पर विचार करें। आप उसे स्वीकार करें या रद्द कर दें। प्रवर समिति इस पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री पी. उपेन्द्र : आन्ध्र प्रदेश के राजाका, बड़डेरा, आदि समुदायों से भी अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे। यह मामला काफी समय से मंत्रालय के पास लम्बित पडा है। इन सभी मांगों पर विचार किया जाये। वह इस विधेयक को या तो वापस ले लें और एक विस्तृत विधेयक पेश करें अन्यथा प्रवर समिति इन सभी मांगों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे।

श्री राम नाईक : एक और महत्वपूर्ण बात है।

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : लक्षद्वीप में भी एक छोटो सी जनजाति है। उनको यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जब विस्तृत विधेयक पेश किया जाये तो उस जनजाति को भी उसमें सम्मिलित किया जाये। अतः प्रवर समिति उस मांग को स्वीकार करे या उसे रद्द करदे यह प्रवर वमिति का काम है। परंतु इसे केवल असम तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिये नहीं तो यह सभी समुदाय रह जायेंगी।

श्री सन्तोष मोहन देव : असम में ही जनजातियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां नहीं माना किन्तु देश के अन्य भागों में उड़ीसा जैसे राज्यों में उनको इस रूप में माना जाता है। उदाहरण के रूप में मेघालय में गारो समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाता है और असम में नहीं। इसी तरह की विसंगतियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है।

श्री राम नाईक : इस कारण एक नई बात उठती है क्योंकि अन्य राज्यों के कुछ अन्य समुदायों पर भी विचार करना पड़ेगा। अब जब हम इस पर विचार कर रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिन माननीय सदस्यों के नामों का इस समिति के लिये सुझाव दिया गया है उन पर कुछ पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि हम नाम तय करने की बात आप पर छोड़ दें ताकि यह व्यापक आधार वाली समिति हो। यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरा विचार है कि जो प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया गया है उसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि प्रवर समिति केवल असम राज्य के संबंध में ही विचार करेगी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य कोच-राजवंशी जाति को असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिये है। यह विधेयक का नाम है। अतः जब असम पर विचार हो रहा है तो मैं समझता हूं कि समिति अन्य राज्यों पर भी विचार कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है। और सरकार की स्वीकृति को देखते हुए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपका अच्छा सुझाव है। सारे राज्यों में जिन-जिन बिरादरियों को इसमें शामिल करना है, उनको शामिल कर लें। यदि यह आश्वासन मंत्री महोदय देते हैं, तो मुझे इस अध्यादेश को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

जैसे हम भार्गव लोग हैं, हमें कोई धोबी मानता है, कोई नाई मानता है और कोई तेली मानता है। यदि आपके सुझाव के अनुसार काम किया जाएगा, तो यह भी डिसाइड हो जाएगा कि हम कौन सी जाति में आते हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या कांग्रेस सरकार ने, जो जनवरी 1996 में पदासीन थी, जनवरी में इस अध्यादेश को करने पर निर्णय किया था क्योंकि संसद में इस पर मतैक्य नहीं था। इसका स्पष्टीकरण दिया जाये क्योंकि अन्यथा जहां तक कोच-राजवंश समुदाय का संबंध है इससे गलत संकेत मिलेंगे और असम राज्य में काफी गलतफहमी पैदा हो जायेगी... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की अनुमति से इसकी वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या माननीय सदस्य, श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां

सांविधिक संकल्प, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। यदि सभी राज्यों को कवर किया जाना है तो शायद सदस्यों की संख्या को बढ़या जाना होगा।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, केवल एक ही बात है कि अन्य क्षेत्रों तथा अन्य समुदायों के लिये, जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने के लिये आवेदन दे रहे हैं, यदि इस सारे काम को करना है तो मामला स्थायी समिति को भेजा जा सकता है ताकि स्थायी समिति उस पर विचार कर सके। परंतु जहां तक कोच-राजवंशी जाति का संबंध है इस विधेयक विशेष की प्रवर समीति को भेजा जा सकता है और प्रवर समिति, मंत्री महोदय के प्रस्ताव के अनुसार इस पर विचार कर सकती है। जहां तक दूसरी समिति का संबंध है सरकार मामले को कल्याण मंत्रसालय से सम्बद्ध स्थायी समिति को निर्देशित करेगी... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप व्यापक विधेयक नहीं लाते इस मामले को स्थायी समिति को निर्देशित नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप विधेयक के उद्देश्य का विस्तार करेंगे तो दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनानी पडेगी। यदि आप इस असम की कोच-राजवंशी जाति तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो इसे लोक सभा की प्रवर समिति को ही भेजा जा सकता है। चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा है अतः संयुक्त प्रवर समिति का गठन करना भी इस समय मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि संयुक्त प्रवर समिति की जरूरत है।

श्री श्रीकांत जेना : यही प्रवर समिति आप के निदेश पर अन्य समस्याओं पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो पहले ही यही कहा है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय तब समस्या क्या है।

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं है।

श्री पी. एम. सईद : महोदय कोई समस्या नहीं है। इसी विधेयक को विस्तृत बनाया जा सकता है और इसे प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। बस यही काफी है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय मुझे नियम नहीं पता। असम गण परिषद के सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से सभा का कोई भी सदस्य कोच-राजवंश जाति को सम्मिलित किये जाने के विरूद्ध नहीं है...**(व्यवधान)** मुझे पूरी बात कह लेने दें। महोदय, चूंकि कोच-राजवंश समुचित की भावनाएं काफी तीव्र है, यदि सरकार जरूरी समझे तो 21 तारीख को एक और अध्यादेश प्रस्थापित कर सकती है और यह काम जारी रख सकती है अथवा जैसा कहा गया है इस बारे में प्रशासकीय आदेश जारी किया जा सकता है। जो लाभ उनको दिये गये हैं वह जारी रहने चाहियें। तब कोई विवाद नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उनकी बात पूरी हो जायेगी।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय जैसा मैंने पहले कहा है इस अध्यादेश के जरिए जो लाभ प्रदान किए गए हैं उनको कभी कम व खत्म नहीं किया जायेगा।

मैं इस सभा के सन्मुख यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न समुदायों से अनुसूचित जनजातियों की सूची सम्मिलित किये जाने, उससे बाहर निकालने या अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों में बदलने या अनुसूचित जनतातियों से अनुसूचित जातियों में बदलने के संबंध में प्राप्त विभिन्न याचिकाओं और अनुरोधों पर अलग से विचार कर रही है। अतः यह प्रवर समिति केवल इस मसले पर ही विचार करेगी। सरकार विभिन्न समुदायों द्वारा किये गये अन्य अनुरोधों पर अलग से विचार करने को तैयार है।

मेरा विचार है कि दोनों को जोड़ा नहीं जाना चाहियें इस पर अलग से विचार होना चाहिये। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार निश्चित रूप से विभिन्न समुदायों से प्राप्त अनुरोधों तथा याचिकाओं पर अलग से विचार करेगी और सभी पार्टियों से परामर्श करने के बाद एक विस्तृत विधेयक यहां पर प्रस्तुत करेगी...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितल्ला : महोदय, केरल में धविर, पुलवा, कुडुम्बी जैसे समुदाय हैं जो पिछले कई सालों से अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग कर रहे हैं। वे इसका मांग कर रही हैं...**(व्यवधान)**। आन्दोलन आरंभ हो जायेगा।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में वड्डेरा समुदाय की मांग है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक पल के लिये प्रतीक्षा करें। मंत्री महोदय, यदि आप चाहते हैं कि प्रवर समिति केवल कोच-राजवंश के मसले पर ही विचार करे तो प्रवर समिति की क्या जरूरत है ?

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ने शुरू में कहा था कि आप इसे प्रवर समिति को भेज रहे हैं क्योंकि अन्य स्थानों से भी अन्य मांगे हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : हम इसका विरोध करेंगे...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि आपने जो रुलिंग की है, वह नियम 77 के अनुरूप है। इसमें लिखा है कि किसी विधेयक पर, यथास्थिति, सदनों की संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थान के बाद, भारसाधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा। आपने जो रूलिंग दी है, वह नियमानुसार है।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो विदड्रा करने के लिए तैयार हूं बशर्ते आपकी बात मान ली जाये। हम तो आपके भक्त हैं। अगर आप कहेंगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : वह अपना सांविधिक संकल्प वापस ले चुके हैं।

...**(व्यवधान)**

श्री ईश्वर प्रसन्न हजारिका (तेजपुर) : महोदय : यह ठीक नहीं होगा। स्वयं असम में बहुत सी जनजातियां है जिनको सूची में सम्मिलित किया जाना है।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : महोदय : इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये। सरकार बाद में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी...**(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं इस समुदाय की सूची में सम्मिलित करने पर कोई मतभेद नहीं है। परंतु यदि आप असम से इस समुदाय को उसमें सम्मिलित कर रहे है तो इस समुदाय के बारे में या असम में निकटवर्ती क्षेत्रों से एक दो और दावे भी हैं जिन पर विचार किया जाना है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि चूंकि असम के एक समुदाय के बारे में प्रश्न उठा है और असम के उस चाय बगान क्षेत्र में इससे जुड़े कुछ अन्य दावें भी हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाये जो बहुत शीघ्र ही इस पर रिपोर्ट दे कि इस समुदाय को सूची में सम्मिलित किया जाये या उन क्षेत्रों के एक या दो अन्य समुदायों को भी इस सूची में सम्मिलित किया जाये।

हम इस बात को जानते हैं कि केरल एवं अन्य राज्यों से भी अनेक दावे हैं जिन पर विचार अरने की जरूरत है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जायेगा और एक अन्य विस्तृत विधेयक लाया जायेगा जिसमें अन्य सभी दावों पर विचार किया जा सकता है और यह विचार स्थायी समिति के द्वारा या प्रवर समिति के द्वारा या जो भी समिति हो, उसके द्वारा किया जा सकता है। हमें असम की जनता की भावनाओं को समझना चाहिये और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज देना चाहिये। हम एक दूसरा विधेयक लायेंगे। कृपया हमारे साथ सहयोग करें।...**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैंने शुरू में ही स्पष्ट किया था कि मैं यहां पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। मैं माननीय प्रधान मंत्री से कल मिला था।...**(व्यवधान)** आप भी वहां पर थे। मेरा यही प्रस्ताव था।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हम इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : आपने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब आप सभा में आकर कुछ और कह रहे है। आपका नेता कुछ और कहता है और इसी कारण भ्रांतियां पैदा होती हैं। मेरा यही विशिष्ट प्रस्ताव था।

श्री पी. चिदम्बरम : हम इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : केरल एवं आन्ध्रप्रदेश तथा अन्य राज्यों के लिए एक और समिति बना दी जाये।

प्रधान मंत्री सदन में आएं और बतायें कि ऐसा किया जायेगा। हम ने कहा था कि हम इस विधेयक को असम के बारे में प्रवर समिति को भेजने की बात मान लेंगे। इस बात को उस समय स्वीकार नहीं किया गया था। अब, यदि श्री चिदम्बरम—उनको यह अधिकार है—यह कहते हैं और यदि यह श्री चिदम्बरम का नहीं सरकार का आश्वासन है कि इस विधेयक विशेष को, इस तथ्य के बावजूद कि माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि इसे विस्तृत एवं व्यापक होना चाहिये और विशेषरूप से असम के लिये होना चाहिये और इस पर चाय बागान मजदूरों के संबंध में, जिनको उड़ीसा में तथा अन्य स्थानों पर जनजातियां माना जाता है, विचार किया जाना चाहिये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आश्वासन श्री चिदम्बरम या श्री रामूवालिया के द्वारा नहीं सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिये। हमें स्पष्ट और स्वतन्त्र बात करनी चाहिये। हमारी सरकार भी पीछे हट गई थी...**(व्यवधान)** आप यह आश्वासन दें कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति के द्वारा या इसे स्थायी समिति को भेज कर जैसा भी आप उचित समझें एक व्यापक एवं विस्तृत विधेयक लाया जायेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपसे सहयोग करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, इसमें दो चीजें हैं—एक तो कोच राजवंशी का मामला है, दूसरा मामला पूरे आसाम का है और तीसरा मामला पूरे देश का है। जहां तक कोच राजवंशी का सवाल है, अभी हर पक्ष के लोगों ने, चिदंबरम जी और वैल्फेयर मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें कोई दो मत नहीं हैं। यह बात भी सही है कि आसाम की ओर भी कुछ जातियां हैं जिनको उसमें शामिल करने की बात है। उसके बाद दूसरा मामला कम्प्रीहैनसिव बिल का है और मैं समझता हूं कि उसमें भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति का पूरे देश में जो रिजर्वेशन है, वह 22.5 प्रतिशत है। 1991 के सैन्सस के मुताबिक उनका पौपुलेशन बढ़कर 24.8 या 24.10 प्रतिशत हो गया है। कुल मिलाकर करीब 25 प्रतिशत हो गया है। लेकिन उनका रिजर्वेशन सिर्फ 22.5 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट दिया है कि रिजर्वेशन

50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा सकता। जहां तक तमिलनाडु में 69 प्रतिशत को नाईन्थ शैडयूल में डाला गया है, उस मामले में भी कोर्ट का निर्णय चल रहा है कि करीब-करीब एक सौ से अधिक जातियां ऐसी हैं जो जैनविन शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स में जोड़ने लायक हैं। जब हम शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्स ट्राईब्स की बात करते हैं, तो पहली बार किसी स्टेट में कास्ट या ट्राईब्स को जोड़ा जाता है। वह सीधे प्रैज़ीडेंट का अधिकार है। लेकिन जब दुबारा उसमें संशोधन करते हैं तो वह पार्लियामैंट का अधिकार हो जाता है। उस परिस्थिति में कोई कास्ट शैडयूल्ड कास्ट में है या नहीं, उसके लिए दो प्रोसैस हैं। एक प्रोसैस यह है कि स्टेट गवर्नमैंट रिकमैंड करती है और दूसरा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो यह देखता है कि वह कास्ट अनटचेबल था या नहीं, उसके साथ कास्ट के नाम पर डिसक्रिमिनेशन होता था कि नहीं। और दूसरा जो ट्राइब्ज है उसका कैरेक्टर ट्राब्ज का है या नहीं यह आर.जी.आई. निर्णय करता है। इन दोनों के बाद जब वह संसद में आता है तो संसद निर्णय लेने का काम करती है। इस दृष्टिकोण से करीब 100-150 जातियां हैं और जिस जाति को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि 2-3 प्रतिशत और बढ सकता है। उस परिस्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति की जो सनसंख्या है, हो सकता है कि वह 27-28 प्रतिशत हो जाए। लेकिन रिज़र्वेशन का कोटा 22.5 प्रतिशत है और संविधान की मंशा है कि जितनी उनकी जनसंख्या है, उसी के अनुपात में उनका रिज़र्वेशन गी हो। हमारे सामने तीन समस्याएं हैं। एक समस्या है कि जो जैनुइन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको इस सूची में जोड़ा जाए। यदि उनको जोड़ा जाता है और उनकी संख्या बढ़ती है, उसके मुताबिक फिर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी और यदि जनसंख्या के मुताबिक उनका रिज़र्वेशन होगा तो रिज़र्वेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसलिए जो काम्प्रीहेंसिव बिल का सवाल है, सरकार काम्प्रीहेंसिव बिल लाने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन सरकार उस काम्प्रीहेंसिव बिल के साथ-साथ सदन से यह भी चाहेगी कि पोपुलेशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन है, उसके ऊपर विचार किया जाय।

हमारे सामने जो कोच राजवंशी की तात्कालिक समस्या है और असम का जो मामला है, इसे सलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, एक मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है इन बातों पर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आयोग को विचार करना है और सिफारिश देनी है। मैं नहीं जानता कि क्या इस मामले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पूरी तरह से साफ है। सरकार कहती है कि एक व्यापक विधेयक पेश किया जायेगा। अतः यह प्रवर समिति कोच तथा राजवंशी लोगों सहित असम के लोगों के विभिन्न वर्गों के दावों तक ही अपने आप को सीमित रखेगी। अब मैं इस प्रस्ताव को एक शर्त के साथ सभा के सामने रखता हूं। कि जिन नामों का इसमें उल्लेख किया गया है उनको अध्यक्ष महोदय द्वारा बदला जा सकता है।

प्रश्न यह है :

> "कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजवंशी को सम्मिलित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे, अर्थात्—

(1) श्री अमर राय प्रधान

(2) श्री द्वारका नाथ दास

(3) श्री ललित उरांव

(4) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते

(5) श्री पवन सिंह घाटोवार

(6) श्री पी. आर. दास मुंशी

(7) श्री पिनाकी मिश्र

(8) श्री उधव बर्मन

(9) श्री पी. कोदंड रमैया

(10) श्री एस.एस पलानीमनिक्कम

(11) श्री जयंत रंगपी

(12) डा. अरुण कुमार शर्मा

(13) डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा

(14) श्री एम. सैल्वारासु

(15) श्री एस. के. कारवींघन

और उसे शीलकालीन सत्र, 1996 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने में अनुदेश दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत्य हुआ

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मामला समाप्त हो चुका है।

श्री पी. उपेन्द्र : एक बार सदन द्वारा नाम मंजूर कर दिये जाने के बाद माननीय अध्यक्ष की नाम बदलने की कोई शक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा इसकी अनुमति दे रही है और सदन सर्वश्रेष्ठ है।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, उचित होगा कि माननीय अध्यक्ष को समिति का गठन करने के पूर्ण अधिकार दिये जायें। परंतु एक बार सभा द्वारा 15 नाम मंजूर...

अध्यक्ष महोदय : सभा नामों के बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री पी. उपेन्द्र : एक बार सभा में मंजूरी मिल जाने के बाद आप किसी भी नाम को बदल नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : सदन सर्वश्रेष्ठ है।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, आप कृपया नियमों को देखें। अच्छा होगा यदि आप पूरी शक्तियां ग्रहण कर लें।

श्री पी. एम. सईद : प्रस्ताव सभा के समक्ष रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा है। कि नाम उनके द्वारा बदले जा सकने की शर्त के अध्यधीन है। यह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिये धन्यवाद करता हूं। सभा अब 15 अगस्त, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 10.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 अगस्त, 1996, 4 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दिनांक 2 अगस्त, 1966 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
वाद–विवाद में सभी स्थानों पर जस्टिस गुमान मल लोढ़ा के स्थान पर जस्टिस गुमान मल लोढा पढ़िए।			
(i)	नीचे से 2	श्री अशोक गहलोत	श्री अशोक गेहलोत
(i)	नीचे से 6	मथुर	मथुरा
(iii)	2	प्रतिबंध	निषेध
(iii)	नीचे से 2	शरणार्थी शिवरों	विस्थापितों के शिविरो
(iv)	2	पटस्न	पटसन
6	13	अध्यख महोदय	अध्यक्ष महोदय
9	5	श्री मुरासोलीमारम	मुरासोली मारान
35	नीचे से 3	पृष्पकृषि	पुष्पकृषि
63	23	श्री आर. बी. राइ	श्री आर. बी. राई
75	नीचे से 8	प्रो० अनित कुमार मेहता	प्रो० अजित कुमार मेहता
86	12	श्री माणिकराव होडल्या यावीत	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
93	नीचे से 11	डा० साहेबराव सुकराम बागुल	डा० साहेबराव सुकराम बागूल
103	16	(क) से	(क) से (ङ)
104	8वीं पंक्ति के आरम्भ में (ग) पढ़िए		
118	2	श्री मुरलीधर जैना	श्री मुरलीधर जेना
124	नीचे से 16	श्री सुरेश कलमाडी	श्री सुरेश कलमाड़ी
145 और	7 और नीचे से 6,		
404	3	डा० प्रवीण चन्द्र शर्मा	डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा
149	16	श्री दादाबाबूराव पंराजये	श्री दादा बाबूराव परांजपे
167	नीचे से 12	2712 के आगे लगे स्टार (*) चिहन का लोप करें।	
168	6	(ग)	(ख)
170	नीचे से 5	श्री नवल किशोल राय	श्री नवल किशोर राय
188	18	(श्री बोला बुल्लीर रमैया)	(श्री बोल्ला बुल्ली रमैया)
205	13	श्री येल्लेया नंदी	श्री येल्लैया नंदी
229	10	पीठासीत	पीठासीन
233	8	श्री शिवानन्द एच. कोवाल्गी	श्री शिवानन्द एच. कौजलगी
237	14 और 22		
238	20		
239	6, 16 और 22	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
240	2 और 10		
256			
257	1	श्री बची सिंह "बचदा" रावत	श्री बची सिंह रावत "बचदा"
258	25	उपाध्यक्ष जी	सभापति जी
259	19	संयम	संचार
259	21	उपाध्यक्ष जी	सभापति जी
259	21	श्री आलोक गहलौत	श्री अशोक गेहलोत
260	1-2	"माध्यस्थ्य और सुलह (तीसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन और माध्यास्थ्य और सुलह विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प" शब्दों का लोप करे।	
266	5	श्री जी. एम. बनातवाला (पून्नाकी)	श्री जी. एम. बनातवाला (पून्नानी)
266	9 व नीचे से 3	अध्यक्ष महोदय	सभापति महोदय
267	10	लोग सभा	लोक सभा
293	नीचे से 1	श्री रमेश चीन्नितला	श्री रमेश चेन्नित्तला
304	11	डा० जायंत रंगपी	डा० जयंत रंगपी
313	नीचे से 6	पुनरस्थापित	पुरःस्थापित
334	19	श्री जी० एल० कनौजिया (खेरी)	श्री जी० एल० कनौजिया (खीरी)
334	नीचे से 10	री० जी० एल० कनौजिया	श्री जी० एल० कनौजिया
341	28	(कृण नगर)	(कृष नगर)
353	नीचे से 8	पाठासीन	पीठासीन
382 और 383	नीचे से 8 और नीचे से 7	श्री थावरचन्द गहलोत	श्री थावरचन्द गेहलोत
390	नीचे से 13	श्री वसुदेव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य
396	नीचे से 9	"खण्डकरण विचारण" शब्दों का लोप करें।	
398	13	अपराह्न 8.30 बजे	अपराह्न 9.30 बजे
402	8	जाने	जोड़
407	13	श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्यर)	श्री सन्तोष मोहन देय (सिल्चर)
416	3	15 अगस्त, 1996	26 अगस्त, 1996
416	3	पूर्वाद्ध	पूर्वाह्न